BED IV- PE 6

समावेशी विद्यालय का निर्माण

Creating an Inclusive School

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

ISBN: 13-978-93-85740-89-3
BED IV- PE 6 (BAR CODE)

BED IV- PE 6

समावेशी विद्यालय का निर्माण

Creating an Inclusive School

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड	विशेषज्ञ समिति
□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर मुहम्मद मियाँ** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	□**प्रोफेसर सी० बी० शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
□**प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	□**प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
□**प्रोफेसर के० बी० बुधोरी** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, एच० एन० बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखण्ड	□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	

दिशाबोध: प्रोफेसर जे० के० जोशी, पूर्व निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कार्यक्रम समन्वयक:	कार्यक्रम सह-समन्वयक:	पाठ्यक्रम समन्वयक:	पाठ्यक्रम सह समन्वयक:
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० पंकज कुमार** सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड	**डॉ० अखिलेश कुमार** सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

प्रधान सम्पादक	उप सम्पादक
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० पंकज कुमार** सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयवस्तु सम्पादक	भाषा सम्पादक	प्रारूप सम्पादक	प्रूफ़ संशोधक
डॉ० पंकज कुमार सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड	**डॉ० पंकज कुमार** सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड	**श्रीमती मनीषा पन्त** अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**श्रीमती मनीषा पन्त** अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

सामग्री निर्माण

प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर आर० सी० मिश्र** निदेशक, एम० पी० डी० डी०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, 2017

ISBN-13-978-93-85740-89-3

प्रथम संस्करण: 2017 (पाठ्यक्रम का नाम: समावेशी विद्यालय का निर्माण, पाठ्यक्रम कोड- BED IV- PE 6)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी अंश को ज्ञान के किसी भी माध्यम में प्रयोग करने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इकाई लेखन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए पूर्णरूपेण लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में होगा।

निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, एम० पी० डी० डी० के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मुद्रित व प्रकाशित। **प्रकाशक:** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय; **मुद्रक:** उत्तरायण प्रकाशन, हल्द्वानी।

कार्यक्रम का नाम: बी० एड०, कार्यक्रम कोड: BED- 17

पाठ्यक्रम का नाम: समावेशी विद्यालय का निर्माण, पाठ्यक्रम कोड- BED IV- PE 6

इकाई लेखक	खण्ड संख्या	इकाई संख्या
डॉ० अखिलेश कुमार सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	**1**	**1**
	2	**2**
श्री रश्मि रंजन सहायक प्रोफेसर, बैकुण्ठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिवान, बिहार	**1**	**2**
डॉ० गोविन्द सिंह सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	**1**	**3**
श्री नीरज मधुकर प्रवक्ता, विशिष्ट शिक्षा, सी० आर० सी० (भारत सरकार), सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	**1**	**4**
डॉ० पंकज कुमार सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड	**1**	**5**
	2	**1**
श्री प्रदीप पहवा प्रवक्ता, फिजियोथैरेपी, सी० आर० सी० (भारत सरकार), सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	**2**	**3**
डॉ० जसमेर सिंह सहायक प्रोफेसर, एन० आई० ई० पी० वी० डी०, देहरादून, उत्तराखण्ड	**2**	**4**
डॉ० वसीम अहमद सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट रेहेबिलीटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, चंडीगढ़	**2**	**5**

BED IV- PE 6
समावेशी विद्यालय का निर्माण
Creating an Inclusive School

खण्ड 1		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयास	2-16
2	राष्ट्रीय नीति एवं कानून	17-43
3	राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं संस्थाएँ	44-68
4	शिक्षार्थी विविधता का व्याख्यान	69-83
5	समावेशन हेतु विद्यार्थी व अधिगम अनुसमर्थन	84-101

खण्ड 2		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे	103-116
2	बौद्धिक अक्षमता	117-136
3	गामक विकलांगता से ग्रसित बच्चे	137-154
4	विद्यालय में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता: सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारकों से विविधता, आर्थिक कारकों से विविधता, शिक्षा में लैंगिक चुनौतियाँ, दृष्टिकोण सम्बन्धी बाधाएं, हिंसा एवं बदसलूकी	155-166
5	शैक्षिक रियायतें, सुविधाएँ और प्रावधान- विकलांग व्यक्तियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए	167-184

खण्ड 1

Block 1

इकाई 1 - समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयास
Initiatives to Promote Inclusive Education

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1971 एवं निःशक्त जनो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1975
1.4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: इंटरनेशनल डे ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलीटीज एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000
1.5 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: एजुकेशन फॉर आल, 1990 (Education for All) एवं सलमांका कांफ्रेंस 1994
1.6 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008
1.7 राष्ट्रीय प्रयास: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966), आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा, 1974) एवं एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)
1.8 राष्ट्रीय प्रयास : एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987) आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992) पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995) एवं एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)
1.9 राष्ट्रीय प्रयास : शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009) एवं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016
1.10 सारांश
1.11 अभ्यास प्रश्न
1.12 संदर्भ ग्रंथ

1.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई वर्तमान प्रगति वर्षों के वैश्विक प्रयास का परिणाम है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का इतिहास देखें तो प्राचीन काल में इस प्रकार के बच्चों को शैशवावस्था में ही मार दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की ओर समाज का ध्यान उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में गया और तब पाश्चात्य

देशों में सांस्थानीकरण (Institutionalization) अस्तित्व में आया जिसमे एक बड़ी संस्था बनाकर प्रत्येक उम्र के हजारों अक्षमता युक्त बालकों एवं व्यक्तियों को सामान्य आबादी से दूर रखा जाने लगा जहाँ एक बहुत बड़े भवन में समाज सेवा के नाम पर पुनर्वास सेवाएँ आरम्भ हुई जिसके एक अवयव के रूप में विशेष शिक्षा भी थी। बाद में बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में १९७० के दशक में वोल्फेन्स्बर्गर, निरजे (Wolf Wolfensberger, Benjt Nirje) द्वारा दिए गए सामान्यीकरण के सिद्धांतों ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी और खींचा और पूरे विश्व ने यह महसूस किया संस्थानीकरण इस सामाजिक समस्या का समाधान नहीं है बल्कि इसकी बजाय विशेष आवश्यकताओ वाले बच्चो को समाज की मुख्य धारा में रख कर सामुदायिक प्रयासों से उन्हें जहाँ तक संभव हो सामान्य व्यक्ति के सामान समस्त अवसर उपलब्ध कराये जाएँ और अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षित कर के उन्हें समाज का एक उत्पादक अंग बनाया जाये। यह वह समय था जब इस सन्दर्भ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आरम्भ किये गए जिसका परिणाम आज हमारे सामने समावेशी शिक्षा के रूप में है। बीसवीं सदी में वैश्विक स्तर पर अक्षमता युक्त व्यक्तियो के पुनर्वास एवं उन्हें समाज के मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने बल्कि विभिन्न देशो के द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओ, संधिपत्रो, योजनाओ और अधिनियमो पर समझौताकिया गया ताकि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के सभी संपूर्ण क्षेत्रो में इन्हें समान अवसर प्रदान करते हुए समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान इकाई में आप विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चों के समावेशन के संदर्भ में किये गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जानेंगे इससे संबंधित जानकारियो का विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद अपेक्षित है कि आप

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात अपेक्षित है कि आप निम्नाकित का संक्षिप्त वर्णन करने में सक्षम हो सकेंगे:

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1971 एवं निःशक्त जनो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1975
2. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: इंटरनेशनल डे ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलीटीज एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000
3. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: एजुकेशन फॉर आल, 1990 (Education for All) एवं सलमांका कांफ्रेंस 1994
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008
5. राष्ट्रीय प्रयास: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966),आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा, 1974) एवं एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)

6. राष्ट्रीय प्रयास : एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987) आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992) पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995) एवं एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)
7. राष्ट्रीय प्रयास : शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009) एवं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016

1.3 मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1971 एवं निःशक्त जनो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1975

मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1971

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 1971 से 1975 के दरम्यान निःशक्त व्यक्तियो के प्रति दो प्रमुख घोषणा पत्रो को स्वीकृति प्रदान की गयी जिनमें से एक "मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र", 1971(The Declaration on the Rights of Persons with Disabilities, 1971) से सम्बंधित था जो 20 दिसम्बर 1971 को पारित किया। इस घोषणा पत्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियो से संबंधित अधिकारो पर कार्य करने की एक रूप-रेखा प्रदान की। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत, दूसरे व्यक्तियो के सामान ही मानसिक अक्षमता युक्त व्यक्तियो को भी शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और इसके अलावा जहा तक संभव हो, उन्हे अपने परिवार अथवा पालक अभिभावक के साथ रहने और सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओ में भागीदारी की सुनिश्चितता का निर्धारण किया गया। यह घोषणा पत्र अक्षम व्यक्तियो को सामान्य जीवन में सम्मिलन और समेंकित प्रोत्साहन की ओर प्रथम चरण था।

निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1975

"निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र", 1975 (he Declaration on The Rights of Persons with Disabilities) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर 1975 को स्वीकृत किया गया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियो के मानवीय अधिकारो के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी। यह घोषणा अक्षमता युक्त व्यक्तियो की शिक्षा, चिकित्सीय सेवाएँ, नियोजन सेवाए, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपने परिवारो के साथ रहना, सामाजिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओ में भागीदारी, सभी प्रकार के शोषण, कुप्रयोग, या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण एवं स्वयं का उपयोग और कानूनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता को बार-बार दोहराती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारो की सुनिश्चितता और दायित्व पूर्ती के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दो प्रमुख पहल की गयी जो "निःशक्त व्यक्तियो के लिए यू.एन. शताब्दी (1983-92) वर्ष" (यू.एन. डिकेड फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स) और "एशियन एवं प्रशांत महासागरीय शताब्दी (1993-2002) वर्ष" (द एशियन एंड पसिफ़िक डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड) के नाम से जाना जाता है।

1.4 इंटरनेशनल डे ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलीटीज एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000

आइ.डी.डी.पी. (IDDP/इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 1992)

पूरे विश्व में विकलांग व्यक्तियो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इस कार्य में विभिन्न देश के सरकारो और संगठनो को सक्षम बनाने और इनके लिए विभिन्न उपायो को लागू करने के लिए 1983 से 1992 तक "विकलांग व्यक्तियो के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक" का आयोजन किया गया था। 14 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसम्बर को विकलांग व्यक्तियो के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 3 दिसम्बर 1992 को यह पहली बार "अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस"(इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज)के रूप में मनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन दिवस है जिसका लक्ष्य विकलांग व्यक्तियो के मुद्दो और उनकी गरिमा के लिए समर्थन जुटाने एवं विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो तथा उनकी भलाई के लिए एक नयी सामाजिक समझ को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस अलग अलग थीम पर केन्द्रित होता है। 18 दिसम्बर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स" को परिवर्तित कर इसका नाम "इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज" कर दिया।

मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000(Millennium Development Goals, MDG, 2000)

वैश्विक विकास हेतु पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सितम्बर 2000 में न्यूयॉर्क हुए सम्मलेन में 2015 तक की निर्धारित समय सीमा के साथ समयबद्ध लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए **"सहस्राब्दी विकास लक्ष्य"** (एम.डी.जी./ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000) की घोषणा की और आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की घोषणा की जो निम्नांकित हैं: जो इस प्रकार है :

- अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन
- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति
- लैंगिक समानता को बढ़ावा
- बाल मृत्यु दर में कमी
- मातृ स्वास्थ्य में सुधार
- एच.आइ.वी./एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियो से मुकाबला
- पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना
- **विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा**

संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन सभी 189 सदस्य देशो ने (वर्तमान में 193 सदस्य देश है) और 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनो ने 2015 तक सभी सहस्राब्दी लक्ष्यो की प्राप्ति में मदद के लिए अपनी

प्रतिबद्धता जाहिर की। इस घोषणा पत्र में प्रत्येक लक्ष्य के साथ विशिष्ट कार्य और उन लक्ष्यो की प्राप्तिके लिए निश्चित तिथि का निर्धारण किया गया है।

1.5 एजुकेशन फॉर आल, 1990 एवं सलमांका कांफ्रेंस 1994)

एजुकेशन फॉर आल, 1990 (Education for All)

शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र, 1948 में घोषित मानवाधिकारों में 'शिक्षा पाने का अधिकार' भी शामिल है लेकिन इस घोषणा के पांच दशक बाद भी दुनिया के करोड़ो व्यक्ति इस अधिकार से वंचित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर **"सभी के लिए शिक्षा"** के अधिकार को गति प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में थाईलैंड के जाँमटीन शहर में आयोजित हुए **"सभी के लिए शिक्षा"** पर विश्व सम्मलेन में 155 देशो के प्रतिनिधियो और 150 गैर सरकारी संघठनो ने भाग लिया और सन् 2000 तक सभी बच्चो को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर अपनी सहमती जतायी। इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण और निरक्षरता उन्मूलन था।इस सम्मलेन में बुनियादी शिक्षण के लिए निम्नांकित प्रमुख लक्ष्यो की पहचान की गयी थी:

- बच्चो का आरंभिक देखभाल और विकासात्मक क्रियाओ का विस्तार करना
- प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना
- अधिगम उपलब्धि में सुधार
- वयस्क निरक्षरता दर में कमी लाना
- युवाओ और व्यस्को के लिए जरुरी अन्य कौशलो में प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा के प्रावधानो में विस्तार करना
- ज्ञान, कौशल एवं बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मुल्यो, स्वास्थ्य और सतत विकास के अधिग्रहण में वृद्धि करना।

इस वैश्विक घोषणा पत्र में सभी के लिए शिक्षा में विकलांग व्यक्तियो की अधिगम आवश्यकताओ पर विशेष ध्यान देने की जरुरत भी महसूस की गयी और शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में, निःशक्त व्यक्तियो के प्रत्येक श्रेणी से संबधित व्यक्ति को शिक्षा तक सामान पहुँच प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरुरत पर बल दिया गया।

सलमांका कांफ्रेंस (Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 1992)

सन 1994 में सलमांका, स्पेन में, स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से **विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा** पर 7-10 जून, 1994 में एक विश्व सम्मलेन का आयोजन किया गया जिसमें 'सलमांका कथन और कार्यवाही की रूपरेखा' की घोषणा की गयी। इस सम्मलेन को बुनियादी आधार प्रदान करने के लिए इससे पहले पांच क्षेत्रीय सेमिनारो का आयोजन किया गया था। इस सम्मलेन में 92 देशो के प्रतिनिधि और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनो ने भाग लिया था । इस सम्मलेन में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गए :

- सभी के लिए विद्यालय: विद्यालय को सभी बच्चो को समायोजित करना चाहिये भले ही वो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक/भावुक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियो के आधार पर पिछड़े अथवा अक्षम हो।
- नियमित विद्यालय समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली साधन है एवं किफायती भी हैं।
- शिक्षण सेवाओ में सुधार के लिए सर्वोच्च नीति और बजटीय प्राथमिकता दे ताकि व्यक्तिगत भिन्नता या समस्याओ के बिना सभी बच्चो को सम्मिलित किया जा सके।
- समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या नीति के एक विषय के रूप में अपनाया जाय और सभी बच्चो का नामांकन सामान्य विद्यालय में किया जाय जब तक की उनको कुछ और करने का कारण नही मिल जाता।
- समावेशित विद्यालयो वाले देशो के साथ प्रदर्शन परियोजनाओ का विकास और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- निर्णय सृजन एवं नियोजन प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियो के लिए कार्यरत संस्थाओके साथ अभिभावक और सामुदायिक समितियो की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- पूर्व-प्राथमिक स्तर पर और इसके साथ ही साथ समावेशी शिक्षा के व्यावसायिक पहलुओ के स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करना।
- आरंभिक और सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा के प्रावधानो को शामिल करना।

यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समावेशी स्कूली शिक्षा को शामिल किये जाने का समर्थन करता है और सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करता है।

1.6 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008 (United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD)

यू.एन.सी.आर.पी.डी अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों का एक व्यापक घोषणापत्र है जो वृहत रूप से अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों की वृहत वकालत करता है । वस्तुतः अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करनेके लिए यह एक क्रांतकारी कदम है जो पूर्ण समावेश का पक्षधर है। यू.एन.सी.आर.पी.डी. को 13 दिसम्बर 2006 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया था । भारत ने इस संधिपत्र पर 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया और इसकी अभिपुष्टि 1 अक्टूबर, 2007 को की थी । 3 मई 2008 को यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अस्तित्व में आया । यू.एन.सी.आर.पी.डी. विकलांग जनो के कल्याणार्थ एक व्यापक नीति है जो अक्षम व्यक्तियो को सामान अवसर उपलब्ध कराने और उनकी पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करती है । इस संधिपत्र में निःशक्त जनो के कल्याण के लिए निम्नांकित प्रमुख प्रावधान किये गए हैं :

- व्यक्तियो की अन्तर्निहित गरिमा के लिए, स्वयं विकल्प चुनने की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान
- गैर भेदभावपूर्ण नीति (Non-Discrimination)
- समाज में पूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी और समावेशन
- मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में विकलांग व्यक्तियो के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान;
- अवसरो की समानता
- सुगम्यता
- पुरुषो और महिलाओ के बीच समानता
- अक्षम बच्चो की उभरती क्षमता के लिए सम्मान और अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए विकलांग बच्चो के अधिकारो का सम्मान ।

यू.एन.सी.आर.पी.डी. सार्वभौमिक परिकल्पना (Universal Design) का पक्षधर है । यू.एन.सी.आर.पी.डी 50 अनुच्छेदो को सम्मिलित करता है जो विकलांग जनो को उच्च स्तरीय पूर्ण सेवाएँ देने के लिए समर्पित है । यह महिलाओ और अक्षमतायुक्त बच्चो को उनके जीवन के प्रति अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संकल्पना को प्रदर्शित करता है ।

1.7 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966), आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा, 1974) एवं एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)

कोठारी आयोग

सन् में भारत की केन्द्रीय सरकार ने 1964डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जिसे **भारत का प्रथम शिक्षा आयोग** अथवा **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है** । कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम अपने कार्यवाही की योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की समस्याओ को उठाया और नियमित विद्यालयो में अक्षम अथवा विकलांग बच्चो को सम्मिलित करने की अनुशंसा की । इस आयोग ने यह भी सिफारिश की शिक्षा मंत्रालय को विशेष बच्चो की समस्याओ को दूर करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिये। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि अक्षम या विकलांग बच्चो की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली से बिलकुल भी अलग नही होनी चाहिये और इसका संयोजन न केवल मानवीय धरातल पर किया जाना चाहिए बल्कि उपयोगिता के आधार पर भी किया जाना चाहिये।

समेकित शिक्षा, 1974

कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करते हुए और भारत में विशेष शिक्षा की समस्याओ और योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षको की कमी को देखते हुए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन् 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की जिसे "विकलांगो बच्चो के लिये समेंकित शिक्षा" (इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन) के नाम से जाना गया और जिसे हम संक्षिप्त में आइ.इ.डी.सी. भी कहते है । समेंकित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षण पद्दति से है जहा अक्षम अथवा विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में दूसरे सामान्य बच्चो की तरह सामान अवसर और भागीदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करते है और उनके लिए आवश्यक अथवा सहायक सेवाये जो उनकी जरुरतो को पूरा करती है, को अपने आप में सम्मिलित करती है ।इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को किताबो, लेखन-सामग्रीयों, विद्यालयी पोशाको, यातायात, विशेष सहायक सामग्री और यंत्रो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । 1997 में आइ.इ.डी.सी. कार्यक्रम को शिक्षा के दूसरे प्रमुख परियोजनाओ जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.इ.पी.) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), के साथ मिला दिया गया ।

एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" (एन.पी.इ./नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन,1986) के रूप में हुई जिसमे इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षणिक अवसरो की समानता को लागू किया जाय । नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन,1986 में अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए निम्नांकित प्रावधान किये गए

- जहाँ तक संभव हो, गामक विकलांग और अन्य सौम्य अथवा अत-अल्प विकलांग बच्चो का शिक्षण दूसरे बच्चो के साथ सामान्य तरीके से हो।
- गंभीर विकलांग बच्चो के लिए, जहाँ तक संभव हो, जिला मुख्यालय में विशेष विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
- विकलांग बच्चो के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनभिविन्यस्त करने की जरूरत है विशेषकर प्राथमिक शिक्षको के लिए जिन्हें विकलांग बच्चो की विशेष समस्याओ को समझने में कठिनाई होती है।
- विकलांग बच्चो की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनो के द्वारा किये गए प्रयत्न को अधिक-से-अधिक संभावित तरीको से प्रोत्साहित किया जाय।

1.8 एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987) आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992) पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995) एवं एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)

एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987)

अक्षमता के क्षेत्र में सबसे पहला कानून स्वतंत्र भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (Mental Health Act) था जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित थे:

- मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति को शीघ्र उपचार
- मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति जो समाज के लिए घातक है अथवा घातक साबित हो सकते है या दूसरो को नुकसान पहुचा सकते है, समाज को उनसे सुरक्षित रखना।
- मानसिक अस्पताल में भर्ती मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति की उपयुक्त देखभाल
- मानसिक अस्पतालो की स्थापना और नवीनीकरण

आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (आर.सी.आइ.एक्ट/रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट) 1 दिसम्बर 1992 को संसद में पारित किया गया और 22 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया। सन् 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। विकलांगता के क्षेत्र में समरूपता की जरुरत और न्यूनतम मापदंड तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :

- विभिन्न श्रेणियों के पेशवर जो विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वसन से जुड़े है, उनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम मापदंड का निर्धारण करना
- पुनर्वास क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियो के लिए प्रशिक्षण नीतियो और कार्यक्रमो को नियमित करना
- विकलांग व्यक्तियो के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वसन के कार्यक्रमो में एकरूपता लाने के लिए एक सामान मापदंड लागू करना
- विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वसन के क्षेत्र में पाठ्यक्रमो को मान्यता प्रदान करना और जहा पाठ्यक्रम मापदंड के अनुरूप नही चल रहे है, उनकी मान्यता रद्द करना
- पारस्परिक आधार पर विदेशी डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमो को मान्यता प्रदान करना
- पुनर्वास व्यवसायियों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण करना और उनका रख – रखाव करना
- पुनर्वसन और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना और
- मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र को मान्यता प्रदान करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत ऑनलाइन मोड, दूरस्थ मोड और पारंपरिक मोड के रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू की गयी है। वर्तमान में लगभग 400 संस्थानो को आर. सी. आइ. के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। कोई भी पुनर्वास कर्मचारी जो विकलांगता पुनर्वसन के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसको आर. सी. आइ. में पंजीकरण कराना एवं उसका ससमय नवीनीकरण आवश्यक है।

पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995)

विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (पी.डब्लू.डी.एक्ट.) भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया एक ऐतिहासिक और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रथम कानून है जो विभिन्न विकलांगताओं को समाहित करता है। यह दिसम्बर 1995 को पारित किया गया और 7 फ़रवरी 1996 को यह पूरे देश में लागू हुआ।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- विकलांग अथवा अक्षम व्यक्तियो के पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षण, चिकित्सीय देखभाल, विकलांगता अथवा अक्षमता की रोकथाम, और उनके अधिकारों के संरक्षण को केंद्र और राज्य सरकारो के द्वारा जिम्मेदारी लेना और सुनिश्चित करना।
- विकलांग व्यक्तियो के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- विकलांग व्यक्तियो के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करना।

- अक्षम व्यक्तियो के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण से उनकी रक्षा करना।
- ऐसी नीतियां बनाना जिससे अक्षम व्यक्तियो के लिए व्यापक कार्यक्रमो, सेवाओ और सामान अवसरो को सुनिश्चित किया जा सके।
- समाज की मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियो को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाना।

राष्ट्रीय स्तर पर पी.डब्लू.डी.एक्ट. के प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए "मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय" जो की एक संवैधानिक संस्था है, को यह जिम्मेदारी दी गयी है और राज्य स्तर पर "विकलांग आयुक्त कार्यालय" अपने-अपने राज्यो में पी.डब्लू.डी.एक्ट. के प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। पी.डब्लू.डी.एक्ट. के अंतर्गत सात प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है:

- दृष्टिहीन
- अल्प दृष्टी
- कुष्ठ रोग मुक्त
- श्रवण क्षति
- गति अक्षमता
- मानसिक मंदता
- मानसिक रुग्णता

विकलांग जन अधिनियम में कुल 14 अध्याय है जिनमें 1 वे अध्याय में प्रस्तावना और परिभाषाओ को सम्मिलित किया गया है, 2 और 3 अध्याय में केंद्र और राज्य समन्वय समितियो से संबंधित कार्यो का वर्णन किया गया है, 10 वे अध्याय में विकलांग व्यक्तियो के लिए संस्थाओ को मान्यता देना, 11 वे अध्याय में गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियो के लिए संस्था की स्थापना और 12 वे अध्याय में मुख्य विकलांग आयुक्त एवं विकलाग आयुक्त की नियुक्ति एवं उनके कार्यो को सम्मिलित किया गया है।

एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)

विकलांग व्यक्तियों को सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सन् 1995 में भारत सरकार के द्वारा पी.डब्लू.डी.एक्ट. लाया गया था जो विकलांग व्यक्तियो के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण निर्णय था परन्तु इस अधिनियम के आने के बावजूद भी विकलांग व्यक्तियो से संबंधित अभिभावको के मन में हमेशा यह प्रश्न होता था की "उनके बाद उनके बच्चो का क्या होगा?" क्योकि इस अधिनियम में इससे संबंधित ऐसा कोई भी प्रावधान नही था और इस अधिनियम की एक त्रुटी यह भी थी की इसमें "स्वलीनता" और "बहु विकलांगता" को सम्मिलित नही किया गया था। इन्ही त्रुटियो को दूर करने के उद्देश्य से सन् 1999 में

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय न्यास (स्वलीनता, प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियो के कल्याण के लिए) अधिनियम 1999 (एन.टी.एक्ट.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति से संबंधित अभिभावक की मृत्यु होने पर संरक्षक की नियुक्ति, अभिभावक अथवा रिश्तेदार के आवेदन के आधार पर संरक्षक की नियुक्ति अथवा पंजीकृत संगठन जो आवासिक सुविधा उपलब्ध कराते है एवं न्यास द्वारा मान्य न्यूनतम मानको को बरकरार रख सकते है, संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है :

- विकलांग व्यक्तियो को उनके समुदाय में अथवा जिस समुदाय से वे संबध रखते है, जहाँ तक संभव हो सके उन्हे स्वतंत्रापूर्वक जीवन जीने के लिए योग्य और सशक्त बनाना।
- अक्षम व्यक्तियो को दी जाने वाली सुविधाओ को सुदृढ़ करना जिससे उन्हे अपने परिवार के साथ रहने में सहायता प्राप्त हो।
- संकट की स्थिति में निःशक्त व्यक्तियो के परिवारो को आवश्यकता आधारित सेवाए प्रदान करने के लिए पंजीकृत संघठनो को विस्तारित सहायता प्रदान करना।
- ऐसे विकलांग व्यक्तियो की समस्याओ पर कार्यवाही करना जिन्हे पारिवारिक समर्थन प्राप्त नही है।
- अक्षम व्यक्तियो के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में उनके देख-भाल और सुरक्षा के उपायो को प्रोत्साहित करना।
- निःशक्त व्यक्तियो को जरूरत के समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षक और समिति की नियुक्ति के लिए कार्यप्रणाली को विकसित करना।
- विकलांग व्यक्तियो के लिए सामान अवसर, **अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी के कार्यो को सहज बनाना।**

1.9 शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009) एवं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016

शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009)

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.इ./द राईट टू एजुकेशन) अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया जिसका मुख्य केंद्र 6-14 साल के बच्चो के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानो को अमल में लाना था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया और इसके साथ ही भारत उन 135 देशो में शामिल हो गया जहा शिक्षा को प्रत्येक बच्चो (सामान्य और अलग प्रकार से योग्य) के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है। इस अधिनियम में प्राथमिक विद्यालयो के लिए न्यूनतम मानको का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और निजी

विद्यालयो में 25% सीटो के आरक्षण का निर्धारण गरीब विद्यार्थियो के लिए किया गया है। इसके अनुसार कोई भी विद्यार्थी अक्षमता के आधार पर विद्यालय में अमान्य अथवा निष्काषित नही जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिक्षा से वंचित, किसी कारणवश बीच में पढाई छोड़ने वालो और विशेष आवश्यकता/अक्षम बच्चो के लिए भी विशेष प्रावधान है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, भेदभाव रहित वातावरण और सरकारी एवं निजी विद्यालयो की दूरियो को भरने पर जोर देता है। इस अधिनियम के आने से निःशक्त विद्यार्थियो को सामान्य विद्यार्थियो के साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिला जिसके परिणामस्वरूप अक्षम और विकलांग विद्यार्थियो के नामांकन दर में काफी वृदि हुयी जिससे उन्हे सामजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ।

नि:शक्त जन अधिकार अधिनियम 2016

निशक्त जन कानून के लगभग इक्कीस सालों के लम्बे अन्तरं के बाद भारतीय संसद ने नया निशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 2016 पारित किया है जो एक अत्यंत ही व्यापक एवं दूरदर्शी कानून है इस कानून में शामिल अक्षमता की 21 श्रेणियां हैं जबकि जिशाक्त जन कानून 1995 में मात्र सात प्रकार की अक्षमता की श्रेणियां राखी गयी थी निशक्त जन अधिकार क़ानून 2016 की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं:

शामिल अक्षमताओं की संख्या 21

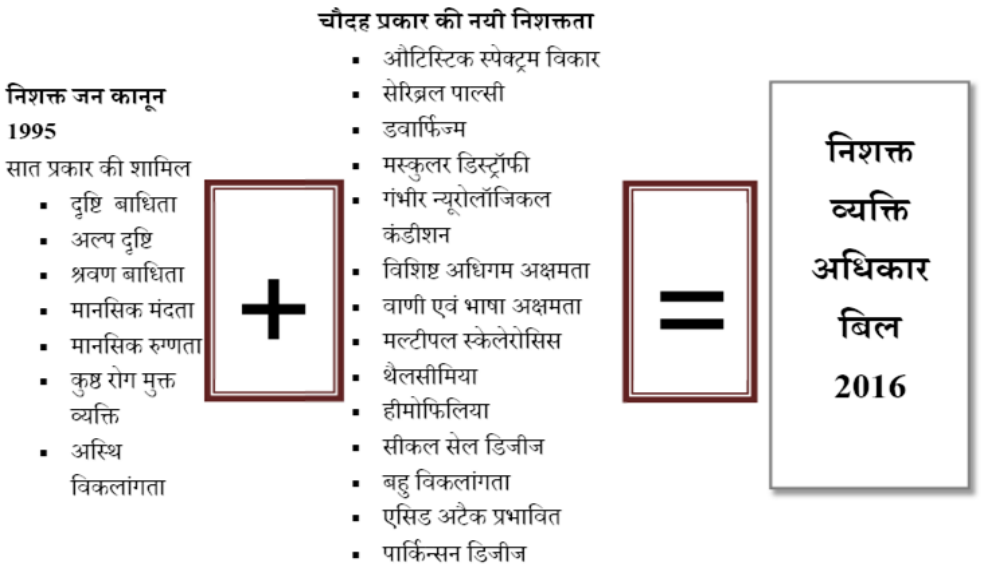

प्रमुख प्रावधान

- समाहित निशक्तता 7 से बढ़कर 21

- किसी नयी निशक्तता को नोटिफाई करने के लिये सरकार अधिकृत
- 6-18 वर्ष तक के सभी निशक्त बालकों को मुफ्त शिक्षा
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढाकर 4%
- समस्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा
- सभी सार्वजनिक भवनों का तय सीमा के अन्दर निशक्त जन सुगम्य किया जाना सुनिश्चित
- निशक्त जन के अभिभावक के निर्णय में निशक्त जन की सहभागिता
- केंद्र स्तर पर मुख्य निशक्त जन आयुक्त के साथ दो आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाह कार समिति
- निशक्त जन सहायता हेतु केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय फण्ड का निर्माण
- प्रत्येक जिले में निशक्त जन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय
- प्रत्येक 5 साल में स्कूल जाने वाले बालकों में निशक्तता की पहचान के लिए सर्वे का प्रावधान

1.10 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त व्यक्तियो के समावेशन के लिए किये गए प्रयासों में डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटली रिटारडेड1971, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स 1975, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2008, सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरुरतो की शिक्षा पर कार्य की रूपरेखा 1994, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 और एजुकेशन फॉर आल 1990 आदि प्रमुख है। भारत में निःशक्त जनों के पुनर्वास के लिए किये गए प्रयासों में कोठारी आयोग, भारतका ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने सर्वप्रथम विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की समस्याओ को उठाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार और सभी के लिए एक सामान शिक्षा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति"1986 (एन.पी.इ./नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन) का गठन किया गया इसके अलावा समावेशी शिक्षा से सम्बद्ध विशेष प्रावधानों में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 , भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 विकलांग जन (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (पी.डब्लू.डी.एक्ट.) , राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 , शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं अद्यतन निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 प्रमुख है।

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ / अन्य अध्ययन

1. यू.एन मिल्लेनियम डेवलपमेंट गोल्स. (2000). वी कैन एंड पोवर्टी: मिल्लेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड 2015. (http://www.un.org/millenniumgoals)

2. यूनाइटेड नेशंस. (2000). यू.एन मिल्लेनियम: प्रोजेक्ट, गोल्स, टारगेट्स एंड इंडीकेटर्स. (http://www.unmillenniumproject.org/goals.gti.htm)
3. यूनाइटेड नेशंस. (2000). यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन: रेजोलूसन एडाप्टेड बाई द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर: न्यू यॉर्क.
4. यू.एन इनेबल: इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज-3, (http://www.un.org/disabilities/deafult.asp/default.asp?id=111
5. इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज-टाइम एंड डेट. (http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-day-persons-डिसेबिलिटीज
6. पाण्डेय, आर. के. एंड हेमलता. (2012). एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया (एम.एम.डी. 011): इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन (ब्लाक 4), इग्नू, न्यू देल्ही: बेर्री आर्ट प्रेस।
7. रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया. (2000). ट्रेनिंग मैन्युअल ऑन डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड मेंनस्ट्रीमींग ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूसन, न्यू देल्ही: राज

1.12 अभ्यास प्रश्न

1. मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1971 एवं निःशक्त जनो के अधिकारो का घोषणा पत्र, 1975 का विवरण प्रस्तुत करें।
2. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: इंटरनेशनल डे ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलीटीज एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000 के मुख्य प्रावधानों को लिखें।
3. एजुकेशन फॉर आल, 1990 (Education for All) एवं सलमांका कांफ्रेंस 1994 के प्रावधानों पर प्रकाश डालें
4. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2006 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें।
5. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966),आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा, 1974) एवं एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986) में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या प्रावधान किये गए?
6. एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987) आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992) के प्रमुख प्रावधानों को लिखें।
7. पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995) एवं एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999) पर संक्षिप्त टिपण्णी लिखें।
8. शिक्षा का अधिकार (आर.टी.इ., 2009) कानून के विशेष बालकों के लिए मुख्य प्रावधान क्या हैं?
9. निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 पर प्रकाश डालें।

इकाई 2- राष्ट्रीय नीति एवं कानून

National Policies and Legislation

(NPE -1986, PoA - 1992, PwD - 1995, RPD Act - 2016, NCF - 2005, NFG)

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम
2.4 विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995
2.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999
2.6 विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति
2.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रुपरेखा
2.8 राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र
2.9 सारांश
2.10 शब्दावली
2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
2.13 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्रक्रिया का मूल है। हालांकि शिक्षा का अधिकार एवं शैक्षिक अवसरों की समानता भारतीय संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है। परन्तु भारत में व्याप्त निरक्षरता को मिटाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए शिक्षा आयोग (1964) ने भी अपने प्रतिवेदन में इस पर बल दिया था। यह निराश करने वाली बात है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 74 प्रतिशत तक ही साक्षरता दर हासिल कर पाये हैं। भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक सपना है। इसके लिए भारत सरकार ने अजादी के पश्चात् से ही गंभीर प्रयास प्रारंभ करना शुरू किया था। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। निःशक्त जनों के शिक्षण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं हैं। भारत में निःशक्त जनों में दृष्टिबाधितों का पहला औपचारिक विद्यालय 1887 में अमृतसर से प्रारंभ होकर आज सर्व शिक्षा अभियान योजना में शिक्षण को निःशक्तों के अध्ययापन यात्रा को विशेष शिक्षा से समावेशी शिक्षा के रूप में देखा जा

सकता है। निःशक्तजनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षण पद्वति को आज के सबसे नवीनतम पद्वति के रूप में माना जाता हैं।

यह आंकड़ा उद्वेलित करने वाला है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की आधी से अधिक अबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। निःशक्त बालक जो विद्यालय से बाहर हैं उनमें अधिकांश वे हैं जिन्हें उनके गॉव के पड़ोस वाले विद्यालय ने प्रवेश लेने से मना कर दिया। प्रायः इस प्रकार के निःशक्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश न दिये जाने हेतु मुख्य कारण यह बताया जाता है कि 'हमारे पास इन बालकों हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।' इन्हें तो इनके लिए बने विशेष विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। समाज भी यह मानती है कि अन्य बालकों से इन बालकों का भविष्य अंधकारमय है। अतः कोई भी बालक अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है तो 'सभी को शिक्षा' का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। सभी मानव को शिक्षा पाना उसका मानवाधिकार है जिसका अनुमोदन 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम (2016) पास कराकर इस दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया है। चाहे वह बालक सामान्य है या निःशक्त सभी को शिक्षा पाने का हक उसके समीप वाले विद्यालय में है। अतः सभी बालकों के शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्वति समावेशी शिक्षा है। जैसा विदित है कि समावेशी शिक्षा को सकार स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान नाम की योजना का प्रमुख योगदान है। भारत सरकार यह चाहती है कि सर्व शिक्षा अभियान के सहारे यह लक्ष्य 2015 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कटिब्ध है। यह योजना सभी के लिए शिक्षा पर जोर देती है। अर्थात् बिना किसी भेद-भाव के बालिकाओं, पिछड़े वर्गों, निःशक्त बालकों आदि सभी को शिक्षा देने को सुनिश्चित करता है जो शून्य को निरस्त करने वाली नीति पर आधारित (zero rejection policy) है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक समावेशी शिक्षण पद्वति पर जोर देता है।

अतः इसे विशेष शिक्षा से शुरू होते हुए समावेशी शिक्षा के रूप में फलीभूत होने में सरकार के द्वारा अजादी के उपरांत जो विभिन्न समितियों, आयोग व नीतियों आदि का गठन किया गया उनका प्रमुख योगदान हैं। इस ईकाई में इन्हीं मुख्य अधिनियम,शिक्षा नीति, क्रियान्वयन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रुपरेखा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, निःशक्त व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र आदि का उल्लेख किया जाएगा।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप-

1. नई शिक्षा नीति का वर्णन कर सकेंगे।
2. नई शिक्षा नीति में निःशक्त जनों के शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन कर सकेंगे।
3. नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम के प्रावधानों को समझ सकेंगे।

4. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में नि:शक्त व्यक्ति के पुनर्वास से सम्बंधित प्रावधानों का वर्णन कर सकेंगे।
5. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों को समझ सकेंगे।
6. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कार्यक्रम को जान सकेंगे।
7. नि:शक्त व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति का वर्णन कर सकेंगे।
8. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम वर्णित विकलांगता को समझ सकेंगे।
9. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में नि:शक्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए प्रावधान का वर्णन कर सकेंगे।
10. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के गठन, स्वरूप एवं निर्माण के उद्देश्य को समझ सकेंगे।
11. राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र के प्रमुख सिफारिश को समझ सकेंगे।

2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992)

सन् 1950 में, भारत ने अपने संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता लिया था। सन् 2002 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए मूलभूत अधिकार बनाया गया। फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच भ्रामक तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास दिशाहीन ही प्रतीत होता है। अर्थात् अजादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं गुणवता में सुधार हेतु विभिन्न समितियाँ तथा नीतियां बनाई गई। उन्हीं में से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बनाई गई जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के शैक्षिक समस्याओं के बारे में अनुशंसा की गई। निःशक्त जनों के लिए भी इस नीति में विस्तृत प्रयास किये गये। यह उप इकाई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में उल्लिखित निःशक्तों कि शिक्षा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हैं।

बीते हुये दशकों में भारत में विद्यालयी शिक्षा की माँग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, किन्तु प्रावधान असमान ही रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) और इसके क्रियान्वयन कार्यक्रम (POA 1992) लाया गया। यह नीति सभी बच्चों की स्थिति, जाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान निर्धारण से परे प्रारम्भिक शिक्षा सभी तक पहुचनी चाहिए। जो गुणवता में बिना समझौता किए होगा। परन्तु विद्यालयी व्यवस्था वास्तव में बेहतर की अपेक्षा उपेक्षणीय समूहों (गरीब बच्चों से सम्बन्द्धित, लड़कियाँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समूहों) की न्यून पहुँच और निचले स्तर की गुणवत्ता शिक्षा तक ही पहुँच हो सकी है। इनको ध्यान में स्थिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संवर्ग और जाति, लिंग और धार्मिकता के आधार पर वृहद विभिन्नताएं पायी गईं। नीति नियोजनकर्ता विद्यालयों के भौतिक सुधार हेतु जब तक लम्बे कदम भरते हैं, तब तक भारत में सभी बच्चों की शिक्षा की पहुँच तक सार्थक उपलब्धता की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

भारतीय नीति के सन्दर्भ में: भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों की है और संविधान में शिक्षा के शैक्षिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। शिक्षा की सार्वभौमिकता की वचनबद्धता आगे भी उतनी ही वैधानिक है, जितनी कि दो मुख्य स्रोतों प्रशासनिक और वित्तीय कार्य ढाँचे के लिए राजकोषीय शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है। पंचवर्षीय योजनाओं के समान जारी किया जाने वाले राष्ट्रीय विकास के समान राष्ट्रीय शिक्षा की नीति (रा0शि0नी0) (1986), के साथ क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) के अतरिक्त सर्व शिक्षा अभियान (SSA) कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की सन्तोषजनक गुणवत्ता को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्वरूप एवं परिचय (जो 1986 में लिया गया)

संसद ने 1986 के बजट सत्र के दौरान विचार-विमर्श द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" को ग्रहण किया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की नीतियों को मानसून सत्र के दौरान ही लागू करने का मंत्री ने वचन लिया। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों , विषय-विशेषज्ञों, और केन्द्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित कार्य बलों के साथ संलग्न थे। आवंटित विभिन्न विषयों में कुल 23 विषय सम्मिलित थे जिसमें विकलागों की शिक्षा का क्रम उपर से 6ठां है। नियत कार्यबलों के मध्य निम्नलिखित प्रकार से वितरित किये गए-

i. कार्य प्रणाली बनाना,
ii. विद्यालयी शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रियाएं,
iii. नारी समानता हेतु शिक्षा,
iv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु शिक्षा,
v. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा,
vi. विकलांगों के लिए शिक्षा,
vii. व्यस्क और सतत् शिक्षा,
viii. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा,
ix. प्रारम्भ्रिक शिक्षा,
x. माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय,
xi. व्यावसायिक शिक्षा,
xii. उच्च शिक्षा,
xiii. मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अधिगम,
xiv. तकनीकि व प्रबन्धन शिक्षा,
xv. अनुसंधान और विकास,
xvi. संचार और शैक्षिक तकनीकि (कम्प्यूटर शिक्षा के उपयोग से सम्बद्ध),
xvii. उपाधियों को रोजगार से अलग करना और मानव-शक्ति नियोजन,
xviii. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और भाषायी नीति को लागू करवाना,
xix. खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा,
xx. शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण,
xxi. प्रबन्धन की शिक्षा,

xxii. मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार

xxiii. ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान।

उपरोक्त विषयों में से विकलांगों की लिए शिक्षा अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत जो मुख्य बातें बताई गई वो निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत की जा रही है।

निःशक्त बालकों की शिक्षा: वर्तमान स्थिति

1. एक करोड. बीस लाख अक्षम लोगों में 26 लाख (1.2 एल.एच., 0.74 मिलियन एस.एच. 0.53 मिलियन एच.एच. और 0.12 मिलियन वी.एच., 10% एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त) 4-15 वर्ष की आयु के समूह के हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा 1986 में किये गये सर्वेक्षण में 1.7 मिलियन एम.एच. अक्षम् लोगों को नहीं लिया गया था। कुल 4.3 मिलियन अक्षम् बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा (UPE) आयु समूह के बच्चो के अन्तर्गत पाये गये।
2. 1.4 मिलियन से ज्यादा 0-4 आयु समूह के बच्चे जिनकी पहचान उपचारात्मक, मूल्यांकन, शीघ्र प्रेरित होने वाले और शिक्षा के लिये तैयार होने वालों के रूप में की गई। निःशक्तों की शैक्षिक आवश्यकता और व्यवसायिक पुनर्वसन की प्रतिपूर्ति के लिये सम्मिलित किया गया था।
3. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ने प्रथम प्रतिवेदन दिया कि ''दृष्टिहीन और मूक-बधिर बालक 5% से अधिक और शायद 0.50% मानसिक मन्दित से ज्यादा नहीं'' लगभग 800-1000 विशिष्ट विद्यालयों में व्यवस्थित हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर विद्यालय महानगरीय शहरों और शहरी केन्द्रों में स्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लगभग 80% ये अक्षम बच्चे निवास कर रहे थे जो व्यवहारिक तौर पर शैक्षिक सुविधाओं से अपवंचित थे, जबकि 7000 बच्चे सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (IED) योजना के अन्तर्गत साथ में शिक्षारत थे। प्रत्यक्ष रूप से यह पहुच सूक्ष्म अथवा नगण्य था।
4. शैक्षिक आवरण में परिमाणात्मक दरार की अपेक्षा पृथक से गुणात्मक पहलू में सुधार की आवश्यकता थी। अधिकतर संस्थान स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चल रहे हैं। जबकि कुछ बहुत अच्छे संगठनों में कई प्रशिक्षित कर्मचारी, पर्याप्त आवासीय और आवश्यक उपकरण और साधन नहीं हैं। इनमें से कुछ संस्थान शैक्षिक संस्थानों की अपेक्षा निस्सहाय घरों में चल रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वक्तव्य के निहितार्थ:

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग-चालित विकलांगों व और अन्य न्यून विकलांगों जो सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक भिन्न हैं, उनके लिये संभव शिक्षा का अनुबन्ध करती है। गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये जिला मुख्यालयों के विशेष विद्यालयों में छात्रावासों के साथ नामांकन के लिये प्रस्तावित करती है। विकलांग बच्चों के पूर्व-विद्यालय तैयारी के लिये और अन्य के साथ सामान्य व्यवसायिक तैयारी हेतु विशिष्ट व्यवसायिक केन्द्रों का सामना करने की सार्थक व्यवस्था करती है।

6. विकलांगो के लिये विद्यालयों में स्थान निर्धारण, उपचार और मूल्यांकन के निहितार्थ प्रणाली की पहचान करनी होगी। विकलांग बच्चों को पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) के लिये तैयार करना होगा। यह परिभाषा विभिन्न विमाओं में विकलांगों की उपाधि हेतु सम्मिलित की गई है। इस उद्देश्य के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा का प्रयोग किया जायेगा। विद्यालय पूर्व सालों में पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) और पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिये आगे के वर्षों में बच्चे को तैयार किया जायेगा।
7. अनुमानतः लगभग 20 लाख विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पोषण मानक और मात्रृत्व देखभाल तथा प्रभावपूर्ण ढंग से अक्षमता (Disability) को रोकना होगा, जिससे अक्षमता का विस्तार कम होगा। परिणामतः अक्षम बच्चों की निरपेक्ष संख्या में सार्थक वृद्धि नहीं प्रदर्शित होगी। लगभग 20 लाख गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए खानपान का प्रबन्ध करने के लिये 10,000 विशिष्ट विद्यालयों के साथ प्रत्येक में 150 से 200 तक बच्चों के लिये आवश्यक होगा। विशिष्ट विद्यालयों की शिक्षा बहुत खर्चीली होने के रूप में यह सुरक्षित होगा कि उन्ही बच्चों का इन विद्यालयों में नामांकित किया जाये, जिन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिल सकती है। ज्यों ही विशिष्ट विद्यालयों में नामांकित बच्चे सम्प्रेषण कौशल और अध्ययन कौशल अर्जित करें, वे सामान्य विद्यालयों में एकीकृत होंगे। आगे यह कल्पना की गयी कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की दक्षताओं में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ परिणाम-स्वरूप सुधार के साथ वृद्धि होगी, जिससे निःशक्त बालकों की खानपान सुविधाओं की क्षमताओं में सामान्य विद्यालयों में सदैव वृद्धि होगी।
8. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विकलांगो की शिक्षा हेतु अन्य बालकों के सापेक्ष आदर्श परिदृश्य में 1990 में (6-11) और 1995 में (6-14वर्ष) थी। इस प्रकार यह युद्धस्तर से प्रयास करना होगा, क्योंकि वर्तमान पहुंच 5% से अधिक नहीं थी और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से विशेष विद्यालयों में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता और विशेष प्रशिक्षक एवं अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता महशूस करने पर अधिक समय की बचत हुई। विशेषज्ञों को तैयार करने में समय लगता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण ने गम्भीर रूप से अक्षम् बालकों के ई0 2,000 तक स्वास्थ्य लक्ष्यों के वर्णनात्मक एवं विकल्पात्मक परिदृश्य पर पहुंचाया और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये एल.एच. और अन्य दुर्बल विकलांग बच्चे 1990-1995 तक पहुँचा जा सकते हैं।

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) में उनकी दशा और दिशा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए:

a. विकलांगों का भौगोलिक वितरण और विकलांगता की घटनाओं की अस्थिरता शैक्षिक सुविधाओं की नीतियों के लक्ष्यों को बहुत जटिल बना देती है।सामान्य विद्यालय प्रणाली के कार्यक्रमों में शिक्षकों और प्रशासकों की संगठनात्मक समर्थता,
b. प्रशिक्षण अवयवों से सम्बद्ध इस समूह वर्ग के बालकों में स्थूल रूप से सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शिक्षक.
c. अभिमुखीकरण के कार्यक्रमों के लिये प्रशासकों और समान परिशिष्ट रहे दूरस्थ अधिगम चैनल,
d. एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, उप-प्रखण्डों और ब्लाक स्तर के विशेषज्ञों के निर्माण के लिए इस समूह के बच्चों के लिए शिक्षकों का प्रबन्धन और निरीक्षण सेवायें प्रदान करना।
e. विकल्पात्मक अधिगम सामग्री का विकास, इन बच्चों के प्रबन्धन हेतु शिक्षकों के लिये निर्देशन व हस्त पुस्तिकाएं।
f. सहायक उपकरणों की प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायीकरण् के लिये अनुकूलन और सामान्य विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम,
g. विकलांगता के आँकलन/मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास करना, और
h. स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय जहां जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ सहायक सेवाओं की लामबन्दी।

यह सुझाव प्रदान किया कि SCERT स्तर पर न्यूनतम तीन सदस्यीय दल, तीन DIET स्तर पर, और न्यूनतम एक को प्रत्येक उप-प्रखण्ड और खण्ड स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उप-जिला स्तर पर 6,000 के लगभग प्रशिक्षित शैक्षिक अधिकारी सम्मिलित करने होंगे। कार्यक्रमों की पहुँच के बाहर के शिक्षकों को शेष तीन वर्षों के दौरान एक हिस्से के रूप में विशाल शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा इन अभिकरणों जैसे NCERT] NIEPA और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के द्वारा SCERT के लक्ष्यों का निर्धारण हो सकता है। NCERT के अधीन हस्तपुस्तिकाओं का विकास शिक्षकों और इस समूह के बच्चों का प्रबन्धन करने वाले शैक्षिक अधिकारियों के लिये समान शिक्षा प्रणाली के साथ किया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय के अधीन विकलांगों के लिए ITIs को अतिरिक्त अथवा संशोधित सुविधाओं के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण मिलता है। जिला पुनर्वास केन्द्रों पर ऑकलन के सापेक्ष स्वास्थ्य कल्याण विभाग मन्त्रालय द्वारा उपचारात्मक सुविधायें और कृतिम अंग उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रस्ताव में निम्नलिखित तात्क्षणिक व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई थी-

- सहायता की व्यवस्था करना और क्षेत्र में उपकरणों की पहुंच।
- यात्रा-भत्तों के भुगतान की पर्याप्त व्यवस्थाएं। (Rs. 50/- per month)
- ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों में जिनमें न्यूनतम 10 विकलांग बच्चे हों, वहाँ विद्यालयी रिक्शा खरीदने हेतु मूल लागत की व्यवस्था करना।

- जहाँ पर 10 विकलांग बच्चे नामांकित हों वहाँ विद्यालयी भवन में स्थापित अवरोधों को हटाना।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें और यूनिफार्म की निःशुल्क आपूर्ति।
- अन्य विशिष्ट समूह जैसे लड़कियाँ और अनु0 जनजाति के बच्चों की तात्क्षणिक उपस्थिति दर्ज करना।
- पूर्व बाल्यकाल केन्द्रों की व्यवस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना।
- निर्धारित न्यूनतम आयु योग्यता से अधिक आयु (6 वर्ष के स्थान पर 8-9 वर्ष तक) के बच्चों के लिये प्रवेश की व्यवस्था। संक्रमण अवस्था की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है, कि विद्यालय से पहले इस व्यवस्था के अन्तर्गत विस्तृत तैयारी की जानी चाहिए।

9. केन्द्रीकृत प्रयोज्य योजनाएं विकलांगो की एकीकृत शिक्षा के प्रति राज्य सरकारों की अनुक्रियाएं बहुत साहसिक नहीं थी। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विशिष्ट समूहों के सापेक्ष अन्य के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को अर्जित करने हेतु योजनाओं को लागू करने में राज्यों के कदमों में तेजी लाया।
10. वर्तमान प्म्क् योजना की आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों में दोहराया गया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विचारों की योजनाओं को समान रूप से पुनःविचार करने हेतु अचानक समिति की नियुक्ति की।
11. व्यवसायिक शिक्षा के लिये इन बच्चों के लिये ◌2 स्तर के सामान्य विद्यालयों में और में पूर्व-योजना बनाई जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ सुरक्षित प्रणाली और परिमार्जित अतिरिक्त मशीनों (यन्त्रों) को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. मनो-शैक्षिक ऑकलन हेतु उपकरणों और उपचारात्मक उपकरणों के द्वारा पहचान अधिगम समस्याएं के लिए स्पष्ट एवं अचूक होती हैं। प्रभावी रूप से शैक्षिक रूपरेखा की तैयारी के लिये उनकी आवश्यकताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया गया है। केवल उपकरणों का विकास ही मात्र नहीं करना चाहिये, बल्कि अन्य संगठनों को अनुवादन और क्षेत्रीय भाषाओं के अपनाने को उत्साहित करना चाहिये। छब्म्त्ज् में स्थित मनो-शैक्षिक संसाधन केन्द्र को योग्य ढंग से विकसित करना होगा। परीक्षणों की उपलब्धता प्राप्त करना, विकास को प्रोत्साहन देना और उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां नये परीक्षणों की आवश्यकता हो। इस कार्य में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान निश्चित रूप से इसमे संलग्न है।
13. दस्तावेजों की नवीनता और सफल प्रयोगों से सम्बन्धित इन बच्चों के लिये शैक्षिक व्यवस्था छब्म्त्ज् के अधीन होनी चाहिए। छब्म्त्ज् द्वारा इन नवाचारी अभ्यासों को शैक्षिक संस्थानों में स्वयं बिखेरना (पहुँचाना) चाहिए।
14. सामान्य विद्यालयों में चालन से सम्बन्धित और अन्य प्रकार के न्यून / अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा:

1. विशिष्ट विद्यालय जिला और उपजिला स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। यह महशूस किया गया कि मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों के साथ स्थापित कर शुरुआत हो सकती है। यह निर्णय अक्षम् बालकों की जनसंख्या के भौगोलिक विवरण पर आधारित है, दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यालयों में बच्चों को भेजना माता-पिता अथवा पालकों की ईच्छा के विरुद्ध है, विशेषज्ञ कर्मचारियों का साझेदारी जैसे उपचारक और मनोवैज्ञानिक शैक्षिक प्रयासों का समर्थन करना, पूर्व-व्यवसायिक के लिये व्यवसायिक केन्द्रों की उपयोगिता और विद्यालयों में बच्चों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि शिक्षा के पश्चात पुनर्वसन पाठ्यक्रमों के लिए, बहु-विकलांग बच्चों की जरूरतों हेतु सभा की बैठक और, आर्थिक व्यवहार्यता (जीवनक्षमता) सन्दर्भित है। जबकि यह महशूस किया गया था जहाँ कहीं भी किसी विशेष जिले में यदि बच्चों की संख्या में विशिष्ट अक्षमता अत्यधिक (60-70) प्रदर्शित होती है, तो अलग से विशिष्ट विद्यालयों को अन्तिम अवस्थाओं में काटकर बाहर किया जा सकता है। मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों में बच्चों को उनकी विभिन्न विकलांगताओं के साथ विभिन्न विभागों/ समूहों/ कक्षाओं में शिक्षित करना होगा।
2. प्रत्येक जिले में जहां विशिष्ट विद्यालय स्थापित है, एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र या तो विद्यालय के हिस्से के रूप में अथवा इसको अनुबन्ध के रूप मे हमेशा विकसित करना होगा। यह संस्थान विशिष्ट विद्यालय के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और अन्य गम्भीर विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार देगा। प्रशिक्षित शिल्पी/ कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाये जायेंगे। पुनर्वसन परिषद से निवेदन होना चाहिये कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान कर पूरे देश में रोजगार प्रदान कर पदस्थ किया जाना चाहिए।बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग छात्रावास उपलब्ध होंगे, जिनमें लड़कों के छात्रावास की क्षमता 40 और लड़कियों के छात्रावास की क्षमता 20 के लगभग होगी। इन छात्रावासों में विद्यालय के समान ही विद्यार्थियों के लिये खाने-पीने के प्रबन्ध के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के समान होंगे।
3. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उप-जिला स्तर पर 5000 अन्य नये विशिष्ट विद्यालय खोलने के साथ ही इन विशिष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़कर लगभग 7500 हो गई। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर 10000 तक हो गई।
4. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य द्वारा या राजकीय संगठनों द्वारा अन्यथा स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन द्वारा की जानी चाहिये। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 400 विशिष्ट विद्यालय स्वयं स्थापित हो सकते थे। जिले में जो पहले विद्यालय स्थापित किये गये, वे किसी भी प्रकार से विशिष्ट विद्यालय का कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के प्रत्येक विशिष्ट विद्यालयों में आरम्भिक दस्तावेज के अनुसार सभी श्रेणियों के न्यूनतम् 60 विकलांग बच्चे हो सकते थे।
5. यह माना गया कि प्रत्येक विशेष विद्यालय में 8-10 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी, वर्तमान योजना अवधि के दौरान लगभग 3500-4000 विशिष्ट शिक्षकों की

आवश्यकता होगी। अपंगता के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए त्वरित गति से कार्य करने की सलाह दी गयी। इस लक्ष्य को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और कल्याण मन्त्रालय के अधीन न्ळब्ए छब्म्त्ज्ए क्षेत्रीय शिक्षा के महाविद्यालयों, विकलांगता के राष्ट्रीय संस्थान और चुनिंदा विश्वविद्यालयों के विशिष्ट शिक्षा विभागों द्वारा लिया जाए। विशिष्ट विद्यालयों में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पिछड़े अप्रशिक्षित शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान कर शोधित (छने हुये) शिक्षकों को बढ़ाया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सेवारत् राष्ट्रीय संस्थान द्वारा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा के सहयोग से व्यवस्थित हो सके।

6. यह देखा गया कि स्वयंसेवी संगठनों प्रशिक्षण के लिये अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते। नियुक्ति के समय प्रशिक्षित शिक्षकों को अनिश्चित अनुदान दिया जा सकता है, अथवा नियुक्ति के तीन साल तक उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अनुदान में देरी करने पर संगत रूप से व्युतक्रमानुपाती कमी हो सकती है। सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने पर अनुदान में वृद्धि हो सकती है।
7. प्रशिक्षण के सापेक्ष, विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों रखने के चरण में समूह हमेशा विचार करता है, लक्ष्य को पूरा करने हेतु इन बच्चों के साथ ज्यादातर सुनिश्चित होना चाहिए। समूह ने महशूस किया कि विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षक और व्यवसायिक शिक्षकों को मूल भुगतान का 20% अतिरिक्त विशेष भुगतान करना चाहिए।
8. शिक्षकों के अतिरिक्त, 400 मनोवैज्ञानिकों और न्यूनतम् 2 चिकित्सक प्रत्येक जिले में विशिष्ट कार्य के ऑकलन और विकलांग बच्चों के पुनर्वसन के लिये आवश्यक है। यह सलाह दी गई कि परामर्शकों का विद्यमान संवर्ग, जो कुछ भी उपलब्ध प्रशिक्षणरत् सेवा में 4-6 सप्ताहों के अन्दर विकलांग बच्चों का ऑकलन हो सकता है। सामान्यतः, अभिमुखीकरण कार्यक्रम को चिकित्सकीय कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह के अन्दर का समय लिया जा सकता है। अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त जैसे फिजियोथिरेपिस्ट, आक्यूपेशनल थिरेपिस्ट, स्पीच थिरेपिस्ट, की आवश्यकता होगी। न्यूनतम प्रति 400 पर एक की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मन्त्रालय और और कल्याण मन्त्रालय इन व्यवसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा समन्वित प्रयास हो सकते हैं।
9. अभिमुखीकरण प्रशिक्षण व्यवसायिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया जा सकता है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान 3000-4000 शिक्षकों को अनुकूल बनाया जायेगा। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दो सप्ताह की अवधि का होगा।
10. इन विद्यालयों की पाठ्यचर्या परिवर्तित होनी चाहिए। व्यक्तिगत विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न हुई विशिष्ट अधिगम समस्याओं की जिम्मेवारी लेनी होगी। उदाहरण के लिये, दृष्टिहीन बच्चों की सीमाएं विज्ञान के प्रयोगों और मूक-बधिर बालकों के अध्ययन में एक से अधिक भाषाओं की आवश्यकताओं का समायोजन पाठ्यचर्या की सीमा है। जब तक

इन बच्चों को पाठ्यचर्या के अवयव याद नहीं हो जाते जो कि वे कर सकते हैं, तब तक उन्हें सावधानी से अभ्यस्त कराना चाहिये। विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों और छब्म्त्ज् को पाठ्यचर्या को विकसित करनी चाहिए और पाठ्यचर्या मार्गदर्शिका बनवाकर और विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को हस्तपुस्तिका उपलब्ध करवानी चाहिए।

11. गम्भीर रूप से अपंग बच्चों के लिये परीक्षा में लचीलापन होना आवश्यक है। मूल्यांकन मार्गदर्शिका और शैक्षिक ऑकलन के लिए उपकरणों को बनाया जाना चाहिए और इन विद्यालयों को उपलब्ध करवाना चाहिये। छब्म्त्ज् जो कि तकनीकि में माहिर है को ऐसे उपकरणों का विकास करना चाहिए और राष्ट्रीय संस्थान जो कि विकलांगता में महारत हासिल किये हुए हैं, इस सामग्री को उत्पन्न करने में सहयोग देना चाहिये।
12. विशिष्ट शिक्षा में तकनीकि का उपयोग सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिये। यह परिवर्तनों को सम्मिलित करता है, समायोजन और अनुकूलन अधिगम संसाधन केन्द्र के उपकरण और सामग्री हैं। इलेक्ट्रानिक्स विभाग, डभ्त्क् और कल्याण मन्त्रालय विकलांगो के लिए अधिगम अवसरों में सुधार के लिए सामग्री उत्पादक के रूप में सहयोग दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मूक-बधिरों के अनुकूलन के लिए कम्प्यूटरों की सहायता से तथा स्क्रिप्ट्ड दूरदर्शन और वीडियो इत्यादि आवश्यकताओं को लेकर विकलांग व्यक्ति सदैव अन्य बच्चों के अवसरों का उपयोग करते हैं।
13. विद्यमान विशिष्ट विद्यालयों को (जैसे भी संभव हो सके) नामांकन वृद्धि की क्षमता और प्रभावात्मकता को बढ़ाने के लिए (800-1000 विद्यालय) होंगे। शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाये गये सुझावों से समूह सहमत था कि "विशिष्ट विद्यालयों को अनुदान नियमित विद्यालयों के समान आधार पर अक्षम् बालकों को विशेष आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था के साथ दिया जाना चाहिए।"
14. विशिष्ट विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा के लिए कमजोर कड़ी वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा के संस्थानों में निरीक्षण की कमी के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की अनुपस्थिति के लिए मानक में सुधार का हवाला है। कल्याण मन्त्रालय और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के सहयोगात्मक ढंग से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशिष्ट विद्यालयों की निरीक्षण सेवाएं विकसित की गई हैं। एक निरीक्षण दस्ता भी प्रस्तावित हो सका है। जिला स्तर पर तीन कर्मचारी सदस्य जो कि विकलांगों की शिक्षा के लिये अभिमुखीकरण हो सकते हैं उन्हें निरीक्षण के द्वारा सुयोग्यता और ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं। जिला पुनर्वसन केन्द्रों पर इन कर्मचारी सदस्यों को कार्य पर जोड़ सकते हैं।
15. भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में तात्क्षणिक रूप से विकलांगो की अनुसंधान शिक्षा को ले सकते हैं। NCERT, ICSSR, UGC और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी का एक कारण विश्वविद्यालयों का अत्यल्प ही शामिल होना और व्यक्तियों की दुलर्भता जो कि इस क्षेत्र में अनुसंधान के निरीक्षण के लिए लायी जा सकती है। अनुसंधान कार्यों का प्रशिक्षण, कोष के लिए विकास प्रारूप और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रोत्साहन से इस कार्य की गति को बढ़ाया जायेगा।

संचालन और मूल्यांकन:

1. विकलांगों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रदत्त आधार बहुत कमजोर है। सूचना प्रणाली के पदों की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सामान्य विद्यालयों के सापेक्ष विकलांगों के विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा की रफ्तार के संचालन को मानव कल्याण और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा बढ़ाना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करनी होगी। प्रदत्तों से सम्बन्धित शिक्षण के लिए संस्थानों में विकलांगों को MHRD के सांख्यिकीय दस्तावेजों में निश्चित रूप से शामिल करना होगा। MHRD और कल्याण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों MHRD, NUEPA विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समालोचनात्मक अध्ययन और गुणात्मक अध्ययन भी कराये गये। NCERT और राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनो पक्षों का मूल्यांकन करने के प्रारूप का निर्माण करेंगे।

उपरोक्त प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) एवं क्रियान्वयन (POA 1992) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित एव अनुशंसित किए गए थे।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय संविधान में .....वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हैं।
2. भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ..... व.....सरकारों की है।

2.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम – 1995 (Person with Disability Act - 1995)

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ''विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

i. अंधत्व (Blindness)
ii. अल्पदृष्टि (Low Vision)
iii. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
iv. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
v. मानसिक रोग (Mental Illness)
vi. गामक बाधा(Locomotor Impairment)
vii. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

पी.डब्लू.डी. एक्ट, 1995 का सरकार द्वारा संशोधन का कार्य चल रहा है तथा इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। जिसमें उपर्युक्त सात विकलांगता के अलावा ग्यारह और विकलांगता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बिल का नाम है ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012''।

पी.डब्लूडी. एक्ट 1995 में कुल 14 अध्याय हैं जिसमें से अध्याय-4: विकलांगता का शीघ्र निदान व रोकथाम के बारे में बताता है, अध्याय-5: विकलांग बच्चों के शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित व समावेशित वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा मिले। अध्याय-6: विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में है, जिसमें इन व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की बात कही गयी है तथा ये 3 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गामक बाधित व्यक्तियों के लिए है (प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत)।

इस अधिनियम के अध्याय-8 में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्यक्षेत्र और सभी सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि इन सब सार्वजनिक स्थलों का बाधारहित होना अनिवार्य, इसके लिए इन सार्वजनिक इमारतों में रैंप, पहियेवाली कुर्सीवालों के लिए शौचालयों में अनुकूल सुविधा; लिफ्ट आदि में ब्रेक चिन्ह व श्रव्य संकेत; अस्पतलों में रैंप व ऐसे ही अनुकूली साधन होने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम..... में पारित हुआ था।
4. विकलांग व्यक्तियों अधिनियम..... ई. को लागू हुआ।
5. विकलांग व्यक्तियों अधिनियम के अंतर्गत..... विकलांगताएं आती हैं।
6. पी.डब्लूडी. एक्ट 1995 में कुल.....अध्याय है।

2.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम - 1999 (National Trust Act – 1999)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सन् 1999 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है- ''राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999''। इसको संक्षेप में एन.टी. एक्ट, 1999 भी कहते हैं।

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह अधिनियम चार विकलांगताओं के लिए है जो है:

i. स्वलीनता (Autism)

ii. प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेबरल पॉलसी)
iii. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
iv. बहु विकलांगता (Multiple Disabilities)

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- विकलांग व्यक्ति जिस समुदाय के हैं, उसमें यथा संभव पास रह सकें, स्वतत्रता व पूर्णता के साथ जी सकें। इतना उन्हें समर्थ व सशक्त किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों को सहारा देने योग्य सुविधाओं का प्रबलीकरण हो।
- विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल व संरक्षण की व्यवस्था करना।
- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी को साकार करने की सुविधाएँ प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- संगठनों का पंजीकरण (अभिभावकों एवं गैर सरकारी संगठनों का)।
- स्थानीय स्तर की समितियों का गठन।
- अभिभावकों की नियुक्ति।
- आवासीय सुविधाओं सहित अन्य अनेक प्रकार की सेवाओं को समर्थन देना।
- होम विजिट/अभिरक्षक के कार्यक्रम
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- लोगों तक पहुँचने एवं राहत के लिए सामुदायिक कार्यक्रम।

अभ्यास प्रश्न

7. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सन् .....में पारित हुआ।
8. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम ..... विकलांगताओं के लिए है।
9. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का पूरा नाम..... है।

2.6 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी, 2006 को पारित हुआ। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। इस राष्ट्रीय नीति की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

- विकलांगता की रोकथाम: विकलांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- पुनर्वास कार्रवाई: इस नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्यवाही तीन ग्रुप में होगी।
    i. शारीरिक पुनर्वास
    ii. शैक्षिक पुनर्वास
    iii. आर्थिक पुनर्वास
- विकलांग औरतों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि इन औरतों को अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती है अतः सरकार इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बच्चों को देखने के लिए किसी को किराये पर रख सके। इस तरह की आर्थिक सुविधा केवल दो बच्चों के लिए तथा अधिकतम दो साल के लिए दिया जाएगा।
- विकलांग बच्चों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि सरकार इन बच्चों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ये लोग समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के विकलांगता सर्टीफिकेट प्रदान करना।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नीति में कही गयी है।
- विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित रूप से आँकड़े इकट्ठा करना।
- इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है कि विकलांग व्यक्तियों से जुड़े हुए अधिनियमों जैसे आर.सी.आई. एक्ट, 1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 तथा एन.टी. एक्ट 1999 में समय-समय पर संशोधन होते रहना चाहिए। इसी नीति के फलस्वरूप ही पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 में
- संशोधन हो रहा है, जो 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012'' के रूप में ड्राफ्ट हो चुका है।

अभ्यास प्रश्न

10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति.....को पारित हुआ।
11. विकलांग व्यक्तियों के लिए नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्यवाही.....ग्रुप में होगी।

2.7 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम – 2016 (Rights of Person with Disability Act – 2016)

भारत ने विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते (United Nation's Convention on rights of person with disabilities/UNCRPD) की अभिपुष्टि की है तथा सभी विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के सम्पूर्ण माननीय अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को विकलांगता के आधार पर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के प्राप्त करना सुनिश्चित एवं प्रोन्नत करने की जिम्मेदारी ली है। इस अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए, देश का यह कर्तव्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र समझौता में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कानून पारित करे।

भारत ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकलांगताग्रसित व्यक्तियों की समानता तथा सम्पूर्ण सहभागिता के एक हस्ताक्षरकर्ता के रुप में अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 पारित किया था। यह कानून 15 वर्षो से कानूनी किताबों में है तथा विकलांगताग्रसित व्यक्तियों का विधिक क्षेत्रों में सशक्तिकरण का प्रमुख आधार रहा है। यद्यपि विधि क्षेत्र के सशक्तिकरण की आवश्यकता को निसंदिग्ध मान्यता दिया जाता हे, यह भी माना जाता है कि यू.एन.सी.आर.पी.डी. द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक अधिकारों को विकलांग व्यक्ति अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहां तक कि मान्यता प्राप्त अधिकार भी समझौते के सिद्धान्तों से पूर्ण रुप से मेल नहीं खाते हैं। इसके साथ ही,यू.एन.सी.आर.पी.डी. की यह मान्यता है कि विकलांगता एक विकासशील अवधारणा है तथा विकलांगता विकृति सहित व्यक्तियों एवं प्रवृतिमूलक और पर्यावरण बाधाओं के बीच अन्तर्क्रिया का परिणाम है जो दूसरों के साथ समाज में समानता के आधार पर प्रभावी सहभागिता को रोकता है। दूसरी ओर विकलांग व्यक्ति अधिनियम ने विकसांगता की विकृति आधारित विस्तृत परिभाषा उपलब्ध की है। परिणाम स्वरुप, अधिनियम में जिन विकृतियों का उल्लेख नहीं है। ऐसे लोगों को अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

जहां तक वर्तमान विकलांगता अधिनियम का प्रश्न है, कहीं भी विकलांग व्यक्तियों की समानता तथा पक्षपातहीनता के अधिकार की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है। तथा केवल कुछ विकलांगताग्रसितों को चयन के आधार पर कुछ अधिकारों की मान्यता है। अतः यह प्रस्ताव है कि वर्तमान विकलांगता कानूनों को ऐसे विस्तृत कानूनों से बदला जाय कि जो सभी व्यक्तियों के सभी अधिकारों को मान्यता देते हों। इसके लिए, यह प्रस्तावित है कि नए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में-

- सभी विकलांग व्यक्तियों को समानता तथा पक्षपातहीनता की गारंटी मिले,
- सभी विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को मान्यता दी जाय तथा ऐसे कानूनी क्षमता के व्यवहार जहां कही भी आवश्यक हो सहयोग दिया जाय,
- विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बहुत सारी एवं बदतर भेदभाव को ध्यान में रखते हुए लैंगिक दृष्टिकोण अधिकारों तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप दोनों में आरंभ किया जाय,
- विकलांग बच्चों के विशिष्ट दुर्बलता को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ अन्य बच्चों जैसा ही समानता के आधार पर व्यवहार हो,

- घर में पड़े रहने वाले विकलांग व्यक्तियों, संस्थानों में विकलांगताग्रसितों तथा अत्यधिक सहायता की आवश्यकता सहित व्यक्तियों के साथ भी विशेष कार्यक्रम हस्तक्षेप अनिवार्य रुप से लागू हों,
- एक विकलांगताधिकार अभिकरण की स्थापना हो, जो विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के साथ सक्रिय भागीदारी करते हुए विकलांगता नीति और कानूनों के निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवाए, विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरतने वाले संरचनाओं को हटाए तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए मानकों तथा मार्गदर्शन के समुचित अनुपालन का नियमन करे ताकि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन तथा उपभोग की गारंटी सुनिश्चित हो सके।
- गलत समझे जानेवाले कार्यो तथा आचरण के विरुद्ध नागरिक एवं आपराधिक मामलों को विनिर्देशित करे।
- संदर्भित निःशक्तता वाले वे व्यक्ति होते हैं जो उपरिलिखित किसी निःशक्तता से 40% तक प्रभावित होते हैं।
- यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% करने तथा उनके साथ भेदभाव करने वाले को प्रथम अवसर पर 6 माह एवं 10,000 रुपये का जुर्माना तथा इसके बाद के अवसरों पर 2 वर्ष तक की जेल और 50 हजार से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का या दोनों का प्रावधान है।
- यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

- 27 दिसम्बर 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया ।
- 16 दिसंबर, 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 (The Rights of Persons With Disabilities Bill, 2016) संसद द्वारा पारित हो गया।
- इससे पूर्व राज्यसभा ने 14 दिसंबर, 2016 को इस विधेयक को पारित किया था।
- यह विधेयक निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर है। संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके आनुषंगिक विषयों पर आधारित यह विधेयक निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लेगा।
- इसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है एवं केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 में कुल 17 अध्याय हैं जिसमें प्रमुख निम्न है –
    - द्वितीय अध्याय में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार
    - तृतीय अध्याय में इनकी शिक्षा
    - चतुर्थ अध्याय में कौशल विकास एवं नियोजन

- पंचम अध्याय में सामजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास
- छठा अध्याय में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध
- सातवां अध्याय में सरकारों का कर्तव्य एवं उतरदायित्व
- बारहबां अध्याय में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण
- तेरहबां अध्याय में राज्य आयोग की निर्माण बात कही गयी है.

- इन 21 श्रेणियों में निम्न दिव्यागता को सम्मिलित किया गया है -
  - अंधता (Blindness),
  - कमजोर दृष्टि (Low-Vision),
  - कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured Persons),
  - श्रव्य क्षीणता (Hearing Impairment,
  - चलने में असमर्थता (Locomotor Disabilty)
  - बौनापन (Dwarfism),
  - बौद्धिक निःशक्तता (Intellectual Disability),
  - मानसिक रूग्णता (Mental Illness),
  - ऑटिज्म (Autism),
  - सेरेब्रल पैलेसी (Cerebral Palsy),
  - मसकुलर डायस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy),
  - गंभीर न्यूरोलॉजिकल दशा (Chronic Neurological Condition),
  - सीखने में कमजोरी (Specific Learning Disabilities),
  - मल्टीपल स्लेरोसिस, (Multiple Sclerosis),
  - वाचन और भाषा संबंधी निःशक्तता,
  - थैलेसीमिया (Thalassemia),
  - हीमोफीलिया (Hemophilia),
  - सिकल सेल रोग (Sickle cell disease),
  - बहु-निःशक्तता (Multiple Disabilities including deaf blindness),
  - तेजाब हमले के पीड़ित (Acid Attack Victim) तथा
  - पार्किंसन के रोगियों को शामिल किया गया है।

अभ्यास प्रश्न

12. UNCRPD का पूरा नाम क्या है ?
13. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम .....सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ।
14. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम में .....नि:शक्तता को सम्मिलित किया गया है।
15. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम में .....अध्याय हैं।

2.9 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curricullum Framework)

यह तथ्य कि बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, इसका निहितार्थ है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक शिक्षक को इस बात के लिये सक्षम बनाये कि वे बच्चो की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करे, ताकि सारे बच्चो को अवसर मिल पाये। शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सिखने की सहज इच्छा और युक्तियो को समृध्द करना होना चहिये। ज्ञान को सूचना से अलग करने की जरुरत है और शिक्षण को एक पेशेवर गतिविधि के रूप मे पहचानने की जरुरत है न कि तथ्यों के रटने और प्रसार के प्रशिक्षण के रूप में। सक्रिय गतिविधि के जरिये ही बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिये प्रत्येक साधन का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिये कि बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्रकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में और स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद मिले। अगर बच्चो, के कक्षा के अनुभवो को इस तरह आयोजित करना हो जिससे उन्हे ज्ञान सृजित करने का अवसर मिले तो इसके लिये स्कूल के विषयो और पाठ्यचर्या के क्षेत्रों की फिर से संकल्पना की आवश्यकता होगी।

स्कूली पाठ्यचर्या के चार सुपरिचित क्षेत्रों –भाषा, गणित, और समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। इस दृष्टि से कि शिक्षा आज की और भविष्य की जरूरतों के लिए ज्यादा प्रासंगिक बन सके और बच्चो को उस दबाव से मुक्त किया जा सके जो वे आज झेल रहे है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारें नीची कर दी जाये ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद मिल सके और किसी चीज को समझने से मिलने वाली ख़ुशी हासिल हो सके। इसके साथ यह भी सुझाया गया है कि पाठ्यपुस्तक और दूसरी सामग्री की बहुलता ही, जिनसे स्थानीय ज्ञान और पारम्परिक कौशल शामिल हो सकते हैं और बच्चों के घर और समुदायिक परिवेश से जीवंत संबंध बनाने मे वाले स्फूर्तिदायक स्कूली माहौल को सुनिश्चित किया जा सके। भाषा में त्रिभाषा फार्मूले को लागु करने में फिर से प्रयास का सुझाव दिया गया है जिसमें आदिवासी भाषाओँ सहित बच्चों की मातृभूमि को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर दिया है। प्रत्येक बच्चे में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए जिसमे अग्रेजी में प्रवीणता भी हासिल है यह तभी मुमकिन है जब भाषा की पुख्ता शिक्षाशास्त्र मातृभाषा के उपयोग पर आधारित हो। पढना, लिखना और सुनना –ये क्रियायें पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती हैं और इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए। आरम्भिक कक्षाओं के पुरे दौर में पढने पर जोर देना जरुरी है जिससे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके।

गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हों चिंतन और तर्क में, अमुर्तनो की संकल्पना करने और उनका व्यवहार करने में, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने ओर सुलझाने में उनकी सहायता करें। उद्देश्यों का यह व्यापक फलक उस प्रासंगिक और अर्थपूर्ण गणित को पढ़ाकर तय किया जा सकता है जो बच्चों के अनुभवों में गुंथीं हुई हो। गणित में सफलता को हर बच्चे के अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए। इसके लिए गणित के दायरे और विस्तृत करने की

जरूरत है इस दुसरे विषयों से जोड़ने की जरुरत है। हर स्कूल को कंप्यूटर, हार्डवेयर, सोफ्टवेयर और कनेक्टिविटी मुहैया कराने जैसी ढांचागत चुनौतियों का सामना करने की जरुरत है।

विज्ञान के शिक्षण में इस तरह की तब्दीली की जानी चाहिए की यह हर बच्चे को अपने रोज के अनुभवों को जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाएं। परिवेश सम्बन्धी सरोकारों और चिंताओं पर हर विषय में जोर दिए जाने की जरूरत हैं और यह ढेरों गतिविधियों और बाहरी दुनिया पर की गई परियोजनाओं के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से निकलने वाली सूचनाओं और समझ के आधार पर भारतीय पर्यावरण को लेकर एक सर्वसुलभ और पारदर्शी आकड़ा –संग्रह तैयार हो जाता है जो अत्यंत उपयोगी संसाधन साबित होगा। यदि विद्यार्थियों की परियोजनाये सुनियोजित हों तो उनसे ज्ञान सृजित होगा। बाल विज्ञान कांग्रेस की तर्ज पर एक सामाजिक आन्दोलन की कल्पना की जा सकती है जिससे पुरे देश में अन्वेशण की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा जो बाद में पुरे दक्षिण एशिया में फैल सकता है।

सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज द्वारा प्रस्तावित उपागम ज्ञान के क्षेत्रो की विशिष्ट सीमाओं को पहचानता है और साथ ही पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समाकलन पर जोर देता है। हाशिए पर ढकेल दिए गए समूहों की दृष्टि से समाज विज्ञान के अध्ययन का प्रस्ताव करते हुए नजरिये में एक पूरी तब्दीली की सिफारिश की गई है। सामाजिक विज्ञान के सारे पहलुओ में जेंडर के सन्दर्भ में न्याय और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मसलों को लेकर जागरूकता तथा अल्पसंख्यक संवेदनाशीलता के प्रति सजकता होनी चाहिए। नागरिकशास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में ढालना चाहिये और बच्चों के अतीत और नागरिकता अस्मिता की अवधारणा पर इतिहास के प्रभाव के महत्व को पहचानना चाहिए।

स्कूल के माहौल को पाठ्यचर्या के एक पहलू की तरह देखा गया है क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों और सीखने की उन युक्तियों के लिए तैयार करती है जो स्कूल में सफलता के लिए जरुरी है। एक संसाधन के रूप में स्कूल के समय को लचीले ढंग से नियोजित किये जाने की जरुरत है। स्थानीय स्तर पर नियोजित लचीले स्कूली कैलेंडर और समय सारणी की सिफारिश की गयी है ताकि परियोजना और प्राकृतिक पारंपरिक धरोहर वाले स्थलों के लिए भ्रमण जैसी विविध प्रकार की गतिविधियों के लिए मौका मिल सके। इस बात की कोशिश करनी होगी की बच्चों के लिए सीखने के अधिक संसाधन तैयार किया जाय, खास कर स्कूल और शिक्षक के लिए सन्दर्भ पुस्तकालय हेतु स्थानीय भाषाओँ में किताबें और सन्दर्भ सामग्रियां उपलब्ध हो और बच्चों की अंत:क्रियात्मक तकनीक तक पहुँच न हो कि प्रसारित तकनीकी तक यह दस्तावेज माध्यमिक स्तर पर विकल्पों में बहुलता और लचीलेपन के महत्व पर जोर देता है।

भाषा

- लिखने, बोलने, सुनने एवं पढ़ने की क्षमताओं स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है।
- त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को पुन: लागू किये जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की घरेलू भाषाओँ और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की जरुरत है। इसमें आदिवासी भाषा भी शामिल है।

- अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओ के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है.
- भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृधि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

गणित

- गणित –शिक्षण का मुख्यं लक्ष्य गणितीकरण (तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त चिंतन करने के योग्यताओ का विकास) होना न की गणित का ज्ञान (औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियओं का ज्ञान)
- तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास।
- गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क,सोचने की, अमुर्त संप्रत्यय निर्माण तथा दृष्टीकरण की क्षमताओं एवं बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास हो। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है।

विज्ञान

- विज्ञान की भाषा ,प्रक्रिया एवं विषयवस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए।
- विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थी को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हों , विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में।
- विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के परिवेश के संदर्भ के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनमे काम के संसार में परिवेश करने लायक जरूरी ज्ञान एवं कौशल विकसित हो सके।
- पर्यावरण की चिन्ताओं के प्रति जागरूकता को सम्पूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान

- सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है बजाए इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अम्बार खड़ा कर दिया जाये। इससे उनमें सामजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा।
- प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं जैसे - लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और हाशियाकरण की समझ।
- समूहों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किये जाने के लिए अंत:अनुशासनात्मक दृष्टीकोण अपनाये जाने की जरूरत है।
- नागरिक शास्त्र को राजनीतिशास्त्र में तब्दील कर दिए जाये, तथा इतिहास को बच्चे की अतीत तथा नागरिक की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाये।

मूल्य

- पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली पाठ्यचर्या को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है जिसमें ज्ञान अर्जन ,मूल्यों का विकास हो सके।

- बहुविध कौशलों के निर्माण के संदर्भ में काम की शिक्षाशास्त्रीय संभावनाओं को देखा जा सके।

कला

- कलाओं (संगीत , नृत्य, दृश्यकलायें, कठपुतली कला, मिट्टी की कला, नाटक आदि के लोक तथा शास्त्रीय रूपों) और धरोहर शिल्पों को पाठ्यचर्या में समेकित घटकों के रूप में मान्यता।
- वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और सौन्दर्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के बारे में माता-पिता ,स्कूली अधिकारियों और प्रशासकों में जागरूकता पैदा करना।
- कला को स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किये जाने पर बल।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यर्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिख्सा के माध्यम से स्कूल में नामांकन ,उपस्थिति एवं ठहराव आदि की समस्या से निपटा जा सकता है।

आवास एवं अधिगम

- पर्यावरण शिक्षा सबसे अच्छी तरह विभिन्न अनुशासनों की शिक्षा के साथ ,उसके मुद्दों और चिन्ताओं को सभी स्तरों पर जोड़कर दी जा सकती है । परन्तु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि सम्बंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाये।

विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण

- "इसमें वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परिक्षण करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चों के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते है :
- शिक्षकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए ढांचागत और भौतिक सामग्री की न्यूनतम उपलब्धता और दैनिक योजना को लचीला बनाना आवश्यक है।
- बच्चों को सिखाने वालों के रुप में पहचानने वाली स्कूली संस्कृति हर बच्चे की रुचियो को उसकी संभावनाओं को और अधिक समृद्ध करती है।
- ऐसी विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन जिसमें सक्षम और विभिन्न अक्षमताओं को झेल रहे बच्चे एक साथ भाग ले सकें। यह सबके सिखाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
- लोकतान्त्रिक तरीके द्वारा बच्चों में स्व –अनिशासन का विकास हमेशा ही प्रासंगिक रहा है। ज्ञान की प्रकिया में समुदाय के लोगों को शामिल किये जाने से स्कूल और समुदाय में साझेदारी होने लगती है।"

सीखने के लिए जरुरी संसाधनों के बारे में इन सदर्भों में पुनर्विचार की आवश्यकता है –

- ""पाठयपुस्तक में अवधारणाओं कि वे उससे संबंधित चिंतन और समूह कार्य को बढ़ावा देने वाले हों।
- सहायक पुस्तकें ,कार्यपुस्तिकाएँ ,शिक्षकों के लिए मग्दार्शिकों आदि अभिनव चिंतन और नयी दृष्टियों पर आधारित हों।
- शिक्षा को इकतरफा रूप से प्राप्त की जाने वाली वस्तु की जगह इसमें दोतरफा संवाद बनाने के लिए मल्टीमिडिया और सुचना एवं सचर तकनीकी के साधनों का उपयोग।
- स्कूल का पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों के लिए ज्ञान को गहरा करने और विस्तृत संसार के साथ जोड़ने का कार्य करें।
- शिक्षा का महौल को बनाने के लिए स्कूल सारणी की विकेंद्रीकृत योजना तथा दैनिक सारणी ओए शिक्षक को पेशेवर कार्यों के लिए स्वायत्तता अनिवार्य है।"

2.10 राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र

यह आधार पत्र विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास से सम्बंधित प्रावधान, पाठ्यक्रम एवं उसके शैक्षिक अभ्यास पर विचार करती है। यह आधार पत्र शारीरिक, मानसिक एवं ज्ञानेन्द्रिय विकलांग बालकों के पुनर्वास, शैक्षिक अभ्यास एवं पाठ्यक्रम से सम्बंधित है।

राष्ट्रीय फोकस समूह आधार पत्र की प्रमुख सिफ़ारिश

इस आधार पत्र में विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए निम्न सिफारिश की गयी है –

- विशिष्ट बालकों के लिए प्रारंभिक शैक्षिक एवं संवेदी कार्यक्रम का निर्माण एवं प्रयोग. विशिष्ट बालकों के पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन.
- निम्न कार्यक्रम के द्वारा सभी विद्यालयों को समावेशी विद्यालय में परिवर्तन करना –
    1. सभी बालकों को पड़ोस के विद्यालय में नामांकन
    2. विद्यालय में भौतिक बाधा को कम करना
    3. नामांकन प्रक्रिया, पहचान एवं मूल्यांकन में आने वाली कठिनाइयों का समीक्षा करना
    4. सभी शिक्षकों में समावेशी विद्यालय में कार्य करने के लिए योग्यताओं का विकास करना.
    5. सामान्य एवं विशिष्ट बालक (संज्ञानात्मक एवं संवेदी अक्षम) के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं इन बालकों के अनुसार परिवर्तन करना.
    6. शिक्षण सहायक सामग्री, तकनिकी (ICT) एवं अन्य सहायक सामग्री का निर्माण करना.
    7. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अभिभावक, परिवार एवं समुदाय का सहभागिता.
- सभी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम (Pre-Service एवं In Service) में समावेशी विद्यालय के अनुसार शिक्षण कौशल के विकास पर बल देना.

- शिक्षण शैली एवं सभी बालकों के अधिगम शैली के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना.
- विशिष्ट विद्यालयों को संसाधन केंद्र के रूप में विकास करना जो समावेशी विद्यालयों को सहायत्ता प्रदान कर सके.
- विशिष्ट बालकों के उच्च अधिगम के लिए के लिए सरकारी संस्था एवं गैर सरकारी संस्थाओं के मध्य उच्च स्तर के सहभागिता विकास करना.
- समावेशी विद्यालय में एक कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 का हो यदि किसी कक्षा में विशिष्ट बालक है तो यह अनुपात 1:20 का हो.
- सभी बालकों के विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति वर्ग शिक्षक को उत्तरदायी बनाना.
- प्रत्येक विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय के नियमित सदस्य के रूप में सम्मान करना.
- पाठ्यक्रम से सम्बंधित नीति एवं कार्यक्रम को समावेशी प्रकृति के रूप में निर्माण.
- विद्यालय के प्रशासक एवं प्राचार्य में नियोजन एवं इसके कार्यान्वन के लिए समावेशी दर्शन के अनुसार दृष्टिकोण एवं कौशल का विकास करना.
- बालक के विकलांगता को ध्यान न देकर सभी बालकों के योग्यता एवं शक्ति के विकास पर बल देना.
- समेकित ज्ञान को धारण एवं सुगम करने के लिए V वीं स्तर तक एक शिक्षक प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए.
- समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी शिक्षक शिक्षा को निश्चित रूप से नया रूप देना चाहिए.
- बालकों का नामांकन, धारण एवं शिक्षा के सभी आयामों में पूर्ण सहभागिता के लिए किसी भी प्रकार के मूल्यांकन नहीं होनी चाहिए.
- किसी भी विशिष्ट बालकों को विद्यालय में नामांकन, परीक्षा एवं छात्रवृति के लिए किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र दिखाने के लिए दवाव नही डालाना चाहिए.
- श्रवण वाधित बालकों के शैक्षिक अनुदेशन के लिए सांकेतिक भाषा एवं दृष्टि बाधित बालकों शैक्षिक अनुदेशन के लिए ब्रेल का प्रयोग होना चाहिए.

2.11 सारांश

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्रक्रिया का मूल है। हालांकि शिक्षा का अधिकार एवं शैक्षिक अवसरों की समानता भारतीय संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है। परन्तु भारत में व्याप्त निरक्षरता को मिटाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए शिक्षा आयोग (1964) ने भी अपने प्रतिवेदन में इस पर बल दिया था। यह निराश करने वाली बात है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 74 प्रतिशत तक ही साक्षरता दर हासिल कर पाये हैं। भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक सपना

है। इसके लिए भारत सरकार ने अजादी के पश्चात् से ही गंभीर प्रयास प्रारंभ करना शुरू किया था। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त।

सन् 1950 में, भारत ने अपने संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता लिया था। सन् 2002 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए मूलभूत अधिकार बनाया गया। फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच भ्रामक तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास दिशाहीन ही प्रतीत होता है। अर्थात् अजादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं गुणवता में सुधार हेतु विभिन्न समितियाँ तथा नीतियां बनाई गई।

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ''विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

i. अंधत्व (Blindness)
ii. अल्पदृष्टि (Low Vision)
iii. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
iv. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
v. मानसिक रोग (Mental Illness)
vi. गामक बाधा(Locomotor Impairment)
vii. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी, 2006 को पारित हुआ। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ।

2.12 शब्दावली

1. **विशेष शिक्षा-** विशेष शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा से है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे) को विशेष स्कूल में दी जाती है।
2. **समावेशित शिक्षा**- समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है- ऐसी शिक्षा जो विशेष एवं सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही सामान्य स्कूल में दी जाती है।

2.13 अभ्यास प्रश्न के उत्तर

1. 6-14,
2. केंद्र एवं राज्य
3. 1995
4. 1996
5. सात
6. 14
7. 1999
8. चार
9. 2006
10. तीन
11. ''राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999''।
12. United Nation Conventions on rights of Person with Disabilitties.
13. 2016
14. 21
15. 17

2.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जुलका ए. (2005). एडुकेशनल प्रोविजन्स एण्ड प्रैक्टिसेस फॉर लरनर्स विद डिसबेलटिज इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सुर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
2. मुखोपाध्याय, एस (2005). रीथिंकिंग एबाउट इन्क्लूसनः इमर्जिग एरिया फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्लीः न्यूपा
3. राव, एल.गो. (2010). निःशक्त बच्चों की शिक्षा का आधार पाठ्यक्रम, नई दिल्लीः इग्नू
4. पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995). नई दिल्लीः भारत सरकार
5. आर.सी.आई एक्ट (1992). नई दिल्लीः भारत सरकार
6. आर.टी.ई. एक्ट (2009). नई दिल्लीः भारत सरकार
7. नेशनल पॉलिसी फॉर परसन्स विद डिजबेलिटी (2006). नई दिल्लीः भारत सरकार
8. नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999). नई दिल्लीः भारत सरकार
9. यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008). न्यूयार्कः युनाइटेड नेशन
10. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम (2016). नई दिल्ली: भारत सरकार.
11. राष्ट्रीय फोकस समूह आधार पत्र, नई दिल्ली: NCERT
12. सरकारी वेबसाइट

i. संयुक्त राष्ट्र संघ (www.un.org/en)
ii. राष्ट्रीय न्यास (www.thenational trust.co.in)
iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (www.socialjustic.nic.in)
iv. भारतीय पुनर्वास परिषद (www.rehabcoucil.nic.in)

2.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बालकों के शिक्षा के लिए किये गए प्रावधानों का वर्णन करें।
2. "विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995" विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सशक्त अधिनियम है." इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है ?
3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें।
4. विद्यालयी पाठ्यचर्या में परिवर्तन के लिए दिए गए सुझावों का विश्लेषण करें।
5. राष्ट्रीय फोकस समूह आधार पत्र में विकलांग बालकों के शिक्षा के लिए किये गए सिफारिशों का वर्णन करें।

इकाई 3 - राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं सस्थाएँ

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
3.3.1 एसएसएकी रूप रेखा
3.3.2 एसएसए की विशेषताएं (सर्व शिक्षा अभियान)
3.3.3 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य
3.3.4 सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की व्यापक रणनीतियाँ
3.3.5 एसएसए में सार्वजनिक-निजी भागीदारी
3.3.6 सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तिय मानक-
3.4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
3.4.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः एक सिंहावलोकन
3.4.2 लक्ष्य और उद्देश्य
3.4.3 माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए उपागम और रणनीति
3.4.4 माध्यमिक और उच्चतर में गुणवता सुधार
3.5 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानो (NCMEI) पर राष्ट्रीय आयोग
3.5.1 आयोग संस्थाएं एवं राष्ट्रीय आयोग
3.5.2 आयोग की कार्यवाही
3.5.3 आयोग की शक्तियाँ
3.6 एसपी और एसटी के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग
3.6.1 प्रस्तावना
3.6.2 1978 के बाद के विकास
3.7 विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान
3.7.1 एकाधिक विकलांग व्यक्तियो के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान
3.7.2 दृश्य विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान
3.8 सारांश
3.9 सन्दर्भ
3.10 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

नई इकाई के लिए आपका स्वागत है प्रिय आशा है कि आप सीखने के सही रास्तें पर है। हम सभी जानते है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की एक अर्थात् माध्यम है। नेल्सन मंडेला ने ठीक ही कहा, शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार के रूप में दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। यह सुधार और सामाजिक प्रणाली में क्रांति का एक प्रगतिशील माध्यम है। हाँ अब आपके मन में भारतीय समाज के सामाजिक वातावरण की होगी कल्पना यह क्या है? यह विविधताओं-क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, वर्ग आधारित, जाति-संचालित, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि से पूर्ण है। इसी तरह हम भाषाई लिंग आधारित, धार्मिक, अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों आदि चुनौतियों के बावजूद रूप से चुनौती दी। हम भारतीय है महसूस की सभी विविधताओं एवं बहुलताओं के बावजूद एक तरह के साथ यहाँ मौजूद हैं। इसलिए राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण सभी असत्य के प्रबंध में है। नागरिकों को शिक्षित करना एक कल्याण सरकार का अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है जैसा कि आप जानते। उन सभी पहलुओ पर विचार करते हुए सरकार विशेष उपायों/ विविध समूहा को शिक्षित करने के लिए विधियों लेता है। इसी तरह, विभिन्न स्तरों पर और शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के संबर्धन के लिए सरकार कुछ आबधिक उपाय अधिनियमों/प्रतिमाओं के रूप में परिचय।

इस अध्याय में हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार की पहल पर चर्चा करेंगे-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) सरकार ऐसे उपायों क्यों शुरू करती है? एकएसए और आरएमएसए में प्रस्तावित मानक क्या है? कार्यक्रमों का बजटीय प्रावधान क्या है? इसी तरह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि उप इकाइयों को पढ़ते समय या तो प्रमुख बिंदुओ पर प्रकाश डाले या नोट करें ।

3.1 उद्देश्य

1. शिक्षा के प्रचार के लिए बने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संस्थानों को समझाएं।
2. एसएसए की पृष्ठभूमि और योजनाओं का वर्णन करें।
3. एसएसए के उद्देश्य और उद्देश्यों को शामिल करना।
4. एस.एस.ए में शामिल प्रावधानों का वर्णन।
5. माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए एक दृष्टि के रूप में आर.एम.एस.ए. की व्याख्या करें।
6. वर्तमान परिदृश्य में माध्यमिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और पुनः सुधार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
7. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर राष्ट्रीय आयोग के संविधान की पृष्ठभूमि का वर्णन करें।
8. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानो पर राष्ट्रीय आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों की सूची बनाएं।
9. एस.सी. और एस.सी. की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोगों के योगदान और उद्देश्यों को राज्य
10. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के महत्व को समझाएँ।

11. विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए संस्थान की आवश्यकता का सुझाव।

3.3 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

3.3.1 एसएसए की रूपरेखा

आइए सर्व शिक्षा अभियान से शुरू करें, यह स्कूल व्यवस्था के समुदाय-स्वामित्व के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सर्वाभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग के जवाब मे है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना के साथ एक अभियान रूप में समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवता शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानव क्षमताओं में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रयास है।

एसएसए 2000-2001 के बाद से विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के लिए सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण के लिए रूपरेखा तैयार करने, प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को तोड़ने और सीखने की गुणवता में सुधार लाने के लिए कार्यरत रहा है। एसएसए योजनाओं में नए स्कूलों और वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की सुविधा, स्कूलों के निर्माण और अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, और पेयजल, शिक्षकों के लिए प्रावधान, शिक्षकों को नियमित सेवा प्रदान करने, और शैक्षिक संसाधान समर्थन मुफ्त पाठयपुस्तकों और वर्दी, और सीखने के परिणाम में सुधार, आरटीई कानून के पारित होने के साथ आदि एसएसए मे कई बदलाव शामिल किए गए है, जो प्राथमिक शिक्षा के प्रति (आर.टी.आई) दृष्टिकोण को शामिल करते हैं।

हां देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (युईई) प्राप्त करने के लिए एसएसए भारत सरकार (आर.टी.आई) शिक्षा का अधिकार व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम है। राज्य सरकारो के साथ साझेदारी के सहयोग से चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य 2010 तक 6-14 वर्षो के आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना है। एसएसए के चार मुख्य लक्ष्य नियमानुसार हैः

1. स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन शिक्षा गांरटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, 205 तक बैक टू स्कूल' आम योजना
2. 2010 तक माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चो का प्रतिधारण
3. नामांकन प्रतिधारण और सीखने में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धियों के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करना।

3.3.2 एसएसए की विशेषताएं (सर्व शिक्षा अभियान)

आइए हम कार्यक्रम की मुख्य विशेषता को संक्षेप में जाने

1. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा वाला कार्यक्रम है।
2. गुणवता की बुनियादी शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए है।

3. बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।
4. स्कूलों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समितियों, गांव और शहरी स्तर की शिक्षा समितियों, माता-पिता, शिक्षक संघो, आदिवासी स्वायत परिषदों और अन्य स्थानीय स्तर की संरचनाओं को प्रभावी ढंग से शामिल करने का प्रयास करना।
5. देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छी की एक अभिव्यक्ति।
6. केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक सांझेदारी।
7. राज्यों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अपनी स्वयं की दृष्टि विकसित करने का एक अवसर।

अब आप प्रमुख बिंदुओ को याद करने के लिए एक प्रक्रिया पैटर्न विकसित कर सकते हैं ताकि आप सभी सात अंक को अर्थपूर्ण रूप से याद कर सकें।

3.3.3 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:

- सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल प्रबन्धक समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक, क्षेत्रीय और लग अंतर को कम करना स्कूल प्रबधन मे डाटा है।
- इसका उद्देश्य बच्चों को अपने प्राकृतिक वातावरण में सीखने और दक्ष होने की अनुमति देना जिससे उनकी आध्यात्मिक क्षमता व भौतिक रूप क्षमताओं का अधिकतम विकास हो सके यह खोज मूल्य आधारित शिक्षा की एक प्रक्रिया भी होगी जो बच्चों को केवल स्वार्थी गतिविधियों की अनुमति देने के बजाय एक-दूसरे के अच्छे के लिए काम करने का अवसर प्रदान करती है।
- सर्व शिक्षा अभियान देखभाल और शिक्षा के महत्व को महसूस करता है और एक निरपेक्षता के रूप में 6-14 की उम्र को देखता है। आई.सी.डी.एस केंद्रो में पूर्व-विद्यालय सीखने या गैर आईसीडीएस क्षेत्रों में विशेष पूर्व-स्कूल केंद्रों के समर्थन के सभी प्रयास महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक के लिए किए जाएंगे। विशिष्ट । के विशेष लक्ष्यों को प्राप्त विशेष के लिए एक निश्चित।
- प्रत्येक राज्य और जिला लक्ष्य तारीख निर्धारित करेगा, जिसके द्वारा एसएसए के सुपर लक्ष्यों को उनके विशिष्ट संदर्भ में प्राप्त किया जाएगा, लेकिन 2010 के बाद में नहीं।
- कुछ आवश्यक कौशलों में अपेक्षित सीखने के परिणामों के लिए राष्ट्रीय मानकों को विकसित किया जाएगा। इन मानकों 2010 तक प्रस्तुत पर उपलब्धियों के स्तर में वृद्धि की दिशा में प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर एक नमूना आधार पर नियमित रूप से की जाएगी। राज्यों के छात्रों के सीखने के स्तरों के नियमित मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक तंत्र विकसित होगा। इसके साथ-साथ यह अभियान निम्नत बिन्दुओं को बढ़ावा देता है:-

i. समाज में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में बच्चों के सशक्तिकरण हेतु ज्ञान देना

ii. सभी स्तरों पर प्रदर्शन और उपलब्धि के प्रति जवाबदेही के साथ एक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण।

iii. सभी हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों, माता-पिता समुदाय और पंचायती राज संस्थानो और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के साथ लोगों ने शैक्षिक हस्तक्षेप के कार्यान्वयन का केंद्र केंद्रित किया।

iv. एक क्षमता आधारित दृष्टिकोण जो विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित शैक्षिक रूप से बिछड़े क्षेत्रों और वंचित सामाजिक समूहों की जरूरतों पर केंद्रित हैं।

v. प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए निवेश और पहल की अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र प्रयास।

vi. शिक्षा का सर्वाभौमिकरण निरंतर प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधार और क्षमता निर्माण करना। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)के दो पहूल हैः-

- यह प्राथमिक शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत अभिसरण ढांचा प्रदान करता है।
- यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने के साथ-साथ बजट प्रावधान का एक कार्यक्रम भी है।

3.3.4 सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की व्यापक रणनीतियाँ-

हम निम्नलिखित पृष्ठों में एसएसए की रणनीतियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे-

- संस्थागत सुधार-एसएसए के एक अंग के रूप में, वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार सुधारों का संचालन करेगी। राज्यों के शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धियों के स्तर, वित्तीय मुद्दों, विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, शिक्षक तैनाती के युक्तिकरण और शिक्षकों की भर्ती, निगरानी और मूल्यांकन सहित उनकी प्रचलित शिक्षा प्रणाली का एक आंकलन करना होगा। साथ ही लड़कियों की शिक्षा का दर्जा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और वंचित समूह, निजी स्कूलों और ईसीसीई के बारे में नीति बनाना।
- सतत् वित्तपोषण-सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक आधार पर आधारित है कि प्राथमिक शिक्षा के हस्तक्षेप का वित्तपोषण स्थायी होना चाहिए। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सांझेदारी पद दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की मांग करता है।
- सामुदायिक स्वामित्व-कार्यक्रम प्रभावी विकंेद्रीकरण के माध्यम से स्कूल आधारित हस्तक्षेप के सामुदायिक स्वामित्व की मंाग करता है। यह महिलाओं के समूहों, वीईसी के सदस्यों और पंचायत राज संस्थानों के सदस्यों की भागीदारी के कारण बढ़ेगा।
- संस्थागत क्षमता निर्माण एसएसए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की संस्थानो जैसे एन.यूई.ए.ए./ एन.सीई.आर.टी./ एन.सी.टी.ई./एन.सीई.आर.टी./एस.आई.ईए.एम.टी./ डी.आई.ई.टी के लिए

एक प्रमुख क्षमता निर्माण भूमिका निभाता है। क्योंकि गुणवता में सुधार के लिए संसाधन व्यक्तियों और संस्थानों के एक स्थायी समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होती है।

- मुख्यधारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार-इसमें संस्थागत विकास, नए तरीकों की प्रेरणा और लागत प्रभावी और कुशल पद्धति को अपनाने के द्वारा प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ सामुदायिक आधार पर निगरानी-कार्यक्रम में एक समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली होगी जो शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) सूक्ष्म नियोजन और सर्वेक्षण से समुदाय-आधारित सूचनाओं के साथ स्कूल स्तर के कार्यक्रमों से जुडी होगी। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय को सभी जानकारी समुदाय के साथ सांझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें प्राप्त अनुदान भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए हर स्कूल में नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा।
- आवास एक इकाई योजना के रूप में एस.एस.ए. नियोजन की इकाई के रूप में अयोग के साथ नियोजन के लिए एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। जिला योजनाओं को तैयार करने के लिए आवास योजनाएं का आधार होगा।
- समुदाय के प्रति जवाबदेही- एसएसए, शिक्षको, अभिभावको और पीआरआई के बीच सहयोग साथ ही साथ समुदाय के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता की परिकल्पना करता है।
- लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता-लड़कियों की शिक्षा, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित, मुख्य चिंताओं में से एक होगी।
- विशेष समूहों पर फोकस-एससी/एसटी, अल्पसंख्यक समूहों, शहरी वंचित बच्चों, अन्य वंचित समूहों के बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने और भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा।
- पूर्व परियोजना-पूरे देश में अच्छी तरह से योजनाबद्ध पूर्व परियोजना चरण के साथ शुरू होगा जो वितरण और निगरानी प्रणाली में सुधार के लिए क्षमता विकास के लिए बड़ी संख्या में हस्तक्षेप करता है। इनमें घरेलू सर्वेक्षण, समुदाय आधारित सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण, समुदाय के नेताओं के प्रशिक्षण, विद्यालय स्तर की गतिविधियों, सूचना प्रणाली स्थापित करने, कार्यालय उपकरण, नैदानिक अध्ययन आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- गुणवता पर ध्यान केंद्रित-एसएसए पाठ्यक्रम, बाल-केंद्रित गतिविधियों और प्रभावी शिक्षण सीखने की रणनीतियों में सुधार के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर उपयोगी और प्रासंगिक है जो बच्चों की शिक्षा पर एक विशेष जोर देता है।
- शिक्षकों की भूमिका-एसएसए शिक्षकों की महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका को पहचानती है और उनके विकास की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है। ब्लॉक संसाधन केंद्र क्लस्टर संसाधन केंद्रो की स्थापना, पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री के विकास में भागीदारी के माध्यम से शिक्षक विकास के लिए अवसर कक्षा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षको के लिए ये सभी शिक्षकों के बीच मानव संसाधन विकसित करने के लिए कार्यक्रम किए गए है।

- जिला प्राथमिक शिक्षा योजना-एसएसए रूपरेखा प्रारूप के अनुसार प्रत्येक जिले एक जिला प्राथमिक शिक्षा योजना तैयार करेंगे, जिसमें सभी निवेशों को दर्शाया जाएगा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समग्र और अभिसरण दृष्टिकोण के साथ आवश्यक होगा। एक परिप्रेक्ष्य योजना होगी जो कि यूईई हासिल के लिए लंबी अवधि में गतिविधियों का ढांचा देगा। वहां एक वार्षिक कार्य योजना और बजट भी होगा जो उस वर्ष में किए जाने वाले प्राथमिकता वाली गतिविधियों की सूची देगा। परिपेक्ष्य योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान लगातार सुधार के लिए एक गतिशील दस्तावेज होगा।

3.3.5 एसएसए में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

क्या आपने कभी पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के बारे में सुना है? गहन वैश्वीकरण क इस युग में इसकी बहुत चर्चा हुई है। सर्व शिक्षा अभियान इस बात का ध्यान रखता है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में भी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। वहां भी निजी स्कूल हैं जो अपेक्षाकृत मामूली शुल्क का प्रभार लेते हैं और जहां गरीब बच्चे शिक्षकों को कम भुगतान देना ध्यान देने व सुधार करने योग्य है। भी भाग ले रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्कूल खराब बुनियादी ढांचे और को कम भुगतान वाले शिक्षकों द्वारा ध्यान देने योग्य हैं।

एसएसए कार्यक्रम के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जाएगें। सरकार स्थानीय, निकाय, और सरकारी अनुदानित विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियोजित पूर्ण किया जाएगा, जैसा कि मिड डे मिल स्कीम और डीपीईपी के तहत प्रयास है। यदि निजी क्षेत्र सरकार, स्थानीय निकाय या निजी सहायता प्राप्त स्कूल के कामकाज में सुधार करना चाहता है, तो सांझेदारी विकसित करने के प्रयासो को इस संबंध में राज्य नीति के व्यापक मानदंडो के भीतर बनाया जाएगा। राज्य निजी सहायता प्राप्त मानदंडो के भीतर बनाया जाएगा। राज्य निजी नितियों, डीआईईटी और अन्य सरकारी शिक्षकों प्रशिक्षण संस्थाओं के आधार पर निजी सहायता प्राप्त संस्थानों को संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इन निजी निकायों द्वारा अतिरिक्त लागते पूरी की जानी चाहिए।

3.3.6 सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तिय मानक-

आओ अब हम योजना के वित्तीय पहलुओं को जानते है शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 85:15 सांझेदारी व्यवस्था 10वीं योजना के दौरान 75:25 सांझेदारी व्यवस्था होगी 11वीं योजना के दौरान सांझा करना यह पहले दो वर्षों के लिए 65:35 होगा, अर्थात् 2007-08 और 2008-09 60:40 तीसरे वर्ष के लिए, अर्थात् 2009-10 चौथे वर्ष यानी 2010-11 के लिए 55:45; और इसके बाद 50:50; अर्थात् पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 2011-12 से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच अनुदान राशि सांझा करने का व्यवस्था 90:10 होगी और केंद्र के हिस्से के साथ कार्यक्रम के अंत तक बाद के लिए 10 प्रतिशत नियत निधि

एसएसए के लिए केंद्रीय बजट से पहले कार्य क्षेत्रों की लागतों को बांटने के संबंध कें प्रतिबद्धता राज्य सरकारों से लिखित रूप से ली जाएगी।

3.4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए

3.4.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः एक सिंहावलोकन

क्या आप माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के कदमों को जानते हैं? क्या आपने आरएसएसए के बारे में सुना है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) भारत सरकार का एक कार्यक्रम है यह कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया इसका राज्य सरकारों के साथ सांझेदारी के कार्यान्वित किया गया ताकि माध्यमिक सभी के लिए एक अच्छी गुणवता उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने के मुख्य उद्देश्य से जोड़ा जा सके। यह योजना समाज के प्रत्येक वर्ग के उचित दूरी के भीतर माध्यमिक विद्यालय प्रदान करे माध्यमिक स्तर पर सभी माध्यमिक स्तर पर सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानक मानदंडो के अनुरुप करके लिंग, सामाजिक आर्थिक और विकलांगता बाधाएं और 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमिकरण को निश्चित करके।

चूंकि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण एक संवैधानिक जनादेश बन गया है, इसलिए यह व्यापक रूप से विकसित देशों और कई विकासशील देशों में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की पहुंच लड़कियों अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन पर विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं पर जोर देने के साथ बढ़ेगी। विशेष संस्थान के माध्यम से या माध्यमिक शिक्षा के पुनः स्थापन के माध्यम से व्यावसायिक स्तर पर आर्थिक विकास के लिए बहुमूल्य जनशक्ति प्रदान करेगा।

3.4.2 लक्ष्य और उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण (यू.एस.ई) की चुनौती को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के संकल्पनात्मक प्रारूप में एक बदलाव की आवश्यकता है। इस संबंध में मार्गदर्शक सिंद्धात है सार्वभौमिक पहंुच, समानता और सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता और विकास पाठ्यक्रम और संरचनात्मक पहलु आदि माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण अवसर प्रदान करता है, समता इससे 'सामान्य स्कूल' की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि इन मूल्यों को सिस्टम में स्थापित किया जाना है, जो गैर-अनुदानित निजी स्कूलों सहित सभी प्रकार के स्कूल, माध्यमिक शिक्षा (यू.एस.ई) के सार्वभौमिकरण के लिए योगदान करेंगे, जो कि विशेषाधिकार प्राप्त समाज के बच्चों और गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों (बीपीएल) परिवारों के लिए भी कार्य करेगा। उपरोक्त लक्ष्य पहले कुछ तक समिति था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं स्टाफ और आपूर्ति, सरकार स्थानीय निकाय और सरकारी अनुदानित विद्यालयों के मामले

में वितीय सहायता के माध्यम से निर्धारित मानक के अनुसार और अन्य विद्यालयों के मामले में उपयुक्त नियामक तंत्र के अनुसार कम से कम है।

- मानक के अनुसार सभी युवाओं को माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच में सुधार करने के लिए नजदीकी स्थान 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय और 7-10 किलोमीटर के भीतर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से/कुशल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था आवासीय सुविधाओं, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खुली शिक्षा हालांकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में इन नियमों को सुलझाया जा सकता है। आवासीय विद्यालयों को ऐसे क्षेत्रो में स्थापित किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक-आर्थिक, विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवता की माध्यमिक शिक्षा से वंचित है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा की गुणवता में सुधार करने के लिए बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षण।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा का अनुसरण करने से अच्छी गुणवता की शिक्षा मिलती है।
- उपरोक्त उद्देश्यों की उपलब्धि, अन्य बातों के अलावा, सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में पर्याप्त प्रगति का प्रतीक होगा।

3.4.3 माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए उपागम और रणनीति

अब हम आरएमएसए स्कीम के एक हिस्से के रूप में उपागम और रणनीतियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण (यू.एस.ई.) के संदर्भ में अतिरिक्त स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के मामलें में संख्या, विश्वसनीयता, और गुणवता की चुनौती को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों में शैक्षिक आवश्यकताओं, शारीरिक अवसंरचना, मानव संसाधन, अकादमिक जानकारी, और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के आंकलन/ प्रावधान की आवश्यकता होती है। यह योजना शुरू में कक्षा दस तक होगी इसके बाद, उच्चतर माध्यमिक चरण में लागू किया जायेगा, अधिमानतः के दो वर्षों के भीतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सार्वभौमिक बनाने और इसकी गुणवता में सुधार के लिए रणनीति नियमानुसार हैः-

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की सुविधा में व्यापक असमानता है। निजी स्कूलों तथा निजी और सरकारी स्कूलों के बीच असमानताएं है। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से व्यापक मानदंड तैयार किए गए है और भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषाई और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रावधान किया जा सकता है/राज्य/संघ शासित प्रदेश लेकिन स्थानीय स्तर पर जहां भी आवश्य हो, वहां भी माध्यमिक

विद्यालयों के लिए सामान्य रूप से केन्द्रीय विद्यालयों के समाना होना चाहिए आधारभूत सुविधाएं और शिक्षण संसाधनों का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगाः-

- मौजूदा स्कलों में विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलाव की विस्तृत रणनीति।
- सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों के साथ सूक्ष्म नियोजन अभ्यास के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्यन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को करते समय आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवश्यकताओं के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों का उनयन
- विद्यालय मानचित्रण व्यायाम उन क्षेत्रो का चयन करके नए स्कूल और उच्च स्कूल खुले जाएगें इन सभी भवनों के अनिवार्य जल संचयन प्रणाली होगी और इसे अनुकूल रूप से सक्षम किया जाएगा।
- मौजूदा स्कूल की इमारतों में वर्षा का संचयन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।
- मौजूदा स्कूल की इमातरों को भी दिव्यांग नैत्री बनाया जाएगा।
- पीपीपी मोड़ में नए स्कूल भी स्थापित किए जाएगें।

गुणवता

- ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान और कम्पयूटर प्रयोगशालाओं, शौचालय आदि में क्लस्टर जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों की सेवा में प्रशिक्षण
- कक्षा आठवीं से बाहर जाने वाले छात्रों के लिए सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिज पाठयक्रम।
- एनसीएफ 2005 के नियमों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा
- ग्रामीण और मुश्किल पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा एवं महिला शिक्षकों के लिए आवास को प्राथमिकता दी जाएगी।

समता/समानता

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मुफ्त आवास/बोर्डिग सुविधाएं।
- छात्रावास/आवासीय विद्यालय, नकद प्रोत्साहन, वर्दी, किताबें, लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय।
- माध्यमिक स्तर पर योग्य/जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा की सभी गतिविधियों का ब्यौरा होगा स्कूलों में अलग-अलग बच्चो के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएगें।

- खुले और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार खासकर उन लोगों के लिए जो पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा का पीछा नहीं कर सकते हैं। और समेकित निर्देशो के पूरक/संर्वधन के लिए किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रणाली स्कूल से बाहर के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संसाधन संस्थानों की संस्थागत सुधार सुदृढीकरण

- प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार करना केंद्रीय सहायता के लिए पूर्व शर्त होगा। इन संस्थागत सुधारों में शामिल है
- स्कूल प्रशासन में सुधार अपने प्रबंधन और उत्तरदायित्व को विकेन्द्रीकरण द्वारा स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार करें।
- शिक्षक भर्ती, तैनाती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक और करियर की प्रगति की तर्कसंगत नीति को अपनाना।
- आधुनिकीकरण ई-प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल विकेन्द्रीकरण सहित शैक्षिक प्रशासन में सुधारों का प्रावधान।
- सभी स्तरों पर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक पेशेवर व्यावसासिक और शैक्षिक निविष्टियों का प्रावधान अर्थात् स्कूल स्तर के सभी से ऊपर तक।

धन के त्वरित प्रवाह और उनके इष्टतम उपयोग के लिए प्रक्रियाओ को व्यवस्थित करना। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर संसाधन संस्थाओं को आवश्यक रूप से मजबूत करना। उदा एनसीईआरटी आर.आई.ई सहित) एनआईईपीए और एनाईओएस राज्य स्तर पर एससीआईरटी, राज्य ओपन स्कूल, एसआईईएमएटी आदि और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, विज्ञान के प्रतिष्ठित संस्थान/ सामाजिक विज्ञान/मानविकी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा (सीटीई) शिक्षा के उन्नत अध्ययन संस्थानों आईएएसई के कॉलेजों ने शिक्षक प्रशिक्षण की केंद्र प्रयोजित योजना के तहत वित्त घोषित करना।

माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज और नगर निकायों, सामुदायिक, शिक्षक, माता-पिता और अन्य हितधारकों की भागीदारी, स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावक-शिक्षक संघों जैसी संस्थाओं के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। केन्द्र सरकार चार केन्द्र प्रायोजित योजनाएं संचालित करती है।

1. कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए आईसीटी विद्यालय।
2. राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता के लिए विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा आईईडीसी स्कूल शिक्षा में विकलांग बच्चों मुख्य धारा में शमिल करना।
3. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़की लड़कियों के लिए बोर्डिग और हॉस्टल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के छात्रावास चलाने के लिए एनजीओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. स्कूलों में गुणवता में सुधार जो कि राज्य सरकारों को योग की शिक्षा की शुरूआत के लिए सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार, पर्यावरण शिक्षा के लिए और जनसंख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलांपियाड़ों के समर्थन के अलावा शामिल है। वर्तमान या संशोधित रूपों में इन सभी योजनाओं को नई योजना में शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए स्वंय रोजगार या अंशकालिक रोजगार के लिए तैयारी करके कमाई का प्रावधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्लॉक, जिला स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र वी.टी.सी और संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
5. केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नयोदय विद्यालयों की संख्या उनके महत्व को देखते हुए गति-निर्धारण वाले स्कूलों के रूप में बढ़ेगी और उनकी भूमिका को मजबूत करेगी।

3.4.4 माध्यमिक और उच्चतर में गुणवता सुधार

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक और उच्च स्तर पर गुणवता की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवता के बुनियादी ढांचे में ध्यान केंन्द्रित करने के लिए गुणवता अवसंरचना प्रबंधन सूचना प्रणाली, पाठयक्रम विकास, शिक्षा संसाधन, शिक्षक योग्यता, विद्यालयों में विशिष्ट तैनाती के विषय में शिक्षकों की सेवा प्रशिक्षण में और इस स्तर की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। स्कूल के प्रमुख सभी स्तरों पर शैक्षिक समर्थन, कक्षा आधारित समर्थन और पर्यवेक्षण मुद्दों आदि।

यह मिशन राज्यों को बच्चों के कुल विकास, खेल के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश क्रियाकलाप आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, व्यवसाय, आदि के संबंध में जीवन कौशल के संपर्क के साथ सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभिप्रेरित करेगा। काम करने के लिए पेशेवरों, किसानों, कारीगरों के साथ बच्चों के लगाव की आवश्यकता होती है ताकि सामाजिक और प्राकृतिक संदर्भ में मास्टर कर सकें।

माध्यमिक विद्यालय के प्रावधानों का मैपिंग और माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली एमईएमआईएस का निर्माण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर एक व्यापक स्कूल मैपिंग अभ्यास शुरू करने के लिए एक विश्वसनीय डेटा आधार विकसित करना आवश्यक है अर्थात् माध्यमिक शिक्षा प्रंबधन राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तरों पर असंतुलित आकड़ों के साथ सूचना प्रणाली (एसईएमआईएस) इस स्कीम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रत्येक 5-10 किमी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय के लिए और प्रत्येक बस्ती के 7-10 किलोमीटर के भीतर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सूक्ष्म योजना प्रांरभिक चरण की सबसे बड़ी चुनौती है इसलिए, इस संबंध में राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की योजना और प्रशासन में लगे राज्य ओर जिला स्तर के अधिकारियों की क्षमता विकसित करने और आधारभूत आंकड़े तैयार करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद, प्राथमिक स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाली शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के समान प्रणाली के माध्यम से देश में हर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए पूर्वनिर्धारित

नियमितता के साथ आबंधिक डेटा एकत्र करना भी आवश्यक है। सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा, राज्य और स्थानीय मानदंडो का लक्ष्य रखते हुए राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकसित किया जाएगा। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक प्रभावी सेमिस स्थापित करने के लिए आंकड़े विशेषक और आंकड़े प्रविष्टि कर्मियों साहित पेशेवरों के अनुबंध संबंधी सगाई की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार योजना के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों के विशेषज्ञो की आवश्यकता का मूल्यांकन भी विशिष्ट राज्य संघ शासित प्रदेशों के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

सूक्ष्म नियोजन अभ्यास में शिक्षा की उपलब्धियों, प्रतिधारण, पहुंच, लिंग, सामाजिक समानता समता भौतिक बुनियादी ढांचे आदि के संबंध में वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए एक जिले में आधारभूत मूल्यांकन पर कई अध्ययन शामिल होंगे यह प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। रिपोर्टो का निदान होना चाहिए और योजना प्रक्रिया में फीड करने में सक्षम होना चाहिए। इन स्थानीय स्तर पर संबंधित अध्ययनों के अलावा, एनसीईआरटी द्वारा सभी जिलों में आधारभूत उपलब्धियों के परीक्षण भी लिए जाएगें। राज्य के विशिष्ट उपलब्ध अध्ययनो का उपयोग राज्य में आधारभूत स्थिति को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण मैंपिग अभ्यास किया जाना चाहिए। विज्ञान विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, गणित और कंप्यूटर पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों वाणिज्य और मानविकी पाठ्यक्रम) में सभी विषयों का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी स्कूलों में भी किया जाएगा।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईएए) एसईएमइआईएस के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। एनयूईपीए और राज्य सरकार प्रारंभिक चरण से ही आवश्यक अभ्यास करेगी। सेमिस के लिए धन की आवश्यकता समय-समय पर निर्दिष्ट के अनुसार छत के अधीन योजना के तहत प्रबंधन और निगरानी के लिए निर्धारित योजना आबंटन के 2.2 प्रतिशत से मिले। बजट अनुमान को जिला योजना के दर्शाया जाएगा और समेकित अनुमान राज्य के घटक के रूप में दिखाई देगा।

पाठ्यक्रम तैयार करने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निकायों के लिए परिकल्पना की गई विभिन्न जिम्मेदारियों के बीच पाठ्यचर्या के डिजाइन और निर्माण का विशेष स्थान है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) 1986, 1992 में संशोधित के रूप में और प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1991 को इस तरह के ढांचे को शिक्षा के एक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना के साधन के रूप में देखा गया है, जो कि कुछ मुख्य मूल्यों और परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप है। लगातार भारत की संवैधानिक दृष्टि से एनपीई भी बताते है कि 1976 के संवैधानिक संशोधन के परिणाम जिसमें समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है, को राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच एक नई जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 को एनसीईआरटी द्वारा विचार-विमर्श और परामर्श की व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से लाया गया है। राज्य स्तर पर नए पाठ्यक्रमों और

पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशो में समान सरचनाएं तैयार की जानी चाहिए। कई राज्य इस अभ्यास को पूरा करने की प्रक्रिया में है। उनमें से कुछ ने पहले ही पुरा कर लिया है। राज्यों ने अभी तक पाठ्यचर्या सुधारों को पूरा नही किया है। नए पाठ्यक्रमों और पाठ पुस्तकों की तैयारी कार्यक्रम क्रियान्वयन के पहले वर्ष में इस अभ्यास को पूरा करने की उम्मीद है।

एनसीएफ 2005 के व्यापक फ्रेमवर्ब के तहत राज्यों द्वारा नये संरचनाओं के निर्माण के लिए बजट की आवश्यकता मौजूदा संरचना को मजबूत बनाने और राज्यों द्वारा पाठ्यक्रम के संशोधन को प्रबंधन और निगरानी के लिए निर्धारित योजना आंबटन के 2.2 प्रतिशत मिले।

3.5 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानो (NCMEI) पर राष्ट्रीय आयोग

3.5.1 आयोग संस्थाएं एवं राष्ट्रीय आयोग

आइए हम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों एनसीएमआई एवं राष्ट्रीय आयोग से शुरू करें। क्या आप जानते है कि यह क्या है और आयोग के अधिकार और कार्य क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों (एनसीएमआई) के राष्ट्रीय आयोग को एक अध्यादेश जारी करने के माध्यम से स्थापित किया गया था। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने 11 नवम्बर 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अध्यादेश 2004 को सूचित किया।

सरकार ने आयोग की स्थापना के लिए एक अध्यादेश जारी किया और तदनुसार दिंसम्बर 2004 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों सदनों ने विधेयक पारित किया और बाद में एनसीएमआई अधिनियम को जनवरी 2005 में अधिसूचित किया गया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और केन्द्र सरकार द्वारा तीन सदस्यों को नामित किया जाना है।

आयोग की गतिविधियों का दायारा क्या है? आयोग को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अभाव या उल्लघंन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर गौर करने के लिए अनिवार्य है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 में दर्ज किया गया है। आयोग अपनी पंसद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लघंन और वंचितों से संबंधित किसी भी शिकायत को देख सकता है। इसके अलावा यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ संम्पन्न किया गया है। यह अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा तीन सदस्यों को नामित किया जाना है। आयोग के पास 3 भूमिकाएं हैं अर्थात् । ।करनकपबंजवतल प्रक्शन सलाहाकार समारोह और सिफारिश शक्तियों। इसी प्रकार आयोग को अल्पसंख्यको की शिक्षा से संबंधित किसी भी पथ पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देने की शक्तियां है जिन्हें इसका उल्लेख किया जा सकता है।

3.5.2 आयोग की कार्यवाही

आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं ।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रथ पर केंन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह दी जा सकती है जिसे इसका उल्लेख किया जा सकता है।

- किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अभाव या उल्लघंन के बारे में शिकायत में अपनी पंसद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और एक विश्वविद्यालय और रिपोर्ट के संबंध में संबंधित किसी भी विवाद की स्थापना के लिए प्रस्तुत एक याचिका पर पूछताछ इसकी कार्यान्वयन के लिए उचित सरकार ने इसकी खोज।
- ऐसी अदालत की छुट्टी के साथ एक अदालत के सामने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के किसी भी अभाव या उल्लधंन के किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप।
- अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों या लागू होने वाले समय के किसी भी कानून की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाएं
- अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पंसद के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति और चरित्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उपाय निर्दिष्ट करें।
- अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में किसी संस्था की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय लें और इसकी स्थिति घोषित करें।
- अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी, कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करें।
- ऐसे अन्य कृत्यों और बीजों के रूप में आवश्यक हो सकता है, प्रासंगिक या आयोग की सभी या किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए अनुकूल।

3.5.3 आयोग की शक्तियाँ

अब आइए हम अयोग की शक्तियों पर अध्ययन करें। जैसा कि एनसीएमई अधिनिमय, 2004 की धारा 12 में समाहित है, आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ भी दी गई है।

- भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को सम्मन करने और लागू करने और शपथ लेने पर उसे जांचना।
- किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता
- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड या दस्तावेज या किसी भी कार्यालय से ऐसे रिकार्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि की आवश्यकता।
- गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना तथा कोई भी अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

- आयोग को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की शक्तियों को निंलबित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों के अल्पसंख्यक स्तर पर निर्णय लेने और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अभाव से संबंधित मामलों की जांच के लिए निहित किया गया है।
- अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की शिकायतों, उल्लघंन या अभाव में पूछताछ के दौरान आयोग के पास केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या उसके अधीनस्थ किसी भी संगठन से जानकारी मांगने की शक्तियाँ है।
- कोई भी अदालत संविधान की धारा 226 और 227 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अधिकार नही। आयोग द्वारा किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी मुकद्मा, आवेदन या अन्य कार्यवाही का मनोरंजन करेगा।

3.6 एसपी और एसटी के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

3.6.1 प्रस्तावना

भारत में अनूसूचित जातियों की स्थिति क्या है? वे कौन है? क्या आप हमारे देश में जनजातीय आबादी की स्थिति जानते है? वे शैक्षिक रूप से उत्थान कर रहे है? आइए इन पर विस्तृत चर्चा करें ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए कमीशन पर प्रकाश डाला जा सकें। अनुसूचित जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संविधान के संस्थापक पितरों की चिंता थी। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों को उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सेवा के हितों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजातियों के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष कार्यालय की नियुक्ति के लिए और इन सुरक्षा उपायों के कामकाज के बारे में राष्ट्रपति को रिर्पोट करने के लिए संविधान दिया गया था।

इस प्रावधान के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जनजातियों के आयुक्त के रूप में जाना जाने वाला विशेष अधिकारी 18 नवम्बर 1950 को पहली बार नियुक्त किया गया था। 1965 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त विभिन्न राज्यों में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सहायक आयुक्त जो जुलाई 1965 में थे, उन्हें उप-आयुक्त के रूप में नामित किया गया। आयुक्त के इस क्षेत्रीय संगठन को जून 1967 में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में पहचाना गया और समाज कल्याण विभाग में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नवनिर्मित महानिदेशालय के नियंत्रण में रखा गया। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता एक क्षेत्रीय निदेशक था।

यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्यालय एससी और एसटी के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए संसद सदस्यों द्वारा उठाई गई आवाज के कारण बहु सदस्यीय प्रणाली द्वारा एक सदस्य के विशेष अधिकारी को स्थानांतरित करके संविधान के अनुच्छेद 338 के संशोधन 46 वे संशोधन में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग अगस्त 1978 को अस्तित्व में आया।

3.6.2 1978 के बाद के विकास

आयोग की स्थापना 1987 में हुई और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के रूप में नामित किया गया। यह आयोग एक राष्ट्रीय स्तर के सलाहाकार का निकाय रहा है और एससी/एसटी के संबंधित प्रमुख नीति और विकास संबंधी मुद्दों पर सलाहकार की भूमिका निभाई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह आयोग अपने कार्यकाल के दौरान 8 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था।

अनुसूचित जाति और एसएस के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 65वें संशोधन विधेयक 1990 को 8.6.11909 को अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप किया और वहां के नियमों कोक 3.11.1909 को अधिसूचित किया गया। संविधान के 89 वें संशोधन में अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का निर्णय लिया गया था। यह 19.02.2004 को लागू हुआ। अनुसूचित जातियों और एसटी के लिए पूर्व आयोग को दो अलग अलग आयोगों में विभाजित किया गया था।

3.6.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पहला आयोग अगस्त 1978 मे श्री भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता और अन्य चार सदस्यों के साथ स्थापित हुआ था। 1990 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का नाम बदला गया था और इसे राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था ताकि व्यापक नीतिगत मुद्दों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के स्तर पर सरकार को सलाह दी जा सके। 1992 में श्री एसएच के साथ पहली आयोग का गठन किया गया था। रामधन अध्यक्ष के रूप में दूसरे आयोग का गठन अक्तूबर 1995 में श्री एच हनुमंतष्पा के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। तीसरे आयोग का गठन दिसंम्बर 1998 में श्री दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्ष के रूप में हुआ था। चौथे आयोग का गठन मार्च 2002 में डॉ. विजाय सोनकर शास्त्री ने अध्यक्ष के रूप में किया था।

संविधान 89 संशोधन अधिनियम 2003 के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व राष्ट्रीय आयोग (1) अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग और 2 द्वारा प्रतिस्थाति किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

3.6.3 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीएससी

संविधान के 89 वें संशोधन पर 19 फरवरी 2004 को लागू होने पर, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के पूर्व राष्ट्रीय आयोग के विभाजन के लिए स्थापित किया गया है ताकि ये अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सके। संविधान इस संशोधन के आयोग के एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य एक महिला सदस्य सहित शामिल है। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक सीमित है।

आयोग के कार्यः

क्या आप जानते हैं, कमीशन के कार्य क्या है? संविधान के अनुच्छेद 338 ए के खंड 5 में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्य और कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है आयोग के कार्य और कर्त्तव्यों का निम्नलिखित है-

- संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए या सरकार के किसी भी आदेश के तहत या किसी भी कम में समय के लिए या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए और इस तरह के सुरक्षा उपायों के काम का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के अभाव के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत अपने विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रपति को हर प्रतिवर्ष हर साल और ऐसे समय में प्रस्तुत करना जैसे कि आयोग उचित समझ सकता है, उन सुरक्षा उपायों के काम पर रिपोर्ट करता।
- अनुसूचित जनजातियों के सरंक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ या किसी भी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्ट में सिफारिशे तैयार करना।
- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वाहन करने के लिए जैसा कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते है।

3.7 विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा और पार्सल हैं। उनमें से मुख्यधारा सभी स्तरों के शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ऐसे विभिन्न समूहों की विशेष आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान है क्या आपने कभी किसी संस्थान के बारे में सुना है विशेष रूप से विभेदक क्षमताएं और कई विकलांग लोगों के लिए इस संस्था के बारे में इस खंड में विस्तृत चर्चा करें।

3.7.1 एकाधिक विकलांग व्यक्तियो के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईपीएमडी)

यह राष्ट्रीय संस्थान 2005 में स्थापित विकलांगों के लिए समर्थन और काम करने के लिए है यह चेन्नई में तमिलनाडू में स्थित है। यह संस्थान डिबबल्टीज डिविजनज के साथ-साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सशक्तिकरण विभाग के तहत काम कर रहा है। इसका

मुख्य कारण एकाधिक विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवा करना है, जैसे कि एक व्यक्ति में दो या अधिक विकलांग व्यक्तियों के साथ।

उद्देश्य और लक्ष्य

संस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्न है

- प्रबंधन के लिए मानव संसाधन, प्रशिक्षण पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और एकाधिक विकलांग लोगों के सामाजिक विकास के लिए
- एकाधिक विकलागों से संबंधित सभी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा और संचालन करना।
- सामाजिक पुनर्वास के लिए ट्रासं अनुशासनिक मॉडल और रणनीतियों और कई विकलांग लोगों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- एकाधिक विकलांग की सेवा और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने के लिए।

यह पीडब्लूडी 1995 अधिनियम के अनुसार विकलागों पर काम कर रहा है जैसे कि आत्मकेन्द्रित सेरेब्रल पाल्सी, मानसिं मंदता और अन्य अनेक विकलांगता सहित राष्ट्रीय दृष्टि 1999 अधिनियम में उल्लिखित कठिनाइयो और विकलांगता के साथ-साथ कम विजन अंधापन, स्थूलता विकलांगता, श्रवण हानि, मानसिक मंदता, मानसिक, बीमारी, कुष्ठ रोगी व्यक्ति।

कई विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त गतिविधि के रूप में संस्थान द्वारा कुछ शोध गतिविधियो की योजना बनाई जाती है और इसे किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण सामग्री और कम्पयूटर सॉफ्टवेयर के विकास सहित मैनुअल के प्रशिक्षण और विकास में पाठय संचालन के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों के मॉडल और पाठ्यक्रम विकास पर अध्ययन शामिल है।

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में पुनर्वास चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, संवेदी एकीकरण, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, विशेष शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आंकलन और हस्तक्षेप, भाषण, सुनवाई और संचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन के प्रावधान शामिल है। जैसे परामर्श, समुदाय आधारित पुनर्वास मनचिकित्सा के विशेष क्लिनिक, न्यूरोलॉजी के लिए राष्ट्रीय संस्थान।

3.7.2 दृश्य विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान

आइए हम एक विशेष संस्थान पर चर्चा करें जिसका अर्थ है दृष्टिहीन चुनौतीपूर्ण दृश्य विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान 1943 को स्थापित किया गया था। जिसमें सैनिकों और द्वितीय विश्व युद्ध में नाखूनों को अंधा करने वाले पुर्नवास सेवाओं का एक बुनियादी सेट प्रदान किया गया था। 1950 में भारत सरकार ने प्रभार संभाला और अंधे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए व्यापक सेवाओं के विकास की जिम्मेदारी के साथ शिक्षा मंत्रालय को सौंपा बाद में अंधो के लिए सेवाओं ने उल्लेखनीय विस्तार किया।

1951 में सरकार ने केन्द्रीय ब्रेल प्रेस की स्थापना की 1952 में ब्रेल उपकरण के निर्माण के लिए कार्यशाला 1954 में एक शैलटेड वर्कशाप 1975 में वयस्क ब्लाइंड महिला के लिए एक प्रशिक्षण

केंद्र और 1959 में नेत्रहीन विकलागों के लिए एक मॉडल स्कूल 1963 में पिंट हनीकैप के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया था जिसमें से 1990 में नेशनल टॉकिंग लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था।

1967 में सभी इकाईयों के एकीकरण पर सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर द ठसपदक एनसीबी की स्थापना की। इस केन्द्र को 1979 में दृष्टिहीन विकलांगता के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में भी उन्नत किया गया था। अक्तूबर 1982 में यह सोयायटी पंजीकरण अधिनियम 1860के तहत पंजीकृत था और एक स्वायत निकाय बन गया।

एनइाईपीबीडी का मुख्यालय देहरादून में और चेन्नई में एक क्षेत्रीय केन्द्र है, और कोलकाता में दो क्षेत्रीय अध्याय और सिकंदराबाद हैं। संस्थान वर्ष 2001 में स्थापित सुन्दरनगर (एच.पी) विकलांग व्यक्तियों के लिए समय क्षेत्रीय केन्द्र का समन्वय और पर्यवेक्षण भी करता है।

लक्ष्य

ज्ञापन समिति के अनुसार एनआईवीएच के उद्देश्य और उद्देश्यों नियमानुसार है।

- अन्य गैर सरकारी संगठनों और अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर अनुसंधान, प्रायोजित समन्वय और या सब्सिडी देने के लिए जिसमें विश्वविद्यालयों को शिक्षा के विभिन्न आयामों और नेत्रहीनों के पुनर्वास में शामिल किया गया।
- बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में शोध, सहयोग, सहयोग या सब्सिडी करने के लिए विशेष उपकरणों/उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रियाओं या नए विशेष उपकरणों/ उपकरणों के विकास के लिए।
- प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और विभिन्न विशेष पेशेवरों सहित शिक्षकों रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक सलाहकारों और ऐसे अन्य कर्मियों काके प्रायोजित करना, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।
- प्रोटोटाइप के निर्माण को वितरित करने बढ़ावा देने या सब्सिि्डी करने के लिए और किसी भी सभी डिजाइन के वितरण का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया जो कि दृष्टिहीनता के शिक्षा, पुनर्वास या रोजगार के किसी भी पलहू को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

संस्थान में निम्नलितखत विभाग हैः

- विशेष शिक्षा विभाग
- वयस्क ब्लाइंड के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र का विभाग
- मनोविज्ञान विभाग परामर्श और संकट हस्तक्षेप
- दृष्टिहीन विकलांग के लिए मॉडल स्कूल
- ब्रेल विकास इकाई
- बीआई डिजाइन और विकास इकाई
- पुनर्वास और परामर्श इकाई

- प्लेसमेंट यूनिट स्थापन इकाई
- राष्ट्रीय टांकिगं बुक लाइब्रेरी
- प्रिंट विकलागों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय
- सेंट्रल बेल प्रेस
- एड्स और उपकरणों के निर्माण के लिए कार्यशाला
- मास मिडिया यूनिट

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भौतिक विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (डिवाईजनजन) पं. दीनदयाल उपाध्याय भौतिक विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक और वितीय नियंत्रण के तहत एक स्वायत संगठन है। शारीरिक रूप से विकलांग के लिए संस्थान 22 मई 1975 को हुआ और बाद में इसे 1976 में एक स्वायत निकाय बनाया गया।

लक्ष्य एवं उद्देश्य:

संस्थान का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य नियमानुसार है।

- विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक भौतिक चिकित्सक व्यावसायिक चिकित्सक और ऐसे अन्य पेशेवरों के प्रशिक्षण का कार्य करना।
- शिक्षा, प्रशिक्षण कार्य-समायोजन और ऐसे अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए क्योंकि समाज विकलांग विकलांग व्यक्तियों के साथ या मानसिक विकलांगता के बिना उपयुक्त हो सकता है। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण और वितरण का कार्य करना।
- ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना जो विकलागों की शिक्षा और पुनर्वास के प्रचार के लिए उचित मानी जा सकती है जिसमें संगठित बैठकों और संगोष्ठी शामिल है।
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुर्नवास के लिए और अधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान को प्रायोजित या करना।
- अनुसंधान में राष्ट्रीय क्षेत्रीय या स्थानीय एजेंसिया के साथ सहयोग करना या ऐसी अन्य गतिविधियों जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जा सकता है।
- ऐसे प्रकाशनों को शुरू करने या प्रायोजित करने के लिए जिन्हें उपयुक्त माना जा सकता है।
- उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए आवश्यक या प्रासंगिक होने वाली ऐसी अन्य चीजों को करने के लिए। संस्थान का उद्देश्य सभी आयु समूहों के शारीरिक रूप से विकलागों की सेवा करना है। विकलांग लोगों की पीड़ा को कम करने की इस खोज में संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रम चलाते है।

- बैचलर ऑफ फिजिकल थेरपी, बैचरल ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरैपी और बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े 4 साढ़े चार साल का कोर्स।
- शारीरिक थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और भाषण थेरेपी में मरीज क्लीनिकल सेवाएं।
- कैलिपरस, स्प्लिट्स, कृत्रिम अंग, शल्यचिकित्सा के जूते और अलग-अलग प्रकार की गतिरोधों वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित लकड़ी के फर्नीचर सहित ओर्थोटिक और प्रोस्थेटिक उपकरणों के निर्माण के लिए कार्यशाला।
- आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्तियों के लिए शिविर की व्यवस्था करना संबंधित जिला प्रशासन और स्थानीय रूप से सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की मदद से दूर दराज और दूरदराज के इलाकों में रह आर्थिक है।
- दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी) सिंकदराबाद एपी लखनऊ और श्रीनगर समग्र राजस्थान राज्य में विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों डीडीआरसी में समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना और परिचालन करके विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थागत व्यापक पुनर्वास सेवाओं का विस्तार बरेली यूपी में क्षेत्रीय स्पइनल इंजरी सेंटर की स्थापना।

3.8 सारांश

एसएसए 2000-2001 के बाद से विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के लिए सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण के लिए रूपरेखा तैयार करने, प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को तोड़ने और सीखने की गुणवता में सुधार लाने के लिए कार्यरत रहा है। एसएसए योजनाओं में नए स्कूलों और वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की सुविधा, स्कूलों के निर्माण और अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, और पेयजल, शिक्षकों के लिए प्रावधान, शिक्षकों को नियमित सेवा प्रदान करने, और शैक्षिक संसाधान समर्थन मुफ्त पाठयपुस्तकों और वर्दी, और सीखने के परिणाम में सुधार, आरटीई कानून के पारित होने के साथ आदि एसएसए मे कई बदलाव शामिल किए गए है, जो प्राथमिक शिक्षा के प्रति (आर.टी.आई) दृष्टिकोण को शामिल करते हैं।

विभिन्न समूहों को शिक्षित करने और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल पर इस इकाई में चर्चा की गई है। प्रारम्भ में हमने एसएसए और आरएमएसए जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। एसएसए 2000,2001 के बाद से विभिन्न पहलुओं को सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण के लिए रूपरेखा तैयार करने ए प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को तोड़ने और शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए एसएसए कार्यरत रहा है। आरएसएसए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं कर्मचारी और आपूर्ति को कम से कम सरकारी विद्यालयों सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में वितीय सहायता के माध्यम से निर्धारित मानक के अनुसार और अन्य विद्यालयों के मामले में उपयुक्त नियामक तंत्र के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हमने चयनित अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों और आयोगों पर चर्चा की और जिनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानो एनसीएमआई के लिए भी विस्तृत जानकारी दी गई है। यह केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी सवाल पर स्थापित किया गया है जिसे उनसे संदर्भित किया जा सकता है और किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किसी याचिका या उसके किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिए पुछताछ करने के लिए स्थापित किया गया है अल्पसंख्यको के अधिकारों का उल्लघंन या उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासन करने और किसी विश्वविद्यालय के संबंध से संबंधित किसी भी विवाह के बारे में शिकायत और इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट की रिपोर्ट करना।

इसके अलावा अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग पर चर्चा की संविधान के 89 वें संशोधन पर 19 फरवरी 2004 को लागू होने पर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व राष्ट्रीय आयोग के विभाजन के लि स्थापित किया गया है ताकि ये अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सके। संविधान इस संशोधन के साथ ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व आयोग ने दो अलग-अलग आयोगों की जगह अर्थात् पद्ध अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग एनसीएससीद्ध और पपद्ध अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग एनसीएटीद्ध उनकी संबंधित शक्तियों और कार्यो को भी समझाया गया है।

इसके अलावा एकाधिक विकलाग व्यक्तियों एनआईईपीएमडीद्धए नेशनल फॉर द ब्लाईड एनसीबीद्धए और के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान दीनदयाल उपाध्याय ने शारीरिक विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान का भी उल्लेख किया और चर्चा की

अभ्यास प्रश्न

1. एसएसए किस साल के परिचालन है।
2. एसएसए का मुख्य उद्देश्य चता क्या है।
3. देश में यूनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन यूईईद्ध हासिल करने का लक्ष्य किस प्रोग्राम पर है।
4. एसएसए कार्यक्रम के चार लक्ष्यो का उल्लेख करते है।
5. एसएसए की प्रमुख रणनीतियों को सूचीबद्ध करे
6. 9वीं और 10वीं योजना अवधि में केन्द्र और राज्य के बीच एसएसए मे वित्तीय भागीदारी कैसे रही
7. आरएमएसए क्या है।
8. आरएमएसए की महत्वपूर्ण चिंताओ क्या है।
9. संक्षेप में सैमिस के उद्देश्य का उल्लेख करते है।
10. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मुख्य भूमिका क्या है।
11. संविधान का कौन सा लेख अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजातियों के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना है और इन सुरक्षा उपायों के काम के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना है।

12. किस साल में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई
13. क्या संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का विभाजन किया गया था।
14. एक राष्ट्रीय संस्थान जिसकी स्थापना में विकलांग लोगों के लिए समर्थन और काम करना है।
15. पीडब्लूडी 99 अधिनियम के अनुसार विकलागों की सूची बनाइए।
16. आत्मकेन्द्रित सेरेब्रल पाल्सीए मानसिक मंदता और अन्य कई विकलागों का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है।
17. दृश्य विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान क्या स्थापित किया गया था।
18. नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड एनसीबीद्ध को नेत्रहीन विकलांगता के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया था।
19. पं. दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स फॉर फिजिकल डिबैबिलिटसए एक स्वायत संगठन अस्तित्व में आया।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 2000-2001 के बाद से
2. विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों को सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण के लिए रूपरेखाएं प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को तोड़ने और सीखने की गुणवता में सुधार के लिए प्रदान करना।
3. एसएसए
4. एसएसए के लक्ष्य
    - स्कूल के सभी बच्चों का नामांकन , शिक्षा गांरटी केन्द्र , कल्पिक स्कूल ए 2005 तक श्बैक टू स्कूल शिविर का नामांकन
    - 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चो का प्रतिधारण
    - नामांकनए प्रतिधारण और सीखने में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल का ढेर
    - यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों में बच्चों के सीखने की उपलब्धियों के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि है।
5. संस्थागत सुधार ,सतत् वितपोषण , सामुदायिक स्वामित्वए संस्थागत क्षमता निर्माण , मुख्यधारा शैक्षणिक प्रशासन में सुधार , सामुदायिक आधार पर निगरानी , योजना के एक इकाई के रूप में आवास, समाज के लिए जवाबदेही , लड़कियों की शिक्षाए विशेष समूहों पर फोकस , गुणवता पर ध्यान केन्द्रित और जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाएं।
6. सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत योजना के दौरान 85रु 15 साक्षाकरण व्यवस्थाए एक्स प्लान के दौरान 75रु 25 साझाकरण व्यवस्था।
7. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

8. आरएमएसए माध्यमिक शिक्षा को सभी के लिए एक अच्छी गुणवता उपलब्ध पहुंच और सस्ती बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम है।
9. अभिगम,गुणवता, इक्विटी और संस्थागत सुधार और संसाधन संस्थानों के सृदृढीकरण।
10. माध्यमिक विद्यालयों के प्रावधानों और माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली एसईएमआईएसद्ध के निर्माण का उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर एक व्यापक स्कूल मैपिंग अभ्यास शुरू करना हेतु एक विश्वसनीय डेटा बेस विकसित करना आवश्यक है।
11. एनसीएमईआई में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामि है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।
12. अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण
13. अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह दी जा सकती है जिसे इसका उल्लेख किया जा सकता है।
14. संविधान के अनुच्छेद 338
15. 2014
16. संविधान का 16.89 वें संशोधन
17. 2005
18. कम विजन, अंधापन,स्थूलता विकलांगता, सुनवाई हानि , मानसिक मदता, मानसिक बीमारी और कुछ रोगी व्यक्ति
19. 9 नेशनल ट्रस्ट 1999 अधिनियम
20. 1943
21. 1979
22. 22 मई 1975

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. अपने लक्ष्य को उजागर करने वाले प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने में सर्व शिक्षा अभियान के महत्व पर चर्चा करें
2. क्या आपके लगता है कि एसएसए सफल है अपने कार्यान्वयन रणनीतियों को उजागर करने के लिए अपने जवाब को अलग करें?
3. भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की प्रासंगिकता बताएं? आरएमएसए की स्थिति बताएं।
4. अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग पर विस्तृत रेखाचित्र
5. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारो की सुरक्षा में एक अनिवार्यता है स्पष्ट करें?
6. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका का वर्णन करें?

इकाई 4 - शिक्षार्थी विविधता का व्याख्यान

Addressing Learner's Diversity

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 पाठ्यचर्या: संकल्पना तथा महत्त्व
4.4 पाठ्यचर्या अनुकूलन : संकल्पना तथा आवश्यकता
4.5 पाठ्यक्रम अनुकूलन की महत्ता तथा चुनौतियां
4.6 पाठ्यक्रम अनुकूलन के उपागम तथा सिद्धांत
4.7 विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन
4.8 पाठ्यवस्तु का संदर्भीकरण
4.9 आकलन तथा मूल्यांकन
4.10 सारांश
4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.12 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें
4.13 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

व्यक्तिगत विविधता मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण है। प्रत्येक अधिगमकर्ता के सीखने का अलग – अलग तरीका होता है। कोई देखकर बेहतर ढंग से सीख सकता है तो कोई सुनकर, किसी के लिए स्पर्श द्वारा सीखना सरल होता है तो कोई लिखकर जल्दी सीख सकता है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ विशिष्टता प्रदान की है। एक ही कक्षा में उपस्थित सभी बालकों के सीखने का तरीका एक समान नहीं होता है। यही कारण है कि शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले अपने छात्रों का विस्तृत आकलन करके उनके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लेना अति आवश्यक है। किसी भी शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम उसके ह्रदय के सामान होता है। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षण संस्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। औपचारिक शिक्षा में इसका विशेष महत्व है। अलबर्ट ओलिवर (1977) के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यालयी शिक्षा का प्रारूप है जिसे चार भागों में बाँटा जा सकता है – 1) विषय वस्तु; 2) अधिगम अनुभव; 3) सेवाएँ; तथा 4) गुप्त पाठ्यक्रम

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ विषय और पाठ्यवस्तु निर्धारित किये जाते हैं। उन पाठ्यवस्तु का भली भांति संप्रत्यय विकसित करने हेतु उचित वातावरण का चयन किया जाना अत्यावश्यक है। अर्थपूर्ण वातावरण में यदि बालक को विस्तृत अनुभव प्रदान किये जाएँ तो उनका विकास न केवल बेहतर होता है बल्कि स्थायी भी होता है। प्रस्तुत इकाई में हम पाठ्यचर्या अनुकूलन तथा समावेशी कक्षाओं हेतु आकलन एवं मूल्यांकन के प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी :

1. पाठचर्या को परिभाषित कर सकेंगे
2. पाठचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों से परिचित होंगे
3. पाठचर्या अनुकूलन करने में सक्षम होंगे
4. पाठचर्या का संदर्भीकरण करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान सकेंगे
5. समावेशित शिक्षा में आकलन तथा मूल्यांकन के वैकल्पिक माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे

4.3 पाठ्यचर्या: संकल्पना तथा महत्त्व

पाठचर्या अनुकूलन के बारे में जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि पाठचर्या क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ? उसकी आवश्यकता क्यों है ? इस इकाई के प्रथम खंड में उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे।

किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र एक निश्चित समय तक एक अधिगम कार्यक्रम का अनुसरण करता है अथवा अध्ययन करता है। यह कार्यक्रम पाठचर्या के नाम से जाना जाता है। "करिकुलम" (Curriculum) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के "Currere" शब्द से हुई है जिसका अभिप्राय है "Race Course" या "Run Way" अर्थात् जिस प्रकार से एक धावक एक निश्चित मार्ग पर दौड़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से अधिगमकर्ता पाठचर्या रूपी मार्ग पर चलते हुए अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है।

प्रारम्भ में पाठचर्या को विद्यालय के चाहरदीवारी के अन्दर होने वाले शिक्षण अधिगम कार्यक्रम तक सीमित समझा जाता था। इसके अन्तर्गत बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया जाता था किन्तु शिक्षा प्राप्त करने के कई साधन हैं जैसे विद्यालय, परिवार, समाज तथा चलचित्र इत्यादि। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति विद्यालय से बाहर के वातावरण में भी निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अर्थात् सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को किसी वातावरण विशेष तक अथवा चाहरदीवारी के अन्दर तक सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति जीवन के प्रारम्भ से मृत्यु पर्यन्त सीखता है। अतः वर्तमान समय में पाठचर्या के अन्तर्गत जीवन के उन समस्त अनुभवों को शामिल किया जाता है जिससे शिक्षार्थी कुछ सीखता है।

सामान्यतः पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या, दोनों ही शब्दों का एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वास्तव में इन दोनों शब्दों में काफी अन्तर होता है। इसे निम्नलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है

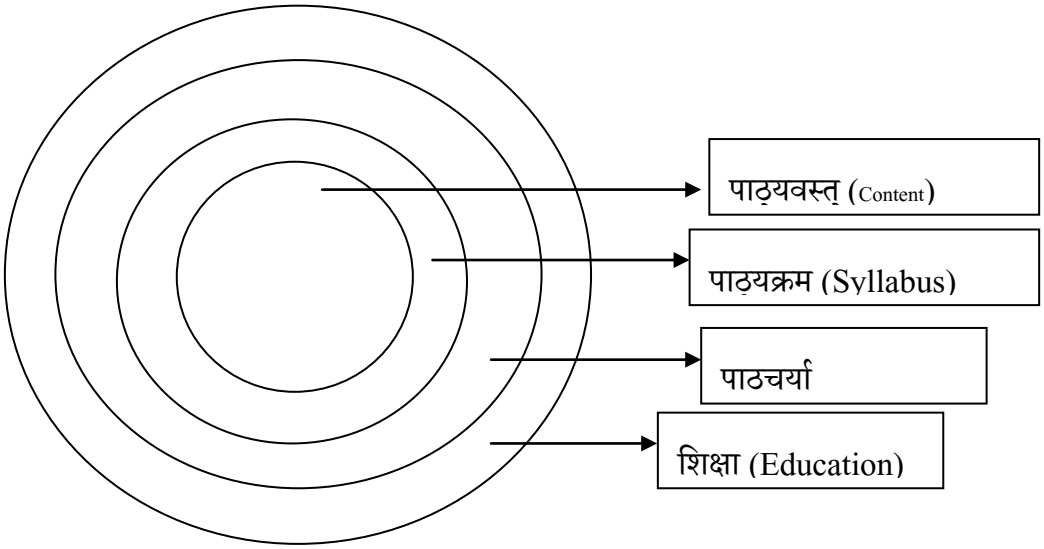

पाठ्यक्रम की किसी एक परिभाषा पर समस्त दार्शनिक अथवा शिक्षाविद् सहमत नहीं हुए। इसे लेकर अलग-अलग विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं। पाठ्यक्रम को और बेहतर ढंग से समझने हेतु निम्नलिखित परिभाषाओं को समझना होगा :-

ब्रू बेक के अनुसार – "पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुँच सकता है।"

जॉनसन (1967) के अनुसार – "पाठ्यक्रम वांछित अधिगम अनुभवों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला है"

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953-54) के अनुसार- "पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव शामिल हैं जिसे विद्यार्थी विद्यालय के भीतर कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान में घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य होने वाले अनेक अनौपचारिक संपर्कों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में विद्याय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है जो की सभी स्तरों पर विद्यार्थियों का जीवन होता है तथा एक संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है।"

एलबर्टी एंड एलबर्टी (1959) के अनुसार – **"**पाठ्यक्रम विद्यार्थी के समस्त उद्देश्यों का योग है जिसे विद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रायोजित किया जाता है"

जेन्किन तथा शिपमैन (1975) के अनुसार- "पाठ्यक्रम एक शैक्षिक प्रावधान का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, जिसका शिक्षण तथा अधिगम विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में कराया जाता है एवं जिसके लिए संस्थान तीन स्तरों पर जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं – उनके तर्क सांगत होने, उनके कार्यान्वयन एवं उनके प्रभाव हेतु।

प्रो. जे. एफ. फेर के अनुसार – "सभी अधिगम जिसे शिक्षक द्वारा नियोजित तथा निर्देशित किया जाये, चाहे उसे समूह में अथवा व्यक्तिगत रूप में विद्यालय के अन्दर अथवा बहार लागू किया जाये।"

प्रो. कनिंघम के अनुसार – "पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का उपकरण है जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु को अपनी सोंच के आधार पर आकर प्रदान करता है।"

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में इस बात पर जोर दिया गया है की एक बेहतर पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता के चहुँमुखी विकास करने में सहायक होता है। इन समस्त परिभाषाओं में मुख्यतः "अनुभव", "सुनियोजित", "निर्धारित अधिगम अनुभव" जैसे शब्दों का अधिकतम इस्तेमाल किया गया है।

पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के चतुर्दिक विकास के लिए अति आवश्यक है। एक व्यवस्थित ढंग से बना हुआ तथा क्रियान्वित किया गया पाठ्यक्रम बालक में नैतिक, भावनात्मक, बोधात्मक, शारीरिक, सामाजिक तथा अध्यात्मक विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम को प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता का अधिकतम स्तर तक विकसित करने के लिए तैयार जाता है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक तथा राष्ट्रीय मांग के अनुसार कर्मठ तथा कर्तव्यपरायण, साधन संपन्न नागरिक तैयार करना है। कौशल विकास के विभिन्न पाठ्यक्रम द्वारा इन्ही लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या को विभेदित करें।
2. पाठचर्या से क्या समझते हैं ?

4.1 पाठ्यचर्या अनुकूलन : संकल्पना तथा आवश्यकता

पाठ्यक्रम किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का हृदय और आत्मा होती है। शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिर्वतन करके उनका सर्वांगिण विकास किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्ग कक्ष से लेकर खेल के मैदान तक की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा को विभिन्न व्यक्तियों ने अपने - अपने ढंग से परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम को विषय वस्तु के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह पूर्व नियोजित प्रारूप होता है जो शिक्षक और बच्चों के बीच एक निश्चित समयावधि के बीच सम्पादित किया जाता है। पाठ्यक्रम को शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो समाज के द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित होता है। यह स्कूल में छात्रों को दिया जाने वाला सुनियोजित अनुभव आधारित अधिगम क्रिया है जो पूर्व निर्धारित होता है। इसमे लक्ष्य और अनुमानित उपलब्धि का वर्णन रहता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति विकसित करने के रूप में पाठ्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय रूप रेखा प्रस्तावित की जो सामान्य भारतीय आधारभूत मूल्यों पर आधारित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्य योजना में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल केन्द्रित दृष्टिकोण तथा गुणवता में सुधार पर विचार किया गया। एन पी ई (नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन)

1986 के कार्य योजना में आगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की विशेषताओं के रूप में प्रासंगिकता, लचीलेपन और गुणवत्ता पर बल देते हुए इस दृष्टिकोण पर काफी विचार किया गया। इन दोनो दस्तावेजों में शिक्षा के आधुनिकीकरण करने के एक साधन के रूप मे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की कल्पना की गयी।

"अनुकूलन निःशक्त छात्रों को उनकी (कमियों) कमजोरियों को कम करते हुए समावेशी कक्षा में भागीदारी सुनिश्चित कराता है। विभिन्नता की प्राप्ति के क्रम में हमनें निम्न विषयों पर चर्चा की है जिसमें नियमित पाठ्यक्रम में अनुकूलन की आवश्यकता, पाठ्य-विषय की विषय वस्तु में एवं लक्ष्य में संगठनात्मक अनुकूलन को सम्मिलित करना, शैक्षणिक संगठन में, मूल्यांकन दर्शन में एवं रणनीतियों को बनाने में, लक्ष्य प्राप्ति हेतु इसे संम्भव बनाना है। पाठ्यक्रम अनुकूलन शैक्षणिक वातावरण में जिसमें सुगमता, परिणाम, लाभ एवं उपलब्धि के स्तर में छात्र हेतु आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित कराता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता को हम इसके निम्न विशेषताओं रूप में समझ सकते हैं:

- उपयुक्त एवं गतिक विकास
- सभी के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम
- शैक्षणिक पद्धति में सुगमता
- सभी बच्चों का शैक्षणिक समावेषण
- शिक्षा को समानता से प्रदान करना
- प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना
- सभी का समान भागिदारी सुनिश्चित करना
- छात्रों में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना
- छात्रो में आपसी समन्वय बनाना
- छात्रो के अधिगम क्षमता का विकास करना

अभ्यास प्रश्न

3. पाठचर्या अनुकूलन से क्या समझते हैं ?
4. पाठचर्या अनुकूलन क्यों आवश्यक है ?

4.5 पाठ्यक्रम अनुकूलन की महत्ता तथा चुनौतियां

पाठ्यक्रम अनुकूलन का महत्व:-

- सामान्य शिक्षा में समान अवसर
- सामान्य शिक्षा में पूर्ण भागीदारी

- गैर विभेदीकरण रूचि में पुनर्बलन
- शिथिलता परिणाम के सुधार की संभावना
- समावेशन-सभी तक पहुँच, सभी के लिए शिक्षा
- आसान प्रदर्शन - एक से दूसरे स्थान तक ले जानें में सुगम
- व्यक्तित्व का विकास - बच्चों का नैसर्गिक गुणों तथा शक्तियों का समुचित विकास
- ज्ञानोपार्जन - बच्चों में भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान इत्यादि का ज्ञानात्मक विकास होना

चुनौतियां

- बाधारहित वातावरण संबंधित चुनौतियां
- विद्यालय प्रशासन संबंधित चुनौतियां
- सामान्य शिक्षकों अथवा प्रबन्धकों के नाकारात्मक सोंच
- अभिभावक, परिवार व समाज का नाकारात्मक सोच
- शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता
- निश्चित पाठ्यक्रम पद्धति
- शिक्षकों में अनुकूलन संबंधित जानकारी का अभाव
- अभिभावकों का समुचित सहयोग का अभाव
- सामान्य शिक्षकों में तीनों संप्रेषण विधियों का ज्ञान का अभाव

4.6 पाठ्यक्रम अनुकूलन के उपागम तथा सिद्धांत

4.6.1 पाठ्यक्रम उपागम

सामान्यतः पाठ्यक्रम उपागम को चार भागों में बांटा गया है जो निम्नवत है :-

i. **विषय केन्द्रित उपागम** :- इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय के ज्ञान को छात्रों को ध्यान में रख कर पाठ्यक्रम में अनुकूलन किया जाता है। उस विषय में संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करनी होती है।

ii. **विस्तृत क्षेत्र उपागम** :- इस उपागम के अंतर्गत एक से अधिक विषय को एक साथ सहसंबंधित करके पाठ्यक्रम अनुकूलन किया जाता है। जैसे -सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र आदि सभी को एक साथ करके ही अनुकूलन किया जाता है।

iii. **सामाजिक समस्या के स्तर पर उपागम** :- इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुकूलन सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाता है जिससे कि वे सामाजिक समस्याओं को समझे और उनका निदान कर सके।

iv. **छात्र केन्द्रित उपागम** :- छात्रों के शैक्षणिक लक्ष्यों कि प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चे कि आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। इस उपागम में बच्चें के भविष्य से ज्यादा वर्तमान आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है।

4.6.2 पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांत:

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम के सिद्धांत में अनुकूलन करना आवश्यक है क्योकि इसमें एक ही वर्ग कक्ष में अलग - अलग प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ - साथ नियमित विद्यालयी बच्चे भी शामिल होते है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांत निम्नवत है :-

1. **रूचि एवं क्षमता का सिद्धांत:-** सभी बालकों के ज्ञान स्तर एवं क्षमता भिन्न होने के कारण पाठ्यक्रम में अनुकूलन के समय रूचि एवं क्षमता का का सिद्धांत का पालन करना नितांत आवश्यक हो जाता है।
2. **उपयोगिता का सिद्धांत**:- विशेष क्षमता वाले बच्चों को परम्परागत शिक्षा से अधिक कार्यात्मक शिक्षा कि आवश्यकता होती है। अर्थात उनके पाठ्यक्रम में सिर्फ उन्ही विषय वस्तुओं का समावेश होना चाहिए जिसका वह जीवन में उपयोग कर सके।
3. **उद्देश्य की प्राप्ति का सिद्धान्त** :- पाठ्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अतः किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन्हें उस स्तर के विशेष निःशक्त बच्चों के स्तर के शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके ज्ञान एवं अभ्यास से बालक वैसा बन सके जैसा हम उन्हे बनाना चाहते है।
4. **स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का सिद्धांत** :- मनोवैज्ञानिकों एवं विशेष शिक्षा के विशेषज्ञों का मानना है कि निःशक्त बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता होती है। अतः भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए।
5. **सुसंबद्धता का सिद्धांत** :- पाठ्यक्रम के संदर्भ में सुसंबद्धता का अर्थ है कि शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठचर्या का संबंध उस स्तर के बच्चों के वास्तविक जीवन से होना चाहिए और जो क्रियाएँ कराए जाए उनका भी आपस में संबंध होना चाहिए।
6. **सामान्यीकरण एवं कौतूहल का सिद्धांत** :- इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे और जिसको पूरा करने के बाद निःशक्त बच्चे भी सामान्य जीवनयापन कर सके।
7. **संरक्षण का सिद्धांत**:- वर्तमान, पुरानी एवं भावी सामुदायिक आवश्यकताओं के किसी भी पाठ्यक्रम के अनुकूलन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि पुरानी समृद्धि, कला संस्कृति संबंधित विरासत हमें शक्ति ,उत्प्रेरण व प्रोत्साहन प्रदान करती है और इससें हम अपनी वर्तमान समस्याओं का सामना करते हुए भावी प्रगति के लिए संघर्ष करते है।
8. **बाल केंद्रण का सिद्धांत**:- पाठ्यक्रम को इस प्रकार अनुकूलित व विकसित किया जाए कि हर बच्चा अपनी क्षमताओं व सीमाओं के अनुरूप जीवन के हर चरण में पूर्ण व समृद्ध जीवन जी सके।
9. **प्रतिस्थापन**:- प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में दृष्टिमूलक विचारों की अधिकता होती है। इन्हें छात्रों के लिए समझना कठिन हो जाता है। इसका अभिप्राय है पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ्य के

साथ छात्रों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो यथा संभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य जैसा हो तथा उसके जैसे अथवा उससे मिलते जुलते अनुभव प्रदान कर सके।

10. **रूपान्तरण** :- पाठ में छोटे- छोटे संशोधन करना रूपान्तरण कहलाता है। उदाहरण के लिए पाठ में शामिल चित्र को उभरे हुए रूप में एवं उस चित्र का वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करना
11. **प्रतिरूपण** :- प्रतिरूपण का अभिप्राय वास्तविक अनुभव देने के क्रम में उससे मिलता – जुलता वास्तिवक अनुभव से अनुभूति कराना होता है जिससे किसी पाठ को समझने में आसानी हो सके।
12. **हटाना (विलोपन)** - जब प्रतिस्था।न, रूपांतरण एवं प्रतिरूपण में से किसी भी नियम का प्रयोग संभव न हो तो उस पाठ को छोड़ देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कभी-कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है
13. **समावेश व जोड़ने का सिद्धांत** :- समाज के विकास के अनुरूप नए - नए आयामों को पाठ्यक्रम में जोड़ने व पुराने अनुपयोगी तथा अप्रासंगिक विषय पाठ्यक्रम से निकाल दिए जाने चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम न सिर्फ बोझिल और अप्रबन्धनीय हो जाएगा, वरन असंतुलित और अप्रासंगिक भी हो जायेगा।

अभ्यास प्रश्न

5. पाठ्यक्रम अनुकूलन में "विलोपन" का अभिप्राय स्पष्ट करें।

4.7 विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन

पाठ्यक्रम अनुकूलन (Curricular Adaptation), पाठ्यक्रम समायोजन (Curricular Accommodation) तथा पाठ्यक्रम रूपांतरण (Curricular Modification) शब्दों का इस्तेमाल प्रायः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, किन्तु इनमें पर्याप्त अन्तर होता है।

पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय वातावरण, शिक्षण विधि एवं तकनीक तथा आकलन एवं मूल्यांकन की प्रविधियों में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का अनुकूलन अथवा पुनर्निर्धारण भी सम्भव है।

पाठ्यक्रम समायोजन करते समय भी शिक्षण विधि, तकनीक तथा वातावरण में परिवर्तन कर शैक्षिक उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास किया जाता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम समायोजन के दौरान शैक्षिक उद्देश्यों तथा पाठ्यवस्तु (Content) में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम के मूल उद्देश्यों तथा पाठ्यवस्तु यथावत रहते हैं।

पाठ्यक्रम रूपांतरण करते समय इसे पूरी तरह से बालक के अवस्था एवं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम (Need Based Curriculum) अथवा व्यक्तिगत शिक्षण योजना (IEP) बनाकर शैक्षिक उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण भी सामूहिक रूप से न

होकर बालक विशेष के लिए हो जाते हैं। इसे और स्पष्ट समझने हेतु निम्नलिखित सारणी को समझना होगा :

पाठ्यक्रम अनुकूलन (Curricular Adaptation)	**पाठ्यक्रम समायोजन** (Curricular Accommodation)	**पाठ्यक्रम रूपांतरण** (Curricular Modification
1. वातावरण में अनुकूलन 2. शिक्षण विधि में अनुकूलन 3. समय सारणी में अनुकूलन 4. वातावरण में अनुकूलन 5. बैठक व्यवस्था में अनुकूलन 6. पाठ्यवस्तु में मामूली परिवर्तन अथवा भाषा अनुकूलन	1. बड़े छापे वाले मुद्रित किताबें प्रदान करना 2. मूल्यांकन करने में अतिरिक्त समय प्रदान करना 3. मौखिक परीक्षा संचालित करना 4. नोट्स लिखने हेतु सहपाठियों की सहायता प्रदान करना 5. लेक्चर को रिकॉर्ड करने की सुविधा देना	1) बालक के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम निर्माण करना 2) कार्यात्मक पाठ्यक्रम तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना 3) मूल्यांकन करने में अतिरिक्त समय प्रदान करना तथा बालक की दक्षता के अनुरूप मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना

4.8 पाठ्यवस्तु का संदर्भीकरण (Content contextualization)

प्रत्येक बालक कुछ न कुछ विशिष्ट जन्मजात शक्तिओं के साथ पैदा होता है। उचित वातावरण पाकर ये शक्तियाँ उसे प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करती हैं। प्रसिद्ध संरचनावादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुनिया के प्रति बेहतर समझ तभी विकसित कर पाता है जब उसे वास्तविक अनुभव दिया जाता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में आये हुए विचार और उनका प्रत्यक्ष अनुभव, दोनों के संयुक्त रूप में वह किसी तथ्य का अर्थ लगाने में समर्थ हो पाता है।

कक्षा की शैक्षिक परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा ही होता है।पाठ्यवस्तु में प्रयुक्त भाषा का अभिप्राय समझाने हेतु शिक्षक कई अलग-अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा शिक्षण का यह प्रमुख सिद्धान्त है कि यदि भाषा सिखाने हेतु वास्तविक वातावरण का इस्तेमाल किया जाये तो संप्रत्यय का विकास एवं सुदृढीकरण ज्यादा बेहतर ढंग से होता है तथा ज्यादा टिकाऊ होता है। इसके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, अथवा वास्तविक गतिविधि में शामिल करते हुए भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है।प्रसिद्ध शिक्षाविद् मरिया मॉन्टेसरी ने भी भाषा विकास हेतु संगीत (Songs), हलन-चलन (Movement) तथा संरचना (Construction)जैसी गतिविधियों पर जोर देने की बात कही है। अर्थात् शिक्षक यदि किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसकी भाषा की बेहतर समझ के लिए उस गद्य को कविता या पद्य के रूप में भी पढ़ायें। बाद में उसका नाटकीकरण कराकर अथवा रोल प्ले कराकर बालक के संप्रत्यय विकास को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सकता है। यहाँ

संरचना का अभिप्राय क्ले मॉडलिंग अथवा आंटा या मिट्टी से कहानी के पात्रों से सम्बन्धित मॉडल बनाने से है। इससे बालक में सृजनात्मक कौशल का भी विकास होता है।

अलग-अलग प्रकार की क्षमता वाले अधिगमकर्ता के सीखने के तरीके भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उनके सीखने के व्यक्तिगत तरीकों का ध्यान रखते हुए पाठ्यवस्तु का संदर्भीकरण करने का प्रयास शिक्षक द्वारा किया जाता है। अधिगम के कई तरीके प्रचलित हैं जिनमें चार तरीके सर्वाधिक चर्चित हैं :

1) सुनकर सीखना (Auditory Learner): इस प्रकार के अधिगमकर्ता प्रायः एक दूसरे के साथ वाद-विवाद, परिचर्चा अथवा किसी का संभाषण सुनकर सीखने का प्रयास करते हैं। इन्हें नोट्स बनाना प्रायः पसंद नहीं होता है। लिखित नोट्स बनाने के बजाय ये चर्चा की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं।
2) देखकर सीखना (Visual Learner): कक्षा शिक्षण के दौरान इस प्रकार के अधिगमकर्ता प्रायः देखकर सीखने का प्रयास करते हैं। ये अच्छे अवलोकनकर्ता होते हैं। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण के दौरान ग्राफ, फ्लो चार्ट, चित्र, डायग्राम इत्यादि के द्वारा संप्रत्यय निर्माण का प्रयास करें। ये किताब अथवा नोट्स को पढ़कर बेहतर ढंग से सीख सकते हैं।
3) पेशी इन्द्रिय द्वारा सीखना (Kinaesthetic Learner): ये प्रायः बेहतर खिलाडी होते हैं। मांसपेशियों द्वारा मस्तिष्क तक सम्वेदनाएँ पहुँचती हैं जिससे अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं। लिखकर सीखना इनके लिए सरल होता है। अधिक से अधिक लिखना, नोट्स बनाना इन्हें पसन्द होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा इनका अधिगम पूर्ण होता है।
4) स्पर्श के द्वारा सीखना (Tactile Learner): इस अधिगम विधि का उपयोग प्रायः दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। स्पर्श विधि के द्वारा इनमे अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

यहाँ यह स्पष्ट करना अतिआवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग विधियों द्वारा सीखता है। ऐसा कतई सम्भव नहीं है कि देखकर सीखने वाला व्यक्ति केवल देखकर और सुनकर सीखने वाला व्यक्ति केवल सुनकर सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति वातावरण से सम्वेदना ग्रहण करने हेतु अपनी समस्त इन्द्रियों का अधिकतम इस्तेमाल करता है किन्तु किसी विशेष इन्द्रिय का इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा करता है। वही उसके अधिगम का मुख्य तरीका अथवा माध्यम बन जाता है।पाठ्यवस्तु के संदर्भीकरण हेतु निम्नलिखित तकनीकों का इस्तेमाल कक्षा के अंतर्गत किया जा सकता है –

- अधिगमकर्ता को अनुदेशन प्रदान करते समय भाषा का अर्थ स्पष्ट करने हेतु हमेशा वास्तविक तथा अर्थपूर्ण वातावरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए
- भाषा विकास के लिए प्रारूप अथवा मॉडल की सहायता ली जा सकती है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मॉडल अथवा सूक्ष्म प्रारूप (Miniature)संकल्पना विकास में बाधक भी बन जाता है। अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में यह संप्रत्यय निर्माण हो जाता है की वास्तविक वस्तु भी इतनी ही बड़ी आकार की होगी। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए Model या Miniature का उपयोग सावधानी से करना चाहिए।
- मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल करके संकल्पना का विकास कर पाना सरल होता है

- संप्रत्यय विकास हेतु सम्पूर्ण गतिविधि में अधिगमकर्ता को सम्मिलित किया जाना चाहिए
- चित्र अथवा फ्लैश कार्ड जैसी द्वि आयामी साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है
- नाटकीकरण अथवा रोल प्ले के द्वारा संप्रत्यय विकास कराया जा सकता है
- क्ले मॉडलिंग के द्वारा अलग-अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कराकर भाषा की समझ बढाई जा सकती है

4.9 आकलन तथा मूल्यांकन

आकलन एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें किसी बालक अथवा शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल तथा विकास से सम्बन्धित वर्तमान आँकड़े एकत्र किया जाता है।किसी बालक अथवा व्यक्ति के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण की योजना से सम्बन्धित भविष्य में जाने वाले निर्णय हेतु व्यवस्थित सूचनाओं का संगठन तथा उनका विश्लेषण करना ही आकलन कहलाता है। यह सदैव किसी कार्यक्रम अथवा पाठ की शुरुआत में किय जाता है ताकि पूर्व ज्ञान के स्तर का पता लगाया जा सके।जबकि, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितिओं तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जाँच की जाती है। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनके अर्थापन करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन सदैव किसी कार्यक्रम अथवा पाठ की समाप्ति पर उपलब्धि की जाँच करने के लिए किया जाता है। हालाँकि वर्तमान समय में कई विद्वानों में इस बिन्दु पर मतभेद दिखाई पड़ता है। आकलन तथा मूल्यांकन दोनों शब्दों को प्रायः एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। कई स्थान पर प्री असेसमेंट तथा पोस्ट असेसमेंट शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है।

1.6.1 सतत तथा व्यापक मूल्यांकन सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय विद्यालय स्तर पर एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली से है जो अधिगमकर्ता के सभी विकासात्मक क्षेत्रों का विस्तृत मूल्यांकन करने में सक्षम हो। अधिगमकर्ता द्वारा किस प्रकार के पाठ्यवस्तु किस हद तक सीखी गयी, सीखने का विशिष्ट माध्यम कौन सा है, सीखने की प्रकृति कैसी है ,उपलब्धि का वर्तमान स्तर क्या है, अधिगमकर्ता का व्यवहार किस प्रकार का है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास इस प्रकार के मूल्यांकन के दौरान किया जाता है। यहाँ "सतत्" शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्पूर्ण सत्र के दौरान निरंतर चलते रहना चाहिए। यह एक बार घटित होने वाली घटना के रूप में नहीं होनी चाहिए। जबकि "व्यापक" शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि मूल्यांकन का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसे केवल कुछ शैक्षणिक विषयों तक अथवा विद्यालीय गतिविधियों के मूल्यांकन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसमें शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक दोनों तरह के गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। संक्षेप में यदि कहा जाय तो अधिगमकर्ता के अधिगम से सम्बन्धित समस्त क्षेत्रों को टटोलने का प्रयास किया जाता है ताकि उनके बारे में एक सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. संज्ञानात्मक, मनोगामक तथा भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना

2. रटने अथवा याद करने के स्थान पर चिन्तन शक्ति तथा तर्क शक्ति के विकास को बढ़ावा देना
3. मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना
4. मूल्यांकन का उपयोग अधिगमकर्ता की उपलब्धि बढ़ाने के लिए करना
5. मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम के तरीके निर्धारित करना
6. मूल्यांकन को शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु हथियार के रूप में इस्तेमाल करना
7. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिगमकर्ता केन्द्रित बनाना

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के मुख्य तथ्य :

1. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विविध प्रकार के जाँच प्रपत्र तथा तकनीक का संगठित इस्तेमाल किया जाता है
2. यह बहुत ही विस्तृत होता है जिसके अन्तर्गत समस्त विकासात्मक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है
3. इसमें मूल्यांकन को भयमुक्त बनाने तथा अधिगमकर्ता के तनाव को कम करने पर जोर दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम के छोटे से छोटे अंश का भी मूल्यांकन बहुत ही बारीकी के साथ किया जाता है
4. यह विद्यालय स्तर पर किया जाने वाला मूल्यांकन है जिसमें पाठ तथा पाठसहगामी दोनों प्रकार की कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है
5. इस प्रकार के मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा को भी शामिल किया जाता है
6. इस प्रकार के विस्तृत मूल्यांकन में रूपदेय (Formative) तथा योगदेय (Summative)दोनों प्रकार के मूल्यांकन शामिल होते हैं
7. इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को उपयोगी पृष्ठपोषण(Feedback) मिलता है

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य

1. यह शिक्षकों को एक प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करता है
2. इससे शिक्षार्थी की उपलब्धियों का निरंतर पता चलता रहता है
3. इससे शिक्षार्थी के मजबूत तथा कमजोर पक्ष का पता चलता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया का व्यक्तिगत स्तर पर नियोजन करना संभव हो पाता है
4. इससे बालक अपना स्वमूल्यांकन भी कर पाता है
5. सतत् एवं समग्र मूल्यांकन से शिक्षार्थी की नैतिक विकास, रूचि तथा अभिक्षमता का पता चलता है जिससे भविष्य में शिक्षा की दिशा निर्धारित करने तथा उचित नियोजन करने में सहायता मिलती है। इससे भविष्य में व्यवसाय का चुनाव करने में भी सहायता मिलती है। उपरोक्त मूल्यांकन करने हेतु रूपदेय (Formative) तथा योगदेय (Summative) दोनो प्रकार के मूल्यांकन व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। रूपदेय तथा योगदेय मूल्यांकन को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है

1.6.2 समावेशित कक्षाओं में मूल्यांकन के वैकल्पिक माध्यम :

शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में मूल्यांकन की विशेष भूमिका होती है। इसके द्वारा अधिगमकर्ता की उपलब्धियों की जाँच की जाती है। किन्तु समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अलग-अलग प्रकार के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे शामिल होते हैं अतः सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक ही तरह की मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। मूल्यांकन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उनका अनुकूलन करना आवश्यक है। मूल्यांकन के वैकल्पिक माध्यम निम्नलिखित हैं :

- दृष्टिबाधिता वाले बालकों हेतु मूल्यांकन के प्रश्न ब्रेल अथवा बड़े छापे वाले अक्षर में उपलब्ध होना चाहिए
- इनके लिए लिखने की समस्या को दूर करने हेतु लेखक की सुविधा दी जा सकती है अथवा यदि बालक बड़ा हो और कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हो तो सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक (ICT) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- वैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति, जो ब्रेल नहीं पढ़ सकते उनका मूल्यांकन हेतु टेप रिकॉर्डर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य तन्त्र द्वारा किया जाना चाहिए।
- एक घंटे में 20 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान अलग-अलग शिक्षा बोर्ड द्वारा की गयी है जो सर्वथा उचित है।
- श्रवणबाधित बालकों के लिए यथा संभव प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए
- यदि बालक संकेत भाषा का इस्तेमाल करता है तो द्विभाषीया की सुविधा ली जा सकती है
- एक घंटे में 20 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान अलग-अलग शिक्षा बोर्ड द्वारा की गयी है जो सर्वथा उचित है।
- बहु-विकलांग बालकों जिनमे विशेष रूप से सम्प्रेषण प्रभावित होता है, के लिए वैकल्पिक और आगम संचार विधि (Augmentative & Alternative Communication) की सहायता ली जा सकती है

अभ्यास प्रश्न

6. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं ?
7. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या लाभ है ?

4.10 सारांश

समावेशित शिक्षा व्यवस्था में एक ही कक्षा में अलग-अलग अधिगम क्षमता वाले बच्चे अध्ययनरत होते हैं। सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षक के लिए एक चुन्नौतिपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक के अधिगम के तरीकों को ध्यान में रखते हुए

शिक्षण विधि में अनुकूलन किया जाये ताकि अधिगम अधिकतम स्तर तक संभव हो सके और वह टिकाऊ हो। शिक्षण हेतु सहायक उपकरण, कक्षा का वातावरण, पाठ्यवस्तु, बैठक व्यवस्था, तथा मूल्यांकन पद्धति में भी अनुकूलन किया जाना आवश्यक है। मूल्यांकन पद्धति यदि भलीभांति कार्यान्वित की जाये, तो बालक की उपलब्धि का स्तर बेहतर ढंग से पता लगाया जा सकता है। इससे समस्त शिक्षण व्यवस्था का संचालन सरल तथा सफल हो सकता है।

4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या, दोनों ही शब्दों को प्रायः एक दूसरे के बदले इस्तेमाल में लाया जाता है, किन्तु दोनों में पर्याप्त अंतर है। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जबकि पाठचर्या के अन्तर्गत विद्यालय के आलावा उन तमाम तरह के अनुभवों को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति अपने समस्त जीवन में सीखता है।
2. पाठचर्या का अभिप्राय उन समस्त अधिगम अनुभवों से है, जो व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में सीखता है।
3. समावेशित शिक्षा व्यवस्था में सभी प्रकार की अधिगम क्षमताओं वाले बालक एक साथ अध्ययन करते हैं। सबके सीखने की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। अतः उनकी क्षमता-अक्षमता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यवस्तु, शैक्षिक वातावरण, पाठ सहगामी क्रिया, सहायक उपकरण इत्यादि में संशोधन किया जाता है। इसे पाठचर्या अनुकूलन के नाम से जाना जाता है।
4. इससे बालक अपनी क्षमता के अनुरूप अपमी गति से पाठ को सीख पाता है
5. प्राथमिक कक्षाओं में अथवा कई बार माध्यमिक कक्षाओं में भी निर्धारित पाठ्यवस्तु की जटिलता का स्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को इन्हें सीखने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है। इन समस्याओं को देखते हुए कई बार "विलोपन" तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
6. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिक्षक, बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अनवरत अवलोकन करते हैं तथा उसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है। इसके लिए समय-समय पर साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, मुखी अथवा लिखित रूप में आयोजित करवाई जाती है।
7. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यह एक क्रन्तिकारी परिवर्तन है। इससे अधिगमकर्ताओं के तनाव को कम करने तथा परीक्षा के प्रति भय के माहौल को समाप्त करने में सहायता मिली है।

4 .12 सन्दर्भ ग्रन्थ व उपयोगी पाठ्य पुस्तकें

1. Balsara M. (2010), Principles of Curriculum Reconstruction, Kanishka Publishers, New Delhi
2. Sharma P.(2015), Curr|culum Development, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi
3. Singh R.P(), Bauddhik evam Vikasatmak Akshamata se Prabhavit vyaktiyon hetu pathykram vikas, Kanishka Publishers, New Delhi
4. Training Module on Mental Retardation, SSA
5. Julka A.(2014) Including Children with Special Needs, Primary Stage, NCERT, New Delhi

4.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं ? पाठ्यक्रम विकास के महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या करें।
2. पाठ्यक्रम अनुकूलन से क्या समझते हैं ? इसकी आवश्यकता क्यों है ? श्रवणबाधित बालकों हेतु पाठ्यक्रम अनुकूलन को विस्तार से लिखें।
3. सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें।
4. पाठ्यवस्तु के संदर्भीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।

इकाई 5- समावेशन हेतु विद्यार्थी व अधिगम अनुसमर्थन
Learning and Learner Support for Inclusion

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 सहायक तकनीकी: परिचय
5.3.1 सहायक तकनीकी की विशेषताएँ
5.3.2 सहायक तकनीकी की परिभाषा
5.3.3 मिड-टेक सहायक तकनीकी
5.3.4 हाई-टेक सहायक तकनीकी
5.4 विशिष्ट सहायक तकनीकी
5.4.1 दृष्टिबाधिता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी
5.4.2 श्रवणबाधित तथा वाचन अक्षमता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी
5.4.3 गामक विकलांगता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी
5.4.4 बौद्धिक विकलांगता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी
5.5 समावेशन हेतु आईसीटी संवर्धन
5.6 अधिगम के यूनिवर्सल डिज़ाइन (सार्वभौमिक प्रारूप)
5.7 सारांश
5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.9 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें
5.10 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

समावेशित शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढ़ाँचा होता है, वही समावेशन को परिभाषित करता है। शिक्षा में समावेशन का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार यह है कि प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना व अर्न्तक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2005 का भी मानना है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें। ऐसे बच्चों को सीखने-सिखाने की क्रिया में समुचित अवसर तथा अनुसमर्थन देने की आवश्यकता होती है।

विद्यालयी प्रणाली में शामिल प्रत्येक बच्चे को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, शारीरिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य एवं उसके अधिगम के तौर तरीकों के सन्दर्भ में समझना तथा उसी अनुरूप सहायता उपलब्ध करना आवश्यक है। सूचना तथा संचार तकनीकी इस प्रकार की सहायता पहुँचाने में मददगार साबित होती हैं। तकनीकी समर्थित समावेशी शिक्षा के आधार पर बच्चे की सीखने-सिखाने की क्रिया प्रभावशाली हो सकती है। प्रस्तुत इकाई समावेशी शिक्षा में बच्चों तथा उनके सीखने की प्रक्रिया में सूचना तथा संचार तकनीकी के अनुसमर्थन पर आधारित है। इस इकाई में सहायक तकनीकी तथा यूनिवर्सल डिज़ाइन पर भी चर्चा की गयी है।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई द्वारा आप:

- सहायक तकनीकी को परिभाषित कर सकेंगे।
- विभिन्न विकलांगजनों हेतु विशिष्ट सहायक तकनीकी के बारे में जान सकेंगे।
- समावेशन हेतु आई.सी.टी. संवर्धन की महत्ता को समझ सकेंगे।
- अधिगम के सार्वभौमिक प्रारूप (यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग) के विभिन्न सिद्धांतों को जान सकेंगे।

5.3 सहायक तकनीकी: परिचय

सहायक तकनीकी (Assistive Technology), प्रौद्योगिकी का एक रूप जिसका उपयोग विकलांगता प्रभावित व्यक्ति अपने कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए करता है। अक्सर, विकलांग लोगों को दोस्तों के साथ बात करने, स्कूल और काम करने के लिए जाने, या मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने जैसे दैनिक कार्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सहायक तकनीकी एक उपकरण के रूप में है, जो इन चुनौतियों पर काबू पाने के साथ-साथ विकलांगता से प्रभावित लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने में मदद करती है। सहायक तकनीकी के आभाव में सामान्यतः निर्धारित कार्य को विकलांगजन नहीं कर सकते या आसानी से नहीं कर सकते हैं।

5.3.1 सहायक तकनीकी की विशेषताएँ

सहायक तकनीकी, सहायक उत्पादों और संबंधित सेवाओं दोनों को समाहित करने वाले एक व्यापक प्रत्यय के रूप जाना जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। सहायक उत्पादों को भी सहायक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। सहायक तकनीकी का संबंध किसी भी सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या उत्पाद है, जिसे विकलांग व्यक्तियों के कार्य क्षमता की वृद्धि, उसे बनाए रखने, या सुधार करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सहायक तकनीकी की विशेषताएँ निम्न हो सकती हैं :

- सहायक तकनीकी निम्न-प्रौद्योगिकी के हो सकते हैं।
- सहायक तकनीकी उच्च-प्रौद्योगिकी के भी हो सकते हैं।
- सहायक तकनीकी एक हार्डवेयर उपकरण हो सकता है।
- सहायक तकनीकी एक कंप्यूटर-हार्डवेयर हो सकता है।
- यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है।
- सहायक तकनीकी समावेशी या विशेष शिक्षण सामग्री हो सकते हैं।
- सहायक तकनीकी पाठयक्रम सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता प्राप्त किया जा सकता है।
- सहायक तकनीकी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे – इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, व्हीलचेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर आदि।

सहायक तकनीकी बोलने, टाइपिंग, लेखन, स्मरण, सुनने, सीखने, घूमने, और कई अन्य क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों की मदद करता है। विभिन्न अक्षमताओं के लिए भिन्न-भिन्न सहायक प्रौद्योगिकियों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। सहायक उत्पादों से संबंधित सेवाओं में रेफरल,

आर्थिक सहायता, योजनाएं/आदेश, फिटिंग, बच्चे या परिवार के सदस्यों का प्रशिक्षण, रखरखाव और मरम्मत आदि शामिल होते हैं। इनमें चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक विशेषज्ञता संबंधी सेवा भी अंतर्निहित हो सकती हैं। प्रत्येक प्रकार के सहायक तकनीकी उपकरण हेतु उसके अपने आकलन की आवश्यकता तथा तरीके हो सकते हैं।

5.3.2 सहायक तकनीकी की परिभाषा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'अंतर्राष्ट्रीय क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य वर्गीकरण' (आईसीएफ) [The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)] के अनुसार सहायक उत्पाद और प्रौद्योगिकी को किसी भी रूपांतरित या विशेष उत्पाद, उपकरण, साधन, या प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति के कामकाज में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया हो। (assistive products and technology as any product, instrument, equipment or technology adapted or specially designed for improving the functioning of a person with a disability)

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन [International Organization for Standardization (ISO)] के अनुसार सहायक उत्पाद को आम तौर पर उपलब्ध किसी भी उत्पाद या विशेष रूप से उत्पादितकिसी उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है, जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा या उनके लिए प्रयोग किया जाता हो और जिसका उपयोग प्रतिभाग के लिए, रक्षा के लिए, समर्थन के लिए, प्रशिक्षण के लिए, शरीरिक कार्यों / संरचनाओं और गतिविधियों के लिए विकल्प के रूप में, या, फिर दोष, सीमाओं या भागीदारी प्रतिबंध को रोकने के लिए किया जाता है। यह उपकरणों, यंत्र, डिवाइस और सॉफ्टवेयर को शामिल करता है। (assistive products more broadly as any product, especially produced or generally available, that is used by or for persons with disability: for participation; to protect, support, train, measure or substitute for body functions/structures and activities; or to prevent impairments, activity limitations or participation restrictions. This includes devices, equipment, instruments and software)

अमेरिका के विकलांग जन शिक्षा अधिनियम, 1997 [The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 1997] के अनुसार सहायक तकनीकी को एक उपकरण

(डिवाइस) और एक सेवा दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है। सहायक तकनीक डिवाइस का अर्थ किसी भी ऐसे सामग्री, उपकरण, या उत्पाद सिस्टम के भाग से है, जो एक विकलांगता से प्रभावित बच्चे में कार्य क्षमताओं की कुशलता बनाए रखने, या उनमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे उसे स्वयं से, व्यावसायिक रूप से संशोधित, या इच्छित रूप से प्राप्त किया गया हो। सहायक तकनीकी सेवा का संबंध किसी भी ऐसी प्रत्यक्ष सेवा से है जो सहायक तकनीकी डिवाइस के चयन, अधिग्रहण, या प्रयोग में एक विकलांग बच्चे को सहायता पहुंचाती है। (The term assistive technology device means "any item, piece of equipment, or product system, whether acquired commercially off the shelf, modified, or customized, that is used to increase, maintain, or improve functional capabilities of a child with a disability. The term "assistive technology service means any service that directly assists a child with a disability in the selection, acquisition, or use of an assistive technology device.)

सहायक तकनीकी उच्च-प्रौद्योगिकी से निम्न प्रौद्योगिकी की एक निरंतरता के साथ विस्तार के साथ एक विशाल श्रृंखला है।

IDEA

Individuals with Disabilities Act

5.3.3 लो-टेक सहायक तकनीकी

लो-टेक सहायक तकनीकी, सहायक तकनीक का सबसे आम रूप है। इनमें से अधिकांश अधिकांश कक्षाओं में मौजूद हो सकते हैं। लो-टेक सहायक तकनीकी उपकरण जटिल या यांत्रिक सुविधाओं के बिना होते हैं, उनके प्रयोग में ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है। साथ ही ये कम खर्चीले होते हैं।

उदाहरण: अनुकूलित पेंसिल, पेंसिल पकड़, अनुकूलित रबड़, हाइलाइटर, आवर्धक लेंस, बड़े प्रिंट पुस्तक, वॉकर, आदि।

5.3.4 मिड-टेक सहायक तकनीकी

सहायक तकनीक के दूसरे प्रकार के रूप में मिड-टेक सहायक तकनीक हैं। मिड-टेक सहायक तकनीक वाले उपकरण कुछ जटिल सुविधाओं के साथ हो सकते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी से संचालित हो सकते हैं और साथ ही कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। ये उपकरण थोड़े अधिक महंगे भी हो सकते हैं।

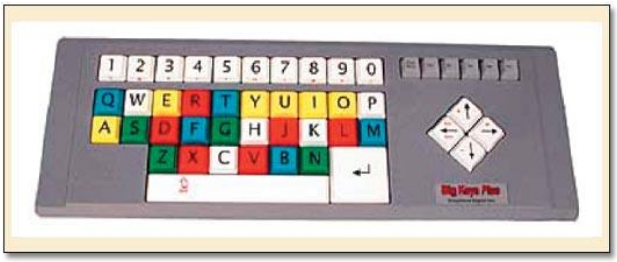

उदाहरण: ऑडियो बुक, व्हील चेयर, अनुकूलित की-बोर्ड, अनुकूलित कैलकुलेटर, सीसीटीवी, एम्पलीफायर, हियरिंग ऐड, ब्रेलर, आदि।

5.3.5 हाई-टेक सहायक तकनीकी

सहायक तकनीक के तीसरे और अंतिम रूप से हाई-टेक सहायक तकनीकी है। ये सबसे जटिल उपकरणों की श्रेणी है, ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर उपकरणों के लिए संदर्भित होता है। इसके

प्रयोग हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। यह सहायक तकनीक का सबसे तीव्र और महंगा रूप है।

उदहारण: कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल हैंड्स फ्री डिवाइस/हेडसेट, स्क्रीन रीडर, वौइस् एक्टिवेटिड टेलीफोन, ब्रेल एम्बोस्सेर आदि।

अभ्यास प्रश्न:

A. मैग्नीफायर किस श्रेणी की एक सहायक तकनीकी है ?
   a. लो-टेक
   b. मिड-टेक
   c. हाई-टेक
   d. नो-टेक

B. सहायक तकनीकी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है:
   a. कोई भी रूपांतरित या विशेष उत्पाद
   b. कोई भी रूपांतरित या विशेष उपकरण
   c. कोई भी रूपांतरित या विशेष प्रौद्योगिकी
   d. उपरोक्त सभी

5.4 विशिष्ट सहायक तकनीकी

सहायक तकनीकी को उपयोग के आधार पर भी बांटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) ने सहायक तकनीकी का कुछ निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया है:

- निजी चिकित्सा उपचार,
- कौशल में प्रशिक्षण,
- व्यक्तिगत देखभाल और संरक्षण,
- व्यक्तिगत गतिशीलता,
- गृह व्यवस्था,
- संचार और सूचना,
- वस्तुओं और उपकरणों से निपटने,
- पर्यावरण सुधार और मूल्यांकन,
- रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण,
- मनोरंजन,
- कृत्रिम अंग।

प्रत्येक प्रकार के विकलांगता की प्रकृति भिन्न होती है और साथ ही उनकी शैक्षिक आवश्यकता भी भिन्न होती है। विकलांगता के प्रकृति के आधार पर भी सहायक तकनीकी को वर्गीकृत किया जा सकता है। हम अलग-अलग विकलांगता के आवश्यकता अनुरूप सहायक तकनीकी को समझेंगें। आइए हम बारी-बारी से कुछ प्रमुख सहायक तकनीकी के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं:

5.4.1 दृष्टिबाधिता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी

- **ब्रेल स्लेट-** दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला यह एक सहायक उपकरण है, जिसके मदद से वो ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। ब्रेल बायीं से दायीं ओर पढ़ते हैं, जबकि लिखते समय ब्रेल स्लेट पर दायीं से बायीं ओर बिन्दुओं को उभरा जाता है। ब्रेल स्लेट कई प्रकार के हो सकते हैं।

- **अबेकस -** अबेकस दृष्टिबाधित बच्चों को गणना कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें गणना कार्य के चरणों को संरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इसमें सेपरेशन बार के ऊपर-नीचे की मोतियों को सेट करने से मान तय किए जाते हैं।

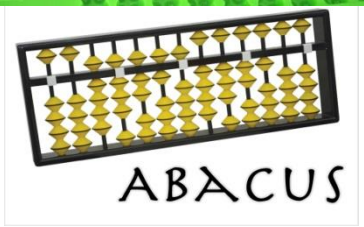

- **टेलर फ्रेम-** टेलर फ्रेम भी दृष्टिबाधित बच्चों को गणना कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसमें गणना कार्य के चरणों को संरक्षित रखा जा सकता है। यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा इसमें बने अष्ठकोण सांचे में टाइप को रखने के अनुरूप मान तय किए जाते हैं।

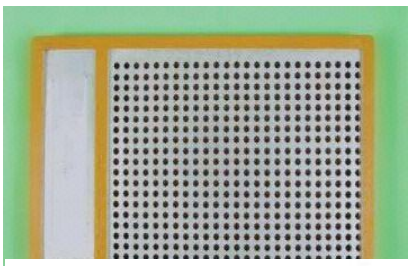

- **ब्रेलर-** ब्रेलर एक ब्रेल लिखने का उपकरण है, जिसके माध्यम से कम शारीरिक शक्ति या कम थकान के साथ ब्रेल सुगमता से और तेज गति से लिखी जा सकती है। यह दिखने में छोटे टाइपराइटर जैसा होता है। स्मार्ट ब्रेलर के नाम से अति आधुनिक ब्रेलर भी उपलब्ध है।

- **डेज़ी प्लेयर-** डेज़ी या DAISY (Digital Accessible Information System) के लिए एक तकनीकी मानक है। डेज़ी फॉर्मेट मुद्रित सामग्री के लिए एक पूरा ऑडियो विकल्प है, जिसे विशेष रूप से दृष्टिबाधित और डिस्लेक्सिया सहित कई लोगों द्वारा उपयोग के

लिए बनाया गया है। डेज़ी प्लेयर पर इसी प्रारूप के ऑडियो बुक को उन्नत सुविधाओं के साथ सुना जा सकता है।

- **स्क्रीन रीडर-** स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है, जो नेत्रहीन या दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता हेतु वैकल्पिक रूप से सुनने की अनुमति देता है। JAWS स्क्रीन रीडर का एक प्रचलित उदाहरण है।

- **लेज़र केन-** दृष्टिबाधित बच्चों या व्यक्तियों के चलने-फिरने हेतु यह एक आधुनिक उपकरण है, जिसके द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चल सकता है।

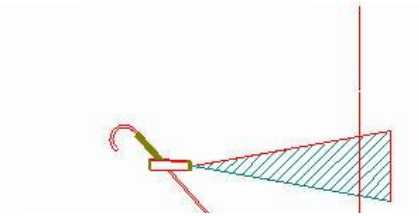

- **रीडिंग स्टैंड-** यह एक प्रकार का अप्रकाशीय उपकरण है, जिससे अल्प-दृष्टि वाले बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार पुस्तक को आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं।

- **राइटिंग गाइड** -: यह अल्पदृष्टि बच्चोबं के लेखन - में मदद करने वाला उपकरण या सहायक कार्य सामग्री है। इसमें बड़ी-बड़ी पंक्तियों हेतु रबर स्ट्रिंग लगे होते हैं। इसकी मदद से अल्पदृष्टि बच्चे आसानी से लिख सकते हैं।

- **मैग्नीफायर-** यह मुख्यतः पढ़ने में मदद करने वाला उपकरण है। जिसे एक हाथ से पकड़ कर

इस्तेमाल किया जाता है। यह मैग्नीफायर प्रकाश स्त्रोत युक्त भी हो सकता है। यह एक स्टैंड नुमाँ भी हो सकता है। इसका प्रयोग भी अल्प-दृष्टि वाले बच्चे अपनी पुस्तकों को पढ़ने में करते हैं। यह मैग्नीफायर भी

प्रकाश स्त्रोत युक्त हो सकता है।

- **टेलिस्कोप-** यह दूरदृष्टि के - तु प्रयोग में लाये कार्यों को करने हे जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। बच्चे ब्लैकबोर्ड को पढ़ने, घूमने-

इसे

फिरने आदि रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं।

- **क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न (CCTV)-** क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कई श्रेणी के विकलांग बच्चों हेतु सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसकी सहायता से बच्चे सुगमता से पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चे अपनी आवश्यकता अनुरूप आवर्धन या मैग्नीफिकेशन को घटा या बढा सकते हैं। यहाँ तक की इस उपकरण में कंट्रास्ट तथा पृष्ठभूमि आदि को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

- **स्क्रीन मैग्निफायर-** स्क्रीन मैग्निफायर एक कंप्यूटर आधारित सहायक उपकरण है। यह स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली टेक्स्ट ,आकृति आदि को बड़ा बना देता है। इसमें बहुत एडवांस स्तर पर कार्य किया जा सकता है। यह यूजर या उपयोगकर्ता के आवश्यकता अनुरूप स्क्रीन को बदलने में सक्षम होता है। प्रमुख स्क्रीन मैग्निफायर में से डॉलफिन ,मैजिक (MAGIc), ज़ूमटेक्स्ट आदि हैं।

- **डॉक्यूमेंट रीडर-** डाक्यूमेंट रीडर एक ऐसा उपकरण होता
- है, जो छपे अक्षरों को पढ़ने में सहायक होता है। इस
- प्रकार के उपकरण दृष्टिबाधित या अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए प्रभावी होता है।

5.4.2 श्रवणबाधित तथा वाचन अक्षमता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी

- **एफ.एम. सिस्टम-** एफएम सिस्टम आवाज प्रसारित करने के लिए प्रवर्धित संकेतों का उपयोग करती है। यह अक्सर कक्षाओं में प्रयोग लाये जाते हैं, जहां प्रशिक्षक एक ट्रांसमीटर से जुड़े एक छोटे से माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है, जबकि बच्चे रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं।
- **पर्सनल एम्पलीफायर-** व्यक्तिगत एम्पलीफायरों को शरीर पर धारण किया या फिर हाथ में रख कर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसके मदद से एक छोटे समूह सेटिंग में बातचीत करने में संवर्धन प्राप्त होता है। इन व्यक्तिगत एम्पलीफायरों के अधिकांश एड्स हेडफोन के साथ आते हैं।

- **हियरिंग ऐड-** एक हियरिंग एड डिवाइस सुनने में सुधार करने के लिए बनाया गया उपकरण होता है। हियरिंग ऐड को ज्यादातर देशों में चिकित्सा उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.4.3 गामक विकलांगता संबंधी विशिष्ट सहायक तकनीकी

- **व्हील चेयर-** व्हीलचेयर पहियों युक्त एक कुर्सी है, जो किसी बीमारी, चोट, या विकलांगता के कारण चलने में असमर्थ लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। व्हीलचेयर पॉवर श्रोत युक्त भी हो सकता है।
- **जॉय स्टिक-** जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जिसे सामान्यतः गेमिंग के लिए या किसी अन्य उच्च तकनीकी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सहायक तकनीकी के सन्दर्भ में यह कंप्यूटर माउस के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे गंभीर शारीरिक विकलांगता से प्रभावित लोग इस्तेमाल में लाते हैं।
- **बोल्ड मार्कर-** इससे लिखे जाने वाला हर अक्षर बड़ा लिखा जाता है। इसका रंग भी गाढा होना चाहिए जिससे लिखने तथा बाद में पढ़ने में आसानी हो सके। मोटा होने की वजह से इसकी ग्रिप भी बेहतर होती है। यह अल्पदृष्टि या गामक अक्षमता वाले बच्चों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है।

5.4.4 बौद्धिक विकलांगता संबंधी सहायक तकनीकी

बौद्धिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवश्यकता अनुरूप कई ऐसे उपकरणों को उपयोग में ले सकते है, जो अन्य विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है।

- **विडियो मॉडलिंग-** किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इन बच्चों को उस क्रिया से संबंधी वीडियो उदाहरण दिखा कर कार्य के प्रति तत्परता की समीक्षा की जा सकती है।
- **प्रोम्पटिंग टूल** – कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी सहायता और समय-समय पर थोड़ी मदद आवश्यक है

(जैसे- अगले कदम के लिए निर्देश), प्रोम्पटिंग टूल इसमें मदद पहुँचाने का कार्य करते हैं। कई स्तर के प्रोम्पटिंग डिवाइस तथा एप्प मौजूद हैं।

- **डिजिटल रिकॉर्डर** – इसकी मदद से आवश्यक निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है तथा जरुरत पड़ने पर निर्देशों को सुना जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न:

A. कौन सा उपकरण गामक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण हो सकता है:
   a. ब्रेलर
   b. हियरिंग ऐड
   c. जॉय स्टिक
   d. अबेकस

B. कौन सा उपकरण श्रवण विकलांगता वाले बच्चों के लिए सहायक हो सकता है:
   a) टेलर फ्रेम
   b) एफ.एम. सिस्टम
   c) जॉय स्टिक
   d) व्हील चेयर

5.5 समावेशन हेतु आईसीटी संवर्धन

तकनीकी व्यक्ति में विभेद नहीं करती है। उपरोक्त खण्डों में हमने समझा है कि किस प्रकार तकीनीकी विशेष रूप से आवश्यकता वाले व्यक्तियों या बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकती है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में सहायक तकनीकी की दक्षता समावेशन को प्रभावी बनाती है। सूचना तथा संचार तकनीकी (आईसीटी) एक व्यापक संप्रत्यय है, जो रेडिओ या सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) से लेकर अति आधुनिक क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन, सभी को समाहित करता है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी संवर्धन द्वारा शिक्षकों व विद्यार्थियों को वर्तमान व भविष्य की संचार-तकनीकी के लिए तैयार किया जा सकता है। समावेशन में आईसीटी संवर्धन की आवश्यकता तथा महत्ता को हम आईसीटी आधारित निम्न कुशलताओं एवं विशेषताओं द्वारा समझ सकते हैं:

a) **विश्व के साथ संयोजन में मददगार:** आईसीटी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को शिक्षण और सीखने के लिए पाठ्य-पुस्तक से परे जानकारी और संसाधनों का उपयोग करने हेतु योग्य बनाता है।

b) **एक दूसरे के साथ संयोजन में मददगार:** आईसीटी समर्थन द्वारा शिक्षक तथा बच्चे के बीच आपसी संवाद या अनुसमर्थन (शिक्षक-शिक्षक; शिक्षक-छात्र/छात्रा; छात्र-छात्र) को आधिक मजबूत किया जा सकता है। समर्थन और व्यावसायिक विकास हेतु विभिन्न सोशल मीडिया तथा नेटवर्किंग आदि की मदद भी ली जा सकती है।

c) **आईसीटी का सृजन:** शिक्षण संसाधन तथा शिक्षक दृश्य-श्रव्य सामग्री को विकसित करने हेतु संबंधी आईसीटी विशेषताओं तथा कुशलताओं का प्रयोग कर सकते हैं।

d) **आईसीटी के साथ संवाद:** विभिन्न आईसीटी इंटरफेस और कार्यात्मकता की समझ; सबसे उपयुक्त टूल का चयन; समस्या निवारण और सुरक्षा की समझ; कनेक्टिविटी और रखरखाव आदि महत्वपूर्ण पहलु हैं, जिनमें शिक्षक तथा विद्यार्थियों की दक्षता अपेक्षित होती है।

e) **शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाएं:** ऑनलाइन संसाधन से अंतःक्रिया, शिक्षा संबंधी लक्ष्यों से संबद्धता, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, अन्वेषण और प्रयोग, प्रशासन के लिए टूल्स आदि को बच्चों के शिक्षा से जोड़ना भी आवश्यक है।

f) **अंतरों को पाटना:** आईसीटी विभिन्न भाषा, दृश्य और श्रवण दोष के संदर्भ में समावेशन में मददगार हो सकता है। हम कई कार्यों हेतु आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर समावेशन को समर्थित कर सकते हैं, जैसे:

   i. दृष्टिबाधित बच्चों को दृष्टि आधारित सूचना उपलब्ध कराने में।

   ii. श्रवणबाधित बच्चों को बातचीत आधारित सूचना उपलब्ध कराने में।

   iii. बौद्धिक विकलांगता से प्रभावित बच्चों के अनुसमर्थन में।

   iv. सूक्ष्म-गामक कुशलता में क्षीण बच्चों के अनुसमर्थन में।

g) **शिक्षकों का आत्म-विश्वास वर्धन:** आईसीटी-कुशलता के स्तर का विकास बच्चों के सीखने को समर्थित करने के अतिरिक्त शिक्षकों में आत्म-विश्वास को भी प्रोत्साहित करती है।

उपरोक्त तथ्यों से हमने समझा है कि शिक्षक तथा छात्रों/छात्रों को उन तरीकों की पहचान करनी चाहिए, जिनसे आईसीटी उनकी कक्षाओं में शिक्षण और सीखने की क्रिया को समर्थन दे सके।

अभ्यास प्रश्न

A.आईसीटी सामान्यतः मदद नहीं करता है :

a. दृष्टिबाधित बच्चों को दृष्टि आधारित सूचना उपलब्ध कराने में
b. शिक्षकों के आत्म-विश्वास बढ़ने में
c. उत्तेजनाओं का संकलन में
d. छात्रों-शिक्षकों के मध्य संवाद स्थापन में

5.6 अधिगम के यूनिवर्सल डिज़ाइन (सार्वभौमिक प्रारूप)

यूनिवर्सल डिजाइन या सार्वभौमिक प्रारूप का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और संसाधनों के डिजाइन से है जो विभिन्न क्षमताओं या विकलांगताओं के साथ व्यापक रेंज के लोगों के लिए मान्य हो। निःशक्त जन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 [The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016] के अनुसार "सार्वभौमिक डिजाइन" का अर्थ ऐसे उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों और सेवाओं के डिजाइन से है, जो बिना किसी अनुकूलन या विशेष डिजाइन की आवश्यकता के सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने योग्य हों; साथ ही यह विकलांग व्यक्तियों के विशेष समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक तकनीकी के लिए भी लागू होता है। ("universal design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.)

अधिगम के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन भी ऐसे सीखने-सिखाने प्रारूप की वकालत करता है, जो सामान्य बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी प्रभावी हों। इस बात को समझना आवश्यक है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन ना तो सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर औसत स्तर के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। यह एक ऐसे प्रारूप की बात करता है जो सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयुक्त हो; चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो या बौद्धिक विकलांग बच्चा । अदिगम या सीखने के यूनिवर्सल डिजाइन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हो सकती हैं:

- यूनिवर्सल डिजाइन, सीखने के मूल डिजाइन की अवधारणा में सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे डिज़ाइन को और अधिक समावेशी बनाया जा सके।
- यह डिजाइन अधिगमकर्ता की विभिन्न क्षमताओं को समझने का दृष्टिकोण रखता है।
- सीखने के यूनिवर्सल डिजाइन के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होता है।
- यूनिवर्सल डिजाइन सिर्फ एक नए डिजाइन की प्रवृत्ति से कहीं ज्यादा एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है।
- यूनिवर्सल डिजाइन का उद्देश्य वर्तमान अधिगम या शिक्षण प्रारूपों को हटाने से नहीं है।

- समान अधिकार और विकलांगता संबंधी कानून के मानकों के आधार पर विकलांग बच्चों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।

- यूनिवर्सल डिजाइन केवल विकलांग बच्चों की ही नहीं बल्कि हर किसी की (उम्र, आकार, क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बगैर) जरूरतों को पूरा करता है।
- यह सिर्फ कुछ खास विशेषज्ञों या विद्यालयों के लिए डिजाइन की प्रविधि नहीं है, बल्कि किसी भी विद्यालय द्वारा इसे अपनाया जा सकता है।
- यूनिवर्सल डिजाइन का तात्पर्य सिर्फ 'सभी के लिए फिट एक आकार' से नहीं होता है।
- एक 'सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन' लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। जबकि, यूनिवर्सल डिजाइन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

यूनिवर्सल डिजाइन हेतु कई दुनिया भर के कई विश्वविद्यालय शोध कर रहे हैं। नार्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सल डिजाइन के सात सिद्धांत सुझाए हैं, जो प्रचलित भी हैं। आइए इन सिद्धांतों को जानते तथा समझते हैं-:

i. न्यायसंगत उपयोग (Equitable Use**)**

डिजाईन ऐसा होना चाहिए जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बने हों और सभी को उपयोग का एक ही या समतुल्य साधन प्रदान करते हों । साथ ही, सभी उपयोगकर्ता की गोपनीयता, सुरक्षा, और हिफाजत के लिए प्रावधान समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इस बात को समझना होगा कि यूनिवर्सल डिजाइन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अपील करते हैं।

ii. प्रयोग में लचीलापन (Flexibility in Use**)**

यूनिवर्सल डिजाइन व्यक्तिगत वरीयताओं और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त उपयोग के अवसर प्रदान करते हैं। उपयोग के तरीकों में भी विकल्प प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता को यह डिजाईन सटीकता और परिशुद्धता की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

iii. सरल और सहज प्रयोग (Simple and Intuitive Use)

इस प्रकार के डिजाइन की यह भी विशेषता होनी चाहिए कि उनके उपयोग को समझना आसान हो। अनावश्यक जटिलता को समाप्त कर देना चाहिए। उपयोगकर्ता के अनुभव, ज्ञान, भाषा कौशल, या वर्तमान एकाग्रता के स्तर की भी परवाह की जानी चाहिए, ताकि साक्षरता और भाषा कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के लोगों को यह समायोजित कर सके।

iv. प्रत्यक्षीकरण योग्य सूचना (Perceptible Information**)**

डिजाइन, उपयोगकर्ता के लिए प्रभावी ढंग से आवश्यक जानकारी को संचारित कर सके, यह आवश्यक है। उपयोगकर्ता के संवेदी क्षमताओं की परवाह किये बगैर डिजाईन को अपनी

प्रभावशीलता दिखानी चाहिए। आवश्यक जानकारी की प्रस्तुति के लिए अलग-अलग प्रारूप (जैसे- चित्र, मौखिक, स्पर्श आदि) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

v. त्रुटि के लिए सहनशीलता (Tolerance for Error**)**

डिजाइन को खतरों और आकस्मिक या अनायास परेशानियों के प्रति सहनशील होना चाहिए। खतरों और त्रुटियों को कम करने के लिए तत्वों की व्यवस्था डिजाईन में होनी चाहिए, साथ ही, खतरों और त्रुटियों की चेतावनी प्रदान करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

vi. न्युनतम दैहिक प्रयास (Low Physical Effort**)**

डिजाइन में कुशलता के साथ साथ आराम और थकान की एक न्यूनतम स्तर के साथ प्रयोग बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल डिजाईन उपयोगकर्ता को कम दैहिक प्रयास के साथ-साथ कार्यों को दुहराने के कम से कम मौके देता है।

vii. उपयोग और दृष्टिकोण हेतु आकार (Size and Space for Approach and Use**)**

उचित आकार और सार्वजानिक दृष्टिकोण के साथ यूनिवर्सल डिजाईन या सार्वभौमिक प्रारूप उपयोगकर्ता के शरीर के आकार, आसन, या गतिशीलता की परवाह किए बिना उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न

A. निम्न में से कौन सार्वभौमिक प्रारूप का सिद्धांत नहीं है:
   a. न्यायसंगत उपयोग
   b. प्रयोग में लचीलापन
   c. किफायती उत्पाद
   d. सरल और सहज प्रयोग

B. यूनिवर्सल डिजाइन:
   a. विकलांग, वृद्ध लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए केन्द्रित होता है
   b. सिर्फ एक नए डिजाइन की प्रवृत्ति तक संकीर्ण प्रत्यय
   c. उत्पादों में निम्न सौंदर्य मूल्य होता है
   d. उम्र, आकार, क्षमता की परवाह किए बगैर उपयोग में सक्षम

C. यूनिवर्सल डिजाइन है:
   a. विकलांग लोगों हेतु
   b. विशिष्ट क्षमता वालों हेतु
   c. उच्च शैक्षिक परिणाम हेतु
   d. सभी के लिए

5.7 सारांश

सहायक तकनीकी, प्रौद्योगिकी का एक रूप है, जिसका उपयोग विकलांगता प्रभावित व्यक्ति अपने कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए करती है। अक्सर, विकलांग लोगों को दोस्तों के साथ बात करने, स्कूल और काम करने के लिए जाने, या मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने जैसे दैनिक कार्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सहायक तकनीकी एक उपकरण के रूप में हैं जो इन चुनौतियों पर काबू पाने के साथ-साथ विकलांगता से प्रभावित लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने में मदद करती है।

सहायक तकनीकी, सहायक उत्पादों और संबंधित सेवाओं दोनों को समाहित करने वाले एक व्यापक प्रत्यय के रूप जानी जाती है या प्रयोग में लायी जाती है। सहायक उत्पादों को भी सहायक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। सहायक तकनीकी का संबंध किसी भी सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या उत्पाद है, जिसे विकलांग व्यक्तियों के कार्य क्षमता की वृद्धि, उसे बनाए रखने, या सुधार करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सहायक तकनीकी बोलने, टाइपिंग, लेखन, स्मरण, सुनने, सीखने, घूमने, और कई अन्य क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों की मदद करता है। विभिन्न अक्षमताओं के लिए भिन्न सहायक प्रौद्योगिकियों या उपकरणों की आवश्यकता होती है।

यूनिवर्सल डिजाइन या सार्वभौमिक प्रारूप का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और संसाधनों के डिजाइन से है जो विभिन्न क्षमताओं या विकलांगताओं के साथ व्यापक रेंज के लोगों के लिए मान्य हो। निःशक्त जन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 [The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016] के अनुसार "सार्वभौमिक डिजाइन" का अर्थ ऐसे उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों और सेवाओं के डिजाइन से है, जो बिना किसी अनुकूलन या विशेष डिजाइन की आवश्यकता के सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने योग्य हों; साथ ही यह विकलांग व्यक्तियों के विशेष समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक तकनीकी के लिए भी लागू होता है। यूनिवर्सल डिजाइन के सात सिद्धांत हैं :- 1) न्यायसंगत उपयोग; 2) प्रयोग में लचीलापन; 3) सरल और सहज प्रयोग; 4) प्रत्यक्षीकरण योग्य सूचना; 5) त्रुटि के लिए सहनशीलता; 6) न्युनतम दैहिक प्रयास; तथा 7) उपयोग और दृष्टिकोण हेतु आकार।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

A. - (a)
B. - (d)
C. –**(c)**
D. –**(b)**
E. –**(c)**
F. – **(c)**
G. – **(**d)

H. –(d)

5.9 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. WHO-UNICEF (2015). Assistive Technology for Children with Disabilities: Creating Opportunities for Education, Inclusion and Participation A discussion paper. World Health Organization, Geneva
2. Minnesota Department of Children, Families & Learning (2003). Minnesota Assistive Technology Manual. Division of Special Education, Minnesota Department of Children, Families & Learning.
3. National Trust (2016). Aids and Assistive Devices. National Trust, New Delhi. Available at http://thenationaltrust.gov.in/content/innerpage/aids-and-assistive-devices.php
4. CCPWD (2001). Planning a Barrier Free Environment. Chief Commissioner for Persons with Disabilities, New Delhi

5.10 निबंधात्मक प्रश्न

- समावेशन में सहायक तकनीकी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
- सहायक तकनीकी से आप क्या समझते हैं?
- सहायक तकनीकी के विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करें।
- विभिन्न कार्यों के अनुरूप सहायक तकनीकी का वर्गीकरण करें। प्रत्येक उपखंड हेतु उदाहरण भी प्रस्तुत करें।
- यूनिवर्सल डिज़ाइन या सार्वभौमिक प्रारूप का वर्णन करें।
- समावेशी शिक्षा के संवर्धन हेतु आईसीटी या सूचना तथा संचार तकनीकी की उपयोगिता पर प्रकाश डालें ।

खण्ड 2

Block 2

इकाई 1- संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे

Children with Sensory Dsabilities

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: परिचय
1.3.1 दृष्टिबाधिता
1.3.2 श्रवणबाधिता
1.4 संवेदी विकलांगता : विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं
1.5 संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: पहचान तथा आकलन
1.5.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा आकलन
1.5.2 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान तथा आकलन
संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: समावेशी कक्षा हेतु प्रविधियां
1.5.3 दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण हेतु सुझाव
1.5.4 दृष्टिबाधित बच्चों के कक्षा प्रबन्धन संबंधी सुझाव
1.5.5 श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण हेतु सुझाव
1.5.6 श्रवणबाधित बच्चों के कक्षा प्रबन्धन संबंधी सुझाव
1.6 सारांश
1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.8 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें
1.9निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

ज्ञानेन्द्रियाँ हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में हैं। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के द्वारा ही संभव होती है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है, जब उससे संबन्धित ज्ञानेन्द्रियों संवेदीतन्त्रिकाओं को उचित उद्दीपन प्राप्त होता है। हम उस विशेष संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा अनुवादित होने पर ही करते हैं। शरीर ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब आदि के प्रति संवेदनशील होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण में व्याप्त सूचनाओं को अपनी ज्ञानइंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। एक व्यक्ति के पास सूचनाओं को प्राप्त करने की लिए पांच ज्ञानेन्द्रियाँ होती है, जो निम्नलिखित हैं:

ज्ञानेन्द्रिय	संवेदना
आँख	दृष्टि
कान	श्रवण
नाक	घ्राण
जीभ	स्वाद
त्वचा	स्पर्श

व्यक्ति अपनी इन ज्ञानेन्द्रियाँ के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त कर, अपने दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति में यदि किसी ज्ञानेंद्री के क्रियात्मक क्षमता में क्षति होती है, तो उसकी निर्धारित संवेदना द्वारा होने वाला अधिगम प्रभावित होगा. यद्यपि व्यक्ति अपनी अन्य ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से वातावरण से व्याप्त सूचनाएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। प्रस्तुत इकाई ज्ञानेन्द्रियों या संवेदी अंगों में अक्षमता व्याप्त होने तथा इस प्रकार प्रभावित बच्चों के समस्याओं पर ही आधारित है। इस इकाई में हम संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की आवश्यकता, विशिष्टता तथा उनके समावेशन हेतु विभिन्न प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई द्वारा आप:

1. संवेदी विकलांगता की प्रकृति को जान सकेंगे।
2. संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की आवश्यकता को समझ पाएंगे।
3. संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान तथा आकलन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. समावेशी कक्षाओं में इन बच्चों के समावेशन हेतु विभिन्न प्रविधियों को समझ सकेंगे।

1.3 संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: परिचय

संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की श्रेणी में दो प्रकार के बच्चे आते है: 1) दृष्टि विकलांगता से प्रभावित बच्चे, तथा 2) श्रवण विकलांगता से प्रभावित बच्चे। आइए हम बारी-बारी से दोनों विकलांगता को समझने का प्रयास करते हैं।

1.3.1 दृष्टिबाधिता

दृष्टिबाधिता दृष्टि संबंधी क्षति की व्यापक श्रेणी है, जो विभिन्न दृष्टि क्षति की स्थिति को समाहित करती है। मानव दृष्टि आँखों या नेत्र द्वारा संभव हो पाती है। मानव नेत्र कई छोटे हिस्सों से बना एक जटिल संवेदी अंग है, जिनमें से प्रत्येक हिस्सा सामान्य दृष्टि हेतु महत्वपूर्ण है। साफ देख पाने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि ये हिस्से परस्पर कितने बेहतर तरीके से काम करते हैं। दृष्टि के

लिए दोनों आँखों के परस्पर उपयोग की क्षमता होती है। सटीक दृष्टि के लिए दोनों आँखें एक साथ तथा सटीकता से कार्य करती हैं।

नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें हमारी आँखों के कॉर्निया तथा लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर प्रवेश करती है। अपवर्तित किरणें रेटिना पर प्रतिबिम्ब बनाती है। रेटिना (Ret। na) एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, जो कि आँखों के पृष्ठ भाग में होता है। रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा, प्रकाश तरंगो के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है, और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। कुल मिलाकर आँखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाना एक जटिल प्रक्रिया है। यदि देखने की क्रिया प्रभावित होती है तो वह दृष्टिबाधा के अंतर्गत आती है। दृष्टिबाधा कई रूप में अलग-अलग प्रकृति की होती है। एक ओर क्षति की मात्रा के आधार पर तो दूसरी ओर क्षति के आरम्भ होने के आधार पर इनकी प्रकृति बिलकुल भिन्न-भिन्न होती है:

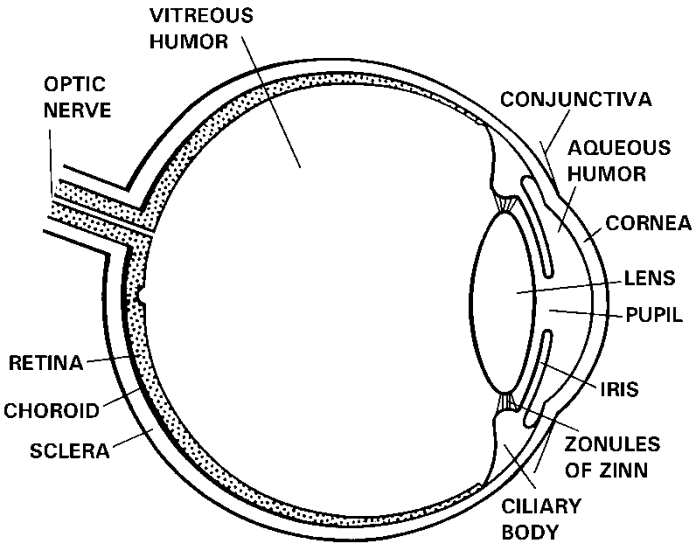

- **जन्मजात दृष्टिबाधिता** – यदि दृष्टि क्षति वंशानुक्रम या अन्य कारणों के परिणाम स्वरुप बच्चे में जन्म से मौजूद है या शैशवावस्था में आती है तो इस प्रकार के क्षति को जन्मजात दृष्टिबाधिता की श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी में दृष्टिबाधिता के लक्षण जन्म से ही बच्चे में परिलक्षित हो सकते हैं।
- **आकस्मिक दृष्टिबाधिता** - यदि दृष्टि क्षति बाल्यावस्था या उसके बाद किसी आकस्मिक कारणों, चोट लगने, के परिणामस्वरूप बच्चे में प्रदर्शित होती है, तो इस प्रकार की क्षति को आकस्मिक दृष्टिबाधिता की श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी में दृष्टिबाधिता के लक्षण जन्म के उपरान्त ही बच्चे में परिलक्षित होते हैं।
- **अल्प-दृष्टि** – यदि दृष्टि क्षति हो किन्तु कुछ क्रियात्मक दृष्टि व्यक्ति में शेष हो एवं बच्चा विशेष उपकरणों के माध्यम से सभी कार्यों को करने में सक्षम हो तो उसे अल्प-दृष्टि के अंतर्गत रखते हैं।
- **पूर्ण दृष्टिबाधा** – नेत्र विकारों के फलस्वरूप यदि दृष्टि क्षति गंभीर हो तथा क्रियात्मक दृष्टि का भी अभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण दृष्टिबाधा या अंधत्व की श्रेणी में रखते हैं।

दृष्टि की हानि के विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। जब हानि जन्म से मौजूद है तो उसका व्यक्ति के विकास पर प्रभाव आकस्मिक दृष्टि क्षति वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक पड़ेगा। अल्प-दृष्टि तथा अंधत्व की कानूनी परिभाषाएँ भी मौजूद हैं। निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुसार "अंधता" निम्न में से किसी एक अवस्था की स्थिति है:

i) पूर्ण दृष्टि अभाव;
ii) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख की दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 या इससे क्षीण;
iii) दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री तथा इससे क्षीण;

जबकि, अल्प-दृष्टि वाले व्यक्ति से संबंध ऐसे व्यक्ति से है, जिनमें उपचार या मानक अपवर्तन के पश्चात् भी दृष्टि का ह्रास हो, किन्तु किसी सहायक युक्ति के सहयोग से किसी कार्य की योजना बनाने या उसके निष्पादन हेतु दृष्टि का उपयोग करते हों या करने में सक्षम हों।

1.3.2 श्रवणबाधिता

किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण -विकलांगता कहलाता हैं। यह श्रवण संबंधी शारीरिक अंग के अपर्याप्त विकास के कारण, श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकती है। सुनना, सामान्य वाचा एवं भाषा के विकास के लिए 'सुनना ', यह प्रथम आवश्यकता है। बच्चा, परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता हैं।

बधिरता एक अदृश्य दोष हैं। एक व्यक्ति या बच्चे के बहरेपन को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती हैं। जन्म के समय एवं शैशवावस्था में बहरापन बच्चे के संपूर्ण विकास में गलत प्रभाव डालता हैं। यह प्रभाव, विकलांगता की प्रभाव भिन्नता, प्रारम्भिक आयु, स्वरूप और श्रेणी पर निर्भर हैं।

श्रवण विकलांगता का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है :

1. गंभीरता के अनुसार।
2. प्रकार के अनुसार।

1. गंभीरता के अनुसार - गंभीरता व डिग्री के अनुसार श्रवण विकलांगता को वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है-

विश्व स्वास्थ्य संघठन के अनुसार-

0-25 dB	-	सामान्य (Normal)
26-40 dB	-	अतिअल्प (Ml ld)
41-55 dB	-	अल्प (Moderate)
56-70 dB	-	अल्पतम (Moderately)
71-90 dB	-	गंभीर (Severe)
91dB के ऊपर	-	अतिगंभीर (Profound)

2. प्रकार के आधार पर – श्रवण विकलांगता का वर्गीकरण जब प्रकार के अनुसार किया जाता है, तो इसे मुख्यतः दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है।

- **चालकीय श्रवण दोष(Conductl ve Hearl ng Loss):**

यह मध्यकर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता हैं। आवाज कान के अन्दर तक ठीक से नहीं पहुँचती हैं। सभी सुनी हुई आवाज इस प्रकार कमजोर हो जाती हैं या /और आवाज दब जाती हैं। सामान्यतः इस प्रकार के लोग अपने वातावरण की आवाजों का ध्यान रखें बिना नरम आवाज में बोलते हैं।

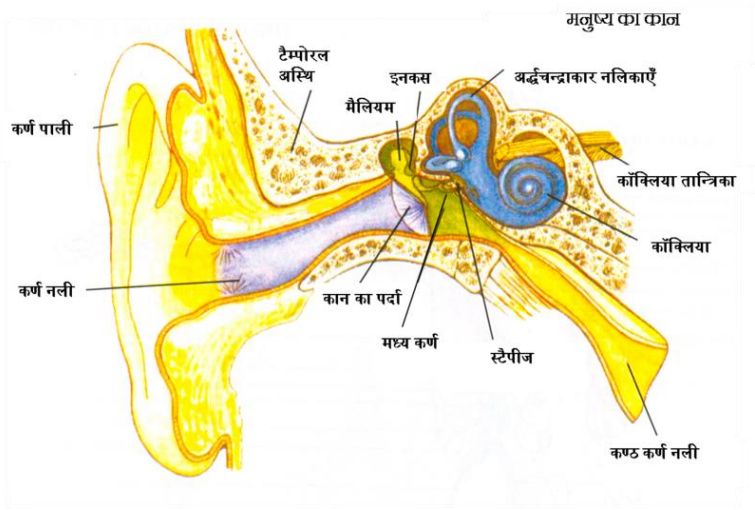

- **संवेदनिक श्रवण दोष (Sensorl neural Hearl ng Loss):**

यह कान के अन्दरूनी हिस्सों में या श्रवण स्नायु में चोट लगने या बीमारी के कारण होता हैं। यह कुछ बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता हैं। जैसे कि खसरा (Measles), गलगन्ड (Mumps), मस्तिष्कज्वर (Menl ngl tl s), क्षय (T.B.)।

अभ्यास प्रश्न

1. अन्धता की श्रेणी में किस दृष्टि तीक्ष्णता वाले बालक/व्यक्ति आते हैं?
   a) किसी भी आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/6 से क्षीण
   b) बेहतर आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/6 से क्षीण
   c) बेहतर आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 से क्षीण
   d) ख़राब आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 से क्षीण
2. चालकीय श्रवण दोष, कान के किस हिस्से में क्षति से होता है?
   a) मध्य कर्ण
   b) कहीं भी
   c) अंदरूनी हिस्सा
   d) श्रवण स्नायु

1.4 संवेदी विकलांगता : विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं

वेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा या शैक्षिक क्रियाओं का निष्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। चूँकि बच्चों में गुणों के विकास पर परिवार, समुदाय और विद्यालय तीनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शैक्षिक प्रभाव भी तीनों सन्दर्भ में प्रदर्शित हो सकता है। प्रभावित बच्चों के नामांकन से कक्षा अंतः-क्रियाएँ या फिर उनके शैक्षिक मूल्यांकन, सभी चुनौतियों से भरा होता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को जानते है:

i. **विद्यालय का चयन** चुनौतीपूर्ण होता है। एक ओर विशिष्ट विद्यालयों की कमी है, तो दूसरी ओर समावेशी शिक्षा के विचारों तथा प्रयासों का अनुपालन सामान्य विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति बच्चों की शिक्षा तथा माता-पिता के लिए एक समस्या या फिर चुनौती के रूप में सामने आती है। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 भी एक विकलांग बच्चे को अपने निकट के या समावेशी विद्यालय या किसी विशिष्ट विद्यालय में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान करता है।

ii. सभी शैक्षिक क्रियाएँ एक अपेक्षित दैहिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक कुशलताओं पर आधारित हो सकती हैं। यह कई शोध कार्यों द्वारा स्थापित है कि संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों का **विकास प्रभावित** होता है। इसीलिए यह कहीं न कहीं शैक्षिक क्रियाओं के कुशलता को भी प्रभावित कर सकती है।

iii. इन बच्चों के लिए **वैकल्पिक साधन का चुनाव** भी प्रभावित होता है। जहाँ सामान्य बच्चे प्रिंट टेक्स्ट को आसानी से लिख पढ़ सकते हैं, वहीँ दूसरी और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वैकल्पिक साधनों (जैसे- ब्रेल या लार्ज प्रिंट) का चुनाव एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

iv. दृष्टिबाधित बच्चों में दृष्टि आधारित संवेदीकरण प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप इन बच्चों में **प्रत्यक्षीकरण की समस्या** होती है, जो मूर्त संप्रत्यय के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। वहीं श्रवणबाधित बच्चों में आमूर्त संप्रत्यय के विकास की प्रक्रिया बाधित होती है।

v. प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण दृष्टिबाधित बच्चों में **अनुकरण प्रभावित** होता है, जिससे वे कई सामाजिक क्रिआओं को अनुकरण कर सीखने में असमर्थ महसूस करते हैं। परिणाम स्वरुप इनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है।

vi. श्रवण संबंधी प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण श्रवणबाधित बच्चों में **वाचन प्रभावित** हो सकता है, जिससे वे कई सामाजिक क्रिआओं या जटिलताओं को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं।

vii. इन बच्चों की शिक्षा वैकल्पिक माध्यम (साइन लैंग्वेज या ब्रेल) से होने और साथ ही, परिवार के सदस्यों में इन कौशलों का अभाव होने के कारण बच्चों द्वारा घर में किए जाने वाली अकादमिक क्रियाएँ भी प्रभावित होती हैं।

viii. दृष्टिबाधित बच्चों में **चलने-फिरने की क्रिया गंभीर रूप से प्रभावित** हो सकती है। वो घर से विद्यालय आने-जाने में चुनौती का सामना कर सकते हैं। अतः इनके लिए विशिष्ट चलिष्णुता आवश्यकताएं उभर आती है।

ix. विद्यालय में खेल-कूद ना सिर्फ बच्चों का सर्वांगिक विकास को प्रोत्साहित करते है, बल्कि उनके शैक्षिक तथा अन्य तनाव या कुंठा (anxl ety) को भी कम करते हैं। ये सभी स्थिति संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों में **विशिष्ट मनोरंजन क्रिया संबंधी आवश्यकताओं** को स्वभाविक रूप से जन्म देती हैं।

अभ्यास प्रश्न :

3. संवेदी विकलांग बच्चे का नामांकन किस प्रकार के विद्यालय में होना चाहिए।
   a) अपने निकट के विद्यालय
   b) समावेशी विद्यालय
   c) किसी विशिष्ट विद्यालय
   d) समावेशी, विशिष्ट एवं निकट के विद्यालय में
4. श्रवण बाधित बच्चों में बाधित हो सकती है।
   a) चलने फिरने की प्रक्रिया
   b) वाचन प्रक्रिया
   c) अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता प्रक्रिया
   d) अनुकरण प्रक्रिया

1.5 संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: पहचान तथा आकलन

1.5.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा आकलन

दृष्टिबाधिता की पहचान सामान्यतः माता- पिता एवं परिवार के सदस्स्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवंबाधिता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं –

- आंखों से पानी आना
- नेत्र का लाल होना
- आंखों में खुजली होना
- पलकों का लगातार झपकना
- भेंगापन
- श्यामपट से अनुकरण करने में कठिनाई
- नेत्र की असामान्य गति
- देखने में कठिनाई होना
- किसी वस्तु पर नजर न टिकना
- छोटी लिखावट पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना
- सिर दर्द की शिकायत करना या नेत्र में संक्रमण की शिकायत करना

- दूर की वस्तु को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर को आगे-पीछे करना
- प्राय: वस्तुओ को छूकर महसूस करते हो
- वस्तु की वास्तविक आकृति एवं रंग
- पहचानने में असमर्थता प्रकट करते हो
- चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तुओं से टकराना
- रंगो के प्रति आकर्षण न होना
- दृश्यात्मक चीजो के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना
- पंक्ति या समूह में ठीक स्थिति में न बैठ /खड़े हो पाना
- देखने के बजाय सुनने में ध्यान केन्द्रित करना
- वस्तुओ की पहचान अन्य ज्ञानेद्रियो या विशेष दृष्टि से करना

1.5.2 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान तथा आकलन

श्रवण बाधिता की पहचान सामान्यतः माता- पिता एवं परिवार के सदस्स्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवण बाधिता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं –

A. कान की बाहय आकृति के आधार पर-

- बाह्य कान का जन्म से बना ना होना।
- बच्चे की कान की बनावट में दोषपूर्ण होना।
- कान के बहाने के आधार पर श्रवण बाधित की पहचान।

B. व्यक्ति के व्यव्हार के आधार पर –

- कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना।
- बहुत जोर से बोलना।
- बात करते समय के चेहरे पर अधिक ध्यान देना।
- बात करते समय समझने में दिक्कत महसूस होना।
- इशारों का अधिक प्रयोग करना।
- बोली अस्पष्ट होना।
- बच्चे कम या बिलकुल ही न बोल पाना।
- नाम पुकारने जाने पर उस ओर न मुड़ना।
- वार्तालाप करने में शर्म महसूस करना।
- पीछे से आवाज देने पर मुड़कर न देखना।
- टेलीवीजन या रेडिओ की आवाज तेज करके सुनना।

- वार्तालाप के दौरान कही गई बात को दोहराने का अनुरोध करना।
- कान में दर्द की शिकायत।
- कान में लगातार खुजली।
- निर्देशों के सुनने के लिए पास आना।
- आदेश का पालन करने में असमर्थ।
- आदेशों को बार-बार पूछना।

अभ्यास प्रश्न

5. श्रवण बाधित बच्चों की पहचान हो सकती है :
   a) कान की बाहय आकृति के आधार पर
   b) व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर
   c) a एवं b दोनों
   d) इनमे से कोई नहीं
6. दृष्टिबाधित बच्चों का आकलन हो सकता है :
   a) विकास के माइलस्टोन के आधार पर
   b) बच्चे की क्रिया-कलापों के आधार पर
   c) a एवं b दोनों
   d) इनमे से कोई नहीं

1.6 संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे: समावेशी कक्षा हेतु प्रविधियां

जब एक ही कक्षा में सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक अध्ययन करते हैं, तो शिक्षक के सामने एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शिक्षण विधि का निर्धारण किसके अनुसार करें। यह अत्यन्त जटिल कार्य है किन्तु समावेशित शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण हेतु निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है :-

1.6.1 दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण हेतु सुझाव :

- विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए।
- विद्यार्थियों को उनके नाम से बुलाया जाना चाहिए।
- कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के बैठने का स्थान ऐसी जगह हों जहाँ से बच्चा अपनी अवशिष्ट दृष्टि तथा श्रवन क्षमता का पूरा प्रयोग कर सके।
- अधिगम कराते समय विभिन्न अनुदेशों को मौखिक तथा स्पर्शीय माध्यम में परिवर्तित करना चाहिए एवं दृष्टि की अवशेष मात्रा को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।

- अधिगम कराते समय शुरुआत सरल से करे और धीरे- धीरे जटिलता की ओर जाना चाहिए
- व्याख्यात्मक शब्द जैसे आगे, पीछे, सीधे इत्यादि का प्रयोग इन बच्चों के शरीर के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।
- नियमित अंतराल पर विश्राम लें, दृष्टिबाधित बच्चे चूंकि नोट लेने में या अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग में अधिक थकते हैं।
- शिक्षण में वैयक्तिकरण एवं अनुभवों के एकरूपता के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए।
- कक्षा में प्रवेश करने तथा छोड़ते समय या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पास जाते समय हमेशा सूचित करना/बताना चाहिए।
- स्पर्शीय अधिगम हेतु विविध अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए।
- वर्णात्मक मौखिक अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- श्यामपट्ट पर जो भी लिखते हैं, शिक्षक को उसे पढ़कर बताना चाहिए।
- दृष्टिवान बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चों की विभिन्न क्रियाकलापों में सहायता करें।

1.6.2 दृष्टिबाधित बच्चों के कक्षा प्रबन्धन संबंधी सुझाव :

- पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- भली–भांति सुनने में विक्षोभों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- कुर्सी, मेजों, उपकरणों तथा अनुदेश्नात्मक सामग्रियों के निर्धारित रखने का स्थान सुनिश्चित करना तथा सभी खतरनाक तथा चोट पहुँचाने वाली वस्तुओं को बच्चो के संपर्क से दूर रखना चाहिए।
- अपरिचित मेजों, कुर्सियों तथा दूसरे फर्नीचर के इस्तेमाल करते समय सहायता की जानी चाहिए।
- कक्षा में दृष्टिबाधित विधार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करें, जिससे उनके द्वारा प्रयोगित उपकरणों जैसे– ब्रैलर,कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, बड़े छपे के अक्षर की पुस्तकें इत्यादि रखी जानी चाहिए।
- कक्षा–कक्ष का रंग सफ़ेद अथवा बहुत हलके रंग का होना चाहिए।
- अलमारी, दरवाजे या खिड़कियों इत्यादि से प्रकाश टकराकर चमक उत्पन्न न करे इसके लिए इन पर रंगीन कागज़ लाया जाना चाहिए।
- कक्षा- कक्ष तथा विद्यालय के अन्य स्थानों पर सूचनाओं को ब्रेल में या बोलते हुए उपकरणों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

- विद्यालय का वातावरण बाधा रहित तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर सचेत रहना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में स्थान भेद के लिए विविध प्रकार के फर्श/टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।

1.6.3 श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण हेतु सुझाव :

- कक्षा में शिक्षक इस प्रकार से खड़े हों कि बच्चे उनका चेहरा आसानी से देख सकें।
- श्यामपट्ट पर लिखते समय न बोलें, क्योंकि उस समय शिक्षक का चेहरा श्यामपट्ट की ओर होगा और बालक को चेहरा देखने में समस्या होगी।
- बाहरी वातावरण में बात करते समय इस प्रकार से खड़े हों कि श्रवण बाधित बालक को देखने में समस्या न हो।
- कक्षा में प्रकाश व्यवस्था का उचित ध्यान रखें।
- बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करें।
- सम्प्रेषण के माध्यम (मौखिक, शैक्षिक द्विभाषिता अथवा सम्पूर्ण सम्प्रेषण) का इस्तेमाल बालक की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार करें।
- कुछ सामान्य संकेत सीखें और उनका इस्तेमाल बालक का शिक्षण करते समय अवश्य करें।
- बालक को जानकारी देते समय लम्बी पंक्तियों, कठिन या जटिल भाषा का उपयोग न करें।
- सूचनाओं/ जानकारी को समझाते समय उसे स्वयं करके (Demonstrat। on) बतायें।
- कक्षा में सूचना या जानकारी देते समय ज्यादा हलचल न करें।
- अनुदेशों को देते समय यह ध्यान रखें कि अनुदेशन की भाषा और स्तर सरल तथा सुबोध हो।
- कक्षा की गतिविधियों में बालक को पूर्ण सहभागी बनायें।
- खेल की गतिविधियों में श्रवणबाधित बालकों को खेल के सारे नियम विस्तार से बतायें।

1.6.4 श्रवणबाधित बच्चों के कक्षा प्रबन्धन संबंधी सुझाव

- कक्षा में पढ़ाते समय सदैव अपना चेहरा छात्रों के सामने रखने का प्रयास करें ताकि आसानी से वाणी पठन अथवा ओष्ठ पठन किया जा सके और शिक्षक द्वारा किये गए गैर-भाषिक सम्प्रेषण को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनपर उचित प्रतिसाद दे सकें।
- शिक्षकों द्वारा दी गयी छोटी सी मुस्कान बालक को प्रेरणा प्रदान कर सकती है, उसे पाठ में शामिल होने हेतु प्रेरित कर सकती है तथा सबलता प्रदान कर सकती है।

- बातचीत करते समय अत्यधिक बनावटीपन प्रदर्शित न करें। ऐसा करने से आपकी बातों को समझने में समस्या होती है। अत्यधिक तीव्र आवाज में बात करने से सुनने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि समझने में और भी ज्यादा कठिनाई होती है।
- छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कक्षा में बेहतर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करें।
- दिन में शिक्षण के दौरान जितने भी नए शब्दों का उपयोग हुआ हो, उसका अर्थ सहित शब्दकोष बनाने में छात्रों की सहायता करें।
- शिक्षण के दौरान कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को श्यामपट्ट पर लिखने मात्र से छात्रों को पाठ योजना को समझने में आसानी होती है और यह शैक्षिक उद्देश्यों को हासिल करने में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सहायक हो सकता है।
- यदि किसी विशेष विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता अथवा परिचर्चा का आयोजन किया गया है तो अंत में प्रमुख तथ्यों को किसी कागज पर लिखकर सभी छात्रों को देने से उस विषय को समझना सरल हो जाता है।
- शिक्षण के दौरान प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना तथा चार्ट्स, मुद्रित नोट्स या हैंडआउट्स प्रदान करना अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- कक्षा में उपस्थित अन्य सहपाठी की सहायता बधिर बालकों के शिक्षण हेतु ली जा सकती है। सहपाठियों को इस प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे स्वयं अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहें।

अभ्यास प्रश्न

7. श्रवणबाधित बच्चों के साथ कार्यरत शिक्षक हेतु कक्षा प्रबन्धन के टिप्स हो सकते हैं।
   a) शिक्षण के दौरान प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना
   b) कक्षा में सूचना देते समय ज्यादा हल चल करना
   c) श्रवण बाधित बच्चों के साथ भेद भाव करना
   d) इनमे से कोई नहीं
8. दृष्टिबाधित बच्चों के साथ कार्यरत शिक्षक हेतु कक्षा प्रबन्धन के टिप्स हो सकते हैं:
   a) उपकरणों तथा अनुदेशात्मक सामग्रियों को कहीं भी रखना
   b) कुर्सी एवं मेजों को निर्धारित स्थान पर रखना
   c) ब्लैकबोर्ड पर लिखना
   d) इनमे से कोई नहीं

1.7 सारांश

ज्ञानेन्द्रियाँ हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में हैं । ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के द्वारा ही संभव होती है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है, जब उससे संबन्धित ज्ञानेन्द्रियों संवेदीतन्त्रिकाओं को उचित उद्दीपन प्राप्त होता है। हम उस विशेष संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा अनुवादित होने पर ही करते हैं । एक व्यक्ति के पास सूचनाओं को प्राप्त करने की लिए पांच ज्ञानेन्द्रिय होती हैं हो निम्न हैं :- आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा । यदि इनमे से कोई भी ज्ञानेन्द्रिय क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति कार्य करने में अक्षम होता है तो ऐसी स्थिति को संवेदी विकलांगता कहा जाता है । संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की श्रेणी में दो प्रकार के बच्चे आते है: 1) दृष्टि विकलांगता से प्रभावित बच्चे, तथा 2) श्रवण विकलांगता से प्रभावित बच्चे । संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं जिनमे विद्यालय चयन प्रमुख है । संवेदी विकलांग बच्चों हेतु शीघ्र पहचान एवं हस्त्क्षेप सेवाओ को आयोजित कराना चाहिए, जिससे वे सामाजिक समायोजन स्थापित कर सकें। संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा या शैक्षिक क्रियाओं का निष्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। चूँकि बच्चों में गुणों के विकास पर परिवार, समुदाय और विद्यालय तीनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शैक्षिक प्रभाव भी तीनों सन्दर्भ में प्रदर्शित हो सकता है। प्रभावित बच्चों के नामांकन से कक्षा अंतः-क्रियाएँ या फिर उनके शैक्षिक मूल्यांकन, सभी चुनौतियों से भरा होता है। इनके लिए विद्यालय का चयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक ओर विशिष्ट विद्यालयों की कमी है, तो दूसरी ओर समावेशी शिक्षा के विचारों तथा प्रयासों का अनुपालन सामान्य विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति बच्चों की शिक्षा तथा माता-पिता के लिए एक समस्या या फिर चुनौती के रूप में सामने आती है। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 भी एक विकलांग बच्चे को अपने निकट के या समावेशी विद्यालय या किसी विशिष्ट विद्यालय में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान करता है। दृष्टिबाधित बच्चों में दृष्टि आधारित संवेदीकरण प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप इन बच्चों में प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है, जो मूर्त संप्रत्यय के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। वहीं श्रवणबाधित बच्चों में आमूर्त संप्रत्यय के विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण दृष्टिबाधित बच्चों में अनुकरण प्रभावित होता है, जिससे वे कई सामाजिक क्रिआओं को अनुकरण कर सीखने में असमर्थ महसूस करते हैं। परिणाम स्वरुप इनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। श्रवण संबंधी प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण श्रवणबाधित बच्चों में वाचन प्रभावित हो सकता है, जिससे वे कई सामाजिक क्रिआओं या जटिलताओं को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2. **(c)**
3. **(a)**
4. **(d)**

5. **(b)**
6. **(c)**
7. **(c)**
8. **(a)**
9. **(b)**

1.9 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. यू.ओ.यू. (2013). समावेशी शिक्षा, MAED, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
2. ए.आई.सी.बी. (2004). शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, आल इंडिया कन्फ़ेडरेशनए ऑफ़ दी ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली
3. ए.आई.सी.बी. (2012). दृष्टिबाधा-शिक्षण, आल इंडिया कन्फ़ेडरेशनए ऑफ़ दी ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली

1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. संवेदी विकलांगता से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
2. संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की आवश्यकता, विशिष्टता तथा उनके समावेशन हेतु विभिन्न प्रविधियाँ क्यों आवश्यक हैं? स्पष्ट करें।
3. विशिष्ट शिक्षक किस प्रकार दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, समझाएं।
4. प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण दृष्टिबाधित बच्चों में अनुकरण प्रभावित होता है, व्याख्या करें।

इकाई 2 - बौद्धिक अक्षमता
(Intellectual Disability)

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 बौद्धिक अक्षमता : परिभाषा
2.4 बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की विशेषताएं
2.5 बौद्धिक अक्षमता: वर्गीकरण
2.6 बौद्धिक अक्षमता: स्क्रीनिंग एवं पहचान
2.7 बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की शिक्षा
2.8 सारांश
2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में महत्त्वपूर्ण कमी से है जो बालक में जीवन पर्यंत पाया जाता हे। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है परंतु अधिकांश बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। सौम्य (M। ld) मानसिक मंदता वाले अधिकांश बालकों की प्रायः तब तक वह पहचान नहीं हो पाती जब तक के स्कूल जाने नहीं लगते। सर्वाधिक बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक (लगभभग 85%) सौम्य बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित पाए जाते हैं। इन्हें प्रायः संप्रेषण कौशल , स्व-सहायता कौशल अथवा छठी-सातवी कक्षा तक के शैक्षणिक व्यवहार में ज्यादा समस्या नहीं आती। मध्य श्रेणी (Moderate) की बौद्धिक अक्षमता वाले बालक प्रायः विकासात्मक मील के पत्थर (Developmental M। lestones) को देर से प्राप्त कर पाते हैं साथ ही उनमें प्री-स्कूल के समय में भी उम्र के उपयुक्त व्यवहारों का देर से विकास होता है। ये जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी आयु और उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है और कई बार स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्रायः जन्म से ही या उसके कुछ दिनों बाद हो जाया करती है। वर्तमान इकाई में आप जानेंगे कि बौद्धिक अक्षमता क्या है, बौद्धिक अक्षमता बालक की शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की पहचान एवं उसका आकलन कैसे किया जा सकता है और बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के क्या विकल्प मौजूद हैं?

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद अपेक्षित है कि आप

1. बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा एवं उसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगे
2. बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण को बता सकेंगे
3. बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान की चर्चा कर सकेंगे
4. बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे
5. बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा एवं अन्य शैक्षिक विकल्पों का वर्णन कर सकेंगे

2.3 बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा (Intellectual Disability: Definitions)

अमेरिकन असोसिएसन आफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज(AAI DD), 2010 शेलॉक एवं अन्य के अनुसार 'बौद्धिक अक्षमता' में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है'।

अवधारणात्मक कौशल(Conceptual Skl lls)

- भाषा (अभिव्यक्ति/ग्राहय)
- पढ़ना, लिखना
- धन संबंधी संकल्पना
- स्व-निर्देष आदि

समाजिक कौशल (Socl al Skl lls) के उदाहरणः

- जिम्मेदारी
- अंतवैयक्तिक संबंध
- आत्म सम्मान
- सरलता
- नियमों का पालन
- उत्पीड़न में बचाव आदि

प्रायोगिक कौशल (Pract cal Skl lls) के उदाहरणः

- दैनिक क्रियाएं/स्व सहायता कौशल यथा: नहाना, कपड़े पहनना, सजना आदि।

- दैनिक नियमित कार्य: घरेलू काम, दवाई, दवाई लेना, फोन का प्रयोग, रूपए पैसे का हिसाब, आवागमन आदि।
- स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं।
- व्यावसायिक कौशल।
- सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशल

बौद्धिक अक्षमता की AAIDD परिभाषा के पीछे ली गयी मान्यतायें:

अमेरिकन असोसिएसन आफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज (AAIDD), के अनुसार बौद्धिक अक्षमता की नवीन परिभाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिभाषा के पीछे ली गयी मान्यतायें या पूर्वानुमान। बौद्धिक अक्षमता की नवीन परिभाषा पाँच मान्यताओं पर आधारित हैं:

i. व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में कमी पर विचार करते समय व्यक्ति के हम उम्र व्यक्तियों एवं उसकी संस्कृति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है जब भी हम बौद्धिक अक्षमता का मूल्यांकन कर रहे हों, तब हमें संदर्भित व्यक्ति के हम उम्र और उसके सांस्कृतिक पहलुओं को सदैव ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लियेएक गाँव का बच्चा : प्रायः बड़ी उम्र तक भी हाथ सेखाना खाता है चम्मच से नहीं। अब यदि हमने उसके वातावरण को ध्यान में रखे बिना, चूँकि वह चम्मच का प्रयोग करके खाना नही खाता, अतः हम उसे 'बौद्धिक अक्षमता ग्रस्त' घोषित करें, यह गलत है।

ii. वैध आकलन में सांस्कृतिक, भाषिक, संप्रेषण, संवेदी, गामक एवं व्यवहारिक वैयक्तिक भिन्नताओं पर अवष्य विचार किया जाना चाहिए।

iii. एक व्यक्ति के अंदर कमियों के साथसाथ अच्छाइयाँ भी मौजूद होती हैं।-

iv. कमियों की व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति के लिये आवश्यक सहायता की पहचान करना होना चाहिए।अर्थात् यदि हम किसी व्यक्ति की 'बौद्धिक अक्षमता' का आकलन कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य उसके नकारात्मक पहलुओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उन विशेष आवश्यकताओं और उपयुक्त सहायता की तलाश होना चाहिए जो उस व्यक्ति की सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकें।

v. एक निश्चित समय तक उपयुक्त व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराये जाने पर बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों/व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा

बौद्धिक अक्षमता की DSM V की परिभाषा

DSM V के अनुसार बौद्धिक विकासात्मक विकृति एक ऐसी विकृति है जो विकासात्मक अवस्था के दौरान सामने आती है, जिसमे सामाजिक, संकल्पनिक एवं प्रायोगिक क्षेत्रों में बौद्धिक एवं अनुकूलनीय कार्यात्मकता में कमी पाई जाती है । DSM V, 2013 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता के निर्णय के लिए निम्नांकित तीन शर्ते अवश्य पूरी होनी चाहिये:

i. बौद्धिक क्षमता में कमी यथा तर्क क्षमता, समस्या समाधान, योजना निर्माण, अमूर्त्त चिंतन, निर्णय क्षमता, शैक्षिक अधिगम, आनुभविक अधिगम में कमी जिसे व्यक्तिगत, मानक बुद्धि परीक्षण एवं विभिन्न चिकत्सकीय परीक्षणों द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

ii. अनुकूलनीय कार्यात्मकता में कमी का परिणाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक जिम्मेवारियों के लिए आवश्यक विकासात्मक एवम सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों को पूरा करने में असफलता के रूप में परिलक्षित होता है। अनुकूलनीय कार्यत्मकता में कमी के कारण दैनिक जीवन के एक या अधिक कार्यों यथा सम्प्रेषण, सामाजिक भागीदारी, स्वावलंबन आदि में विभिन्न वातावरणों(विद्यालय, घर एवं समुदाय) में सापेक्ष कमी पाई जाती है।

iii. बौद्धिक एवं अनुकूलनीय कौशलों में कमी विकासात्मक अवस्था में प्रकट हो जाती है।

2.4 बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की विशेषताएं Characteristics of Learners with Intellectual Disability

हालांकि बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर एवं अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है परंतु विभिन्न कार्यात्मक (Funct। onal) कौशलों की कमी भी स्पष्ट होती है। सामान्यतः मानसिक मंदता युक्त बालक निम्नलिखित विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं:

1. शारीरिक विशेषताएं

i. अधोसामान्य शारीरिक विकास।-
ii. शारीरिक विकृतियां।
iii. स्थूल गामक)Gross Motor) और सूक्ष्म गामक कौशल (F। ne Motorआयु (के अनुपयुक्त।
iv. आँखों और हाथों में समन्वय का अभाव।

2. मानसिक विशेषताएं

i. अधो औसत बुद्धि लब्धि 70)से कम।(
ii. किसी कार्य में रुचि का अभाव।
iii. कभीकभी आक्रामकता एवं अकेले रहना।-
iv. अमूर्त्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई।
v. सोचने की सीमित क्षमता।
vi. कमजोर स्मृति
vii. कमजोर ध्यान केंद्रित क्षमता
viii. कमजोर आत्मविष्वास एवं आत्म सम्मान।
ix. सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता।
x. सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई।
xi. रूपए पैसे के लेनदेन में समस्या।-

xii. भाषा अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य) संबंधी समस्या।)

3. मनसिक मंदता ग्रस्त बालकों की सामाजिक विशेषताएं:

i. समाजिक समायोजन क्षमता अनुपयुक्त
ii. सहपाठियों एवं शिक्षकों से अंतर्संबंध बनाने में कठिनाई
iii. कभीकभी दूसरों एवं स्वयं को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार-
iv. सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव
v. शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव
vi. अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव

4. भावात्मक विशेषताएं

i. भावात्मक असंतुलन एवं अस्थिरता।
ii. पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति।
iii. भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई।
iv. कई बार मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां यथा फिट्स, अवसाद आदि।

2.5 बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों का वर्गीकरण

आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण:

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का नवतीनतम वर्गीकरण है। मानसिक मंदता के प्रति परिवर्तित सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक वर्गीकरण से इतर वर्गीकरण इस क्षेत्र की अग्रणी संस्था ए.ए.आई.डी.डी. द्वारा सुझाया गया है जो मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सहायता पर आधारित है जिसके अनुसार, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक निम्नांकित श्रेणियों में रखे जा सकते हैं:

क्रम सं.	आवश्यक सहायता	सहायता की तीव्रता
1.	सविराम (असतत) सहायता (I nterml ttent Support)	अल्प अवधि की सहायता, जब आवश्यक हो अर्थात् हमेशा नहीं, धीरे धीरे सहायता में कमी, केवल कुछ क्षेत्रों में कभी कभी सहायता आवश्यक, तत्पश्चात, स्वतंत्र जीवन के योग्य।
2.	सीमित सहायता (L l m l ted Support)	सविराम श्रेणी से कुछ अधिक समय तक कुछ अधिक क्षेत्रों में, अधिक गहन, सहायता, परन्तु सतत सहायता नहीं, अल्प सहायता के साथ जीवनयापन करने में सक्षम।
3.	विस्तृत सहायता (Extens l ve	अधिक गहन सहायता, जो कुछ क्षेत्रों में सतत् भी हो सकती है; आवश्यक सहायता की समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र जयादा

	Support)	गहन, सभी में नहीं परंतु कुछ क्षेत्रों में आजीवन सहायता आवश्यक।
4.	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervasl ve Support)	अधिकांश क्षेत्रों में जीवनपर्यन्त सतत सहायता आवश्यक सहायता की गहनता अत्यधिक। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक वर्गीकरण

बौद्धिक अक्षमता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण
(Psychological Classifiaction of Intellectual Disability)

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है जिसका मुख्य आधार है बौद्धिक परीक्षण पर प्राप्त अंक 'बुद्धि-लब्धि'। वर्तमान समय में, दो प्रमुख कारणों से इस वर्गीकरण का प्रचलन काफी कम होता जा रहा है। पहला कारण है: मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनुकूलनीय व्यवहार पर बढ़ता जोर, और दूसरा कारण है वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता जो यह बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी ही है, जिसका प्रयोग कर के वह कुछ सीमित कार्यों में सक्षम है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, बुद्धिलब्धि के अनुसार, मानसिक मंदता के निम्नांकित चार वर्ग हैं:

क्रम सं.	**मंदता का स्तर**	**आई क्यू**
1	सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Ml ld Mental Retardation/ Intellectual Disability)	50-69
2	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Moderate Mental Retardation/ Intellectual Disability)	35-49
3	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Severe Mental Retardation/ Intellectual Disability)	20-34
4	अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Profound Mental Retardation/ Intellectual Disability)	20 से कम

बौद्धिक अक्षमता के विभिन्न वर्गीकरणों की समतुल्यता (Equ। valence of D। fferent Class। f। cat। on of Mental retardat। on)

आपने दो प्रमुख मानदण्डों: आई. क्यू., और आवश्यक सहयोग के आधार पर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण देखा। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे क्या ये सभी अलग-अलग हैं ? उत्तर है- नहीं। तीनों वर्गीकरण समतुल्य है सिर्फ अंतर है लिए गए मानदण्डों का, जो मानसिक मंदता की पहचान के उद्देष्य पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण (अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण) प्रचलन से बाहर हो रहे हैं और 'आवष्यक सहायता' पर आधारित वर्गीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आइये हम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के तीनो महत्वपूर्ण वर्गीकरणों की समतुल्यता पर विचार करें।

क्रम सं.	आई क्यू	मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण	आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण
1	50-69	सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (M। ld Mental Retardation/ Intellectual Disability)	सविराम (असतत) सहायता (। nterm। ttent Support)
2	35-49	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Moderate Mental Retardation/ । ntellectual Disability)	सीमित सहायता (L। m। ted Support)
3	20-34	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Severe Mental Retardation/ । ntellectual Disability)	विस्तृत सहायता (Extens। ve Support)
4	20 से कम	अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Profound Mental Retardation/ । ntellectual Disability)	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervas। ve Support)

2.7 बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग, पहचान एवं आकलन (Screen। ng, । dent। f। cat। on and Assessment of । ntellectual Disability)

मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता एक विकासात्मक अक्षमता है अतः इसकी शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्क्षेप लक्षणों की गंभीरता को कम कर देती है। वर्तमान समय में मानसिक मंदता के शीघ्र पहचान के लिए कई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं जो बच्चे के जन्म से पहले अथवा जन्म के बाद बच्चे में ऐसी

किसी प्रकार की अक्षमता का स्पष्ट संकेत दे देती हैं। जन्म से पूर्व बच्चे में संभावित मानसिक मंदता के परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी प्रकार की जन्मजात विकृति का पता लगाना जिसके कारण बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। इस प्रकार के जन्मजात विकारों में प्रमुख हैं: गुणसूत्रीय विकार यथा डाउन सिन्ड्रोम, क्लाईनफेल्टर सिन्ड्रोम, एडवर्ड सिन्ड्रोम आदि एवं चयापचय सम्बन्धी विकार फेनायिलकेटोनुरिया, हायपोग्लाईसेमिया आदि। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से तकनीक उपलब्ध हैं जो जन्म से पूर्व इन विकृतियों का स्पष्ट संकेत दे देते हैं। गर्भावस्ता के दौरान किये जाने वाले ऐसे परीक्षणों में प्रमुख हैं अल्ट्रा सोनो ग्राफी(Ultrasonography), ट्रिपल मार्कर परीक्षण(Tr। ple Marker Test), फीटोस्कोपी (Foeto-scopy), कोरिओनिक विलस सैम्पलिंग (Chor। on। c V। llus Sampl। ng), अमीनोसेनटेसिस (Amn। ocentes। s) आदि। ये परीक्षण जन्म से पूर्व बच्चे में संभावित गुणसूत्रीय विकार एवं चयापचय सम्बन्धी विकार जिनके कारण बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है को स्पष्ट कर देते हैं।

बौद्धिक अक्षमता एक जटिल संकल्पना है और तदनुसार उसका परीक्षण भी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमे परीक्षणकर्ता को कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार के परीक्षण उपकरण बौद्धिक अक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं:

1. बुद्धि परीक्षण (Assessment of । ntell। gence):
   बुद्धि परीक्षण के लिए प्रायः निम्नांकित मानकीकृत परीक्षण उपकरण प्रयोग किये जाते हैं:
   - WA। S: Weschler's Adult । ntell। gence Scale
   - W। SC: Weschler's । ntell। gence Scale for Ch। ldren
   - Alfred B। net Test
   - Bhat। a Battery Test

2. **अनुकूलनीय व्यवहार का परीक्षण (Assessment of Adapt। ve Behav। ours)**
   अनुकूलनीय व्यवहार के परीक्षण के लिए प्रायः निम्नांकित मानकीकृत परीक्षण उपकरण प्रयोग किये जाते हैं:
   - ABS: Adapt। ve Behav। our Scale
   - VSMS: V। neland Soc। al Matur। ty Scale

बौद्धिक अक्षमता के विकासात्मक आकलन का उपकरण (Tool for Developmental Assessment of Intellectual Disability)

बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं परीक्षण के लिए बहुत सारे टूल उपलब्ध हैं। विकासात्मक आकलन के लिए भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय **मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम** है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रो पी. जयचंद्रन एवं वी. बिमला द्वारा .1968 में विकसित किया गया एक बहुतायत से प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण एवं कार्यक्रम विकास का टूल है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुल 360 आइटम हैं जो बच्चें के विकास के आरोही क्रम में रखे गए हैं। यह

परीक्षण 18 क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में 20 आइटम रखे गए हैं प्रत्येक क्षेत्रों में सभी आइटमों को सरल से कठिन क्रियाओं की ओर सजाया गया है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम के अट्ठारह क्षेत्र निम्नलिखित है:

- स्थूल गामक कौशल
- सूक्ष्म गामक कौशल
- भोजन संबंधित क्रियायें
- कपड़े पहनना
- सजना संवरना
- शौच क्रिया
- ग्रहणषील भाषा
- अभिव्यक्ति की भाषा
- सामाजिक कौश ल
- कार्यात्मक पठन
- कार्यात्मक लेखन
- संख्या संबंधित कौश ल
- पैसा संबद्ध कौशल
- समय संबद्ध कौशल
- घरेलू व्यवहार
- समुदायिक संपर्क
- मनोरंजनात्मक कौशल
- व्यावसायिक कौशल

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की विशेषताएं

i. यह निरीक्षणीय एवं मापनीय शब्दों में लिखित है।
ii. अलग निर्मित 18 क्षेत्र जो बच्चे का वर्तमान स्तर निर्धारित करने में वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हैं।
iii. सभी आइटम सकारात्मक आकलन करने के लिए सकारात्मक भाषा में लिखे गये हैं अर्थात् सभी आइटम में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चा क्या और किस कठिनाई स्तर तक करता है। बच्चा क्या नहीं कर सकता इसकी चर्चा नहीं की गयी है।
iv. प्रत्येक क्षेत्र में समान संख्या में आइटम रखे गये हैं।
v. सभी आइटम सरलता से कठिन के क्रम में सजाये गये हैं।

vi. वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित अंकन प्रणाली जो बच्चे के क्रमिक विकास का सरल वर्णन करता है।

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की सीमायें

i. यह टूल काफी पुराना हो चुका है, परंतु इसमें समानुकूल परिवर्तन नहीं आये हैं।
ii. टूल की अंकन पद्धति सिमित है जो हाँ या ना पर आधारित है।
iii. टूल का प्रयोग करने में।

बौद्धिक अक्षमता के कार्यात्मक आकलन का उपकरण (Tool for Functional Assessment of Intellectual **Disability)**

1. **फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग)FACP (-**फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर फॉर प्रोग्रामिंग, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकदराबाद द्वारा विकसित एक कार्यक्रम निर्माण एवं असेसमेंट उपकरण है, जो मानसिक मंदताबौद्धिक अक्षमत/ा युक्त बालकों के परीक्षण एवं कार्यक्रम निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह चेकलिस्ट सामान्यीकरण के सिद्धांत)Pr। nc। ple of Normal। zat। onपर आधारित है। यह चेकलिस्ट मानसिक मंद ( ) बालकों3-18 वर्षके लिए विशेष रूप से (, निर्मित है जो उनकी योग्यता और उनकी आयु दोनों को ध्यान में रखते हुए, उनके विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाने का विकल्प प्रस्तुत करता है।
एफए.सी.पी. के अनुसार मानसिक मंदता युक्त बालकों वीक्षमता और उनकी उम्र के अनुरूप . उनकी कक्षा का चयन: एफ.ए.सी.पी. कुल सात खण्डों में बंटा है प्रत्येक खण्ड बच्चे की आयु और योग्यता के अनुरूप उसे किसी एक कक्षा में नियोजित करने का सुझाव देते हैं। ये सात खण्ड और उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :

प्रत्येक खण्डों को जांच क्षेत्रों में बांटा गया है। संदर्भित क्षेत्र हैं :

1. व्यक्तिगत क्रियाएँ
2. समाजिक क्रियाएँ
3. शैक्षणिक क्रियाएँ
4. व्यावसायिक क्रियाएँ
5. मनोरंजनात्मक क्रियाएँ

जैसा कि आपने ऊपर देखा कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के सात खण्ड, निम्नांकित सात कक्षाओं में मानसिक मंद बालकों को उनकी योग्यता एवं आयु के अनुसार उन्हें नियोजित करता है।

i. पूर्व प्राथमिक यह :बच्चे का प्रवेष स्तर है, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चे रखते जाते हैं। इस चेकलिस्ट पर परीक्षण करके उपरोक्त आयुवर्ग के बच्चों का समूहीकरण किया जाता है।
ii. प्राथमिक स्तर प्राथमिक-प्राथमिक स्तर दो भागों में बंटा है :1 एवं प्राथमिक 2

प्राथमिक-1:वे विद्यार्थीं जो 80प %ूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त कर लेते हैं उनको प्राथमिक-1 स्तर में उन्नति दी जाती है तथा विद्यार्थी जो इस स्तर में आते हैं उनकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है। कुछ विद्यार्थी पास होने का मापदण्ड प्राप्त करने के लिए एक वर्ष और इस स्तर में रह सकते हैं। जैस) एक विद्यार्थी 7 वर्ष का है प्राथमिक जांच तालिक में मूल्यांकन करने पर 60 % उपलब्धि की है वह उसी कक्षा में अधिक समय के लिए रह सकता है उसके बाद यह देखा जाएँगा कि (वह होने वाला मानदण्ड प्राप्त करता है या नहीं/सफलता

प्राथमिक-2: विद्यार्थीं जो 8 वर्ष की आयु के बाद भी प्राथमिक स्तर की जांच तालिका में 80 % -प्राप्त नहीं करते हैं उनको प्राथमिक2 में विस्थापित कर दिया जाता है। संभवत ये बच्चे अल्प कार्यात्मक योग्यता वाले होते हैं। इस समूह में 8-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं तथा इनको माध्यमिक स्तर में कक्षोन्नति दी जा सकती है यदि वे 14 वर्ष से पहले 80 अंक प्राप्त कर पाते हैं। अगर %15 वर्ष की आयु में भी 80-से कम हासिल करते हैं तब उन्हें पूर्व व्यवसायिक %2 में स्थानांतरित किया जाता है।

माध्यमिक समूह: इस समूह में 11-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं। यह मिश्रित समूह है जिसमे)ं प्राथमिक-1 तथा 2 दोनों से बच्चे आते हैं कक्षा में (80उपलब्धि प्राप्त करने पर विद्यार्थी को पूर्व % -व्यवसायिक1 में कक्षोन्नति दी जाती है तथा जो बच्चे 80कम हासिल करते हैं उन्हें पूर्व % -व्यवसायिक2 में विस्थापित कर दिए जाते हैं।

पूर्व व्यवसायिक-1 तथा 2: दोनों ही समूहों में विद्यार्थी आयु 15-18 वर्ष के बीच होती हैं। प्रशिक्षण केंद्र बिंदु विद्यार्थियों को मूलभूत कार्य कौषलों तथा धरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना हैं। इस प्रकार जांच तालिका में आने वाले मुख्य विषय व्यवसायिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र है।

अभ्यास प्रश्न

इस प्रकार के अन्य टूल में FACP (Functl onal Assessment Checkll st for Programml ng), BASl C MR (Behavl oural Assessment Scale for l ndl an Chl ldren wl th Mental Retardatl on) आदि भी हैं।

2.7 बौद्धिक अक्षमता युक्त विद्यार्थियों की शिक्षा

मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रशिक्षण में गामक क्रियाओं, सम्प्रेषण कौशलों एवं दैनिक कार्य कलापों में अक्षमता की प्रकृति के अनुसार स्व सहायता प्रशिक्षण भी समाहित है जिसके लिए विशिष्ट शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता होती है । मानसिक मंदता युक्त बालकों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण उनके पुनर्वास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह शिक्षण और प्रशिक्षण ही उन्हें बाद के जीवन के लिए तैयार करता है और व्यावसायिक पुनर्वास का पूर्ववर्ती भी है । मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण के प्रायः तीन मॉडल विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, एवं समावेशी शिक्षा प्रचलित हैं जिन में से सभी की अपनी आपनी विशेषताएं और सीमायें हैं साथ ही सभी की विशिष्ट उपयोगिता भी है जिसका वर्णन निम्नांकित है:

2.7.1 मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शिक्षा (Spec। al Educat। on for Ch। ldren w। th Mental Retardation/ । ntellectual Disability)

प्रायः व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाशीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक आदि निर्धारित होती हैं। विशेष शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उनके अधिकतम स्तर तक पहुँचाना है।

विशेष शिक्षा का तात्पर्य है विशेषआवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेषवातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त षिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विषिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निर्मित शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है परंतु अपनी भेदभावपूर्ण प्रकृति जो अक्षमतायुक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है, के कारण वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है

विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है:

- सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान।
- यह आधारभूत जीवनयापन कौषल सिखाता है ताकि व्यक्ति/बालक स्वावलंबी हो सकें।
- यह बालकों को एक सुरक्षित को एक सुरचित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है।
- बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक
- बच्चे के माता-पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मददगार

विशेष शिक्षा की कमियां:

- विशेष शिक्षा की उच्च लागत, जो गरीब बालक वहन नहीं कर सकते।
- सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विशेषशिक्षा की उपलब्धता जो सिर्फ उच्च आयवर्ग से आने वाले बालकों को उपलब्ध थी।
- विशेषज्ञ शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के मध्य 'विशेषज्ञता' के आदान-प्रदान का अभाव।

2.7.2 मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समेकित शिक्षा (। ntegrated Educat। on for Ch। ldren w। th Mental Retardation/ । ntellectual Disability)

समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेषबालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि अक्षमता युक्त बालक कुछ उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख ले तब, उसे सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेषशिक्षा से बेहतर विकल्प है परंतु वर्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है। समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थो

में 'बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने' से है। जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है।

समेकित शिक्षा के लाभ:

- बच्चे का बेहतर समाजीकरण
- बच्चे का सामाजिक एकीकरण का बढ़ाना
- बच्चे के प्रति सामाजिक अभिवृति सकारात्मक
- अभिभावकों की बालक की शिक्षा में अधिक भागीदारी
- कम विशेषशिक्षा की तुलना में व्यय
- कुछ शोधों के अनुसार छात्रों की बेहतर उपलब्धि
- संस्थानीकरण एवं आवागम के खर्च में बचत

समेकित शिक्षा की सीमायें:

- सभी बालकों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं
- सीमित संसाधना पर अधिक दबाव
- अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं अन्य बालकों द्वारा सहयोग की आवश्यकता

2.7.3 मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा (। nclus। ve Educat। on for Ch। ldren w। th Mental Retardation/ । ntellectual Disability)

शिक्षा के क्षेत्र में समावेश (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुननिर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है।

यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो;

- यह विष्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चें की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
- जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
- जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।
- अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेषआवश्यकतायें पूरी हो सकें।

- एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिषील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीको का एक भाग है।

समावेशी शिक्षा की विशेषतायें:

- विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर काम करते है।
- विद्यालय की अभिवृति में अक्षमतायुक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन
- विशेष विद्यायलों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प
- माता पिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं
- अक्षमता युक्त बालकों के सामाजिक कल्याण पर खर्च में कमी
- अक्षमता युक्त बालकों सहित अन्य सभी बालकों की उपलब्धियों में वृद्धि
- विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन
- समावेशी शिक्षा का किफायती (Cost Effect। ve) होना
- स्थानीय संसाधनो का प्रयोग करके व्यय में कमी संभव
- अक्षमता युक्त बालकों को अपेक्षाकृत वृहत पाठ्यक्रम उपलब्ध

समावेशी शिक्षा की सीमायें

- पाठ्यक्रम अनुकूलन का अतिरिक्त खर्च
- शिक्षण सामग्री का अतिरिक्त खर्च
- शिक्षक में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त कौषल विकास पर खर्च
- सामान्य एवं विषेषज्ञ षिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
- अभिभावक एंव समुदाय की अधिक भागीदारी की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लाभ

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

- विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ
- समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपने हम उम्र और विकलांग बच्चों के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, जो विशेषविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, सीखते हैं।

- शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
- सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उनकी उम्र के उपयुक्त, शैक्षणिक विषयों के कार्यात्मक/प्रायोगिक भाग को सीखने का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में प्रायः अनुपलब्ध है।
- समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।
- इसके अतिरिक्त, समावेशी परिवेश में अध्ययन करने से, विशेष बालकों को निम्नांकित लाभ होते हैं:
- विशेष बालकों के सहपाठियों और फलस्वरूप समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास।
- विशेष बालकों में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पद्र्धा की भावना का विकास।
- विशेष बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति में परिवर्तन।
- विशेष बालक को 'लघ समाज' का अनुभव।
- विशेष बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास।
- समावेशी शिक्षा से न केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाभ होता है, बल्कि इससे गैर विकलांग बालकों को भी लाभ है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित है।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, **गैर विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ**

- विभिन्न अनुदेषनात्मक गतिविधियों में सहपाठी-शिक्षक (Peer Tutor) के रूप में काम करने का मौका।
- विशेषबालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान विशेषबालकों का सहयोग करने का अवसर सामान्य बालकों में।
- व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने, सहनषक्ति आदि का विकास करने में सहायता मिलती है।
- सामान्य बालक कई सकारात्मक व्यवहार विशेषबालकों से सीख सकते हैं।
- सामान्य बालकों को कई मानवता से जुड़े व्यवसाय और उनमें कैरियर की संभावनाओं यथा विशेषशिक्षा, फिजियोथेरापी, ऑकुपेषनल थेरापी आदि की जानकारी मिलती है।
- सामान्य बालकों में अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावी संप्रेषण कौषल का विकास होता है।

2.7.4 मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के प्रशिक्षण की विशिष्ट तकनीकें (Spec। al Techn। ques of Tra। n। ng of Ch। ldren w। th Mental Retardation/ । ntellectual Disability)

कार्य विश्लेषण (Task Analys। s) - ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोगों के आधार पर यह बात भी सामने आई कि जटिल से जटिल कार्य को छोटे छोटे आसान उपखण्डों में बाँट कर, चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक सफलता पूर्वक सिखाया जा सकता है और अंततः वह पूरा कार्य व्यक्ति सफलता पूर्वक कर सकता है। किसी जटिल कार्य को छोटे छोटे उपखंडों में बाँटना तथा उसे एक तार्किक क्रम में जोड़ना **कार्य विश्लेषण** कहलाता है।

शेपिंग (Shap। ng) - जैसा कि आपने पहले देखा शेपिंग शिक्षण / प्रशिक्षण/ परामर्श की वह विधि है जिसमे शिक्षक बालक के लक्ष्योन्मुख हर सफल प्रयास को तब तक प्रोत्साहित करता रहता है जब तक की लक्ष्य व्यवहार प्राप्त न कर लिया जाये। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा ''पानी'' नही बोल पाता है, परन्तु उसके निकट कुछ ''पा पा'' जैसा बोल लेता है तो शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर कदम पर कदम उसे ''पा पा''-- पाई'' कहलाते या बुलाते हुए अन्ततः ''पानी'' बुलवा सकेंगे।

शेपिंग पद्धति को प्रभावी बनाने के तरीके:

- व्यवहार प्रशिक्षण के लिए शेपिंग के साथ अन्य पद्धतियों, जैसे प्रोत्साहन, श्रंखलाबद्धता, फेडिंग और माडलिग के साथ करें।
- शेपिंग के कदम या चरण इतने बड़े न हो कि बच्चा उसे पूरा ही न कर सकें, और आगे वाले कदम पर न पहुँच पाए साथ ही इतना छोटा न हो कि, अनावष्यक समय बरबाद हो।
- शेपिंग पद्धति के किसी भी समय चरणों के आकार में परिवर्तन के लिए तैयार रहे। यह बच्चे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

शेपिंग प्रक्रिया के चरण(Steps । nvolved । n Shap। ng)

1. लक्ष्य व्यवहार चुने।
2. बच्चे के उस प्रारम्भिक व्यवहार को चुने जो लक्ष्य व्यवहार से किसी रूप से मिलता हो।
3. प्रभावकारी पुरस्कार का चयन करें।
4. प्रारम्भिक व्यवहार को पुरस्कृत तब तक करते रहे जब तक वह बार-बार न आने लगे।
5. लक्ष्य व्यवहार से मिलता जुलता कोई भी प्रयास पुरस्कृत करते रहे।
6. लक्ष्य व्यवहार जब जब आता है, पुरस्कृत करते रहें।
7. लक्ष्य व्यवहार को कभी कभी पुरस्कृत करें।

शेपिंग प्रक्रिया का उदाहरण

ऐसा व्यवहार चुने जिसे बच्चा पहले से कर रहा हो, और जो लक्ष्य व्यवहार से मिलता हो। यदि आप का लक्ष्य है बच्चे को गोलाकार आकृति बनाना सिखाना और बच्चा पेन्सिल पकड़ लेता है, कागज

पर कुछ लकीरें बना लेता है, तब आप शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर सकते है। बच्चे के साथ, उसके स्तर पर काम करना प्रारम्भ करे और उसे लकीरें खींचने पर पुरस्कार दें । इससे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि उसके ऐसा करने से पुरस्कार मिलता है।

अब बच्चे को पहले से परिचित व्यवहार से थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ गोलाकार या अर्ध गोलाकार रेखाएं बनाना सिखायें और उसे पुरस्कृत करते रहें । इसके बाद बच्चे को लकीरे घसीटने पर कोई पुरस्कार न दे। पुरस्कृत तभी करे जब बच्चा गोलाकार जैसी आकृति बनाए ।

श्रंखलाबद्धता (Cha। n। ng)- हमने देखा कि, कई जटिल व्यवहार मानसिक मंद बच्चो को सिखाए जा सकते हैं यदि उन व्यवहारों को सरल और छोट-छोटे टुकड़ों में बाँट कर सिखाया जाए । श्रंखलाबद्धता का सामान्य अर्थ है किसी बड़े, जटिल कार्य के छोटे-छोटे खंडो को एक तार्किक क्रम में जोड़ना । श्रंखलाबद्धता पद्धति का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है अग्र श्रंखलाबद्धता (Forward Cha। n। ng) और पश्च श्रंखलाबद्धता (Backward Cha। n। ng) । अग्र श्रंखलाबद्धता में पहला उपकार्य पहले और आखिर का सबसे अंत में सिखाते हैं जबकि पश्च श्रंखलाबद्धता में सबसे आखिरी कार्य पहले और सबसे पहला कार्य अंत में सिखाते हैं ।

श्रंखलाबद्धता का विशेष बालकों के शिक्षण /प्रशिक्षण /परामर्श में प्रभावी प्रयोग:

- लक्ष्य व्यवहार तक पहुँचने के लिए जिन छोटे-छोटे चरणों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, उनका वर्णन करें।
- यदि एक व्यवहार उद्देष्य पाँच क्रमबद्ध चरणों में बाँटा गया है तब इसके लिए आप पहले चरण को सिखाएं , फिर दूसरे को और तब दोनो चरणों में उचित संबन्ध भी दर्शायें । इसी प्रकार जब तीसरा चरण सिखाएंगे तो दूसरे और तीसरे चरण में स्वाभाविक सम्बन्ध अवश्य दर्शायें । आगे इसी प्रकार प्रत्येक चरण को आपस में संबन्धित करते हुए दूसरे की कड़ी को मजबूत करते हुए व्यवहार लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।
- प्रत्येक चरण पर उचित पुरस्कार दे ।
- श्रंखला में जिस क्रम में चरण बनाए गए हो उन्ही चरणों में सिखाएँ।
- अगले चरण की ओर तभी बढ़े जब उसने पहले चरण को सीख लिया हो।

सहायता करना (Prompt। ng) - विशेष आवश्यकता वाले बालकों को परामर्श, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के दौरान उनकी सीमित मानसिक अथवा शारीरिक क्षमता के कारण सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है परन्तु यदि आप नियमित सहायता देते रहे तो बच्चा कभी भी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पायेगा इसलिए सहायता, बालक की आवश्यकता, उसकी क्षमता , कार्य का कठिनाई स्तर इत्यादि को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिए और उसे धीरे धीरे कम करते हुए समाप्त कर देना चाहिय ताकि वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके सहायता के विभिन्न प्रकारों में शारीरिक सहायता (Phys। cal Prompt or PP) , इशारे के द्वारा सहायता (Gestural Prompt or GP) , शाब्दिक सहायता (Verbal Prompt or VP) एवं सांकेतिक सहायता (Occas। onal

Cues or OC) प्रमुख हैं जिनमे से कोई एक अथवा मिश्रित प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।

2.7.4 तकनीकी एवं गामक सहायक उपकरणों एवं अन्य आवाश्यक उपकरणों का प्रावधान (Prov। s। on of Techn। cal & Mob। l। ty a। ds and Dev। ces)

मानसिक मंदता के साथ कई बार कई अन्य जुडी हुई अक्षमताएं भी होती है जैसे मानसिक मंदता के साथ शारीरिक विकलांगता, प्रमश्तिश्कीय पक्षाघात आदि ऐसे में उन्हें विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए जैसे शारीरिक विकलांगता होने पर कृत्रिम अंग लगाये जा सकते हैं यह पूर्णतया उस व्यक्ति की मंदता एवं उससे जुडी अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है जिनके आधार पर उन्हें सहायक उपकरण यथा कृत्रिम अंग, सम्प्रेषण तकनीक एवं उपकरण, अन्य गमक उपकरण बैशाखी, व्हील चेयर आदि प्रदान किया जा सकता है ताकि उनकी कार्यात्मकता पर अक्षमता का प्रभाव न्यूनतम हो सके और उनकी क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

2.7.5 मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के पुनर्वास में बाधाएं (Barr। ers । n Rehab। l। tat। on of Ch। ldren w। th Mental Retardation/। ntellectual Disability)

सामाजिक और सामुदायिक बाधाएं

- माता-पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति।
- विशेषबच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की बजाय अभिभावकों की विशेषशिक्षा में रुचि।
- समुदाय में विषेषकर ग्रामीण परिवेष में अक्षमता युक्त बालकों के प्रति व्याप्त भ्रांतियां।
- अक्षमता/विकलांगता के प्रति सामाजिक जागरुकता का अभाव।
- समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का अभाव।
- अक्षमता युक्त बालकों के प्रभावी अभिभावक संघ का न होना।

विद्यालय स्तर की बाधाएं:

- स्कूल का बजट कम होने के कारण सुविधाओं का अभाव।
- विद्यालय भवन अक्षमतायुक्त बालकों के लिए अप्राप्य/दुर्गम होना।
- षिक्षकों की अपर्याप्त संख्या।
- विकलांग बालकों के लिए सीमित सुविधाएं/सहयोग।
- समावेशी शिक्षण प्रविधियों का षिक्षकों को अपूर्ण ज्ञान।
- शिक्षक अक्षमयुक्त बालकों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में अक्षम।
- शिक्षक एवं विद्यालय के अन्य स्टाफ के बीच विकलांगता के प्रति जागरुकता का अभाव।

नीति एवं निकाय से संबंधित बाधाएं:

- भेदभावपूर्ण शैक्षिक नीतियां जो अक्षमता युक्त बालकों को अलग करती है।
- और उन्हें विद्यालय जाने, व्यावहारिक शिक्षण-प्रशिक्षण आदि से रोकती है।
- विकलांगता के लिए विषेश नीति अथवा विकलांग बालकों के लिए विषेश शिक्षा नीति का अभाव।
- वर्तमान नीतियों की अनुपयुक्तता अथवा उनका विकलांगता के चिकित्सकीय उपागम पर अधारित होना।
- उपयुक्त नीतियों के अस्तत्व के बावजूद उनका उपयुक्त अनुपालन न होना।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अल्प संसाधनों की उपलब्धता।
- विकलांगता बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षक/प्रशिक्षण का अभाव।

2.8 सारांश

सर्वप्रथम मानसिक मंदता का वर्गीकरण उनके 'बुद्धि लब्धि' के आधार पर किया गया जिसे मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं परन्तु मानसिक मंदता के प्रति धीरे धीरे परिवर्तित दृष्टिकोणों के कारण वर्तमान वर्गीकरण उनके जीवन के लिए आवश्यक सहायता के आधार पर किया गया है। आवश्यक सहायता के आधार पर मानसिक मंदता के चार वर्ग बनाये गए हैं सविराम (असतत) सहायता (। nterm। ttent Support) ,सीमित सहायता (L। m। ted Support) ,विस्तृत सहायता (Extens। ve Support) ,अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervas। ve Support) । मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मानसिक मंदता के प्रकार हैं सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (M। ld Mental Retardation/ । ntellectual Disability) ,मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Moderate Mental Retardation/ । ntellectual Disability) ,गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Severe Mental Retardation/ । ntellectual Disability) एवं अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Profound Mental Retardation/ । ntellectual Disability) । पुनर्वास में सामान्यतः निम्नांकित सेवाएं शामिल हैं: निशक्तता का शीघ्र पहचान ,निदान एवं शीघ्र हस्तक्षेप ,चिकित्सकीय सहायता एवं देखभाल ,सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं अन्याप्रकर के परामर्श एवं सहायता ,गामक क्रियाओं ,सम्प्रेषण कौशालों एवं दैनिक कार्य कलापों में अक्षमता की प्रकृति के अनुसार स्व सहायता प्रशिक्षण ,तकनीकी एवं गमक सहायक उपकरणों एवं अन्य आवाश्यक उपकरणों का प्रावधान ,विशेष शिक्षा सेवाएं,व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं जिसमें व्यावसायिक व्यावसायिक निर्देशन ,व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वतंत्र अथवा सहायता युक्त रोजगार की उपलब्धता भी शामिल है एवं इसमें अनुवर्ती सेवाएं भी शामिल हैं। मानसिक मंदता युक्त बालकों के पुनर्वास की प्रमुख बाधाओं में सामाजिक और सामुदायिक बाधाएं, विद्यालय स्तर की बाधाएं एवं नीति एवं निकाय से संबंधित बाधाएं आदि हैं।

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची / अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विषिष्ट बालक, काउंसिल आफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC) से प्रकाशित।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेषन एंड सिस्टम आफ सपोर्ट)10वीं मैनुअल (AAI DD से प्रकाशित।
3. श्लेलाक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम आफ सपोर्ट)11वीं मैनुअल (AAI DD से प्रकाशित।
4. डिसेविलिटी स्टेटस आफ इंडिया)2012भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित। (
5. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैडिंग एंड रेस्पाडिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
6. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिस हाल आफ इंडिया से प्रकाशित।
7. हालाहन डी.पी. एंड काफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेशन से प्रकाशित।
8. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसैविलिटिज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित।
9. यूनेस्को, (2004), इमब्रासिंग डायवर्सिटि टूलकिट फार क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
10. एनिसवर्थ पी) .एंड बेकर सी.बी .2004), अंडरस्टैडिंग मेंटल रिटार्डेषन, यूनिवर्सिटी प्रेस आफ मिसीसीपी से प्रकाशित।
11. रेनाल्डस सी .आर. एंड जानजेन इ.एफ.(2007), इनसालक्लोपीडिया आफ स्पेशल एडुकेशन, जान वाइली एंड संस से प्रकाशित।

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानसिक मंदता के मनोवैज्ञानिक एवं आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण बताइए एवं उनकी समतुल्यता का वर्णन कीजिये।
2. पुनर्वास क्या है? पुनर्वास के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं? विस्तार से समझाइए।
3. मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के मॉडल एवं उनके शिक्षण की विशिष्ट तकनीकों की चर्चा करें।
4. मानसिक मंदता युक्त बालकों के पुनर्वास में आनेवाली विभिन्न बाधाओं पर प्रकाश डालें उन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव भी दें।

इकाई 3 - गामक विकलांगता से ग्रसित बच्चे
Children with Locomotor Disabi lities

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 गामक विकलांगता: अर्थ, कारण तथा रोकथाम
3.4 स्नायु मांसपेशिय विकलांगता
3.5 गामक अक्षमता: पहचान तथा आकलन
3.6 गामक अक्षमता संबंधी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं
3.7 गमक अक्षमता संबंधी समावेशी ढ़ांचा एवं रणनीतियां
3.8 सांराश
3.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
3.10 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई गामक विकलांगता बच्चों के समावेशन पर आधारित है। गामक विकलांगता एक प्रमुख विकलांगता कि श्रेणी है। जिसमें विभिन्न गामक क्रियाएँ जैसे बैठना, चलना, घूमना, खाना-खाना, किसी चीज को पकड़ना, लिखना आदि। इस इकाई द्वारा आप शारीरिक विकलांगता, गामक अक्षमता तथा अनेक कारणों, प्रकार, रोकथाम एवं प्रबंधन से परिचित हो सकेगे। साथ ही साथ गामक अक्षमताओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पोलियों, द्विशाखिय रीढ़, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, मांसपेशिय क्षरण जैसी विकलांगताओं की परिभाषा, उनके वर्गीकरण तथा प्रबंधन को जान सकेंगे। ऐसे विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं, उनकी पहचान एवं आकलन की विधियां तथा समावेशीय ढांचा, रणनीतियां जैसे तथ्यों को बारीकी से जान पाएंगे ताकि आने वाले समय में बच्चा कक्षा कक्ष में, विद्यालय में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें तथा समावेशीय ढ़ांचे में सामान्य बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई द्वारा आप:

1. गामक विकलांगता के प्रकृति को समझ सकेंगे।
2. गामक विकलांगता संबंधी विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे।
3. गामक विकलांगता से प्रभावित बच्चों के आकलन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

4. गामक विकलांगता से प्रभावित बच्चों के शिक्षा में समावेशन को समझा सकेंगे।

3.3 गामक विकलांगता: अर्थ, कारण तथा रोकथाम

गामक विकलांगता या शारीरिक विकलांगता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने अथवा अन्य गामक क्षमताओं मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। यह कठिनाइयाँ व्यक्ति की मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों तथा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से क्षति हो जाती है तथा बाद में वह क्षति विकृति एवं विकलांगता का रूप ले लेती है उसे शारीरिक विकलांगता कहते हैं। शारीरिक विकलांगता व्यक्ति की गामक तथा क्रियाकलापों जैसी क्षमताओं को प्रभावित करती है। उदाहरण : -

- व्यक्ति के किसी भी अंग का विच्छेदन होना।
- सड़क दुर्घटना की वजह से गम्भीर क्षति होना।
- जलने से इत्यादि।

शारीरिक विकलांगता के कारण निम्नलिखित हैं:

i. **जन्मजात शारीरिक विकलांगता** -शरीर में जन्म से ही किसी विकृति का पाया जाना जैसे कि सी0 टी0 ई0 वी, जिसको हम क्लब फुट के नाम से भी जानते हैं यहां पर सी0 का अर्थ कोनजैनिटल, टी0 का अर्थ टैलिप्स, ई0 का अर्थ इकवाईनस तथा वी0 का अर्थ वेरस से है जिसमें बच्चे के पैर जन्म से ही घोड़े की तरह उठे हुए तथा अन्दर की तरफ मुड़े होते हैं।
जन्मजात कुल्हे का खिसकना - कई बार बच्चे के कुल्हे जन्म से ही काफी लचीले होते हैं जिसके कारण वह अपने जोड़ो स खिसक जाते हैं।

ii. **इन्फैक्शन -** शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फैक्शन जैसे - वायरल बैक्टीरिल इन्फैक्शन हो सकती है जो कि किसी जोड़ तक या रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करके विकृति को जन्म दे सकती है उदाहरण के लिए पोलियो, कुष्ठ रोग अथवा रीढ़ की हड्डी में टी0 बी0।

iii. **दुर्घटना -** किसी भी सड़क दुर्घटना, खेलों में चोट लगना तथा किसी घरेलू हिंसा मे चोट लगने से शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे ज़मीन खिसकने तथा बाढ़ आने से व्यक्ति के शरीर में विकृति आ सकती है।

iv. वैसकुलर प्रणाली संवहनी समस्याओं जैसे हृदय रोगों तथा परिद्यीय संवहनी रोगों के कारण होने वाले विच्छेदन से भी शारीरिक विकलांगता उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के क्रियाकलापों को करने में असमर्थ होता हैं।

v. **मैटाबोलिक विकार या उपापचयी विकार-** मैटाबोलिक विकार मोटापे और हॉर्मोन असंतुलन की वजह से होता है जिसका जीवनशैली मे बदलाव मुख्य कारण हैं। व्यक्ति में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा इत्यादि के कारण व्यक्ति डायाबिटिक न्यूरोपैथी तथा सूखे रोग (रिकेटस), विटामिन डी की कमी नामक बीमारी से प्रभावित होता है तथा बाद में वह शारीरिक विकलांगता का रूप ले लेता है। शारीरिक विकलांगता को मेडिकल पेशेवर टीम के द्वारा जन्म के समय या किसी दुर्घटना के बाद पहचाना जा सकता है।

शारीरिक विकलांगता के लक्षण-

- गामक क्रियाओं एवं चलिष्णुता में समस्या जैसे उठना, बैठना, खड़े होना आदि।
- सूक्ष्म गामक क्रियाओं में कठिनाई आना। जैसे लिखना,सूई में धागा डालना ।
- किसी वस्तु को उठाने में कठिनाई।
- दैनिक क्रियाकलापों में कठिनाई आना जैसे कंघी करना, ब्रश करना आदि।
- खेलनेकूदने तथा किसी वस्तु तक पहुचने-, पकड़ने में कठिनाई होना।
- मानव शरीर की संरचना और कार्य को प्रभावित करना।

वर्ष 2011 के भारत देश के आंकड़ो के अनुसार, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों का आंकड़ा 20.3 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 22.5 प्रतिशत तथा महिलाओं की संख्या 17.5 प्रतिशत है जो कि इस विकलांगता से ग्रसित है।

रोकथाम: शारीरिक विकलांगता की रोकथाम को मूलतः तीन चरणों में विभाजित किया हैं। विकलांगताकी रोकथाम के लिए सबसे पहले शारीरिक क्षति को रोकना जरूरी है। जिसे गामक क्षति कहते हैं।

प्राथमिकीय चरण रोकथाम -

- व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा जीवन की गुणवता को बढ़ाना।
- परामर्श या एम टी पी के द्वारा जन्मजात विकलांगताओं की रोकथाम करना।
- टीकाकरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देकर विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं।
- गर्भवती माता को संक्रमण, उच्चरक्त शर्करा एवं उच्च रक्तचाप से बचाना।
- कुपोषण की रोकथाम तथा विटामिन की कमी को पूर्ण करके शारीरिक विकलांगता को रोका जा सकता है। जैसे कि स्पाइना बाइफिडा नामक विकार में आयरन की कमी को पूरा करना।
- सुरक्षा साधनों जैसे हैल्मेट एवं सीट बैल्ट का प्रयोग करके सड़क दुर्घटना से होने वाली क्षतियों को रोककर शारीरिक विकलांगता पर विराम लगाया जा सकता है।
- आंगऩबाड़ी कार्यकर्तओं स्वास्थ्य समुदायों के द्वारा स्वास्थ शरीर के बारे में जानकारी, चोटों से होने वाली क्षतियों के बारे में साधारण व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करके शारीरिक विकलांगता को रोक सकते हैं।

प्राथमिकीय चरण के उपरान्त तथा द्वितीय रोकथाम से पहले प्राइमोरडिल रोकथाम के द्वारा भी शारीरिक विकलांगता पर रोक लगा सकते हैं। प्राइमोरिडियल रोकथाम के अंतर्गत रिस्क फैक्टर की रोकथाम करके जैसेशारीरिक व्यायाम करके -, पोषक आहार लेकर, धुम्रपान, मोटापा, उच्च रक्त चाप एवं उच्च रक्त शर्करा की रोकथाम करके, शारीरिक क्षति, गामक अक्षमताओं की रोकथाम कर सकते हैं।

द्वितीय चरण रोकथाम - शीघ्र अति शीघ्र शारीरिक क्षतियों की पहचान कर जिनके द्वारा क्रियाकलापों मे कमी हो सकती हैं इन शारीरिक क्षतियों का शीघ्र निदान करके हम शारीरिक विकलांगता को रोक सकते हैं। जैसेः पोलियों-,कुष्ठ रोग इत्यादि।

तृतीय चरण रोकथाम - जब किसी शारीरिक विकलांग व्यक्ति में कोई विकृति उत्पन्न हो जाए या किसी जोड़ में संकुचन अथवा अकड़न आ जाए तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को कैलिपर, सपलिंट या सहायक उपकरण इत्यादि प्रदान कर इन व्यक्तियों को व्यावसायिक, शैक्षणिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है ताकि वे अपने रोजमर्रा क्रियाकलापों को पूर्ण कर सकें। अतः शीघ्र से शीघ्र शारीरिक क्षतियों को स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्रो, विद्यालयों तथा गृह संकलित स्तर पर इन बच्चों को पहचान कर तथा शीघ्र हस्तक्षेप करके शारीरिक विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं।

3.4 स्नायु मांसपेशिय विकलांगता

स्नायु मांसपेशिय विकलांगता स्नायु तंत्र से हमारा अभिप्राय मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी -, उनसे जुड़े हुए न्यूरानस जो कि संवेदनाओं को मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से शरीर के विभिन्न अंगो तक लेकर जाते है एवं संदेश वापिस लेकर आते है। मांसपेशीय तंत्र से हमारा अभिप्राय सभी स्कैलटल, समूथ मांसपेशीया तथा हृदय मांसपेशीयो से है जो कि शारीरिक गति को बनाए रखने तथा अन्य गामक क्रियाओं में सहायता करती है। स्नायु मांसपेशीय विकलांगता वह विकलांगता है जिसमें किसी व्यक्ति के स्नायु एवं मांसपेशीय तंत्र से सम्बन्धित क्षति पाई जाती है जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक संरचना तथा कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में स्नायु मांसपेशीय तंत्र में क्षति के कारण विकृति आ सकती है। जैसेःल पाल्सी जिसके प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरेब्र - मस्तिष्क में चोट लगने से मांसपेशीय विकार या जोड़ विकृति हो सकती है।

कारण-:

- जन्मजात स्नायु मांसपेशीयकिसी बच्चे या व्यक्ति को जन्म से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन -: या विकृति का होना। बच्चे के अंग का जन्म से सम्पूर्ण रूप से विकसित न होना।
- इन्फैक्शनर किसी व्यक्ति में उच्चरकत -: शर्करा के कारण में शरीर में इन्फैक्शन का होना तथा इन्फैक्शन की वजह से शरीर के अन्य अंगो को बचाने के लिए संक्रमित अंग का विच्छेदन कर देना। उदाहरणःवायरल इन्फैक्शन। -
- सड़क दुर्घटना या उंचाई वाले स्थान से गिरने के कारण व्यक्ति के सिर, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से स्नायु मांसपेशीय विकार उत्पन्न हो सकता है जैसे शरीर में लकवा होना।
- विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे के जोड़ो में विकार आना।
- जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होना मस्तिष्क के हिस्सों पर प्रभाव डालता है जिससे सेरेब्रल पाल्सी नामक विकार उत्पन्न हो सकता है।
- हार्मोन गड़बड़ी के कारण भी कई बार स्नायु मांसपेशीय विकलांगता होने का डर रहता है।
- शरीर मे पोषक तत्वो जैसेविटामिन की कमी होने के कारण स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। -

- अत्यधिक नशीली दवाओं का सेवन करने या अधिक विषैले पदार्थों से स्नायु मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता हैं।

स्नायु मांसपेशीय विकलांगता के प्रकार

- सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- स्पाईना बाइफिडा
- हाइड्रोस्फिेलस या माइक्रोस्फिेलस
- मिर्गी का दौरा
- कुष्ठ उपचरित
- मोटर न्यूरान डिससिस
- स्ट्रोक या लकवा।

लक्षण-:

- मांसपेशिय कमजोरी
- मांसपेशीय दर्द
- सुंकुचन
- सांस लेने मे तकलीफ होना
- निगलने में कठिनाई
- विकासात्मक विलंबता
- सन्तुलन एवं समन्वय क्रियाओं में कठिनाईयां
- संवेदीय क्षति
- शारीरिक विकृति।

i. **भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा -** शारीरिक रूप से विकलांग या गामक अक्षमता वाले बच्चों में व्यायाम अथवा विद्युतीय चिकित्सा के द्वारा ऐसे बच्चों को चलने-फिरने या उठने -बैठने में आत्म-निर्भर बना सकते हैं। सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे पकड़ में कमी, लिखने में कठिनाई इत्यादि क्रियाओं को व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करके बच्चे एवं व्यक्ति में सूक्ष्म कौशल एवं स्थूल कौशल सम्बन्धी क्रियाकलापों में बच्चे का विकास कर सकते हैं।

ii. **शारीरिक स्थिति का ज्ञान -** विकासात्मक विलंबता से ग्रसित बच्चे या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चों की शारीरिक स्थिति जैसे उठना, बैठना, करवट लेना तथा गलत स्थितियों जैसे डब्लयू स्थिति में बैठना को सही स्थिति का ज्ञान देकर बच्चों में संकुचन जैसी अवस्था को रोका जा सकता है।

iii. **सहायक उपकरण -** जिन बच्चों या व्यक्तियों में गामक अक्षमता या चलने-फिरने में कठिनाई है उन बच्चों को सहायक उपकरण जैसे - कैलिपर, स्पिलिंट, छड़ी, बैसाखी, वॉकर

या व्हील चेयर प्रदान कर ऐसे बच्चों की गामक क्षमताओं में वृद्धि कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता हैं।

iv. **विशेष शिक्षा प्रशिक्षण -** गामक अक्षमता से ग्रसित बच्चों को विशेष शिक्षा के साथ उनको शारीरिक शिक्षा देकर गामक अक्षमता के अनुसार खेल कूद इत्यादि क्रियाओं में डालकर गामक क्षमताओं को बढ़ाकर कक्षा में शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम बताकर बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

v. **बाधा रहित वातावरण -** शारीरिक विकलांग या गामक अक्षमता से ग्रसित बच्चों को कक्षा में, विद्यालय में रैम्प, रेलिंग, लिफ्ट इत्यादि की व्यवस्था करके ऐसे बच्चों को बाधा रहित वातावरण प्रदान करना चाहिए।

vi. **पुनर्वासन -** गामक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज़गार के साधन जैसे- चित्रकारी, बुनाई, डेयरी फार्म तथा दफ्तर के व्यावसायिक कार्य उपल्ब्ध करवा कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान में शारीरिक विकलांगता या गामक अक्षमता एक चुनौतीपूर्ण समस्या है जिसके कारण व्यक्ति को सामाजीकरण में कठिनाई होती है। इन समाज से मिलने वाली कठिनाईयों से व्यक्ति के कई बार मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सुगम्य बाधा रहित वातावरण देकर, गलत धारणाओं को दूर कर, ऐसे अक्षम एवं विकलांग व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन कर मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। शीघ्र अति शीघ्र गामक अक्षमता को पहचान कर तथा शीघ्र हस्तक्षेप कर व्यक्तियों को दैनिक क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।

3.5 गामक अक्षमता: पहचान तथा आकलन

विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व उनका पूर्ण रूप से पहचान एवं आकलन होना चाहिए। शीघ्र पहचान किसी निदान को पुख्ता करने की प्रक्रिया है। गामक क्षमता से ग्रसित बच्चे की जल्द पहचान कर पुनर्वासन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है

शीघ्र पहचान (उदाहरण देरी से चलना, टांगो की कैंची बनाना)

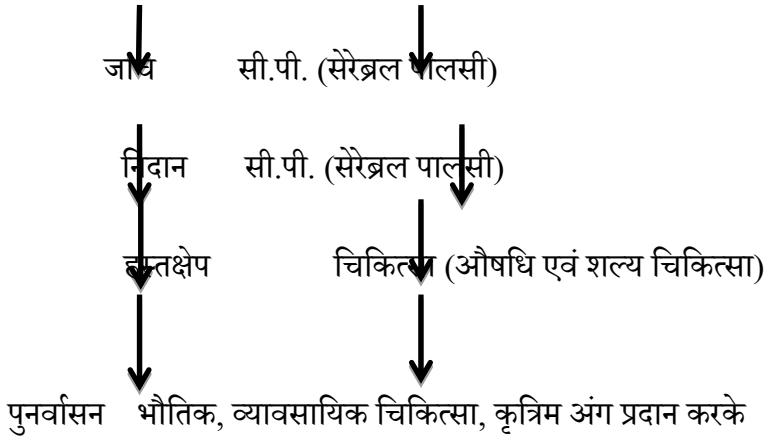

विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान

अभिभावकों तथा अध्यापक गणों के द्वारा घर तथा विद्यालय में शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को जल्द से जल्द पहचानकर उनको सामान्य अस्पताल या पुनर्वास केन्द्र में रैफर कर जल्द से जल्द शीघ्र हस्तक्षेप एवं निदान कर शारीरिक अवस्था को बेहतर बना सकते है। जितनी शीघ्र बच्चे की पहचान हो सकेगी, उतनी ही शीघ्र उसका निदान करके विकलांगता तथा विकृति को रोका जा सकता हैं।

उदाहरण :- विद्यालय में अध्यापक ऐसे गामक अक्षमता वाले बच्चे जिनको कक्षा में अपना पाठ्य सामग्री के साथ ताल-मेल एवं समन्वय में कठिनाई है

↓

ऐसी समस्या सेरेब्रल पाल्सी में अक्सर होती है

↓

पुनर्वास केंद्र में रेफर कर उचित चिकित्सा का प्रबंध कर सकता है।

आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की तथा परिवार की संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी ली जाती है तथा चिकित्सकों द्वारा संपूर्ण जांच कर अग्रिम फैसले तय करने में सहायता मिलती है। बच्चे का आकलन घर में, कक्षा में, विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। आकलन शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा का आकलन, व्यावसायिक आकलन हो सकता है। आकलन का अर्थ है माप करना अर्थात अनुमान लगाना। मोटे तौर पर आकलन कहें तो कोई निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्रित करते है और उस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। आकलन प्राय किसी विशेष उद्देश्य की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि पता लग सके कि बच्चे को क्या विकलांगता है और फिर उसका निदान तैयार किया जाता है। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आकलन बहुत जरूरी होता है तभी उसका निदान किया जा सकता है। आकलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी विकलांगता से ग्रसित लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण के पहलुओं के लिए आकलन करना जरूरी होता है।

आकलन एवं मूल्यांकन

↓

जानकारी तथा विश्लेषण

↓

फैसला लेना

प्रशासानिक उद्देश्य के लिए बच्चे की पहचान आकलन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए की जाती है ताकि जिन बच्चों की विकलांगता की पहचान की जा चुकी है उनकी शिक्षा के लिए तथा उपचारों के लिए नितियां बनाई जा सके।

- जल्द से जल्द स्क्रीनिंग एवं पहचान करना।

- बच्चे का प्रदर्शन तथा शिक्षा जरूरतों को पूर्ण करना।
- बच्चे के लिए शैक्षिणक कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

आकलन के प्रकार :-

- स्वास्थ्य आकलन (शारीरिक एवं मानसिक)
- शिक्षा आकलन
- व्यावसायिक आकलन

विशेष शारीरिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के स्वास्थ्य आकलन के लिए कुछ मानकीकृत उपकरण का प्रयोग करते हैं।

i. **ग्रोस मोटर क्रियाक्लाप मापक उपकरण** - जिसमें बच्चे के गामक एवं सूक्ष्म गामक क्रियाओं के मापदण्ड दिये हैं।

ii. **मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम उपकरण** - यह उपकरण ऐसे विशेष बच्चों के लिए आई0 ई0 पी0 बनाने तथा कक्षा में प्रयोग होता है। इस उपकरण में 18 डोमेन तथा 20 मद होते हैं जो कि गामक, सूक्ष्म गामक, भाषा, दैनिक क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। इन सब आकलन एवं मूल्यांकन के बाद बच्चे का पूर्ण रूप से कक्षा प्रबंधन किया जा सकता है जिनको निम्नलिखित भागों बांटा जाता है -

- कक्षा में भौतिक वातावरण का माहौल तैयार करना। जैसे पोलियों के मूल्यांकन एवं निदान के बाद ऐसे अक्षम बच्चों के लिए सुगम्य कक्षाकक्ष का प्रबंध करना।
- कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था करना ताकि बैठने की स्थिति सुव्यवस्थित हो। जैसे- खुले डैस्क एवं बाजु वाली कुर्सी प्रदान करना।

- कक्षा में नियम एवं अनुशासन का पालन करना।
- कक्षा में गामक अक्षमता वाले बच्चों के जिए अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करना। जैसे- लेखन में कठिनाई होने पर सामग्री को अनुकूलित कर देना।
- दैनिक क्रियाकलापों जैसे टायलट, लाइब्रेरी में जाने के लिए नियमित समयानुसार प्लानिंग करना।
- टी.एल.एम सामग्री का प्रयोग कर शिक्षा को आसान बनाना।
- खेल-कूद एवं शारीरिक क्रियाओं को समयबद्ध करना।

इसलिए आकलन कर के गामक अक्षमता वाले बच्चे के लिए सुगम्य वातावरण तथा समेकित शिक्षा उपलब्ध करवाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कर सकते हैं। बच्चे को चलने फिरने में

दिक्कत होती है और वह कौन - कौन सी चीज़े उठा सकता है उसके खेलने के माध्यम से भी बच्चे का आकलन कर सकते हैं। जैसेः- उसके हाथ में बॉल पकड़ाएगें और उसे फैंकने के लिए कहेंगें फिर देखेंगे कि वह बॉल को कितनी दूरी तक फैंक सकता है। उसे पुस्तक पकड़ने को कहेंगें, पिन उठाने को कहेंगे। जब बच्चा दौड़ रहा होता है या चल रहा होता है तो भी बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह चल रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी माता-पिता से लेनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा समय बच्चा अपना अपने माता-पिता के साथ ही बिताता है। बच्चे को एक बड़ी बॉल देंगें और उसे पैर से आगे धक्का मारने को कहेंगे। सिढ़ियां चढाएंगे इससे उसके चलने फिरने का पता लगता है कि उसके चलने फिरने में कितनी दिक्कत है।

3.6 गामक अक्षमता - विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं

गामक अक्षमता से ग्रसित बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएं - विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों को समेकित शिक्षा के लिए इन बच्चों की विशेष जरूरतों को समझना आवश्यक है। ऐसे बच्चों की सीखने की क्षमता का बढ़ाने तथा बच्चों की क्षमता को बढाने के लिए एक लचीले एवं आसान तंत्र का होना आवश्यक है।

i. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ :- विशेष गामक अक्षमता से ग्रसित बच्चों की स्वास्थ्य को सही रखने के लिए समय-समय पर चिकित्सक के द्वारा जांच आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर ऐसे बच्चों की निम्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच आवश्यक है-

   - संवेदी-गामक कौशल -किसी बच्चे के गामक-संवेदी कौशल को जांचना तथा जांच के बाद उनको चिकित्सा जैसे संवेदीय या भौतिक चिकित्सा के द्वारा ऐसी क्षमताओं का विकास करना।

जैसेः- मेरूरज्जु में चोट के बाद बच्चे का गामक एवं संवेदी विकास की धीमा हो जाना

↓

महसूस करने, चलने में तथा दैनिक क्रियाकलापों में कठिनाई

↓

ऐसे बच्चों को संवेदीय उत्तेजना तथा स्पर्शनीय गा्रफिक्स के द्वारा बच्चे की क्षमता बढ़ाना

↓

शिक्षा प्रदर्शन में सुधार।

- शारीरिक फिटनेस की जांच - ऐसे बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, खेल-कूद जैसे फुटबाल इत्यादि के लिए फिटनेस की जांच जरूरी है जिसमें मांसपेशिय क्षमता को जांच कर बच्चे की गामक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए संशोधित खेलने का स्थान, नियमों में ढील देना इत्यादि शामिल हैं।

ii. सुरक्षाः- ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए -

- विद्यालय इमारतों में सुरक्षा जैसेः- रैम्प, रेलिंग, तत्काल अर्लाम सिस्टम इत्यादि का प्रयोग करना।
- ट्रैफिक खतरों से बचाव करना, पार्किंग की उचित व्यवस्था करना।
- ऐसे बच्चे जिनका व्यवहार उग्र है उन बच्चों से गामक अक्षमता वाले बच्चों को बचाना।
- लिफ्ट का प्रयोग करना।
- थैरैपी कक्ष का प्रावधान इत्यादि।

iii. **आंनदीय आवश्यकताएं:-** गामक अक्षमता वाले बच्चों की आनंदीय आवश्यकताओं को पढ़ाई के साथ-साथ पूर्ण करना भी जरूरी है इनको पूर्ण करने के लिए विशेष बच्चों को -

- खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से - जैसे पैरालिम्पिक खेल
- आरामदायक आनंदकीय क्रियाएं जैसे - खेल क्लब या किसी ऐसे स्थानों की विज़िट जो कि ऐतिहासिक एवं शिक्षा से जुड़ी हों और उनके लिए मार्गदर्शक हों

iv. **सामाजिक आवश्यकताए:-** विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों के लिए -

- सामाजिक स्थान होने चाहिए जहां पर ऐसे बच्चे आपस में बैठ सके तथा परस्पर संबंध तथा ज्ञान विकसित कर सके।
- कक्षा-कक्ष का एक कॉमन स्थान पर खुलना चाहिए ताकि ऐसी ज़गह पर बच्चे घुल-मिल सके इससे बच्चों का सामाजिकरण मज़बूत होता है।
- बच्चों को अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ड्रामा, गाने की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- बच्चों को डाइनिंग हॉल में एकत्रित करके सामाजिकरण करना। साथ ही कम्पयूटरलैब, लाइब्रेरी, प्रार्थना या एसैंबली
  मे एकत्रित करना।

v. कक्षा या विद्यालय स्तर पर आवश्यकताएं :-

- कक्षा की समय-सारणी को विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करना।
- छोटे समूह में बच्चों को बांटना।
- कक्षा-कक्ष तथा विद्यालय में सुगम्य वातावरण एवं फर्नीचर आदि का प्रावधान करना।

- विद्यालय का वातावरणरू विद्यालय नगर से दूर होना चाहिए ताकि स्कूल में किसी प्रकार की बाहरी आवाज न सुनाई दें।
- विद्यालय का वातावरण बाधायुक्त होनारू. बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूल के आसपास ऊंचा नीचा गड्डा व खतरनाक स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों की पहचान करके उसे उपचार की सलाह देना तथा उसके शैक्षिक कार्य को प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के बच्चों के कारणों की पहचान करके उसमें सुधार करने की चिकित्सीय सलाह देंगे।
- शिक्षक की भूमिकारू सबसे पहले कक्षा में शिक्षक अपने बच्चों को अन्य बच्चों के साथ रहने की आदत डालना तथा अन्य बच्चों में ऐसे बच्चों के लिए मदद करने की आदत डालना।
- मागदर्शन और परामर्शरू मिर्गी से ग्रसित बच्चे को कक्षा में शैक्षिक कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अच्छे मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि मिर्गी से ग्रसित बच्चे अपने मस्तिष्क पर किसी प्रकार का तनाव न ला सकें।
- कक्षा में उपचारात्मक सामग्री का होनारू कक्षा में यदि मिर्गी से ग्रसित बच्चे को दौरा पड़ता है तो तुरन्त उसके उपचार के लिए कक्षा में पानी आदि सामग्री की व्यवस्था करेंगे। उपचारात्मक सामग्री, तरीकों का ज्ञान अध्यापक को पूर्णतया होना चाहिए। जिससे अध्यापक कक्षा में इस प्रकार के बच्चे को ठीक प्रकार से संभाल सके।
- पुरस्कार की व्यवस्थाः कक्षा में यदि इस प्रकार का बच्चा किसी साहसिक कार्य को करता है औ कक्षा में अच्छा रैस्पॉस देता है और बार-बार गलत किए गए व्यवहार या कार्य को सही करने लगता है तो अध्यापक द्वारा पुरस्कार दिया जाना चाहिए।
- साथियों में सहयोग की भावना जागृत करनारू अध्यापक द्वारा कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को इस प्रकार के बच्चे से अवगत कराना चाहिए।सहपाठियों में ऐसे बच्चे का सहयोग करने की भावना जागृत करनी चाहिए। जिससे वे हर समय उसे बच्चें का साथ दे सकें।

- पुनवर्लन देनाः इस प्रकार के बच्चों को भी पुर्नवलन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने सभी कार्यों को हतोत्साहित न होकर बल्कि साहस से कर सके। ऐसा साहस और आत्मविश्वास अध्यापक द्वारा बार-बार दिया जाना चाहिए।

vi. पाठ्यक्रम आवश्यकताए :-

- बच्चे के पाठ्यक्रम को उसकी क्षमता अनुसार अनूकूलित करना।
- टी.एल.एम का प्रयोग करना जैसेः- फ्लैश कार्ड एवं पैग बोर्ड।
- पाठन एवं लेखन सामग्री में संशोधन करना। जैसे - पैंसिल एवं पैन की पकड़ बदलना।
- लेखन के समय बच्चे की बैठने की स्थिति पर नज़र रखना।
- प्रश्न पत्र के हल के लिए स्क्रब या अन्य साथी की सहायता लेना।
- पाठ्यक्रम को बच्चों की क्षमता के अनुसार लचीला बनाना।

vii. व्यावसायिक आवश्यकताएं :-

- ऐसे विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों के कैरियर अथवा नौकरी के लिए उनकी शक्तियों एवं कमज़ोरियों को पहचान कर उपयुक्त कार्य के लिए प्रेरित करना।
- ऐसे बच्चों को सहायक उपकरण जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल देकर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

viii. **पूर्ण भागीदारीः-** विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों को खेल-कूद प्रतियोगिताओं, अन्य कला स्पर्धाओं मे भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सकें तथा वे खुद को दूसरे सामान्य बच्चों से कम न समझ सकें। बच्चे की विशेष जरूरतों को पूर्ण करने के लिए टीम ऐपरोच की आवश्यकता होती है ताकि सभी समूह के सदस्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनकी क्षमताओं का समेकित वातावरण में निखार सकें। टीम में विशेष शिक्षक, भौतिक एवं व्यावसायिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक तथा चिकित्सक का होना आवश्यक है।

ix. **सहायक उपकरणः-** विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों का चलने एवं अन्य गतिविधियों के लिए सहायक उपकरण जिनकी ऐसे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए आवश्यकता है का एडिप स्कीम के अंतर्गत उपकरण वितरित करने चाहिए। जैसे- बैसाखी, वॉकर, व्हीलचेयर इत्यादि।

3.7 गामक अक्षमता संबंधी समावेशी ढ़ांचा एवं रणनीतियां

समावेशित शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक ही निश्चित स्थान पर समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस समावेशित वातावरण का उद्येश्य गामक विकलांगता ग्रसित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने से है ताकि बच्चों में समानता की भावना उत्पन्न हो सके। आजकल हर बच्चे को "शिक्षा का अधिकार" कानून के तहत कोई भी गामक अक्षमता वाला बच्चा किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण कर सकता हैं। अक्सर यह देखा गया है कि गामक अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो कि व्हीलचेयर या बैसाखी का प्रयोग करते हैं, पर्याप्त सुगम्य वातावरण न होने के कारण प्रवेश नहीं मिलता है जो कि कानून का उल्लंघन है। ऐसे गामक अक्षमता वाले बच्चों के लिए प्रत्येक विद्यालय में इंक्लूसिव सैंटिग

(समावेशीय ढ़ाचा) तथा सुगम्य वातावरण की उपलब्धता करवाकर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। समेकित शिक्षा प्रदान करने के तिए कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गामक अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अपनी क्षमता को बढ़ाने का मौका मिल सके।

3.7.1 कक्षा प्रबंधन

अकोमोडेशन

- गामक अक्षमता वाले बच्चों को अध्यापक के समीप बैठाना।
- ऐसे बच्चों को प्रश्न का जवाब देने के लिए अधिक समय देना।
- प्रशन पत्र एवं असाइनमैंट के लिए समय बढ़ाना।
- अनुदेशों को आसान बनाना।
- बड़े पेपर का प्रयोग करना।
- बैठने की सुगम्य व्यवस्था करना।
- शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली गति क्रियाओं का अभ्यास करवाना।
- कक्षा में सहायक तकनीक जैसे सी.सी.टी.वी.इत्यादि का प्रयोग करना।
- कक्षा में दीवार का रंग ज्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे को परेशानी न हो।
- शोर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षाकक्ष खुला व हवादार होना चाहिए।
- बसें की दीवार पर ऐसी तस्वीर न हो जिस पर लाइट पड़ने पर चमक हो।
- अगर बच्चा ज्यादा देर तक अचेतना अवस्था में रहे तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।

मोडिफिकेशन (संशोधन)

- प्रश्न पत्र को संशोधित करके आसान बनाना।
- लिखित कार्य को संशोधित करके मौखिक कार्य में तब्दील करना जैसेः- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चों को लेखन कार्य में कठिनाई है तो या तो उनके लिए संशोधित पकड़ वाली पेन और पेंसिल उपलब्ध करवाना तथा लेखन कार्य को मौखिक में तब्दील करना।
- ऐसे ग्रसित बच्चों के पाठयक्रम सामग्री को संशोधित करके जैसे सिर के उपर हैंड-बैंड से कम्पयूटर की- बोर्ड को संचालित करना।
- बैठने वाला फर्नीचर जैसे:- कुर्सी, डेस्क, मेज जिसमें की पांव रखने तथा बाजुओं को पूर्ण रूप से सहारा देने की व्यवस्था हो।
- अगर बच्चे को पकड़ने में परेशानी हो तो पेन या पैन्सिल की पकड़ को बदल देना चाहिए।
- कॉपियों को भी बच्चे की अवस्था के अनुसार बदल देना चाहिए। ऐसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी

प्रकार की नुकीली वस्तु न हो। कठिन कार्य नहीं करवाना चाहिए।

अडैपटेशन (अनुकूलन)

- ऐसे गामक अक्षमता वाले बच्चों के पाठ्यक्रम का अनुकूलन उनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अनुकूलन किसी भी पाठ्य सामग्री ,लेखन सामग्री जैसे पैन और पैंसिल बड़े अक्षर वाली लाइनदार किताबें इत्यादि।
- स्पास्टिक सी.पी.वाले बच्चों के लिए पैन और पैंसिल की पकड़ बनवाना।
- टी.एल.राम का प्रयोग- ऐसा बच्चा जिसकी दोनों हाथ तथा दोनों पैर नहीं हैं ऐसे बच्चों को उपर्युक्त टी.एल.एम. का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

- लचीला पाठ्यक्रम- ऐसे विशेष बच्चों लिए लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए।
- आई0ई0पी- (व्यैक्तिक शैक्षिणिक कार्यक्रम) विकलांग बच्चे के लिए कोई भी कार्यक्रम तैयार करने से पूर्व बच्चे की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है। जानकारी लेने के उपरान्त बच्चे की क्रियाओं, शिक्षण सामग्री का चयन बच्चे की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप होना चाहिए। जैसेः- सी.पी से ग्रसित बच्चे के लिए गिनती या गणित के अंक में लगे गुटखे; लकड़ी के अलग-अलगद्ध रंग एवं आकार के गुटखे को गिनकर, खेल-खेल में समन्वय का अभ्यास करवा कर शिक्षा प्रदान करना।

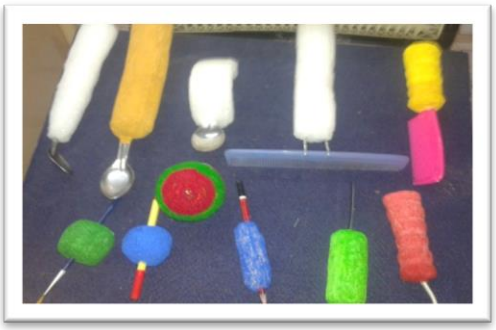

स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार "यदि विशेष बच्चे शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकते तो शिक्षक को विशेष विकलांग बच्चों के पास जाना चाहिए"। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समय बिताना पड़ता है जैसे- पढ़ना, खेलना, अन्य प्रतिस्पर्धाओं मे भाग लेना। ऐसे गामक अक्षमता वाले बच्चों को

a) गृह आधारित शिक्षा के साथ-साथ व्यायाम करवाना।
b) सर्वशिक्षा अभियान की योजनाओ के अन्तर्गत बच्चों के सहायक उपकरण जैसे - एम.एस.आई.ई.डी किट, ए.डी.एल किट की उपलब्धता करवाना जिससे बच्चे अपनी सूक्ष्म गामक क्रियाओं को सीख सकें।
c) सामान्य एवं विशेष बच्चों में सभी प्रकार के भेदभावों को कम करना ।
d) सुगम्य विद्यालय एवं गृह वातावरण की जानकारी देकर विकलांग बच्चे के कौशलों एवं गामकता को बढ़ाना।
e) बाधा रहित वातावरण
    - दरवाज़े की चौड़ाई लगभग 3 फिट तक होनी चाहिए।

- दरवाज़ा 90 या 180 डिग्री पर खुलना चाहिए।
- दरवाज़े में स्टापर लगा होना चाहिए।
- फर्श फिसलन वाला नहीं होना चाहिए तथा रैम्प होना चाहिए।
- रैम्प पर रेलिग लगी होनी चाहिए।
- रैम्प की उंचाई 30-34 इंच तक होनी चाहिए।
- रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

f) विशेष बच्चे के अभिभावकों को तथा अध्यापकों को विशेष शिक्षा प्रबंध के लिए सशक्त बनना।

g) विशेष गामक अक्षमता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष केन्द्रों को स्थापित करना ताकि एक ही कक्ष मे बच्चों के लिए शिक्षण, पाठन सामग्री तथा सहायक उपकरण एवं खेलों का सामान उपलब्ध हो सकेउ जैसे - विच्छेदन अवस्था वाले बच्चे को संसाधन कक्ष में कृत्रिम अंग की रूप रेखा के बारे में जानकारी प्रदान करना। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चों को टी0 एल0 एम0 के साथ खेल सामग्री उपलब्ध करवाना इत्यादि। जिन प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों को खाना खाने में, निगलने में समस्या है तो स्ट्रा नली के द्वारा, चबाने वाले मुख अभ्यास तथा जीह्वा के व्यायाम करवाना। जिन बच्चों को लिखने में समस्या है तो हवा-लेखन जैसे हवा में हाथ एवं उंगलियों से 1, 2, 3 अक्षर का अभ्यास भी पाठ्यक्रम अनुकूलन का हिस्सा है।

3.7.2 विशेष शिक्षक की भूमिका

किसी भी विकलांगता से ग्रसित बच्चे के जीवन में विशेष अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी एक ऐसी अवस्था होती है। जिसमें बच्चे का दिमाग चलने फिरने से सम्बन्धित गतिविधियों को नियंत्रण करने में असमर्थ होता है जिससे बच्चे को अपना कार्य करने में समस्या आती है और विशेष अध्यापक की सहायता से बच्चे और उसके कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चा अपने जीवन में कुछ हद तका आत्मनिर्भर बन सके।

कक्षा मे विशेष अध्यापक की भूमिका :

1) बच्चे के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करनाः- कक्षा के कमरे में इस तरह का वातावरण तैयार करना जिससे बच्चे को परेशानी न हो जैसे अगर बच्चे को चलने में परेशानी है तो कक्षा में चलने की जगह कोई ऐसा सामान न रखें जिससे बच्चे को नुकसान हो। डेस्क की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चा आसानी से उस पर बैठ सके व अपने आप उनसे बाहर निकल सके।

2) अगर बच्चा व्हील चेयर या सीपी चेयर पर है तो बच्चे को उचित जगह होनी चाहिए।
3) बच्चे के व्यायाम के लिए उचित उपकरण उपलब्ध करवाना जैसेः- शरीर की स्थिति सुधारने

के लिए जिम गेंद की सुविधा आदि।

4) अगर बच्चे को लिखने में परेशानी है, बच्चा पेन्सिल नही पकड़ पर रहा है तो बच्चे को पैंसिल
एवं पैन की पकड़ बदलना।
5) बच्चे के विद्यालय को बाधारहित बनाना जैसे रैंप की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था करवाना आदि।
6) बच्चे के कक्षा के दरवाजे व शौचालय के दरवाजे के हैंडल व लम्बाई, चौड़ाई की उचित व्यवस्था करना ताकि बच्चे को उनका प्रयोग करती बार कोई परेशानी न हो।
7) बच्चे के लिए ऐसे शौचालय की व्यवस्था करना जिसमें बच्चा व्हील चेयर के साथ जाकर अपने आप शौचालय का प्रयोग कर सकें।
8) स्कूल के आने जाने के सभी रास्तों में रेलिंग की व्यवस्था करवाना ताकि बच्चा उनका सहारा लेकर आसानी से आ जा सके।
9) बच्चे की जरूरत व आवश्यकता की वस्तुओं मे इस तरह से संशोधन करना ताकि बच्चा उनका आसानी से प्रयोग कर सके।
10) बच्चे को इस तरह क्रियाए करवाना जिनसे बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके जैसे दौड़ लगवाना व मोतियों से माला आदि बनवाना।

घर मे विशेष अध्यापक की भूमिका:

1) **बच्चे के माता पिता को बच्चे के प्रशिक्षण में सम्मिलित करना**:- विशेष अध्यापक की मुख्य भूमिका यह रहती है कि वह बच्चे के माता- पिता को बच्चे के सम्बन्ध में जागरूक करें। बच्चे को दी जाने वाली शारीरिक व्यायाम को माता - पिता को सिखाएं तथा उन्हे घर पर भी बच्चे से ये व्यायाम करवाने के लिए कहें ताकि बच्चे को घर पर भी थैरेपी मिलती रहे।
2) **बच्चे के घर के वातावरण को बाधारहित बनाना**:- विशेष अध्यापक किसी भी बच्चे के घर को बाधारहित बनाने में माता- पिता तथा बच्चे के परिवार वालों को सुझाव देकर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवा सकता है जैसे अगर बच्चा व्हील चेयर बाउंड है तो घर के दरवाजे, हैंडल व कुंडी बच्चे की पहुंच के अनुसार घर के स्वीच, कुर्सीयां की अत्यधिक उंचाई न करना, सीढ़ियां ज्यादा ऊंची न करना, खाना बनाने के प्लेटफॉर्म की उंचाई आदि को बच्चे की जरूरत व आवश्यकतानुसार बनाना।
3) **बच्चे द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं में आवश्यकतानुसार संशोधन करना**:- विशेष अध्यापक बच्चे के घर में जा कर बच्चे की वस्तुओं में संशोधन करने में मद्द कर भूमिका निभा सकता है जैसे ब्रश के हैंडल को मोटा करना, कपड़ों में ,कंघी में, खाने में प्रयोग लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे थाली, गिलास , चम्मच आदि में, जूतों में और भी जो सामान बच्चा प्रयोग करता है उनमें अडाप्टेशन करना ताकि बच्चा उनका प्रयोग आसानी से कर सके।

4) **घर की वस्तुओं से बच्चे को व्यायाम करवाने की सलाह देना:-** कार्नर चेयर नहीं है तो बच्चे को कमरे के एक कोने में बैठाना, बच्चा कैंची बनाता है तो साइड मे उठाने का सुझाव देना, घर मे प्रयोग किए जाने वाले पिलो पर बच्चों को औंधा मुंह लेटाकर पलटी करवाने का सुझाव देना आदि ताकि बच्चे की घर पर भी व्यायाम की जा सके।

3.8 सांराश

शिक्षा का समावेशीकरण यह दर्शाता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शारीरिक विकलांग छात्र को शिक्षा प्रप्ति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इस युग में, आज के परिवेश में शिक्षक को यह दृष्टिकोण अपनी कक्षा व्यवहार में लाना चाहिए। अशक्त बच्चों को अलग रखना तथा सामान्य बच्चों जैसी सुविधाएँ न देना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चे को अब सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे विकलांग बच्चों में सामाजिक भावना एवं तालमेल बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, विद्यार्थी सामुदायिक गीत, विभिन्न कार्यों के लिए छात्रों का दल बनाना, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना, विशेष शिक्षकों की सहायता लेना इत्यादि समावेशीकरण को बढ़ाने के तरीके हैं। भारतीय शिक्षा जैसे विभिन्न विविधताओं के होते हुए समावेशी शिक्षा आज प्रत्येक विद्यालय में पहुँच चुकी है। हमारा संविधान, धर्म, लिंग आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है जो कि एक समावेशी समाज की स्थापना में सहायक है। ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का शुद्ध आकलन एवं जाँच के उपरान्त ऐसे बच्चों को विद्यालयों में, कक्षा में सुगम्य वातावरण प्रदान करना चाहिए तथा साथ ही साथ पाठ्यक्रम सामग्री में अनुकूलन तथा संशोधन करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत विद्यालय में, कक्षा में तथा सार्वजनिक स्थानों पर सहायक एवं विशेष उपकरण जैसेर:- व्हीलचेयर, बैसाखी इत्यादि उपलब्ध करवाकर विकलांगों की गामक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

3.9 संदर्भ सूची

1. एलिन एवं बैकन- इनकलुडिग सटूडैंटस विद सपैशल नीडस
2. डा. आर. ए. जोसेफ- विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास
3. डा. आर. ए. जोसेफ - पुनर्वास के आयाम
4. डेविड वर्नर - डिसेबल्ड चिल्ड्रन बुक
5. ज्वांग जो किम - टीचींग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटिस इन इनकलुसिव सैटिंग
6. मीटींग नीडस आफ सटूडैंटस विद फीसीकल इमपेयरमैन्ट (2002)

3.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. गामक अक्षमता से आपका क्या अभिप्राय है ? गामक क्षमता के कारण, लक्षण, प्रकार एवं रोकथाम तथा प्रंबधन के बारे में विस्तारपूर्वक लिखें।
2. गामक अक्षमता ग्रसित बच्चे के लिए विशेष शिक्षा का क्या योगदान है, ऐसी बच्चों की क्या विशेष आवश्यकताएं हैं? विस्तारपूर्वक लिखें ?

इकाई 4 - विद्यालय में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता(Soco –Cultural D I vers I ty at School)

विविधताः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारको से, विविधता आर्थिक कारकों से, शिक्षा में लैंगिक चुनौतियां, दृष्टिकोण सम्बन्धी बाधायें, हिंसा एवं बदसलूकी

(D I vers I ty due to socio- cultural and reiligious factors, diversity due to economic factors, Gender Issues in education, atitudinal barriers, violence and abuse)

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता सम्प्रत्यय
4.4 सामाजिक-सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर विविधता का सम्प्रत्यय
4.5 आर्थिक कारकों के स्तर पर विविधता का सम्प्रत्यय
4.6 शिक्षा में लैगिंक कारकों का सम्प्रत्यय
4.7 दृष्टिकोण सम्बन्धी बाधाओं का सम्प्रत्यय
4.8 हिंसा व गाली-गलौच बदसलूकी का सम्प्रत्यय
4.9 सारांश
4.10 शब्दावली
4.11 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर
4.12 निबंधात्मक प्रश्न
4.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.1 प्रस्तावना

मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसके संपूर्ण विकास के लिए विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सभ्यता का विकास होता है। विद्वानों के दृष्टिकोण में शिक्षा मानव को अपने जीवन

में उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। देशकाल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार विद्यालय की प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है।

भारतीय समाज की अति प्राचीन एवं जटिल है। वह अपने विविधता व बाहुल्यता के विभिन्न पक्षों के कारण से मानवता को निरन्तर राह दिखाता है। भारत विविधताओं का देश है। परजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, खान-पान, जलवायु, रहन-सहन, वेशभूषा एवं विचारों की दृष्टि से कई विविधताएँ दिखाई देती हैं। एक तरफ उच्च जाति एवं उच्च वर्ग के लोग हैं तथा दूसरी तरफ अत्यधिक निर्धन एवं निम्न जाति के लोग हैं। इन्हीं विविधताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व लैंगिक विविधतायें पायी जाती हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का एक समन्वय देखने को मिलता है। इन विविधताओं से भारतीय समाज व संस्कृति का कोई अव्यवस्थित रूप सामने नहीं आया है अपितु अनेक विशिष्टताओं की अभिव्यक्ति ही हुई है।

भारतय संस्कृतिक में दूसरों के सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करने तथा अपने भीतर उनको उपयुक्त स्थान देने की अद्भूत शक्ति है।

प्रस्तुत इकाई में आप विद्यालय में सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का सम्प्रत्य, सामाजिक-सांस्कृतिक व धार्मिक विविधता के कारकों का सम्प्रत्यय एवं महत्व, आर्थिक आधार पर विविधताएँ, शिक्षा में लैंगिक असमानता, दृष्टिकोण, सम्बन्धी बाधाएँ एवं हिंसा व बदसलूकी के विषय में विस्तापूर्वक अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप -

1. विद्यालय में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के सम्प्रत्यय को समझ सकेंगे।
2. सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता के कारकों के सम्प्रत्यय को समझ सकेंगे।
3. आर्थिक आधार पर विविधता के सम्प्रत्यय को जान पायेंगे।
4. शिक्षा में लैगिंक असमान को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. विद्यालयी शिक्षा में दृष्टिकोण सम्बन्धी बाधाएँ कौन सी हैं के बारे में समझ सकेंगे।
6. विविधतापूर्ण परिस्थितियों में हिंसा एवं बदसलूकी के औचित्य पर व्याख्या कर सकेंगे।

4.3 विद्यालय में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताः सम्प्रत्यय

विद्यालय शिक्षा के लिए एक सुनियोजित संस्था है। यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बिना किसी पक्षपात के गुणत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अब प्रश्न उठता है कि विद्यार्थियों में समान प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता क्या होती है।

दुनिया भर के मनुष्य जैविक स्तर पर एक जैसे है लेकिन के समान परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं करते हैं। इस संबंध में बहुत सारे मानव शास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य अपने व्यवहार

के कारण एवं रहन-सहन के कारण भिन्न है। मानव समाज में सांस्कृतिक विविधता का मुख्य आधार जातीय भिन्नता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि सांस्कृतिक भिन्नता के पीछे भौगोलिक कारण है। भौगोलिक पर्यावरण का लोगों की आदतों, विचारों एवं जीवन शैली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पिछले दो या तीन दशकों में भारत सहित विश्व के सभी देशों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है जिसमें सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना शामिल है।

2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप-रेखा (एन0सी0एफ0) ने एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है। जिसमें सभी बच्चों को विद्यालय परिवेश में उनके सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता के होते हुए व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के तरीके शामिल किए गये हैं। आज कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को समझते हुए उनके प्रति संवेदनशील हुए बिना व्यवसायिक रूप से सफल नहीं हो सकता है। उन्हें वर्ग, जाति, धर्म, लिंग पर ध्यान दिये बिना सभी विद्यार्थियों को संलग्न करने और सीखने के सार्थक अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिंग और सामाजिक श्रेणी पर ध्यान दिये बिना विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के इस निर्णय को अधिक मजबूत और सुदृढ करना है। एक विद्यालय नेता के रूप में आपको बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (1989) का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जिसमें हर एक सदस्य देश को अपने सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का आदेश देकर विविधता को अपनाने की उल्लेखनीय प्रेरणा दी गई है। अपने विद्यालय में सभी समुदाय के बच्चों को प्रोत्साहित करना और विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने विद्यालय के अस्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ का अन्वेषण करेंगे ताकि सभी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से जान सकें।

अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक विविधता के लिए निम्नलिखित में उत्तरदायी कारक नहीं है -
    a. तकनीकी
    b. सामाजिक परिवेश
    c. भौगोलिक
    d. जैविक
2. विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर शिक्षा की बात कही गई है।
    a. एन0सी0एफ0 2005 में
    b. आर0टी0ई0 एक्ट 2009 में
    c. कोठारी कमीशन के द्वारा
    d. उपरोक्त सभी में

4.4 सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर विविधता का सम्प्रत्यय -

विविधता का महत्व समझने वाले समावेशी समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम् भूमिका मानते हैं। इस सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का एक शैक्षिक संसाधन और सीखने के अवसर के रूप में उसका सर्वोत्तम उपयोग सीखना होगा।

विविधता से सम्बन्धित मुद्दे कहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में बाधक बन सकते हैं और शैक्षिक परिणामों को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। एन0सी0ए0 2005 पृष्ठ संख्या 9 में समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्षता के संबंध की आवश्यकता के लिए औचित्य का दृष्टांत देता है। शिक्षण प्रणाली उस समाज से अलग होकर काम नहीं करती जिसका वह हिस्सा है। भारतीय समाज में मौजूद जाति के अनुक्रम, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, बच्चों की विद्यालय में भागीदारी पर गहरा प्रभाव डालती है। भारत धर्मों का संगम स्थल रहा है।

- **सामाजिक विविधता -** सामाजिक विविधता को कायम रखने में भारत के शासक वर्ग की सोच आज भी प्राचीन भारत में विचरण करती प्रतीत होती है। आज जैसी हमारी सामाजिक विविधता, सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग और अल्पसंख्यकों से युक्त चार सामाजिक समूह में परिलक्षित होती है। वैसे इसका प्राचीन रूप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र के रूप में था। भारत का समाज अत्यन्त प्रारम्भिक काल से ही विभिन्न वर्गों में विभाजित रहा है। भारतीय सामाजिक इतिहास पर दृष्टि डालें तो अनेक विविधताएँ दिखाई पड़ती हैं। सामाजिक जीवन के एक छोर पर पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी तो दूसरे छोर पर गारो, खासी, टोडा और खस जनजातियाँ हैं जिनके अलग-अलग सामाजिक जीवन हैं। एक विवाह, बहु-विवाह, संयुक्त परिवार, मूल परिवार एवं महिलाओं का स्तर इन सब में विभिन्नताएँ देखने में आती हैं। इन सब विविधताओं के होते हुए भी सब एक सूत्र में बंधे हैं। सर हर्बट रिजले के अनुसार - "भारत में धर्म, रीति-रिवाज और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी जीवन की एकरूपता कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।" विनोबा भावे के अनुसार - "भारत में अनेक धर्म, भाषाएँ और जातियाँ हैं। यह महान भूमि अनेक सामाजिक समूहों का संगम स्थल रहा है जहाँ सभी लोग भारत को अपना घर एवं देश मानते हैं।"
- **सांस्कृतिक विविधता -** भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा यहाँ तक मानसिकता भी अलग-अलग है। जिसका प्रभाव लोगों की जीवनशैली पर पड़ता है। लोगों के विश्वासों, मान्यताओं, नैतिक संबंधी धारणाओं एवं अन्य निषेधों में भी काफी विविधता दिखाई देती है। जैसे भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और एक सामाजिक दायित्व भी। भारत में पाश्चात्य संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ती है।

- **धार्मिक विवधता -** भारत में विभिन्न भागों में अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जिसमें मुख्यतः हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अनुयायी हैं। प्रत्येक धर्म भी कई मतों में बँटा हुआ है। अतः विभिन्न धर्म के आधार पर धार्मिक विविधता पाई जाती है जिसका प्रभाव विद्यार्थी की शिक्षा पर पड़ता है।

अभ्यास प्रश्न

3. "भारत में धर्म, रीति-रिवाज, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी कन्या कुमारी से लेकर जम्मु कश्मीर तक एकरूपता देखी जा सकती है।" ये कथन है -
    a. विनोबा भावे
    b. हर्बट रिजले
    c. स्वामी विवेकानन्द
    d. कोई नहीं
4. विद्यालय में धर्म के आधार पर शिक्षा बढ़ावा देती है
    a. सामाजिक असमानता को
    b. व्यैक्तिक विकास को
    c. धार्मिक संरक्षण को
    d. राष्ट्रीय विकास को

4.5 आर्थिक कारकों के आधार पर विविधता का सम्प्रत्यय

भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। इस असमानता के कारण समाज में आर्थिक स्तर पर विभिन्न वर्ग बन चुके हैं। आर्थिक विविधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं -

- वर्ण व्यवस्था
- सामंतवादी प्रणाली
- दास प्रथा
- पंजीवादी दृष्टिकोण
- अमानवीय दृष्टिकोण
- शोषण की प्रवृत्ति
- संसाधनों पर सामाजिक, राजनैतिक पक्षपातपूर्ण अधिपत्य

4.6 शिक्षा में लैंगिक समानता के मुद्दे सम्प्रत्यय

किसी भी देश के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा रहित समाज साक्षात् पशुवत् होता है। वैदिक परम्परा के अनुसार शिक्षा के विषय में लिखा गया है - "असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योर्तिगमय" अर्थात् शिक्षा सत्य का ज्ञान, अमरता का कारण है। एक शिक्षित समाज ही देश को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। आज भारतीय शिक्षा के सम्मुख ढेरों चुनौतियाँ और मुद्दे हैं।

आज हमारे देश में विद्यालयों का विभाजन धर्म, जाति, भाषा, लैंगिकता इत्यादि के आधार पर शुरू हो चुका है। जिस शिक्षा को संविधान में बिना किसी भेदभाव के समानता का उल्लेख है। आज वही शिक्षा समाज में असमानता के मुद्दे उत्पन्न कर रही है। लिंग के आधार पर आज शिक्षा में असमानता सरकारी आंकडों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-1966 की रिपोर्ट में सरकार के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि "कॉमन स्कूल सिस्टमह्न अर्थात् शिक्षा की और कदम बढ़ाये जायेंगे परन्तु आज भी लिंग के आधार पर शिक्षा में असमानता पायी जाती है। शैक्षिक असमानता के कारण लड़कियाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण निभाती है। यदि हम बच्चों को सही शिक्षा दें तभी हम योग्य और कुशल मानव संसाधन का विकास कर सकेंगे।

आजादी के बाद हमने शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए बड़े कदम उठाये हैं। "लिंग" एक ऐसा निष्पक्ष शब्द है जो कि समाज के सदस्यों की भूमिाओं का वर्णन संरचनाओं की अपेक्षा राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर करता है। यूनेस्को के दस्तावेज के अनुसार लैगिंग संवेदनशीला पुरूषों के विरूद्ध महिलाओं का खड़ा होना नहीं है। बल्कि धारणाओं को बदलने की जरूरत है। लैगिंग जारूकता के लिए न केवल बौद्धिक प्रयास की जरूरत होती है, सहानुभूति एवं वैचारिक खुलेपन की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था "जो देश या समाज नारी को सम्मान नहीं देता उसका विकास संभव नहीं है।" जैसे - उड़ने के लिए के लिए पक्षी के दोनों पंख मजबूत होना चाहिए। उसी तरह समाज के स्त्री और पुरूष दोनों का शिक्षित होना जरूरी है। एम0एस0 गोरे 1994 के मतानुसार शिक्षा तीन प्रकार के अवसरों को प्रदान करने की भूमिका का निर्वहन करती है जो कि इस प्रकार है -

- उन सभी व्यक्तियों के शिक्षा संभव बनाकर जिनकी इच्छा शिक्षित होनी की है।
- शिक्षा के ऐसी विषय वस्तु का विकास करके जो वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक दृष्टिकोण विकसित करेगी।
- धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग, आदि पर आधारित परस्पर सहिष्णुता का वातावरण विकसित करके।

विद्यालय के अन्तर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधियों में छात्र-छात्राओं के मध्य कोई भिन्नता न बरती जाये चाहे वह खेल का मैदान हो या सांस्कृतिक मंच। अतः सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए लिंग असमानता को मिटाकर एक स्वच्छ भाग से आगे बढ़ने की जरूरत है।

5. कामन स्कूल सिस्टम से अभिप्राय है -
   a. सबके लिए विद्यालय में शिक्षा
   b. लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था।
   c. सह-शिक्षा
   d. उपुर्यक्त में से कोई नहीं
6. लैंगिक असमानता जन्म देती है
   a. सामाजिक विघटन को
   b. आर्थिक विघटन को
   c. जैविक विघटन को
   d. उपर्युक्त में से किसी को नहीं

4.7 अभिवृत्ति का अर्थ

अभिवृत्ति शब्द का अर्थ होता हैं -दृष्टिकोण जैसा कि दृष्टिकोण से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि जिस भी वस्तु,संस्था,परिस्थिति या व्यक्ति को हम जिस दृष्टि से या नजरिए से देखते है वही दृष्टिकोण हमारी अभिवृत्ति कहलाता है। अभिवृत्ति शब्द इतना सरल नही है। अभिवृत्ति जन्माजात न होकर हमारे अधिगम एवं अर्जित किये गये अनुभवों के आधार पर बनती है। अभिवृत्तियां सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनो प्रकार की होती है। इसके अलावा अभिवृत्तियां अनुभवों के साथ बदलती रहती है।

परिभाषाएं –

अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति एक विषिष्ट भावना है। इसमें उस वस्तु से जुडी हुई परिस्थितियों में एक निष्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। यह आंषिक रुप से तार्किक और आंषिक संवोगात्मक होती है। तथा किसी भी व्यक्ति में जन्माजात न होकर उपार्जित होती है। यह अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है।- **सौरेसन**

अभिवृत्ति किसी विषिष्ट विषय के प्रति व्यक्ति की प्रवृतियों ,पूर्व निधार्रित विचारों एवं आंतकों का यो है- **थर्सटन**

अभिवृत्तियों व वर्गीकरण

- स्वीकार्य परिस्थिति
- अनुभव के आधार पर
- पर्यावरण के आधार पर(परिवेष के आधार पर)
- उत्सुकता के आधार पर
- नेत्रानुसार
- परिस्थिति के आधार पर (सकारात्मक/नकारात्मक)

- अभिवृत्तियों के निर्धारक
- सास्कृतिक निर्धारक
- मनोवैज्ञनिक निर्धारक
- कार्यात्मक निर्धारक
- आर्थिक निर्धारक
- सामाजिक निर्धारक

अभिवृत्ति निर्माण में सहायक

- परिवार
- जागरुकता
- प्रेरणा
- सहयोग
- सकारात्मक वातावरण
- पारस्परिक मध्र संबध
- सकारात्मक सामजिक परिवेष
- षिक्षा का उच्च स्तरीय ज्ञान

अभिवृत्ति निर्माण में बाधक/अवरोध

- नकारात्मक सामजिक परिवेश
- नकारात्मक सोच
- अपूर्ण ज्ञान
- प्रतिकूल वातावरण
- शिक्षा का अभाव

4.8 हिंसा का अर्थ

हिंसा सामाजिक मुद्दा है क्योंकि हिंसा के कारण व्यक्ति अधिकारों व इन्सान बनने के हक से वंचित होगा। किसी के अधिकारों का हनन करना व बराबरी का दर्जा न देना संकेत है हिंसा। इस हिंसा से व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, समानता, क्षमता, गरिमा, सम्मान समादर सब पर नाकरात्मक प्रभाव पडता है।

कोई भी आचरण या व्यवहार जो किसी को भी (बच्चे,औरत)चोट या नुकसान पहुॅचाता है या उसकी संभावना वाला हो वह उसकी सुरक्षा व स्वास्थय के लिये खतरा पैदा करने वाला हो, हिंसा के अन्तर्गत वे सब कार्य व प्रकियाएं आती है जो षारीरिक,मौखिक,दृष्यगत अथवा यौन-षोषण को घर परिवार में बच्चे, वृद्ध व महिलाओं को भय,आक्रमण,प्रताडना के रुप में पीडा व चोट का अनुभव कराती है और इसके द्वारा इन्हे निम्न व छोटे होने का निरन्तर अहसास कराने का प्रयास किया जाता है।

हिंसा के प्रकारः-

- शारीरिक उत्पीडन-

1. शरीर को कष्ट पहुॅचाना
2. कोई भी ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति के जीवन को खतरा हो।
3. कोई भी ऐसा कार्य जिससे स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पडे।
4. किसी भी तरह व्यक्ति पर हमला करना आदि।

- भावनात्मक उत्पीडनः-

1. किसी कारण से गाली गलौच देना।
2. किसी वस्तु के लिये तंग करना
3. आर्थिक उत्पीडनः-
4. किसी भी प्रकार के धन या सम्पत्ति जिस पर व्यक्ति का कानून अधिकार है उससे वह छिन लेना या लने की कोषिष करना।

अन्यः-

ऐसे किसी भी व्यक्ति को धमकी देना या गलत व्यवहार करना जो किसी व्यक्ति के हित की बात सोचता हो या उसकी मदद कर रहा हो।

आज हमार देश में ज्यादातर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हिंसा का षिकार हो रहे है। यह किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय तक सीमित नही है बल्कि हर तरफ फैल रही है। हिंसा को किसी भी तरह से जायज नही ठहराया जा सकता है। स्थिति और भी दयनीय हो जाती है जब समाज, परिवार के दबाव में आकर हिंसा के षिलाफ कोई ठोस कदम नही उठाता है। हिंसा मानव अधिकार का एक घिनौना रुप है। हमारा संविधान सबकों जीवन जीने के लिये न्याय, समानता और स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। हिंसा पर नियंत्रण,मानसिकता में बदलाव,सामाजिक जागरुकता,आत्मनिर्भरता के माध्यम से विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लाया जा सकता है।

मूल्यहीनता (अभद्रता) का संप्रत्यः-

प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति और समूह विद्यमान होते है जो सामाजिक आदर्षो का अनुपालन नही करते है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष आंकडे भी पेष किये जाते है। नई जीवन षैली में मूल्यों में गिरावट महसूस की जाती है। कुछ ऐसे व्यवहार होते है। जो समाज के प्रचलित आदर्षो के

अनुकूल नही होते है। अब स्वाभाविक प्रष्न उठता है कि अभद्रता क्या है? यह क्यों किया जाता है। इसके समाज पर क्या परिणाम होते है ?

अभ्यास प्रश्न

7. हिंसा से अभिप्राय है -
    a. शारीरिक हानि
    b. मानसिक हानि ।
    c. मानवीय प्रताड़ना।
    d. उपुर्यक्त में से कोई नहीं

4.9 सारांश

एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा की ऐसी परम्परा बना दी गयी है कि बड़े विश्वविद्यालयों में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को प्रवेश मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट का कटऑफ अत्यधिक ऊँचा रहता है, जो अधिकांश सरकारी विद्यालयों में पढ़े बच्चों के लिए असंभव है। शैक्षिक असमानता के कारण वंचित वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में यह असमानता ही शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। जबकि भारतीय संविधान शैक्षिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में न्याय की विस्तृत व्याख्या करता है। क्षेत्रीय असमानताओं के बाद भी भारत की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में एकीकृत विशिष्टता के दर्शन होते हैं। अलौलिक शक्ति के प्रति विश्वास को ही धर्म की संज्ञा दी जाती है। एडवर्डटाइलर के (1871) के अनुसार "धर्म अत्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है।" धार्मिक विभेद भी असमानता के पुष्ट करने वाले तत्व है। भारतीय जनसंख्या का धार्मिक संघटन देश के सामाजिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यमान है।

प्राचीन काल से ही मानव जाति विभिन्न समूहों में विभाजित रही है। उदसी में एक समूह को जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यू0एच0आर0 रिवर्स के अनुसार - "जनजाति एक सरल सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं और युद्ध तथा अन्य प्रकार के क्रियाकलापों के साथ-साथ कार्य करते हैं।" इनको राष्ट्र की मख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में वर्णित प्राविधानों को दृष्टिगत करते हुए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

समुदाय अपने सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, व्यायामशालाओं, धार्मिक केन्द्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, धर्मशालाओं, पार्कों, सामुदायिक बारातघरों और विद्य़ालयों का निर्माण करते हैं। अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास में समुदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। भारत जैसी जनतांत्रिक व्यवस्था में

सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अस्थिरता का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक विभिन्न समूहों के बीच बढ़ता तनाव और संघर्ष है।

सारांशतः शिक्षा किसी भी सामाजिक समूह के अस्तित्व को समाज में कायम रखती है और आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित कर एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय भी करती है। यह वास्तव में सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करती है।

4.10 शब्दावली

1. विविधता	विभिन्नताएँ
2. सामाजिक विविधता	समाज की विभिन्नताएँ
3. सांस्कृतिक विविधताएँ	समाज की संस्कृति की विभिन्नताएँ
4. आर्थिक विविधता	समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता
5. लैंगिक विविधता	समाज में लैगिंक असमानता
6. दृष्टिकोण	किसी प्रत्यय के प्रति सोच एवं विचार व्यक्त करना
7. हिंसा	किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहंचाना
8. गाली	शाब्दिक कष्ट देना

4.11 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

1. a
2. b
3. b
4. c
5. a
6. a
7. d

4.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल, आर.बी. 2009 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धान्त, मेरठ - रस्तोगी पब्लिकेशन
2. महाजन, एस0 2010 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली - अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
3. सिंह, जे0पी0 (2013) समाजशास्त्र - अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त, नई दिल्ली।

4. पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं रूपरेखा एन.सी.ई.आर.टी. 2005 - 116 अरविन्दो रोड नई दिल्ली।

4.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विद्यालय में सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार समावेशित करेंगे विवेचना कीजिए?
2. शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? लैगिंग असमानता को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिए विस्तारपूर्वक लिखिए।
3. विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है इस कथन की व्याख्या कीजिए।
4. विद्यालय में सबको एक समान शिक्षा देने में कौन-कौन सी से दृष्टिकोण से सम्बन्धित बाधायें हैं, विवेचना कीजिए।

इकाई 5- शैक्षिक रियायतें, सुविधाऐं और प्रावधान - विकलांग व्यक्तियों के लिए , अल्पसंख्यकों के लिए , सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए

Educational Concessions, Facilities and Provisions for Persons with Disabilities, Minorarities , Socially Backward Classes

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 एकीकृत शिक्षा की योजना
  5.3.1 छात्रवृत्ति की दर
  5.3.2 आवश्यक पात्रता
  5.3.3 शैक्षिक आवश्यकता
5.4 शैक्षिक रियायतें, सुविधाऐं और प्रावधान का अर्थ
5.5 माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये समावेशित शिक्षा (IEDSS)
  5.5.1 अवलोकन
  5.5.2 उद्देश्य
  5.5.3 घटक
5.6 विकलांगों के लिये दीनदयाल पुर्नवास योजना (DDRS)
  5.6.1 उद्देश्य
5.7 विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच क्षमता उपलब्ध करवाना
  5.7.1 उद्देश्य
5.8 विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास
5.9 विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समितियां
  5.9.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं पुस्तकें
5.11 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

शिक्षा शिक्षण ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों, और आदतों के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है। शैक्षिक विधियों में कहानी, चर्चा, शिक्षण, प्रशिक्षण, और निर्देशित अनुसंधान शामिल हैं। शिक्षा अक्सर शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही होती है, लेकिन शिक्षार्थी भी खुद को शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक सेटिंग्स दोनो में ही अपना स्थान रखती है। अध्यापन को शिक्षण की पद्धति कहा जाता है। शिक्षा आमतौर पर औपचारिक रूप से पूर्वस्कूली या बालवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक स्कूल और फिर कॉलेज, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षु के रूप जेसे चरणों में विभाजित है.।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद

1. शैक्षिक रियायतें, सुविधाऐं और प्रावधान का अर्थ बता सकते हैं
2. एकीकृत शिक्षा की योजना, छात्रवृत्ति की दर, आवश्यक पात्रता एवं शैक्षिक आवश्यकता बता सकते हैं
3. माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये समावेशित शिक्षा के बारे में बता सकते हैं
4. विकलांगों के लिये दीनदयाल पुर्नवास योजना के बारे में बता सकते हैं
5. विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास के बारे में बता सकते हैं

5.3 एकीकृत शिक्षा की योजना (Integrated Education Scheme)

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना एक केन्द द्वारा प्रायोजित सामाजिक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के लिए 1974 में स्थानांतरित करने के बाद 1982 में शुरू की गयी योजना है। इस योजना के तहत सामान्य स्कूल प्रणाली में एकीकृत करने के लिए विकलांग बच्चों की मांग कर रहे हैं। श्रवण विकलांग (केवल हल्के और मध्यम बाधित) को भत्ता और इस योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं: पुस्तकों और स्टेशनरी भत्ता Rs.50/-प्रतिमाह परिवहन भत्ता Rs.50/ प्रति वर्ष वर्दी भत्ता 400 /-प्रति वर्ष की (एक विकलांग बच्चे स्कूल परिसर के भीतर स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले इस योजना के तहत स्वीकार किया कि, अगर कोई परिवहन प्रभार स्वीकार्य होगा)।

विकलांग बच्चे जहाँ वे अध्ययन कर रहे हैं स्कूल हॉस्टल में एक ही संस्था के भीतर रहने वाले भी बोर्डिंग और आवास शुल्क सरकार नियम/योजनाओं के अंतर्गत उनका स्वीकार्य के रूप में भुगतान किया जा सकता। बोर्डिंग और आवास शुल्क Rs.200/-p.m की अधिकतम करने के लिए विषय है, जहां कोई राज्य आवासीय योजना, जिनके माता-पिता की आय 3000 रू. प्रति माह से अधिक नहीं है, उन विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का वास्तविक भुगतान किया जा सकता। आगे

विवरण/प्रक्रियाओं के लिए कृपया निकटतम प्राधिकरण के राज्य समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।

अक्षम व्यक्ति के लिए छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति संघ सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित है और अक्षम व्यक्ति के 9 वर्ग की सामान्य तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सशक्तिकरण किया गया। छात्रवृत्ति के लिए अपनी पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के अधीन विकलांग छात्रों की सभी प्रकार से सम्मानित किया है।

5.3.1 छात्रवृत्ति की दर (Scholarship Rate)

नोट: उपर्युक्त दरें शैक्षणिक वर्ष 1986-87 से प्रभावी रहे थे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के स्तर के अनुसार इसके बाद के संस्करण श्रेणियों में प्रदान की गई छात्रवृत्ति की दर से छात्रवृत्ति मिल जाएगा। छात्रवृत्ति के अलावा orthopaedically विकलांग छात्रों को भी @ Rs.25/-p.m. और परिवहन भत्ता @ Rs.50/-p.m. पाठ्यक्रम के खंड 5 नियमों एवं शर्तों के तहत रखरखाव के लिए पात्र हो जाएगा।

5.3.2 आवश्यक पात्रता (Eligibility Criteria)

व्यक्ति सुनने के लिए नीचे दिए गए रूप में अक्षम होगा: विकलांग व्यक्ति को निम्न परिभाषा के मानदंडों को पूरा करने विकलांग, सुनवाई होना चाहिए: श्रवण विकलांग उन जिनके में सुनवाई का अर्थ है गैर-कार्यात्मक जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं, वे सुन/ध्वनि बिल्कुल भी प्रवर्धित भाषण के साथ समझ में नहीं आता। इस श्रेणी में शामिल मामले उन 70 डेसीबल से अधिक (गहरा हानि या दोनों कानों में सुनने की कुल हानि) बेहतर कान में सुनाई होने हो जाएगा। राष्ट्रीयता: एक विकलांग व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए लागू हो सकते हैं।

5.3.3 शैक्षिक आवश्यकता (Educational Qualifiactions)

एक विकलांग उम्मीदवारों से नौवीं कक्षा के बाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए पात्र हो जाएगा। उम्मीदवार पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त है चाहिए। संगीत पाठ्यक्रम: एक अक्षम माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम दूसरी श्रेणी में एक विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सभी भारतीय चरित्र की एक संस्था से संबद्ध एक कॉलेज से पारित कर दिया है चाहिए। वोकेशनल कोर्स: एक विकलांग व्यक्ति किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/कार्यशाला/आईटीआई या किसी भी अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार/स्थानीय शरीर या किसी भी स्वैच्छिक संगठन या Cenral/राज्य Govts. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित केंद्र में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स उपक्रम होना चाहिए यह भी शिक्षुता या प्रशिक्षण एक मान्यता प्राप्त संस्था में या उद्योगों में शामिल होंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक बार शैक्षणिक योग्यता की कमी नहीं होना चाहिए।

5.4 शैक्षिक रियायतें, सुविधाऐं और प्रावधान का अर्थ (Meaning of Educational Concessions, facilities and Provisionsons)

शैक्षिक रियायत का अर्थ: छात्रों के लिए पूर्ण कीमत में कुछ कमी कर के उपलब्ध कराना

शैक्षिक सुविधा का अर्थ: शैक्षिक सुविधाएं, छात्रों को उपलब्ध कराई गई वे सुविधाएं हैं, ताकि छात्र अपनी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए वे हर अवसर का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक प्रभावी शैक्षिक सुविधाओं में इमारतों, फिक्स्चर, उपकरण सार्वजनिक शिक्षा, कक्षाओं, पुस्तकालयों, कमरे और शारीरिक शिक्षा, ललित कला, टॉयलेट, विशेष प्रयोगशालाओं, कैफेटेरिया, मीडिया केन्द्रों, निर्माण उपकरण, भवन फिक्स्चर, सामान, के लिए अंतरिक्ष के लिए अंतरिक्ष के कार्यक्रम का कुशल संचालन से संबंधित भूनिर्माण और फ़र्श, बाहरी सुविधाओं, और समान प्रकार की मदें शामिल हैं जो राज्य शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित हैं । शैक्षिक प्रावधान का अर्थ: शैक्षिक आवश्यकता की आपूर्ति उपलब्ध कराने के कार्य।

5.5 माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये समावेशित शिक्षा (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage)

5.5.1 अवलोकन (Overview)

विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा (। EDSS) की योजना वर्ष 2009-10 से शुरू किया गया है। इस योजना के पूर्व योजना एकीकृत शिक्षा के अक्षम बच्चों (। EDC के लिए) बदलता है और ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाओं में विकलांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अब से 2013 के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) सम्मिलित हो। राज्यों/भी आरएमएसए योजना सम्मिलित हो के रूप में आरएमएसए के अंतर्गत subsuml ng की प्रक्रिया में हैं।

5.5.2 उद्देश्य (Aims and Objectives)

सभी विकलांग विद्यार्थी को एक समावेशी और समर्थकारी वातावरण में आठ साल पूरा करने के बाद चार साल की स्कूली माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के लिए सक्षम किया गया।

यह योजना सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, में पढ़ाई कर विकलांग अधिनियम (1995) और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम (1999) के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांग अर्थात् दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग ठीक हो, सुनवाई हानि, locomotory विकलांग, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, आत्मकेंद्रित, और सेरेब्रल पाल्सी शामिल किया गया और अंततः वाक् क्षति को कवर कर सकते हैं , विकलांग लड़कियों को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए, माध्यमिक स्कूलों तक पहुँचने लिए के लिए जानकारी और मार्गदर्शन में मदद करने के लिए विशेष ध्यान किया गया है। हर राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करना इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित है।

5.5.3 घटक (Components)

छात्र उन्मुख घटक, जैसे कि चिकित्सा और शैक्षिक मूल्यांकन, पुस्तकों और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन भत्ता, रीडर भत्ता, वजीफा लड़कियों के लिए, समर्थन सेवाएँ, सहायक उपकरणों, बोर्डिंग, लॉजिंग की सुविधा, चिकित्सीय सेवा, शिक्षण अधिगम सामग्री, आदि।

विशेष शिक्षा शिक्षकों, सामान्य शिक्षकों के शिक्षण ऐसे बच्चों, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासकों के अभिविन्यास, संसाधन कक्ष, की स्थापना के लिए बाधा रहित परिवेश, आदि प्रदान करने के लिए भत्ते की नियुक्ति अन्य घटक शामिल हैं।

5.6 विकलांगों के लिये दीनदयाल पुर्नवास योजना (Deen Dayal Rehabilitation Scheme)

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए छाता नामक योजना इस मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना संशोधित 01.04.2003 से प्रभावी किया गया था और ' दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS के रूप में)' कर दिया गया था। योजना के संशोधन 2003 में जगह ले ली, जबकि हालांकि, 1999 की लागत मानदंडों अपरिवर्तित बनी हुई थी। लागत मानदंडों के संशोधन के लिए मूल्य वृद्धि की भरपाई करने के लिए जरूरी हो गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1999 से 2007 के लिए 38% से बढ़ी है। यह मानदेय, के लिए लागत मानदंडों को संशोधित करने के लिए निर्णय लिया गया है आवर्ती मदों और व्यय के अपुनरावर्ती आइटम। यह योजना भी वहाँ के मॉडल परियोजनाओं के दायरे को चौड़ा किया गया है कि सीमा तक संशोधित किया गया है।

5.6.1 उद्देश्य

- समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित माहौल बनाने के लिए
- विकलांग (समान अवसर और अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1995 के साथ लोगों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना।

5.7 विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच क्षमता उपलब्ध करवाना (Availing Accessibility for Persons with Di sabi lity)

हम हमारे जीवन में कुछ समय में सभी शारीरिक रूप से अक्षम हैं। एक बच्चा, एक टूटे पैर के साथ एक व्यक्ति, एक माता पिता के एक बच्चों की गाड़ी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, आदि के साथ सभी एक ही रास्ता या किसी अन्य में अक्षम हैं। जो लोग अपने सभी जीवन स्वस्थ और कर शरीर रहते हैं कुछ कर रहे हैं। के रूप में दूर के रूप में निर्मित पर्यावरण का संबंध है, यह कि यह बाधा मुक्त और समान रूप से

सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए महत्वपूर्ण है। तथ्य की बात के रूप में, विकलांगों की जरूरतों के बहुमत की जरूरतों के साथ मेल खाना, और कम से कम उन लोगों के साथ सभी लोग कर रहे हैं। जैसे, बहुमत के लिए योजना अलग-अलग क्षमताओं और विकलांग के साथ लोगों के लिए योजना का तात्पर्य।

5.7.1 उद्देश्य

इस प्रकाशन के लिए पहली बार लेबनान में एक डिजाइन मैनुअल पहुँच क्षमता पर विकलांगों के लिए प्रदान करने के लिए एक प्रयास है। यह एक डिजाइन गाइडबुक आर्किटेक्ट और डिजाइनरों की बुनियादी जानकारी और डेटा के साथ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक बाधा - मुक्त वातावरण के लिए आवश्यक बना दिया है। आशय मानकों और सिफारिशों कि जाएगा न केवल विकास और BCD के पुनर्निर्माण को प्रभावित लेकिन राष्ट्रीय महत्व भी मान लें स्थापित करने के लिए है। मैनुअल, लंबे समय में, राष्ट्रीय निर्माण और विकलांग लोगों के लिए पहुँच को कवर कानून की योजना बना की स्थापना करने के लिए नेतृत्व करेंगे एक उत्तेजना होने की उम्मीद है।

5.8 विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास (Educational Development of children with Disability)

पहले तीन वर्ष एक बच्चे के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधि हैं। वे विशेष रूप से मस्तिष्क के तीव्र विकास द्वारा विशेषता हैं, और इस प्रकार भविष्य के विकास, विकास और प्रगति के लिए आवश्यक इमारत प्रदान करता हैं। अगर विकलांग बच्चों के जीवित रहने, पनपने, जानने के लिए, सशक्त किया जा करने के लिए कर रहे हैं और भाग लेने, प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए ध्यान आवश्यक है।

विकलांगता प्रारंभिक बचपन के विकास में मुख्य धारा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. मुख्यधारा नीतियों, प्रणालियों और सेवाओं में विकलांग के साथ बच्चों का समावेश
2. पता विकलांगता के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मानव संसाधनों की क्षमता का विकास
3. सार्वजनिक जागरूकता और विकलांगता के साथ बच्चों के बारे में समझ
4. डेटा संग्रह और अनुसंधान
5.

5.9 विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समितियां (National committees for education of persons with disabilities)

5.9.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप M.Phl l/Ph.D. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एक फैलोशिप योजना है। दी जानी करने के लिए फैलोशिप की संख्या 200 प्रतिवर्ष है। यह योजना 2012-

13 से प्रभावी है। हालाँकि, केवल 2013-14 में वर्ष 2012-13 के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। फैलोशिप राशि पर्वतमाला से Rs. 25,000/- रू. 28,000/- प्रति माह। इसके अलावा, वहाँ अनुरक्षण/रीडर भत्ता और घर किराया भत्ता का प्रावधान हैं जहाँ भी (यदि लागू हो) । फैलोशिप की अवधि: 2 वर्ष के लिए एम. फिल और पीएच. डी. उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 साल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। फैलोशिप राशि का संवितरण केनरा बैंक जो इस प्रयोजन के लिए नामित किया गया है के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। फैलोशिप राशि प्रत्यक्ष केनरा बैंक द्वारा चयनित उम्मीदवारों के बैंक खातों को प्रेषित है।

5.10 संदर्भ एवं पुस्तके

1. ayjn। hh.n। c.। n/aw/awareness/schemes5.html
2. www.edudel.n। c.। n/c। rculars_f। le/। EDC(F। NAL_COPY).html
3. mhrd.gov.। n › School Educat। on
4. Disabilityaffa। rs.gov.। n/content/page/ddrs.php
5. www.un.org/esa/socdev/enable/des। gnm/। ntro.htm
6. www.unesco.org/new/en/educat। on/...educat। on...educat। on/people-w। th-d। sab। l। t। es/
7. Disabilityaffa। rs.gov.। n/content/page/scholarsh। p.php

5.11 अभ्यास प्रश्न

1. एकीकृत शिक्षा की योजना क्या है?
2. शैक्षिक रियायतें, सुविधाऐं और प्रावधान का अर्थ क्या है?
3. विकलांग बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की दर क्या है?
4. विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति के लिये आवश्यक पात्रता क्या है?
5. विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति के लिये शैक्षिक आवश्यकता क्या है?
6. माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है?
7. विकलांगों के लिये दीनदयाल पुर्नवास योजना क्या है?
8. विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पहुँच क्षमता कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है?
9. विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक विकास क्या है?
10. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समितियां कौन- कौनसी है?

5.2 अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक रियायतें, सुविधाएं और प्रावधान (Educational Concessions, Facilities and Provisions for Minorities)

i. शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। एक अच्छी तरह से शिक्षित जनसंख्या पर्याप्त रूप से ज्ञान के साथ सुसज्जित है, और कौशल केवल आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन भी जो विकास कराएगा रोजगार अवसरों से सबसे ज्यादा फायदा खड़े हो सकते हैं शिक्षित और कुशल व्यक्ति है, क्योंकि यह समावेशी होने के लिए विकास के लिए एक पूर्व शर्त है.'(Para 10.1 of the Approach to the XIIth Five Year Plan). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत के मानव संसाधन, इक्विटी और उत्कृष्टता के साथ करने के लिए अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का एक दृष्टिकोण के साथ एक समावेशी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया है

ii. 'संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों स्थापित करने और अपने स्वयं केशिक्षा संस्थानों की व्यवस्था करने का अधिकार होता है जनादेश'। सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों, अल्पसंख्यकों का प्रमुख हिस्सा के गठन के शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा पिछड़ेपन का पता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम, में अंतर सदा, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में एक समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि करना।

5.2.1.1 जनगणना रिपोर्ट 2001

प्रति जनगणना रिपोर्ट 2001 के रूप में, प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी, अर्थात मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और ज़रदुश्त (पारसी) और उनके साक्षरता दर, निम्नानुसार हैं:

Communities	Percentage of populati on	Percentage of literacy
Muslims	12.4	59.1
Chri stians	2.3	80.3
Sikhs	1.9	69.4
Buddhists	0.8	72.7
Zoroastrians (Parsis)	0.007	97.9

5.2.1.2 'सच्चर समिति रिपोर्ट':

'सच्चर समिति रिपोर्ट' के अनुसार ' एक चौथाई मुस्लिम बच्चे 6-14 वर्ष के आयु समूह में या तो कभी नहीं में भाग लिया स्कूल या ड्रॉप-आउट हैं। 17 वर्ष की आयु से ऊपर बच्चों के लिए, मुसलमानों की शिक्षा प्राप्ति के मैट्रिक में 17%, राष्ट्रीय औसत 26% से कम हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर 62% करने के लिए केवल 50% मुसलमानों को जो पूरा मध्य विद्यालय के माध्यमिक शिक्षा पूरा होने की संभावना हैं, की तुलना में '। रिपोर्ट भी अवाप्ति मुस्लिम महिलाओं, मुसलमानों में तकनीकी के रूप में रूप में अच्छी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में और उच्च शिक्षा के बीच के कम स्तर की ओर ध्यान

आकर्षित किया है। न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति भी मुस्लिम समुदायों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए सिफारिशें की एक संख्या बनाया है। (सच्चर समिति की रिपोर्ट के लिए लिंक)। इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति श्री मो की अध्यक्षता। A.A. Fatml , राज्य के तत्कालीन मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय की में भी न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्रवाई की एक योजना तैयार की है

5. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री संसाधन विकास मंत्रालय भी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति पर अल्पसंख्यकों की शिक्षा (NMCME) के अध्यक्षता के के तहत गठित की गई है। एक स्थायी समिति ने श्री सिराज हुसैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार और पूर्व कुलपति की अध्यक्षता, Jaml aHamdard अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए भी गठित किया गया है। स्थायी समिति और इसकी उप-समितियों का उद्देश्य हैं, निम्नानुसार

अल्पसंख्यक निगरानी करने के लिए से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है; यदि आवश्यक, योजनाओं के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक दृश्य के साथ विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं में संशोधन, सुझाव है कि करने के लिए

जो अल्पसंख्यक शिक्षा और कल्याण के मुद्दों में चले गए हैं और तरीकों और इसका मतलब उन समितियों की सिफारिशों/निष्कर्ष को लागू करने के लिए सुझाव है कि पिछले समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए; अल्पसंख्यक के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर समिति की सलाह से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के और किसी भी अन्य अल्पसंख्यक शिक्षा समिति सरकार और NMCME के संज्ञान में लाना करने के लिए चाहते हैं हो सकता है जो करने के लिए संबंधित मुद्दों के द्वारा चलाया जा रहा

5.2 उद्देश्य

अच्छी तरह से इस मॉड्यूल के माध्यम से जाने के बाद, एक के बारे में पता करने में सक्षम हो जाएगा:

- अल्पसंख्यक समूह
- अल्पसंख्यक समूहों में आयोजिक खंड
- अल्पसंख्यक समूह के लिए आरक्षण का प्रतिशत
- संवैधानिक प्रावधान
- अल्पसंख्यक वर्गों के लिए योजनाएं
- अल्पसंख्यक समूह के विभिन्न वर्ग के लिए प्रावधान
- आरक्षण नियम

5.2.3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल

कई महत्वपूर्ण पहल, XI th पंचवर्षीय योजना के दौरान, नीचे विस्तृत रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ले लिया है और जो की गति कर रहे हैं किया जा रहा जारी रखा/त्वरित XI । th पंचवर्षीय योजना के दौरान:

1. (SPQEM) मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना
2. निजी सहायता प्राप्त/बेबस अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना
3. सर्व शिक्षा अभियान
4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
5. मध्य दिन के लिए भोजन का विस्तार
6. मदरसों के लिए योजना
7. 'साक्षर भारत'
8. जन शिक्षण संस्थान
9. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
10. उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद का सुदृढ़ीकरण
11. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

5.2.3.1 अल्पसंख्यक एकाग्रता जिलों की सूची

- कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पाली तकनीकों पर उप-मिशन
- लड़कियों की छात्रावास योजना
- मॉडल स्कूलों की स्थापना
- इसके अलावा, छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजनाएं और बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही हैं।

5.4 संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 46 कहा गया है कि, 'राज्य, विशेष देखभाल, शिक्षा और लोगों की, और, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ को बढ़ावा देने करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी संरक्षा करेगा.' लेख 330, 332, 335, 338 से 342 और पूरे पांचवीं और छठी अनुसूचियों को संविधान का अनुच्छेद 46 में उल्लिखित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधानों के साथ सौदा। इसी तरह, लेख 30 (1) स्थापित करने और अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों प्रशासन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रदान करता है। पूरी तरह से हमारे समाज में इन कमजोर वर्गों के लाभ के लिए उपयोग किया जा करने के लिए इन प्रावधानों की जरूरत

5.5 अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति

राष्ट्रीय निगरानी समिति अल्पसंख्यकों शिक्षा (NMCME) पुनर्गठन किया गया है के लिए होड़ मंत्रालय 23.12.2011 संकल्प सं. 6-4/2010-MC (pt.) दिनांक है। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक 5 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में, एक स्थायी समिति के NMCME और के रूप में NMCME के तहत पांच उप-समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया था

- अल्पसंख्यकों के उद्देश्य से योजनाओं का कार्यान्वयन
- अल्पसंख्यकों - क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं के मानचित्रण व्यावसायिक शिक्षा अल्पसंख्यकों का कौशल विकास
- लड़कियों की शिक्षा
- उर्दू भाषा के संवर्धन और अंग्रेजी का ज्ञान के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच संगतता बढ़ाने
- सरकार के शैक्षिक और आर्थिक बहुत अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए निम्न योजनाएँ भी चल रहा है

5.6 मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना

योजना के लिए बुनियादी ढांचा विकास निजी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों (IDMI) - (प्राथमिक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों) निम्न सामग्री आप बेहतर देश में अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए किए गए कार्य को समझने में मदद मिलेगी

(स्थिति रिपोर्ट सहित) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों (क्रिया की निगरानी सहित) सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार फैसले की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रमुख पहल

एनयूईपीए - उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी द्वारा किए गए शोध के निष्कर्ष।

- आरक्षण नियम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकता केवल एक पास के संबंध में निशान भी, भुगतान सीटों के लिए हालांकि वे प्रवेश प्राप्त होता है, तो भुगतान करने के लिए आवश्यक नहीं हैं योग्यता बी. टेक मरीन इंजीनियरिंग के अलावा CUSAT के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों निकलना चाहिए। सांप्रदायिक आरक्षण नियम केरल के सरकार द्वारा तैयार किए और विश्वविद्यालय द्वारा समय से लागू किया गया सांप्रदायिक आरक्षण के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए लागू होगा

उम्मीदवार "बशर्ते कि ऐसे आरक्षण के लिए पात्रता प्रासंगिक समुदाय के रूप में अच्छी तरह से वार्षिक परिवार आय बल में विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा विहित रूप में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के संतोषजनक सत्यापन के अधीन हो जाएगा से शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों (SEBC), जो केरल राज्य सांप्रदायिक आरक्षण के लिए पात्र हैं ऐसे समुदायों के लिए, निर्धारित सीटों के लिए विचार किया जाएगा।

5.2.7 प्रतिशत-वार नीचे बल में आरक्षण दिया जाता है: एक) ख) गैर-पेशेवर कार्यक्रम

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत (%)
1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	20
2	सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)	20
3	आगे जाति के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण	7.5
	TOTAL	47.5

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत (%)
1	SC	8
2	ST	2
3	SEBC (Socl ally and Educatl onally Backward Communl tl es) Ezhava/Thl yya/Bl llava(ETB)	9
4	Musll m(MSM)	8
5	Other Backward Hl ndus (OBH)	5
6	Latl n Catholl c other than Anglo l ndl an(LCC)	2
7	Other backward Chrl stl an	1
8	Kudumbl	1
Total		36

5.8 खेल कोटा

स्पोर्ट्स कोटा के तहत आरक्षण निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है:

(i) "भुगतान श्रेणी' बी. टेक की। कार्यक्रम SOE और CUCEK, और Kunjall Marakkar स्कूल समुद्री इंजीनियरिंग के द्वारा की पेशकश की

(ii) बी. टेक. नौसेना वास्तुकला जहाज निर्माण और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रौद्योगिकी

(iii) P.G कार्यक्रम जहाँ मंजूर सेवन 30 या उससे अधिक है।

(iv) M.C.A "लागत साझा" Thrl kkakara और Pull nkunnoo परिसर में कार्यक्रम।

5.2.8.1.यहूदी

सीट को यहूदी समुदायों के बीच वैकल्पिक वर्षों में घुमाया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार इस समुदाय की या तो उपलब्ध नहीं है, सीट ओपन मेरिट कोटा के अंतर्गत भरा जाएगा

5.9 कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (CUSAT) के कर्मचारियों के बच्चों

कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (CUSAT) के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण केवल B.B.A,L.L.B(Hons.) के लिए है और बी. टेक इंजीनियरिंग की भुगतान श्रेणी में समाज संचालन इंजीनियर (SOE) और कोचीन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियरिंग Kuttanad (CUCEK) में कार्यक्रम। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की सीट के रूप में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों जो इस श्रेणी में प्रवेश सुरक्षित किसी भी शुल्क रियायत/वापसी के लिए पात्र नहीं हैं। यह आरक्षण केवल CUSAT के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के लिए दी जाती है

5.10 पूर्व सैनिकों के बच्चों

इस श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए केवल एक स्नातकोत्तर के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों को M.Tech/M.Phl l/PG डिप्लोमा के अलावा अन्य कार्यक्रम है / प्रमाण पत्र कार्यक्रम हर वर्ष और इस सीट के नाम विभाग के वर्णमाला क्रम में शिक्षण विभागों के बीच वितरित किया जाएगा

5.11 मछुआरे समुदाय

CUSAT में अपनी पढ़ाई करने में लगे सभी पंजीकृत मछुआरों के परिवारों से जयजयकार कर छात्रों की फीस और अन्य शैक्षिक रियायतें लागू SC/ST/ताइपेइ समुदायों, मत् स् य विभाग, के माध्यम से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उम्मीदवार मछुआरे समुदाय के एक सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के संतोषजनक सत्यापन के अधीन के छात्रों के लाभ के लिए पात्र हैं।

5.12 सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों' के तहत सांप्रदायिक आरक्षण के लिए दावा

उम्मीदवारों के लिए सामाजिक रूप से संबंधित और शैक्षिक पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय (यानी, एक साथ लिया सभी स्रोतों से परिवार में सभी सदस्यों की वार्षिक आय) अप करने के लिए 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष है इस श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र हैं

5.13 संयुक्त राष्ट्र चुने गए सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के खिलाफ ताइपेइ उम्मीदवारों का दावा

अन्य पात्र समुदाय (ताइपेइ) उम्मीदवारों जो संयुक्त राष्ट्र चुने गए सीटों के आवंटन का दावा, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटा के अंतर्गत चिंतित ग्राम अधिकारी से प्राप्त समुदाय और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ताइपेइ उम्मीदवारों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटा के संयुक्त राष्ट्र चुने गए सीटों के अंतर्गत प्रवेश की तलाश और समुदाय के आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जरूरत है लेकिन सरकार/समुदाय के अंतर्गत स् नातक पूर्व कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के समय शुल्क परिहार नहीं की जरूरत है।

510 अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है?
2. अल्पसंख्यकों के लिए जनगणना रिपोर्ट 2001 क्या है?
3. सच्चर समिति रिपोर्ट' क्या है?
4. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गई राष्ट्रीय निगरानी समिति क्या है?
5. अल्पसंख्यकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या पहल है?
6. अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है?
7. मदरसा में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना क्या है?

5.2.14 संदर्भ एवं पुस्तके

- http://mhrd.gov.l n/educatl onal-development-ml norl tl es
- ugcsct.cusat.ac.l n/documents/F.pd

5.3 सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक रियायतें, सुविधाएं और प्रावधान(Educational Concessions, Facilities and Provisions for Socially Backward Class)

5.3.1 परिचय

भारत में आरक्षण की व्यवस्था सकारात्मक पहुँच सीटों पर विभिन्न विधानसभाओं, सरकारी नौकरियों, और उच्च शैक्षिक संस्थानों में नामांकन के लिए जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त जनजातियों के लिए आरक्षण के माध्यम से किए गए कार्यों की एक श्रृंखला रहे हैं। आरक्षण ऐतिहासिक दमन, असमानता और भेदभाव दलित और बनाने के महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान उनके खिलाफ अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा सामना पता करने के लिए किया जाता है। यह संविधान के समानता के वादे का एहसास करने के लिए बनाया गया है। आरक्षण का आधार ऐतिहासिक भेदभाव और उत्पीड़न, जो आरोपित नुकसान जो आज, जारी है समानता ही प्रस्तावना में भारत के संविधान द्वारा आश्वासन दिया के सामाजिक अनुबंध तोड़ने के लिए नेतृत्व किया गया है। यह मौजूदा असमानता पता होगा के रूप में संविधान अपने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता प्रतिबंध लगाता है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य obl। gates, पता है कि ऐसे विशेष प्रावधान वर्तनी को भी भेदभावपूर्ण, नहीं माना जाएगा। इन वर्षों में, श्रेणियों सकारात्मक कार्रवाई के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों एक विशेष श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने की सूचियों से परे विस्तारित किया गया है। विचार भी आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण प्रदान करने के लिए दिया गया है। यह परिणाम नहीं किया गया के रूप में यह सही मायने में ऐतिहासिक उत्पीड़न और असमानता के पते एक अधिक संपूर्ण कार्यक्रम द्वारा समर्थित नहीं किया गया है करने के लिए, आकांक्षी। आरक्षण संवैधानिक कानूनों, वैधानिक कानून, और स्थानीय नियमों और विनियमों द्वारा शासित है। अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और एक बराबरी सुनिश्चित करने रहा संविधान-के अंतर्गत आरक्षण नीतियों के प्राथमिक लाभार्थियों में कुछ BC(M), नाम की श्रेणी के तहत पिछड़ा वर्ग मुसलमानों के बीच राज्यों रहे हैं।

5.3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद

1. पिछड़े वर्ग के बारे में बता सकते हैं
2. पिछड़े वर्ग के विभिन्न गुट
3. पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं
4. आरक्षण प्रणाली के लाभार्थी समूह
5. विदेश अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. आंबेडकर योजना
6. डॉ. आंबेडकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

5.3.3 निर्वाचित निकायों में आरक्षण

संसद, जाति और जनजाति के आधार आरक्षण यह और अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रदान की जाती हैं... आज, भारत की संसद में 543 सीटों में से 84 (15.47 प्रतिशत) SC/दलितों और 47 (8.66%)for ST/जनजातियों. के लिए आरक्षित हैं सीटों के आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों कि कुल जनसंख्या के लिए चिंतित राज्य के अनुपात के आधार पर बना रहे हैं। एक समान प्रतिशत विशेष सीटों की नामित जातियों और जनजातियों में प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रदान की गई है।

5.3.4 शिक्षा में आरक्षण

भारत छात्रवृत्ति या छात्र सहायता के अधिकांश केवल करने के लिए उपलब्ध है-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BCs, ओबीसी, महिलाओं, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों। छात्रवृत्ति या भारत में छात्र सहायता के बारे में केवल 0.7% योग्यता पर आधारित है। [21] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) SC/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कक्ष की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कक्षों में विश्वविद्यालयों के छात्र प्रवेश और स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया में शिक्षण और गैर शिक्षण कार्यों के लिए आरक्षण नीति को लागू मदद। वे भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को विश्वविद्यालय समुदाय और मदद के साथ एकीकृत मदद अनुभव हो सकता है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों कठिनाइयों निकालें। [22] नए नियम कार्यान्वयन UPA सरकार के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना और आरक्षण कोटा और केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों के कर्मचारियों पर प्रदान नहीं।

5.3.5 आरक्षण प्रणाली के लाभार्थी समूह

वह कोटा सिस्टम किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों के लिए सभी संभव पदों का एक अनुपात अलग सेट करता है। जबकि निर्दिष्ट समुदाय के सदस्य या तो आरक्षित या खुला स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं उन लोगों के लिए नामित समुदायों से संबंधित नहीं केवल शेष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

निम्न मापदंड के तहत लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं:

- जाति
- लिंग
- धर्म
- विवाद
- कुछ आरक्षण के लिए भी बना रहे हैं:

1. कश्मीर से आतंकवादी पीड़ितों,
2. एकल बालिका...
3. जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रवासियों के लिए
4. स्वतंत्रता सेनानियों के बेटों/बेटियों/पोते/पोतियों और दूसरों के लिए।

5.3.6 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दो योजनाएं

आरक्षण पर बहस अक्सर सामान्य श्रेणी और क्या उनके कल्याण के लिए सरकार कर रही है से समाज के गरीब वर्गों के मुद्दे को लाता है। यहाँ दो केन्द्रीय क्षेत्र योजना, विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए (EBCs) तैयार कर रहे हैं। निम्नलिखित योजनाओं के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा EBCs के कल्याण के लिए लागू किया जा रहा हैं;

5.3.6.1 डॉ. आंबेडकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

यह एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना को राज्य सरकार और संघ राज् य क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पोस्ट-मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का उद्देश्य है। पात्रता के लिए माता-पिता/पालक की आय सीमा रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष है।

उद्देश्य	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में पढ़नेवाले विद्यार्थियों पोस्ट मैट्रिक
पात्रता	पात्रता के लिए माता पिता की आय सीमा रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष है
रखरखाव भत्ता	Rs. 260 - रु. 750 Hostellers के लिए प्रति माह
फीस	नामांकन व पंजीकरण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा परीक्षा और ऐसे अन्य संस्थान से अनिवार्य देय फीस भुगतान किया जाएगा
अध्ययन दौरे	अधिकतम रु. 900 प्रति वर्ष तक परिवहन शुल्क पर छात्र द्वारा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित है
थीसिस टाइपिंग/मुद्रण शुल्क	अनुसंधान विद्वानों के थीसिस टाइपिंग / मुद्रण शुल्क के लिए अधिकतम 1000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा
किताबें भत्ता	पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 900 रुपये प्रति वर्ष
दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर प्रभार	रु. 90 - रु 175 प्रति माह
जो योजना निधि होगा?	सभी राज्य सरकार मई-जून में योजना के विवरण की घोषणा करेंगे। यह एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है

5.3.6.2 विदेश अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. आंबेडकर योजना

उद्देश्य	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए सराहनीय ब्याज आर्थिक सहायता
पात्रता	पात्रता के लिए माता-पिता/पालक की आय सीमा रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष (यदि स्वयं नौकरी में है, आय सहित,) है। 50% हर साल परिव्यय छात्राओं के लिए निर्धारित किया जाता है।
अन्य पात्रता	छात्रों परास्नातक, एम. फिल., पीएच. डी. स्तर विदेशों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित है चाहिए। वह / वह इस प्रयोजन के लिए शिक्षा ऋण भारतीय बैंक संघ की योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण लाभ उठाया है चाहिए
योजना क्या है?	स्थगन की अवधि वहन करेगा के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय बैंक एसोसिएशन के शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा देय ब्याज

वह इस योजना का उद्देश्य मेधावी EBC छात्रों को उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी पुरस्कार के लिए है। योजना के तहत पात्र होने के लिए, एक छात्र आय अन्तर्गत अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष आना चाहिए। 50% हर साल परिव्यय की छात्राओं के लिए निर्धारित किया जाता है। चयनित छात्रों की अनंतिम सूची नियमित रूप से सामाजिक न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

5.37 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्वाचित निकायों में आरक्षण क्या है?
2. सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण क्या है?
3. आरक्षण प्रणाली के लाभार्थी समूह कौन- कौनसे है?
4. सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कौनसी दो योजनाएं है?
5. डॉ. आंबेडकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
6. विदेश अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. आंबेडकर योजना क्या है?

5.3.8 संदर्भ एवं पुस्तकें

1. socl aljustl ce.nl c.l n/.../Scheme%20of%20l nterest%20Subsl dy636181089437985140.p
2. www.scholarshl ps.net.l n › Natl ona
3. https://en.wl kl pedl a.org/wl kl /Reservatl on_l n_l ndl a
4. www.frl endsofsouthasl a.org/caste/reservatl ons/faq.html